

॥ श्रीः ॥


एकट नम्बर ४५ सन् १८६० ईसवी

या

मजमूआ ताजीरातहिन्दू

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दृष्टसंग्रह



जिसमें

चारो हाईकोर्टोंकी नजीरें तथा समस्त संशोधन
व स्पष्टीकरण सम्मिलित है.



सुरादावादनवासी

पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा सम्पादित.

जिसको

खेमराज श्रीकृष्णदासने

मुम्बई

खेतवादी ७ वीं गली खन्वाटा लैन,

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-मुद्रणयन्त्रालयमें

मुद्रितकर प्रकाशितकिया.

सन् १९७०, सन् १९१३ ई

ALL RIGHTS RESERVED BY THE PUBLISHER,



भूमिका ।

सर्वसाधारण महाशयगण इस बातको जानने दें कि प्राचीन समयमें छेन देन, व्यापार व्यवहार, झगडे झझट, क्लेश आनन्द जो कुछ भी कार्य होता था वह समस्तही वचनद्वारा निर्वाह होता था । परन्तु जैसे २ नई सभ्यता और नई रोशनीका जमाना आता गया वैसेही वैसे व्रत २ में वेईमानी, विश्वासघातकता, कुटिलता, अनैक्यता, लडाई, झगडे, वध और क्रूरता इत्यादि कलियुगी बातोंका जोर होगया । बलवान लोग दुर्बलोपर अत्याचार करने लगे, महाजन लोग कर्जदारोंको बात २ में सताने लगे, जिर्मींदार लोग अपनी पुत्रवत् प्रजाको बारम्बार दुःख देने लगे, बढमाओका जोर होगया, शोगह पुष्टोंका शोग होगया । टीन लोग दारिद्रसे सताये जाकर दुःख पाने लगे, पतिव्रता स्त्रियोंको अपने सतीत्वकी रक्षा करना कठिन कार्य होगया, इन समस्त अत्याचारोंमें ऐसा कुन्हाहल हुआ कि ब्रिटिशगणोंने भारतवर्षमें आकर अपने अपूर्व और अद्भुतगुणोंसे शान्तिराज्यका प्रचार किया, इस राज्यका आगमन होतेही वाघ और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगे । अनाथ, दीन, दुःखी, आर्त्त और पीडित लोगोंको आराम मिला, तथापि समयके प्रभावसे कहीं प्रगट और कहीं अप्रगट रीतिसे दुष्ट लोग अपने अत्याचारोंसे सर्वसाधारणको कष्ट पहुँचातेही रहे । नूददर्शिनी ब्रिटिश सरकारने यह समाचार पातेही सम्पूर्ण मनुष्योंके लाभार्थ दीवानी और फौजदारीके अनेक कानून बनाये । दीवानीके कानूनोंसे स्थावर और अनस्थावर धनका व्यवहार करनेवालोंको सुभीता हुआ और दुष्टोंको दण्ड देने तथा शांतिका प्रचार करनेके लिये फौजदारी कानून प्रचलित हुए । समस्त फौजदारी कानूनोंमें "ताजीरात हिन्द" मुख्य माना जाता है पहले २ अंगरेजी भाषामें समस्त कानून लिखे गये, और छपाए गये जिनके द्वारा केवल अंगरेजी जाननेवालोंनेही लाभ उठाया तत्पश्चात् प्रत्येक प्रान्तकी प्रत्येक भाषामें कानूनोंका अनुवाद होकर प्रकाश हुआ । बंगालमें कोर्टकी दूसरी भाषा बंगाली हुई इस कारणसे कानून भी बंगभाषामें छपे । महाराष्ट्रदेशमें महाराष्ट्री, गुजरातमें गुजराती और दक्षिणोत्तर प्रदेशमें अमाग्यवश कचहरियोंमें उर्दूभाषा प्रचलित होनेके कारण उर्दूमें कानून छपे और प्रकाशित हुए पश्चिमोत्तर प्रान्तमें जिसका नाम अब युक्तप्रदेश है बहुतायतसे हिन्दीभाषा बोली जाती है और अधिकांश मनुष्य नागरी अक्षरोंके जाननेवाले पाये जाते हैं ईसाई लोगोंकी रिपोर्टसे यह बात प्रमाणित होगई है* कि हिन्दीभाषाके जाननेवाले समस्त प्रातोंमें अधिकांशसे वर्तमान हैं ऐसा होनेपर भी हिन्दीभाषामें कानूनोंका अनुवाद न होकर प्रकाशित न होना-

* वेंकटेश्वर समाचार ६ जून सन् १९०२ ई० तथा भारतमित्र और वसुन्धराने इस रिपोर्टको विस्तारमें प्रकाशित किया है ।

अत्यन्त लाजकी बात थी जब कि सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कार रोजगार और लेन देन इत्यादि समस्त कार्योंमें ही कानून लागू हो जाता है तब प्रत्येक हिन्दीहितैषीको कानूनको पढना लाभकारी हो सकता है, परन्तु विचारे हिन्दी जाननेवालोंके अभाग्यसे सरकारने इस ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया हॉ इतना तो अवश्य किया कि नागरी अक्षरोंमें फारसी भाषाके दो चार कानून प्रकाशित किये परन्तु समयमें न आनेके कारण हिन्दीभाषाके जाननेवालोंने उनसे किंचित् भी लाभ नहीं उठाया । कुछ दिन पीछे स्वर्गवासी ! मुन्शी नवलकिशोरजी स्वत्वाधिकारी "नवलकिशोर प्रेस लखनऊ" का इस बातके ऊपर ध्यान पहुँचा और उन्होने ताजीरात हिन्दको हिन्दीभाषामें अनुवाद करके अपने प्रेसमें छपा । तदुपरात आगराके शिवायंत्रमे और हरिद्वार से टाईपमे छपकर ताजीरात हिन्द प्रकाशित हुआ परन्तु हिन्दीवालों को पूरी अभिलाषा किसीके द्वाराभी सिद्ध न हुई । थोड़े दिन हुए हैं कि "छा.प्रेस छिन्दवाड़े" के किसी वकीलसाहबने ताजीरात हिन्दको एक सुन्दर आवृत्ति प्रकाशित की है । जिसमें उदाहरण सश्रीकरण नजायर इत्यादि अधिकतासे सम्मिलित है । इसके प्रकाशित होनेसे हिन्दीवालोंको अधिक लाभ पहुँचा परन्तु ४॥, ६० मूल्य अधिक होनेके कारण साधारण लोग कानूनीलाभ उठानेसे वंचित रह गये । इस बातका विचार करके मैंने सोचा कि हिन्दीभाषामे सस्ता और समस्त आवश्यकीय लेखोंसे संयुक्त एक ऐसा ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह) प्रकाशित किया जावे जिसको धनी निर्धन सबही अधिकताके साथ मोलले और पढकर लाभ उठावे । ऐसा विचारने के कुछही दिन पीछे श्रीमान् सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी त्वत्वाधिकारी श्रीवेकेश्वर प्रेस व श्रीवेकेश्वर समाचार बवईने एक ऐसे ताजीरात हिन्दकी छापने की इच्छा प्रगटकी जैसा कि मैं चाहता था । मैंने तत्काल उक्त सेठजी साहबकी आज्ञाका पालन करके एक वर्षमें ताजीरात हिन्द (हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह) का अनुवाद कर डाला ।

यह हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह ब्रिटिश इन्डियामे लगभग ४२ वर्षसे प्रचलित है तबमें कई बार इसमें सशोधन भी हो चुका है । इसही न्यायग्रन्थके अनुसार एक छोटेसे मजिस्ट्रेटसे लेकर हाईकोर्टके जजतक अपना न्याय कार्य पूरा करके अपराधियोंको दंडित करते हैं । इसहीके मयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छतितुच्छ दरिद्रपर भी अत्याचार नहीं कर सकता है और जो करता है उसका सर्वनाश होजाता है । अतएव ऐसे कानूनका जानना और पढना प्रत्येक देशवासीका आवश्यकीय कार्य है ।

प्रस्तुत अनुवादमें इस बातका अधिक ध्यान रक्खा गया है कि कहींपर कठिन शब्द न आवे इसमें प्रायः उन्ही शब्दोंका अधिक प्रयोग किया गया है जो आजकल पश्चिमोत्तर प्रान्तकी बोलचालमें प्रचलित हैं । वरन जो शब्द कठिन आभी गए है उनके भागे कोठेमें उर्दू शब्द लिख दिये हैं । न्यायालयोंमें विशेषतः उर्दूका अधिक प्रचार होनेके कारण कहीं उर्दूके शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है ।

प्रस्तुत अनुवादमे जहातक समग्र हुआ नजारे (दृष्टान्त या उदाहरण) अधिक लिखीं हैं । चारों हाईकोर्ट यथा,—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और इल्हाबादकी नजारीके अतिरिक्त चीफ कोर्ट पंजाब व जुडिशियल कमिश्नर मध्यप्रदेशकी भी नजारीको यथा न्यायमे सन्निवेशित किया गया है । पाठकगण ! हिन्दी और उर्दू भाषामे अबतक कोई हिन्दुस्थानका दंडसग्रह इतने दृष्टान्तोंके सहित प्रकाशित नहीं हुआ ।

इन पुस्तकके सम्पादन करनेमें मुरादाबादके प्रसिद्ध वकील चौधरी रामप्रसाद साहब और लाला अम्बा प्रसादजी मुख्तार अदालतने अपनी सम्मति देकर मुझको अन्यान्तही अनु-प्रहीत किया है । अतएव उपरोक्त दोनो महाशयोको बारम्बार आशीर्वाद देकर भूमिकाकी समाप्ति करताहू ।

मुझको पूर्ण आशा है कि, हिन्दीभाषासे अनुराग रखनेवाले दश दिनैयी महाशयगण तथा वकील मुख्तार, उल्लिखित कर्मचारी व मजिस्ट्रेट आदि इसकी एक २ प्रति अपने यहा रखकर अवश्यही लाभ ल्यावेंगे ।

मोहल्लर दीनदर पुरा
मुरादाबाद (युक्तप्रदेश) }
१९१६।१९०२ ई०

कृपाकाक्षा,
बलदेव प्रसाद मिश्र.

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अध्यायोंका-

सूचीपत्र ।



अध्याय.	आशय.	दफा.	अध्याय.	आशय.	दफा.
पहिला—इस ऐक्टका नाम और इसके प्रचारकी अवधि		१	बाटो और पैमानोमे सम्बन्ध रखते हैं		२६४
दूसरा—साधारण अर्थ प्रकाश... ..		६	चौदहवां—उन अपराधोके वर्णनमे जो सर्व सम्बन्धी आरोग्यता, कुशलता, सज्जनता और सुशीलतामे विन्न डालनेवाले है		२६८
तीसरा—दण्डोके विषयमे		५३	पन्द्रहवां—उन अपराधोके विषयमे जो मतसे सम्बन्ध रखते हैं		२९५
चौथा—साधारण छूट		७६	सोलहवां—उन अपराधोके विषयमे जो मनुष्योंके तन अथवा जीवसे सम्बन्ध रखते हैं		२९०
पांचवां—सहायताके वर्णनमे		१०७	सत्रहवां—उन अपराधोके विषयमे जो मालसे सम्बन्ध रखते हैं		३७८
छठा—राज्यधिमोही अपराध करने तथा सहायता देनेके विषयमे		१२९	चौरीके वर्णनमे.		
सातवां—जगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोके विषयमे... ..		१३१	अठारहवां—उन अपराधोके विषयमे जो दस्तावेजो और व्यापारके अथवा मालके चिह्नासे सम्बन्ध रखते हैं		४६३
आठवां—सर्व सम्बन्धी कुशलतामे विन्न डालनेवाले अपराधोके विषयमे		१४१	उन्नीसवां—दण्ड योग्य नौकरिका कौल-कारार तोडनेके विषयमे .		४९०
नवां—उन अपराधोके वर्णनमे जो सरकारी नौकरोंसे हों या उनसे सम्बन्धित हो		१६१	बीसवां—उन अपराधोके विषयमे जो विवाहसे सम्बन्ध रखते हैं		४९३
दशवां—सर्व सम्बन्धी नौकरोके नीति पूर्वक अधिकारके अपमान करनेके विषयमे		१७२	इक्कीसवां—अपयश लगानेके विषयमे		४९९
ग्यारहवां—झूठी गवाही और सर्वसम्बन्धी न्यायमे विन्न डालनेवाले अपराधोके विषयमे		१९१	बाईसवां—दण्ड योग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमे		५०३
बारहवां—उन अपराधोके बयानमे जो सिके और गवर्नमेण्ट स्टाम्पसे सम्बन्ध रखते है		२३०	तेईसवां—अपराध करनेके उद्योगके विषयमे		५११
तेरहवां—उन अपराधोके वर्णनमे जो					

हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका धारानुसार-

सूचीपत्र ।



दफा.	सक्षिप्त विवरण.	दफा.	सक्षिप्त विवरण.
अध्याय १.		१५	ब्रिटिश इण्डिया ।
१	इस ऐक्टका नाम और इसके प्रचारकी अवधि ।	१६	गवर्नमेंट हिन्द ।
२	दंड अपराधोका जो उस अवाधिके भीतर किये जाँय ।	१७	गवर्नमेंट ।
३	दंड अपराधोका जो अवाधिसे बाहर किये जाँय परन्तु कानूनके अनुसार उनकी तजवीज उसी अवाधिके भीतर होसकती हो ।	१८	प्रेसीडेसी ।
४	दंड उन अपराधियोका जो श्रीमती महारानीका कोई नौकर किसी हितकारी दरबारमे करै ।	१९	जज ।
५	विशेष कानून जिसपर इस संग्रहका प्रभाव होगा ।	२०	कोर्ट आफ जस्टिस ।
अध्याय २.		२१	सरकारी नौकर ।
साधारण अर्थ प्रकार.		२२	स्थावर धन ।
६	इस संग्रहमें लक्षण (तारीफात) छूटाक आधीन समझे जाँयगे ।	२३	अनीतिप्राप्त ।
७	जिस शब्दका सकेत एकवार कर दिया गया है वह इस संग्रह भरमे उसी अभिप्रायसे वर्त्ता गया है ।	”	अनीति हानि ।
८	लिंग ।	”	अनीतिसे किसी वस्तुका रखलेनाभी अनीतिसे गिना जायगा ।
९	सख्या ।	२४	अधर्मसे ।
१०	स्त्री पुरुष ।	२५	छल छिद्रसे ।
११	मनुष्य ।	२६	निश्चय माननेका हेतु ।
१२	सर्व सम्बन्धी ।	२७	वस्तु जो स्त्री अथवा गुमास्ते अथवा नौकर के अधिकारमें हो ।
१३	श्रीमती महारानी ।	२८	खोटा बनाना ।
१४	श्रीमती महारानीका नौकर ।	२९	लेख ।
		३०	दस्तावेज ।
		३१	वसीयतनामा ।
		३२	कर्त्तव्यकार्य सम्बन्धी शब्द कानूनविद्वद् चूकोसेभी सम्बन्ध रखेंगे ।
		३३	काम ।
		”	चूक ।
		३४	कोई मनुष्योंमेसे प्रत्येक मनुष्य उस कामके बदले जो सवने मिलकर किया हो उसी योग्य होगा मानो उसीने वह काम किया ।
		३५	जब ऐसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
	हो कि कुजान अथवा कुप्रयोजनसे किया गया ।	५८	जिन अपराधियोंको देश निकालेकी दंडाज्ञा हुई हो देश निकाळा होनेतक वह किस भाति रखे जायेंगे ।
३६	परिणाम कुछ तो करनेसे और कुछ चूकनेसे कराया जाय ।	५९	कैदके पश्चात् देश निकाला कब हो सकेगा ।
३७	अपराधके अनेक कर्मोंमेंसे एक कर्मको करके सज़ा होना ।	६०	कैदका कोई भाग कठिन अथवा साधारण हो सकता ।
३८	अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको करें अलग २ अपराधोंके करता हो सकते हैं ।	६१	धनकी जब्तीका दंड ।
३९	जानबूझकर ।	६२	जब्तो ऐसे अपराधियोंके धनकी जो वधके या देशनिकालेके या कैदके दंड योग्य हो ।
४०	अपराध ।	६३	जुर्मानेकी तादाद ।
४१	विशेष कानून ।	६४	कैदका दंड जब कि जुर्माना न चुकाया जाय ।
४२	देश विशेषी कानून ।	६५	जुर्माना न चुकाए जानेके बदले कैदकी अवधि जब कि अपराध जुर्माने और कैद दोनोंके योग्य है ।
४३	कानून विरुद्ध ।	६६	जुर्माना न चुकानेके बदले कैदका प्रकार ।
	कानूनानुसार अवश्य ।	६७	जुर्माना न चुकाए जानेके बदले कैदकी मीआद जब कि अपराध केवल जुर्मानेके दंड योग्य हो ।
४४	हानि ।	६८	ऐसी कैदका जुर्माना चुकातेही भुगतजाना ।
४५	जीव ।	६९	बीतना इस कैदका जब कि जुर्मानेका भाग चुका दिया जाय ।
४६	मृत्यु ।	७०	जुर्माना छः वर्षके भीतर अथवा कैदकी मीआदमें किसी समय वसूल हो सकेगा ।
४७	पशु ।		अपराधीके जुर्मानेसे उसका माल मिलकियत छूट न जायगा ।
४८	जहाज ।	७१	उस अपराधीके दंडकी मीआद जो कई अपराध मिलकर बना हो ।
४९	वर्ष ।	७२	दंड किसी मनुष्यको जो अपराधोंमेंसे एकका अपराधी ठहरे और हाकिमकी तजवीजमें लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधोंमेंसे वह किस अपराधका अपराधी है ।
५०	दफा ।	७३	एकान्त वास ।
५१	शपथ ।		
५२	शुद्ध भावसे ।		
	अध्याय ३.		
	दण्डोंके वर्णनमें ।		
५३	दण्ड ।		
५४	वधके दंडका बदला ।		
५५	जन्मभरके लिये देशनिकालेकी कैदका बदला ।		
५६	यूरोपियों और अमेरिकनोंको देश निकालेके बदले कठिन कैदका दंड दिये जानेकी आज्ञा ।		
५७	दंडकी अवधिके विभाग ।		

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
७४	एकान्त वासकी अवधि ।	८६	जिस अपराधके लिये किसी विशेष अभिप्रायकी आवश्यकता हो उसको कोई मनुष्य नगैकी अवस्थामें करे ।
७५	दंड उन मनुष्योंको जो एक बेर अपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराधके अपराधी ठहरें जो अध्याय १२ व १७ के अनुसार प्रमाणित हों ।	८७	काम जिससे मृत्यु अथवा भारी दुःख का अभिप्राय न हो और न उमका होना सम्भव हो और प्रसन्नतामें किया गया हो ।
अध्याय ४.		८८	काम जो मृत्यु करनेके अभिप्राय विना शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी प्रसन्नतासे उसके भलेके लिये कियाजाय ।
साधारण छूट		८९	काम जो शुद्धभावसे किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यके भलेके लिये उसके रक्षककी ओरसे अथवा प्रसन्नतासे किया जाय ।
७६	वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्तको न समझकर अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार अवश्य जानता हो ।	९०	घोष्ये अथवा भयमें जो प्रसन्नता कराई गई। " किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यकी प्रसन्नता ।
७७	जजका काम जब कि वह अदालतका काम कर रहा हो ।	९१	काम जो इस बातको छोड़कर भी कि प्रसन्नता देनेवाले मनुष्यको उसमें हानि पहुँची आपही अस्माव हो दफा ८७ व ८८ व ८९ की दृष्टिमें न गिने जायेंगे ।
७८	काम जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे ।	९२	काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके भलेके लिये विना प्रसन्नताके किया जाय । ' नियम ।
७९	काम जो कांई ऐसा मनुष्यकरे जो कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो यथार्थ बातकी गलत समझीसे अपनेको कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझ लिया हो ।	९३	शुद्धभावमें कुछ प्रगट करना ।
८०	उचित कामके करनेमें इच्छिकाका आज्ञाना ।	९४	काम जिनके करनेके लिये कोई मनुष्य धमकीद्वारा विवश किया जाय ।
८१	काम जिससे हानिका पहुँचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके विना और दूसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे ।	९५	कोई काम, जिससे कुछ कुछ हानि हो ।
८२	सात वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम ।	९६	कोई काम जो निज रक्षाने लिये किया जाय अपराध न होगा ।
८३	मात वर्षसे-अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम जो यथोचित पकी बुद्धि न रखता हो ।	९७	तन और वनकी रक्षाके अधिकार ।
८४	उस मनुष्यका काम जो सिडी हो ।	९८	निज रक्षाका अधिकार किसी सिडी मनुष्य आदिके कामसे ।
८५	उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेमें असमर्थ हो ।	९९	काम जिनके रोकनेके लिये निज रक्षाका अधिकार न होगा ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	" इस अधिकारके वर्तवकी सीमा ।	११२	सहायक, कब इस योग्य होगा कि जिस काममें उसने सहायता की और जो काम किया गया दोनोमें दंड पावे ।
१००	तनकी निज रक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा ।	११३	उस परिणामके बंदले सहायकके दंड जो उसके किये हुए अभिप्रायसे बाहर हो ।
१०१	यह अधिकार मृत्युकी छोड़कर दूसरी कोई हानि पहुँचाने तक कब हो सकेगा ।	११४	अपराध होनेके समय सहायकका होना ।
१०२	तनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि अन्त ।	११५	उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड वध अथवा देश निकालेका है यदि अपराध सहायताके कारण न हो ।
१०३	धनकी निज रक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा ।		" यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजाय ।
१०४	यह अधिकार मृत्युकी छोड़कर दूसरी कोई हानि कर देनेतक कब हो सकेगा ।	११६	उस अपराधमें सहायता करना जिसका दण्ड कैद है, यदि, अपराध सहायताके कारण न हो ।
१०५	धनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि और अंत ।		" यदि सहायक या सहायकता पानेवाला सरकारी नौकर हो जिसपर उस अपराधके होनेका रोकना अवश्य है ।
१०६	निज रक्षाके अधिकारमें मृत्युकारक आक्रमण रोकना उस अवस्थामें जब किसी निरपराधी मनुष्यको हानिकारक मय हो ।	११७	उस अपराधके होनेसे सहायता करना जिसको सर्वसाधारण अथवा दशसे अधिक मनुष्य करें ।
	अध्याय ५.		
	सहायताके विषयमें ।		
१०७	किसी काममें सहायता करना ।	११८	उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना जिसका दण्ड वध अथवा देश निकाला है ।
१०८	सहायक ।		" यदि अपराध हुआ हो ।
१०९	सहायताका दण्ड जब कि वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण कियागया हो और उसके दंडका कोई स्पष्ट लेख न हो ।		" यदि अपराध न हुआ हो ।
११०	सहायताका दंड, जब कि सहायता पानेवाला मनुष्य अपराधके कामको सहायता करनेवालेके अभिप्रायसे सिवाय किसी और अभिप्रायसे करे ।	११९	सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके यत्नको छुपाए जिसपर उस अपराधका रोकना अवश्य है ।
१११	दण्ड सहायता करनेवालेको, जब एक काममें सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काममें हो जाय ।		" यदि अपराध हुआ हो ।
			" यदि अपराधका दण्ड वध आदि हो ।
			" यदि अपराध न हुआ हो ।
			" उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना जिसका दण्ड कैद है ।
		१२०	यदि अपराध हुआ हो ।
			" यदि अपराध न हुआ हो ।

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
	अध्याय ६.		अध्याय ७.
	राजविद्रोही अपराधोंके करनेके विषयमें ।		जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।
१२१	श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करना या बसका उद्योग या उसमें सहायता करना ।	१२१	विद्रोहमें सहायता करना अथवा किसी सिपाही या जहाजके खलासीको उसके कामसे वहाँकानेका उद्योग करना ।
१२१ (अ)	उन अपराधोंके करनेमें साबित करना जो दफा १२१ के अनुसार दंड योग्य है ।	१२२	विद्रोहमें सहायता करना, यदि विद्रोह उसी सहायताके कारण की जाय ।
१२२	श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे हथियार आदि इकट्ठा करना ।	१२३	उस आक्रमणकी सहायता जो कोई सिपाही या जहाजका खलासी अपने ऊपरके अफसरपर करे जब कि वह अपने ओहदेका काम कर रहा हो ।
१२३	युद्ध करनेके यत्नको उसके सहज करनेके अभिप्रायसे छुपाना ।	१२४	सहायता उररोक्त आक्रमणमें जब कि आक्रमण होजाय ।
१२४	गवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर उचित अधिकारके प्रचलित करनेमें विवश करने या उसके रोक रखनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना ।	१२५	किसी सिपाही अथवा जहाजके खलासीको मागनेमें सहायता देना ।
१२४ (अ)	बुरे विचारोंका उत्पन्न करना ।	१२६	भागे हुए नौकरको आश्रय देना ।
१२५	किसी एशियाई रियासतके विरुद्ध युद्ध करना जो श्रीमती महारानीसे मेल झोल रखती हो ।	१२७	भागे हुए नौकरका किसी सौदोगरी जहाजमें जहाजपतिकी असावधानीसे छुपा होना ।
१२६	किसी ऐसे राजाके राज्यमें लूटमार करना जो श्रीमती महारानीसे सधि रखता हो ।	१२८	किसी सिंघी अथवा केवटको आगाम-गके काममें सहायता देना ।
१२७	ऐसे मालको अपने अधिकारमें रखना जो दफा १२५ व १२६ के अनुसार उपरोक्त युद्ध या लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गया हो ।	१२९	जो मनुष्य जंगी कानूनके आधीन है इस संग्रहके अनुसार दण्ड दिये जानेके योग्य न होंगे ।
१२८	सरकारी नौकर जो राज्य विद्रोही कैदी या युद्धके कैदीको अपनी चौकसीमेंसे जानबूझकर माग जानेदे ।	१३०	सिपाहियोंका पहिरावा पहिरना ।
१२९	सरकारी नौकर जो राज्य विद्रोही कैदी अथवा युद्धके कैदीको अपनी चौकसीमेंसे असावधानीसे माग जानेदे ।		अध्याय ८.
१३०	उपरोक्त कैदीके भागजानेमें सहायता करना अथवा उसको छुडाना या शरण देना ।		सर्वसम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालने वाल अपराधोंके विषयमें ।
		१४१	अनीति जमाव ।
		१४२	किसी अनीति जमावमें सामी होना ।
		१४३	दण्ड ।
		१४४	मृत्युकारक हथियार लेकर किसी अनीति जमावमें सामी होना ।

दफा.	संक्षेप विवरण.	दफा.	संक्षेप विवरण.
१४५	किसी अनीति जमावमे यह जानकर साक्षी होना अथवा साक्षी रहना कि उसके फँस फूट होजानेकी आज्ञा होचुकी है।	"	या हथियार लिये हुए फिरना।
१४६	बल जो साक्षियोंके अभिप्रायके लिये एक साक्षीकी ओरसे वर्त्ता जाय।	१५९	हगामा (खानेजगी)
१४७	बलवा करनेका दंड।	१६०	हगामेका दण्ड।
१४८	मनुष्यकारक हथियार लेकर बलवा करना।	अध्याय ९.	
१४९	अनीति जमावका प्रत्येक साक्षी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा जो साक्षियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेके लिये किया जाय।	अपराध जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जाँय अथवा जो उनमे सम्बन्ध रखवे।	
१५०	किसी अनीति जमावमे मिलनेके लिये मनुष्योंका नौकर रखना अथवा नौकर रखनेमे सलाह देना।	१६१	सरकारी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरीके कुछ घूसकी भौति ले।
१५१	पाँच अथवा अधिक मनुष्योंके जमावमे यह जानबूझकर मिलना या रहना कि उसके फँस फूट होनेकी आज्ञा होचुकी है।	१६२	अनुचित उपायोंसे सरकारी नौकर पर दबाव डालनेके लिये घूस लेना।
१५२	किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना अथवा उसको रोकना जब कि वह बलवा आदिको दूरकर रहा हो।	१६३	सरकारी नौकरके साथ निज वर्त्तव्य काममे लानेके लिये घूस लेना।
१५३	बलवा करानेके अभिप्रायसे विना बात कहे करानेका काम करना।	१६४	उस सहायताका दण्ड जो सरकारी नौकर उन अपराधोभे करे जिनका वर्णन ऊपर किया गया है।
"	यदि बलवा होजावे।	१६५	सरकारी नौकर किसी मनुष्यसे जो किसी मामले या मुकद्दमेमे सम्बन्ध रखता हो जिसको उस सरकारी नौकरने पूरा किया कोई मूल्यवान पदार्थ विना बदला प्राप्त करे।
"	यदि बलवा न हो।	१६६	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुचानेके अभिप्रायसे कानून विरुद्ध अनुरोध करे।
१५४	उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जिसपर कोई अनीति जमाव इकट्ठाहो।	१६७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुचानेके अभिप्रायसे झूठे दस्तावेज तैयार करे।
१५५	उस मनुष्यका दण्ड योग्य होना जिसके लामके लिये बलवा किया जाय।	१६८	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिर व्यापारसे सम्बन्ध रखे।
१५६	उस स्वामी या अधिकारीके कारिन्देका दण्ड योग्य होना जिसके लामके लिये बलवा हो।	१६९	सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिर कोई माल ले अथवा उसके लिये बोली बोले।
१५७	उन मनुष्योंको जो किसी अनीति जमावके लिये नौकर रखे गये हा छुपारखना।	१७०	सरकारी नौकर बनना।
१५८	किसी अनीति जमावमे तरफदारीके लिये नौकर रखना जाना।	१७१	उलके अभिप्रायसे वह लिखास पिट्ट

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	रना या वह चिह्न लिये फिरना जिस को सरकारी नौकर काममें लाता हो ।		आधिकार वर्तकर किसी मनुष्यको हानि पहुँचाने ।
	अध्याय १०. सरकारी नौकरोंके उचित अधिकारोंके अपमानके विषयमें ।	१८३	किसी मालके लिये जानेमें जो किसी सरकारी- नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो रोक टोक करना ।
१७२	सरकारी नौकरके जारी किये हुए सम्मन अथवा इत्तिलाअनामेंसे बचनेके लिये छिप जाना ।	१८४	किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो, रोक टोक करना ।
१७३	सम्मन अथवा और इत्तिलाअनामेंको अपने या औरके पास तक पहुँचनेको या उसके प्रगट किये जानेको रोकना ।	१८५	कोई माल जो सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध लेना अथवा उसके लिये घोळी बोलना ।
१७४	सरकारी नौकरकी आज्ञाके अनुसार हाजिर होनेमें चूकना	१८६	सरकारी नौकरके पूरा करनेमें सरकारी नौकरकी गेक टोक करनी ।
१७५	वह मनुष्य किसी सरकारी नौकरके सामने किसी दस्तावेजके पेश करनेमें चूक करे जिसपर उस दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार अवश्य है ।	१८७	सरकारी नौकरकी सहायता देनेमें चूक करना जब कि कानूनानुसार सहायता देना अवश्य हो ।
१७६	वह मनुष्य सरकारी नौकरको इत्तिला या खबर देनेमें चूक करे जिस पर इत्तिला या खबर देनी कानूनानुसार अवश्य है ।	१८८	न मानना किसी आज्ञाको जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्रगट की हो ।
१७७	झूठी खबर देना ।	१८९	सरकारी नौकरको हानि पहुँचानेकी धमकी देना ।
१७८	शपथ करनेसे नाहं करना जब कोई सरकारी नौकर कानूनानुसार शपथ करनेकी आज्ञा दे ।	१९०	हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरने रक्षा मागनेसे रुक जाय ।
१७९	किसी सरकारी नौकरको जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना ।		अध्याय ११. झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्यायम विग्र डालनेवाले अपराधोंके विषयमें ।
१८०	बयान पर दस्तखत करनेसे नाहीं करना ।	१९१	झूठी गवाही देना ।
१८१	सरकारी नौकर -या उस मनुष्यसे जो शपथ करानेका अधिकार रखता है शपथ करके झूठ बयान करना ।	१९२	झूठी गवाहीका यन्त्रा ।
१८२	इस अभिप्रायसे झूठी खबर देना कि कोई सरकारी नौकर अपना उचित	१९३	झूठी गवाहीका दण्ड ।

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
१९४	दण्डबन्धके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना अथवा बनाना।	२०५	किसी मुकद्दमेमें कुछ काम अथवा कार्य-वाई करनेके लिये दूसरे मनुष्यका रूपधरना।
”	यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित-होजाए और दण्ड वध पाजाए।	२०६	किसी वस्तुका छल पूर्वक उठा लेजाना अथवा छुपा देना इस अभिप्रायसे कि कुकी अथवा इजराय डिगरीमें उसका लिया जाना रुकजाय।
१९५	देशनिकालेके दण्डका अपराध अथवा कैदका अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना -अथवा बनाना।	२०७	किसी वस्तुपर छलपूर्वक दावा करना, इस अभिप्रायसे कि उसका लिया जाना कुकीमें अथवा इजराय डिगरीमें रुक जाय।
१९६	कामभे लाना ऐसे प्रमाणका, जो जान-लिया गया हो कि झूठा है।	२०८	अनुचित रूपके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना।
१९७	झूठा सर्टीफिकेट जारी करना अथवा उसपर दस्तखत करना।	२०९	कोर्ट आफ चारिटीसमें भ्रमसे झूठा दावा करना।
१९८	किसी सर्टीफिकेटको जिसमें कोई आवश्यक बात झूठ जानी हुई हो सब्जे सर्टीफिकेटकी रीतिसे काममें लाना।	२१०	अनुचित रूपके लिये छलपूर्वक डिगरी प्राप्त करना।
१९९	झूठा बयान किसी ऐसे इजहारमें जो कानूनानुसार प्रमाण (सबूत) की भाँति लिया जा सकता हो।	२११	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे अपराधका झूठा दावा।
२००	किसी ऐसे इजहारको सब्जेकी भाँति काममें लाना, जो जान लिया गया हो कि झूठा है।	२१२	अपराधीको आश्रय देना।
२०१	अपराधीको बचानेके लिये अपराधके प्रमाणको गुप्त कर देना अथवा उसके मन्वे-छाठी खबर देना।	”	यदि वर्षके दण्ड योग्य हो।
”	यदि अपराध वर्षके दण्ड योग्यहो।	”	यदि देशनिकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो।
”	यदि अपराध देश निकालेके दण्ड योग्यहो।	२१३	अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना।
”	यदि अपराध दश वर्षसे कमकी कैदके योग्यहो।	”	यदि वर्षके दंड योग्य-हो।
२०२	किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जानबूझकर चूककरे जिसे समाचार देना अवश्य हो।	”	यदि देश निकालेके दंड अथवा कैदके दंड योग्य हो।
२०३	होगये हुए अपराधके मध्ये झूठा समाचार देना।	२१४	अपराधीको दण्डसे बचानेके बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देना।
”	किसी दस्तावेजका नष्ट करदेना इसलिये कि वह प्रमाणकी रीतिपर काममें न आसके।	”	यदि अपराध वर्षके दंड योग्य हो।
		”	यदि अपराध देश निकालेके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो।
		२१५	चोरी इत्यादिका माल निकाखनेमें सहायता देनेके बदले इनाम लेना।

दफा.	सक्षिप्त विवरण.	दफा.	सक्षिप्त विवरण.
२१६	ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो हिरासत (चौकसी) से मागाहो अथवा जिसके पकड़े जानेकी आज्ञा हो चुकी हो ।	२२५	किसी और मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमें रोक टोक ।
	" यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो ।		" दंड ।
	' यदि अपराध देशनिकालके दंड योग्य अथवा कैदके दंड योग्य हो ।	२२५ (अ)	ऐसी अवस्थाओंमें सरकारी नौकरी औरसे गिरफ्तारीमें चूक अथवा भाग जाने देना जिनके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो ।
२१७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको जन्तीसे बचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाको न माने ।	२२५ (व)	ऐसी अवस्थाओंमें उचित रीतिपर गिरफ्तार किये जानेमें रोक टोक करना या भाग जाना या छुड़ा लेना जिनके मध्ये और प्रकारसे आज्ञा न हो ।
२१८	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे अथवा मालको जन्तीसे बचानेके अभिप्रायसे सरिइतेके दंडे कारण अथवा लेख बनावे ।	२२६	अनीति रीतिपर देश निकलनेसे छोट-वाना ।
२१९	सरकारी नौकर जो अदालती कार्रवाईमें कुप्रयोजनसे ऐसी आज्ञा दे अथवा ऐसी रिपोर्ट इत्यादि करे जिसे वह कानून विरुद्ध जानता हो ।	२२७	दंडकी माफीके नियमको तोड़ना ।
२२०	जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्यको बधन (कैद) में रखे अथवा तजवीज के लिये ऊपरके हाकिमको सौंपे यह जानबूझकर कि मैं कानूनके विरुद्ध करता हूँ ।	२२८	जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना अथवा उसके किसी काममें निम्न डालना, जब कि वह अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें हजलास कर रहा हो ।
२२१	जिस सरकारी नौकरपर किसीको पकड़ना कानूनागुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकड़नेमें जानबूझकर चूक हो ।	२२९	ज्यूरी अथवा असेसर बनना ।
	" दंड ।		अध्याय १२.
२२२	जिस सरकारी नौकरपर पकड़ना किसी मनुष्यका, जिसके मध्ये कोर्ट आफ-जस्टिसने दंडकी आज्ञा की हो अवश्यहो उसकी ओरसे पकड़नेमें जानबूझकर चूक हो ।	सिक्का अथवा गवर्नमेन्ट के स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोके विषयमें ।	
	" दंड ।	२३०	सिक्का ।
२२३	सरकारी नौकर अपनी अवधानसे किसीको बधनसे भाग जाने दे ।		" श्रीमती महारानीका सिक्का ।
२२४	जो कोई मनुष्य अपनी उचित गिरफ्तारीमें कुछ रोक टोक करे ।	२३१	खोटा सिक्का बनाना ।
		२३२	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनाना ।
		२३३	खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना ।
		२३४	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना ।
		२३५	औजार या सामानको खोटे सिक्के के लिये काममें लानेके अभिप्रायसे पास रखना ।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२३६	हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटे सिक्केकी सहायता करना ।		अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चलजावे ।
२३७	खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना ।	२५०	अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुआ है उसे किसी औरको सिपुर्द करना ।
२३८	श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर ले जाना ।	२५१	अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला है उसे किसी और के सिपुर्द करना ।
२३९	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह खोटा है उसे किसी और के सिपुर्द करना ।	२५२	उस मनुष्यका बदला हुआ सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय जाना हो कि यह बदला हुआ है ।
२४०	लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है उसे किसी और के सिपुर्द करना ।	२५३	उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्केको पास रखना जिमने उसे अधिकारमें लेते समय बदला हुआ जाना हो ।
२४१	ऐसे सिक्केको सच्चे सिक्केकी रीतिपर किसी और को देना जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय न जाना हो कि यह खोटा है ।	२५४	ऐसे सिक्केको असली सिक्केकी भांतिसे किसी औरके सिपुर्द करना जिसको सिपुर्द करनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय बदला हुआ न जाना हो ।
२४२	उस मनुष्यका खोटा सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो ।	२५५	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना ।
२४३	श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का उस मनुष्यका पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो ।	२५६	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे कोई आंजार या सामान पास रखना ।
२४४	वह मनुष्य किसी टकसालमें नियत हो सिक्केकी तौल अथवा धातुसे जो कानूनानुसार ठहराई गई हो सिक्केको दूसरी तौल अथवा धातुका बनावे ।	२५७	गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे आंजार बनाना या वेचना ।
२४५	अनुचित रीतिपर टकसालसे सिक्का बनानेका ठप्पा लेजाना ।	२५८	गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प वेचना ।
२४६	छल या अधर्मसे किसी सिक्केकी तौल या धातुका बदलना ।	२५९	गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखना ।
२४७	छल या अधर्मसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल या धातु बदलना ।	२६०	जाने हुए गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी रीतिसे काममें लाना ।
२४८	किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जावे ।	२६१	गवर्नमेंटको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे किसी पदार्थसे जिसपर गवर्नमेंट स्टाम्प हो कोई लेख मिटाना या किसी दरतावेजसे वह स्टाम्प जो उसके लिये काममें लाया गया है दूर करना ।
२४९	श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरतको इस		

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
२६२	काममें लगेहुए गवर्नमेंटस्टाम्पको जानवृ- द्धकर काममें लाना ।	२८१	झूठाप्रकाश या झूठा चिह्न या पानीपर तेरनेवाला चिह्न दिखाना ।
२६३	उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टाम्प काममें आ चुका है ।	२८२	किसी मनुष्यको पानीकी राह भाड़ेपर नावद्वारा लेजाना जिसमें बहुत अधिक धोश लदाहो ।
अध्याय १३.		२८३	जल या स्थलके सर्वसंबंधी मार्गपर जो- खिम या रोक पहुँचाना ।
२६४	ताँलनेके झूठे औजारको छलछिद्रसे काममें लाना ।	२८४	किसी विपैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना ।
२६५	झूठे वाट या पैमानोंको छलसे काममें लाना।	२८५	आग या आगवाले पदार्थके मध्ये असाव- धानी करना ।
२६६	झूठे वाटों या पैमानोंको पास रखना ।	२८६	भकसे उडजानेवाले पदार्थके मध्ये असाव- धानी करना ।
२६७	झूठे वाट या पैमाने बनाना या बेचना ।	२८७	किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पासहो अथवा उसके प्रबन्धमेंही असावधानी करना।
अध्याय १४.		२८८	किसी घर आदिके गिराने या उसकी भरभत करनेके मध्ये असावधानी करना ।
सर्व सम्बन्धी आरोग्यता या कुशलता और सज्जनता अथवा सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधो के विषयमें ।		२८९	किसी पत्रके मध्ये असावधानी करना ।
२६८	सर्व सम्बन्धी बाधाका काम ।	२९०	सर्व दुःखदायी कामका दण्ड ।
२६९	असावधानीसे वह काम करना जिससे प्राणको मय पहुँचानेवाले किसी रोगके फैलनेका सम्भवहो ।	२९१	सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञापाकर उसे करते रहना ।
२७०	दुर्भावका काम जिससे फैलना जीवजोखि- मके रोगका अति रुग्णहो ।	२९२	अश्लील पुस्तकका बेचना आदि ।
२७१	कार्टाइनके कायदेको न मानना ।	२९३	अश्लील पुस्तकोंको बेचने या दिखानेके लिये पास रखना ।
२७२	खाने या पीनेके पदार्थमें जिसके बेचनेका अभिप्राय हो मिलावट करना ।	२९४	अश्लील गीत ।
२७३	खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना	२९४ (अ)	चिट्ठी डालनेके दफ्तरका रखना ।
२७४	दवाओंमें मिलावट करना ।	अध्याय १५.	
२७५	मिलावट की हुई दवाओंको बेचना ।	उन अपराधोंके बयानमें जो मतसे संबन्ध रखते हैं ।	
२७६	किसी दवाको दूसरी दवाके नामसे बेचना।	२९५	किसी सम्प्रदायके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे किसी पूजाके स्थानको हानि पहुँचाना या अपवित्र करना ।
२७७	सर्व संबन्धी सीते या कुण्डके पानीको बिगाडना ।	२९६	किसी मत संबंधी समाजको कष्ट पहुँचाना ।
२७८	हवाको आरोग्यताके अयोग्य करना ।	२९७	कथरस्थान आदिपर मदाखलतबैधा करना ।
२७९	किसी सर्वसंबंधी मार्गपर असावधानीसे गाडी चलाना या सवार होकर निकलना ।		
२८०	असावधानीसे नावको चलाना ।		

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा	संक्षिप्त विवरण.
२९८	जानबूझकर मतके मध्ये किसी मनुष्यका अन्तःकरण दुखानेके अभिप्रायसे बात इत्यादि मुँहसे निकालना ।		देने अथवा उत्पन्न होनेसे पश्चात् उसकी मृत्युका कारण होनेके अभिप्रायसे किया गया हो ।
	अध्याय १६,	३१६	ऐसे कामसे जो ज्ञातवत् घातकी सीमा तक पहुँचता है किसी जीव पड़े हुए बालक की मृत्युका कारण होना ।
	मनुष्यके तन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।	३१७	मौं बाप अथवा किसी रक्षकका वारह वर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको डाल देना और छोड़ देना.
२९९	ज्ञातवत्घात(कतलइंसान मुस्तलजिमसजा)	३१८	जने हुए बालककी लेथको छुपाना । दुःख (जरर) के घयानमें ।
३००	ज्ञातघात (कतल अम्द) " जब कि ज्ञातवत्घात ज्ञातघात नहीं है ।	३१९	दुःख (जरर)
३०१	ज्ञातवत्घात किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्यु करनेसे जो उस मनुष्यसे जिसके मार डालनेका अभिप्राय था भिन्नहो ।	३२०	भारी दुःख (जरर शदीद)
३०२	ज्ञातघातका-दण्ड ।	३२१	जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
३०३	दण्ड उस ज्ञातघातका जो कोई देखा निकालेके दण्डवाला अपराधी करडाले ।	३२२	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
३०४	ज्ञातवत् घातका दण्ड जो ज्ञातघात तक न पहुँचे ।	३२३	जानबूझकर दुःख पहुँचानेका दण्ड ।
३०४(अ)	असावधानीसे मृत्युका कारण होना ।	३२४	जोखिमके हथियारो या यत्नोंसे जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
३०५	आत्मघातमें लडके अथवा पागलकी सहायता।	३२५	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका दण्ड ।
३०६	आत्मघातमें सहायता ।	३२६	जोखिमके हथियारो या यत्नोंसे जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
३०७	ज्ञातघातका उद्योग ।	३२७	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
३०८	ज्ञातवत्घातका उद्योग ।	३२८	दुःख आदि पहुँचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली दवा खिलाना ।
३०९	आत्मघात करनेका उद्योग ।	३२९	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
३१०	ठग ।	३३०	दवाकर इकरार कराने या दवाकर मालके वापिस कर देनेपर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
३११	दण्ड ।	३३१	दवाकर इकरार कराने या दवाकर मालके वापिस कर देनेपर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।
	गर्भ गिराने और बिना जन्मे बालकोंको हानि पहुँचाने और जन्मे हुए बालकोंको बाहर डाल आने और जन्म छुपानेके विषयमें ।	३३२	सरकारी नौकरको सगकारी कामसे डराकर रोक रखनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना
३१२	गर्भ गिराना ।		
३१३	छीकी बिना प्रसन्नता गर्भ गिराना ।		
३१४	मृत्यु जिसका कारण वह काम हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया गया है । " यदि वह काम छीकी बिना प्रसन्नता किया गया है ।		
३१५	काम जो बच्चेको जीवित न उत्पन्न होने		

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
३३३	सरकारी नौकरको सरकारी कामके करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।	३५२	भारी क्रोध दिखानेवाले कामके कारणके सिवाय और प्रकारपर अनीति बलका दण्ड ।
३३४	क्रोध दिखानेवाले कामके कारण जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।	३५३	किसी सरकारी नौकरको अपने कर्तव्य कर्मसे डराकर रोक रखनेके लिये अनीतिबलको काममे लाना ।
३३५	क्रोध दिखानेवाले कामके कारण जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना ।	३५४	किसी लीकी लजा विगाडनेके अभिप्रायसे आक्रमण अथवा अनीति बल ।
३३६	उस कामका दंड जो जीव या औरोकी शारीरिक कुशलतामें विघ्न डाले ।	३५५	भारी क्रोध दिखानेवाले कारणके अतिरिक्त और प्रकारपर किसी मनुष्यको वे हजत करनेके अभिप्रायसे आक्रमण या अनीतिबल ।
३३७	ऐसे कामसे दुःख पहुँचाना जो जीव अथवा औरोकी शारीरिक कुशलताको विघ्नमें डाले ।	३५६	उस मालको चुरानेके उद्योगमें आक्रमण या अनीतिबल जिसको कोई मनुष्य लिये हुए हो ।
३३८	ऐसे कामसे भारी दुःख पहुँचाना जो जीव अथवा औरोकी शारीरिक कुशलताको विघ्नमें डाले ।	३५७	अनीतिबलके उद्योगमें आक्रमण या अनीतिबल ।
अनीति रोक और अनीतिबंधनके विषयमें ।		३५८	भारी क्रोध होनेकी अवस्थापर आक्रमण या अनीतिबल ।
३३९	अनीति रोक (सुजाहिमत बेजा)	मनुष्यको लेभागने और भगा ले जाने और दास बनाने और बेगार करानेके विषयमें ।	
३४०	अनीतिबंधन (हब्सबेजा)	३५९	मनुष्यको ले भागना ।
३४१	अनीतिरोकका दण्ड ।	३६०	त्रिदिश इडियासे मनुष्यको ले भागना
३४२	अनीति बंधनका दंड ।	३६१	योग्यरक्षककी रक्षामेंसे मनुष्यको ले भागना ।
३४३	तीन अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन।	३६२	मनुष्यको भगा ले जाना ।
३४४	दश अथवा अधिक दिनतक अनीतिबंधन ।	३६३	मनुष्यको ले भागनेका दंड ।
३४५	उस मनुष्यकी अनीतिबंधन जिसके कुटुंबकाराके लिये आज्ञापत्र जारी हो चुका है ।	३६४	ज्ञातघातके लिये मनुष्यको ले भागना या भगा लेजाना ।
३४६	गुप्त अनीतिबंधन मखफी (हब्स बेजा)	३६५	किसी मनुष्यको गुप्त और अनीति बंधन करनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना ।
३४७	दयाकर माल लेने या किसी अनुचित कामपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबंधन ।	३६६	किसी लीको व्याह आदिपर विवश करनेके लिये ले भागना या भगा लेजाना ।
३४८	दयाकर इकारार कराने या मालके वापिस कर देनेपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबंधन ।	३६७	किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुँचाने या दास बनानेके लिये ले भागना या भगा ले जाना ।
अनीतिबल (जन्नसुजारिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें ।			
३४९	बल (जन्न)		
३५०	अनीतिबल (जन्नसुजारिमाना)		
३५१	आक्रमण (हमला)		

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
३६८	ले भागे हुए मनुष्यको छुपाना या बधनमे रखना ।	३८६	किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेका डर दिखानेके द्वारा दबाकर कुल प्राप्त करना ।
३६९	दस वर्षसे न्यून अवस्थाके बालकको उसके शरीरपरसे स्थावर धन चुरालेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना ।	३८७	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना ।
३७०	किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना ।	३८८	किसी अपराधीकी तुहमत लगानेकी धमकीसे दबाकर प्राप्त करना जिसके बदलेमे मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दंड ठहराय गया है ।
३७१	स्वभावसे ही दासोंका व्यापार करना ।	३८९	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको अपराध लगानेका डर दिखाना ।
३७२	किसी नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे बेचना या भाडेपर चलाना ।	३९०	बलपूर्वक चोरी व डकैतीके वर्णनमें
३७३	नाबालिगको व्यभिचार आदिके अभिप्रायसे मोललेना या अधिकारमे लाना ।	३९०	बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजत्र)
३७४	अनुचित वेगारपर विवश करना ।		" जिस अवस्थामें चोरी बलपूर्वक चोरी है ।
	बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमे ।		" जिस अवस्थामे दबाकर लेना बलपूर्वक चोरी (जोरी) है ।
३७५	बलपूर्वक व्यभिचार (जिना बिलजत्र)	३९१	डकैती ।
३७६	बलपूर्वक व्यभिचारका दंड ।	३९२	बलपूर्वक चोरी (जोरी) का दंड ।
	स्वभावके विरुद्ध अपराधोंके विषयमें ।	३९३	जोरी करनेका उद्योग ।
३७७	स्वभाव विरुद्ध अपराध ।	३९४	जोरी करनेके उद्योगमे जानबूझकर दुःख पहुँचाना ।
	अध्याय १७.	३९५	डकैतीका दंड ।
	माल संबंधी अपराधोंके विषयमें ।	३९६	शातघातके साथ डकैती ।
	चोरीका वर्णन ।	३९७	जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने या भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ ।
३७८	चोरी ।	३९८	घातक हथियार लेकर जोरी अथवा डकैती करनेका उद्योग ।
३७९	चोरीका दंड ।	३९९	डकैती करनेके लिये तैयारी करना ।
३८०	घर या डेरा या नावमे चोरी ।	४००	डकैतीके झुडमे साक्षी होनेका दंड ।
३८१	जब कोई गुमास्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पाससे कोई वस्तु चुरावे ।	४०१	चोरोंके इधर उधर घूमनेवाले झुडमे साक्षी होनेका दंड ।
३८२	चोरी करनेके अभिप्रायसे मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना ।	४०२	डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना ।
	दबाकर लेनेके विषयमें		मालके अनीतिव्ययके वर्णनमें ।
३८३	दबाकर लेना (इस्तेहसाल बिलजत्र)	४०३	अधर्ममे मालका अनीतिव्यय ।
३८४	दबाकर लेनेका दण्ड ।		
३८५	दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानिका भय दिखाना ।		

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
४०४	अधर्मसे उस मालका अनैतिकग्रय जो मरनेके समय मृतक मनुष्यके अधिकारमें था । दंड योग्य विश्वासघातके वर्णनमें ।	४२२	अपने किसी ऋण अथवा तगादेको अपने व्योहरोंको मिलनेसे अधर्मके द्वारा रोकना ।
४०५	दण्डयोग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना)	४२३	अधर्मसे ब्रैनामे आदि दस्तावेजका लिखना जिसमें मोलकी तादाद झूठ लिखी हो ।
४०६	दण्डयोग्य विश्वासघातका दण्ड ।	४२४	मालको अधर्मसे दूर करना या छुपाना । हानि पहुँचानेके विषयमें ।
४०७	माल पहुँचानेवाले या घटवाल आदिसे दण्ड योग्य विश्वासघातका होना ।	४२५	हानि पहुँचाना ।
४०८	गुमास्ते या नौकरसे दण्डयोग्य विश्वासघातका होना ।	४२६	हानि पहुँचानेका दण्ड ।
४०९	सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या कारबारीसे दण्ड योग्य विश्वासघातका होना । चोरीका माल लेनेके बयानमें ।	४२७	हानि पहुँचानेके द्वारा पचास रुपये तकका नुकसान पहुँचाना ।
४१०	चोरीका माल ।	४२८	दश रुपये तकका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४११	अधर्मसे चोरीका माल लेना ।	४२९	पचास रुपये तकका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४१२	अधर्मसे डकैतीके मालको लेना ।	४३०	खेती आदिके लिये पानीकी कमी करके हानि पहुँचाना ।
४१३	स्वाभाविक चोरीके मालका आरोवार करना ।	४३१	सर्वसाधारण मार्ग या पुल या नदीको हानि पहुँचाकर हानि पहुँचाना ।
४१४	चोरीके मालको छिपानेमें सहायता देना । दगाके बयानमें (विश्वासघात)	४३२	अहलाकारके अथवा पानीका निकास रोक कर जिससे हानि होती हो हानि पहुँचाना ।
४१५	दगा ।	४३३	लाइटहौस या समुद्री चिह्नको नष्ट करने या उसका स्थान बदलने या कुछ बिगाड देने आदिसे हानि पहुँचाना ।
४१६	दूसरा मनुष्य बनकर दगा करना ।	४३४	घरतीका चिह्न जो सरकारी आगसे बना हो नष्ट करने अथवा उसके स्थानको बदलनेके द्वारा हानि पहुँचाना ।
४१७	दगाका दण्ड ।	४३५	आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा सौ रुपये तककी हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।
४१८	दगा इस जानकारीसे कि उससे अनुचित हानि किसी मनुष्यको पहुँचे जिसके अधिकारकी रक्षा अपराधीपर अवश्य है ।	४३६	आग या भकसे उड जानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्टकरनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।
४१९	दूसरा मनुष्य बनकर दगा करनेका दण्ड ।	४३७	पट्टी हुई नाव या ५६० मनकी नावको
४२०	दगा और अधर्मसे मालको सिपुर्द करनेके लिये बँहकाना ।		
	छलछिद्रसे लिखतमो और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।		
४२१	व्योहरोंमें बँट जानेसे बचानेके लिये माल को अलग कर देना या छुपाना ।		

दफा.	सक्षित विवरण.	दफा.	सक्षित विवरण.
	नष्ट करने अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्नडालनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना ।	४५७	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडना ।
४३८	ऊपरकी पिछली दफामें कहे हुए कामका दंड जब कि वह हानि आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वाराहो ।	४५८	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात्-रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडना ।
४३९	चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारेपर टकराना ।	४५९	घरकी-गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडनेकी अवस्थामें भारी दुःख पहुँचाना ।
४४०	मृत्यु या दुःख (जर) पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् हानि पहुँचाना ।	४६०	घर फोडने आदिमें सब सामी दण्ड-योग्य है, मृत्यु या भारी दुःखके बदलेमें जिसका उनमेंसे कोई मनुष्य कारण हो ।
	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा (अवधि-कार प्रवेश)	४६१	कोई वन्द किया हुआ वर्तन तोडकर खोलना जिसमें माल है अथवा जो माल भरे हुए के अनुसार है ।
४४१	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा ।	४६२	उधी अपराधका दण्ड जब कि रक्षकही करै ।
४४२	घरकी मदाखलत बेजा ।		अध्याय १८.
४४३	गुप्त (मखफी) मदाखलत बेजा ।		उन अपराधोके विषयमें जो लिखतमो और च्यापार, अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हो ।
४४४	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा ।		
४४५	संध लगाना ।	४६३	जालसाजी ।
४४६	रातके समय संध लगाना ।	४६४	झूठी दस्तावेज बनाना ।
४४७	दण्ड योग्य मदाखलत बेजाका दण्ड ।	४६५	जालसाजीका दण्ड ।
४४८	घरकी मदाखलत बेजाका दण्ड ।	४६६	कोर्टआफजस्टिसके सरिस्टके कागज या बालकोंका जन्म लिखा जानेवाला रजिष्टर या सर्व साधारण रजिस्टर आदिको जाली बनाना ।
४४९	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड मृत्यु है घरकी मदाखलत बेजा ।	४६७	किफालतुलमाल या बसीअत नामेको जाली बनाना ।
४५०	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड देश निकाला है घरकी मदाखलत बेजा ।	४६८	दगाके लिये जालसाजी ।
४५१	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है घरकी मदाखलत बेजा ।	४६९	किसी मनुष्यकी नेकनामी को हानि पहुँचानेके लिये जालसाजी ।
४५२	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा ।		
४५३	गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोडनेका दंड ।		
४५४	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद है घरकी गुप्त-मदाखलते बेजा या संध लगाना ।		
४५५	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा या संध लगाना ।		
४५६	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या संध लगानेका दंड ।		

दफा.	संक्षिप्त विवरण.	दफा.	संक्षिप्त विवरण.
	तोड़ना जहा नौकर स्वामीके खर्चसे पहुँचाया गया हो ।	५००	अपयश लगानेका दंड ।
	अध्याय २०.	५०१	किसी वस्तुका छापना या खोदकर दिखाना यह जानकर कि वह अपयश लगानेवाली है ।
	उन अपराधोंके विषयमें जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हैं ।	५०२	बेचना किसी छपी हुई खुदी हुई वस्तुका जिसमें अपयश लगानेवाली बात हो ।
४९३	संभोग जो किसी पुरुषने उचित, व्याह होजानेका घोखा देकर किया हो ।		अध्याय २२
४९४	पति अथवा स्त्रीके जीतेजी दूसरा व्याहकरना ।		दण्ड योग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमें ।
४९५	वही अपराध पहिले व्याहका उससे जिसके साथ पिछला व्याह हुआ छियाकर करना,	५०३	दण्ड योग्य धमकी (तखवीफ मजुरिमाना)
४९६	बिना करने उचित विवाहके छलके, अभिप्रायसे व्याहकी रीतिका पूरा करना ।	५०४	सर्व साधारणकी कुमलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना ।
४९७	व्यभिचार ।	५०५	वर्णन जो सर्वसाधारणकी हानिका कारण हो ।
४९८	बुरे अभिप्रायसे किसी व्याही स्त्रीको फुसला ले जाना या ले उटना या रोक रखना ।	५०६	दण्ड योग्य धमकीका दण्ड, - यदि मृत्यु अथवा मारी दुःख पहुंचानेकी धमकी हो ।
	अध्याय २१.	५०७	विना नामकी मुखबिरीके करके दण्ड योग्य धमकी ।
	अपयश लगानेके विषयमें	५०८	काम जो किसी मनुष्यको यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि उसपर ईश्वरका कौप होगा या कराया जावेगा ।
४९९	अपयश लगाना ।	५०९	किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना ।-
"	किसी सच्ची बातकी तुहमत जिसका करना या प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये अवश्य है ।	५१०	सर्वसाधारणके सामने किसी नशा पिये हुए मनुष्यकी बदचलनी ।
"	सरकारी नौकरका निजकर्तव्यकर्म करना ।		अध्याय २३.
"	तुहमत जो कोई मनुष्य अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये या सम्बन्धी सर्व दूसरोंके लाभके लिये नेक नियतीसे लगावे ।		अपराध करनेके उद्योगके विषयमें ।
"	सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणका कामहो ।	५११	उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरका देश निकाला या कैदका दण्ड ठहराया गया है ।

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईस्वी.

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह.



(जिसको श्रीयुत नवाब गवर्नर जनरल बहादुरने
६ अक्टूबर सन् १८६० ई० को स्वीकार किया)

अध्याय पहिला १.



जो कि यह बात उचित है कि, भारतवर्षमे समस्त अगरेजी राज्यके लिये एकही दण्ड संग्रह बनाया जावे अतएव निम्नलिखित आज्ञा हुई कि:—

(१) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० इस ऐक्टका सिरनामा और उसके प्रचारका फैलाव. } के अनुसार इस ऐक्टका नाम हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह होगा और यह १ जनवरी सन् १८६२ ई० के आरभसे उन देशोंमें प्रचलित होगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने सिंहासनपर बैठनेके २१ वे व २२ वें सालवाले कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रवध ठीक करनेके निमित्त हुआ था, अब प्राप्त है, अथवा आगे प्राप्तहों ।

नोट—ऐक्ट नं० ५ सन् १८६७ के अनुसार हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह स्ट्रेट सेटलमेंटमे भी प्रचलित किया गया है ।

(२) शुद्ध किया गया ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ उन अपराधोंका दण्ड } ई० के अनुसार—प्रत्येक मनुष्य जो उक्त देशोंमे पहली जनवरी सन् १८६२ ई० को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अपराधका अपराधी जाय, } हो जो इस संग्रहके विरुद्ध हो, वह इसी संग्रहके अनुसार दण्डके योग्य होगा किसी दूसरे कानूनके अनुसार नहीं ।

नोट—ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० में यह आज्ञा है कि, जिन अपराधोंका दण्ड इस संग्रहके अनुसार हो सकता है उन सबकी तहकीकात तथा दूसरी कार्रवाई ऐक्ट फौजदारीके अनुसार की जावेगी ।

(३) जो कोई मनुष्य किसी कानूनके अनुसार कि जिसको श्रीयुक्त गवर्नर जनरल उन अपराधोंका दण्ड जो उपरोक्त देशोंके बाहर किये जाय परंतु उनकी जाच कानूनके अनुसार उन देशोंके भीतर होस करती है, वहादुर हिंदू बड़जलास कौंसलने चलाया हो किसी ऐसे अपराधमें दण्डके योग्य हो कि, जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके बाहर हुआ है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधके सम्बन्धमें कि जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके बाहर हुआ हो इस सप्रहके लेखोंके अनुसार उसी प्रकार वर्तव किया जावेगा कि मानो उसने वह अपराध उन देशोंके भीतर ही किया है ।

(४) शुद्ध किये गये ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० उन अपराधोंका दण्ड कि जो श्रीमती महारानीके किसी नौकरद्वारा अन्य हितकारी राज्योंमें होवे, के अनुसार श्रीमती महारानीका प्रत्येक नौकर इस सप्रहके अनुसार दण्डका भागी होगा कि जो कार्य अथवा चूक कि जिसको उसने नौकरीके समयमें इस सप्रहके लेखोंके विरुद्ध किसी ऐसे महाराजा अथवा राजाके राज्यमें किया हो कि, जिसकी मित्रता श्रीमती महारानीके साथ किसी सधिपत्र अथवा करारनामके द्वारा हो जो अबसे पहिले सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ होचुकी हो अथवा हिन्दुस्थानकी किसी सर्कारके साथ श्रीमतीके नामसे लिखी गई हो अथवा आगे लिखीजाय ।

(५) *यह अभिप्राय नहीं है कि, इस सप्रहका कोई लेख निम्नलिखित कानूनोंकी मुख्य कानून कि किसी आज्ञाको पलट अथवा न्यून करे या मिटावे अर्थात् जिनमें इस ऐक्टका कुछ अर्थात् ८५ ऐक्ट आफ पार्लिमेंट कि जो महाराजा चतुर्थ विलियमके प्रभाव न होगा, सिंहासन बैठनेपर ३ व ४ सालमें प्रचलित हुआ ।

अथवा कोई ऐक्ट आफ पार्लिमेंट जो उपरोक्त ऐक्टके पश्चात् प्रचलित होकर सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनी या ऊपर कहे हुए देशो अथवा उपरोक्त देशोंके निवासियोंपर किसी प्रकारसे प्रचारित हुआ हो ।

अथवा कोई ऐक्ट जो महारानी विक्टोरियाके नौकर अपसरों और सिपाहियोंकी वगा-वत और नौकरीपरसे भागजानेके दण्डसे सम्बन्ध रखता हो ।

अथवा कोई कानून किसी विशेष कार्यके लिये अथवा कोई कानून किसी विशेष स्थानके लिये ।

अध्याय दूसरा २.

साधारणार्थ स्पष्टीकरणके विषयमें ।

(६) इस समस्त सप्रहमें किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक दण्डका नियम

इस सप्रहमें लिखी हुई } तथा उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका प्रत्येक उदाहरण उन तारीफे (लक्षण) छूटों } छूटोंके अधीन समझा जायगा जो साधारण छूटोंके अध्यायमें के अधीन समझी जायें } लिखा हुआ है, चाहं प्रत्येक लक्षण या दण्डके नियम तथा उदाहरणमें उन उपरोक्त छूटोंका दूसरी बार वर्णन न हुआ हो ।

उदाहरण ।

(क) इस सप्रहकी उन दफोमें जहाँ अपराधोंके लक्षण लिखे हैं यह नहीं लिखा गया कि, सातवर्षसे न्यून अवस्थाका बालक इन अपराधोंका अपराधी नहीं हो सकता परंतु उन लक्षणोंको उस साधारण छूटके अधीन समझना चाहिये जिसमें यह नियत है कि, कोई काम जो सातवर्षसे कम अवस्थाका बालक करे अपराध नहीं है ।

(ख) यदि शिवगकर कि जो पुलिसका नौकर है बिना वारंटके रमाशकरको कि जो अपराधी शातघात (कत्लअम्द) का है कैद करे तो इस अवस्थामें शिवगकर अनीतिबचन (हन्पवेजा) का अपराधी न गिना जायगा, क्योंकि रमाशकरका कैद करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म था, अतएव ऐसी अवस्था उस साधारण छूटके अधीन समझी जायगी कि जिसमें यह नियत हुआ है कि कोई काम अपराध नहीं है जो ऐसा मनुष्य करे कि जिसका करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म है ।

(७) प्रत्येक शब्द जिसका स्पष्टीकरण (तशरीह) इस सप्रहमें किसी एक स्थानपर

उन शब्दोंका अभि- } हुआ है उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस सप्रहके प्रत्येक स्थानपर उसी प्राय कि जो एकवार } अर्थसे वर्त्ता गया है। ममझाये गये है, }

(८) शब्द " वह " और उसके कारक प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे वह पुरुष हो लिंग. } अथवा स्त्री, वर्त्ते गये हैं ।

(९) यदि प्रसंगमें कुछ विरुद्धता न प्रगट हो तो एक वचनके अर्थ देनेवाले एकवचन व बहुवचन } शब्दोंमें बहुवचन भी समझा जायगा और बहुवचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें एकवचन ।

(१०) पुरुष शब्दसे किसी अवस्थावाले मनुष्य—जातिके पुल्लिङ्गसे अभिप्राय है और पुरुष व स्त्री. } स्त्री शब्दसे किसी अवस्थावाली मनुष्य—जातिकी स्त्रीलिङ्गसे ।

(११) मनुष्य शब्दसे प्रत्येक कम्पनी और समाज तथा झुंड मनुष्योंका समूह जायग मनुष्य. } चाहे उनको सर्कारसे सनद मिली हो या नहीं ।

(१२) सर्वसाधारणका शब्द सब मनुष्योंके प्रत्येक गिरोह और प्रत्येक मत (मज-सर्वसाधारण. } हब) से सम्मिलित है ।

(१३) श्रीमती महारानीके शब्दसे समयके बादशाह प्रेटबूटन और आयलडकी अधी-श्रीमतीमहारानी. } श्वरीसे अभिप्राय है ।

(१४) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोंका सकेत सब अहलकारों अथवा नौक-श्रीमती महारानीके } रोसे है जो श्रीमती महारानीके राज्यके साल २१ व २२ की नौकर. } कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थान-का राज्यप्रबन्ध सुधारनेके लिये हुआ था नियत हुए हों अथवा गवर्नमेण्ट हिंद या और किसी गवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्थानमे नौकरीपर बने हों या नियत किये गये हों या कामपर लगाये गये हों ।

(१५) शुद्ध हुए ऐक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार—ब्रिटिश इण्डियाके शब्दसे ब्रिटिश इण्डिया } उन देशोंका अभिप्राय है कि जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने राज्यके साल २१ व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबन्ध सुधारनेके लिये हुआ था अब प्राप्त है या आगे प्राप्त हों ।

(१६) गवर्नमेण्ट हिंदके शब्दसे श्रीयुक्त नब्बाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंद बइजलास गवर्नमेण्ट हिंद. } कौंसल और यदि श्रीमान् अपनी कौंसलमे न हों तो प्रेजीडेंट बइजलास कौंसल या केवल नब्बाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंदका अभिप्राय है जैसा जिसका अधिकार कानूनके अनुसार हो ।

(१७) गवर्नमेण्ट शब्दका अभिप्राय उस मनुष्य या उन मनुष्योंसे है जो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट. } इण्डियाके किसी भागमे कानूनके अनुसार प्रबंध करनेके लिये स्वाधीन हों ।

(१८) प्रेजीडेंसीके शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है जो किसी एक प्रेजीडेंसीकी प्रेजीडेंसी. } गवर्नमेण्टके अधीन हो ।

(१९) जजके शब्दसे उसी मनुष्यका अभिप्राय नहीं है कि जो सरकारी तौरपर जज, } जज कहलाता हो किंतु उस प्रत्येक मनुष्यसे भी है कि जो कानूनके अनुसार किसी दीवानी या फौजदारीके अभियोगमें ऐसा फैसला करनेका अधिकार रखता हो कि जो कतई (सम्पूर्णतः) हो या यदि उसका अपील न हो तो कतई हो जावे या जो फैसला किसी दूसरे हाकिमकी जाँच (तजवीज) से बहाल रहे तो कतई हो या उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूहमेंसे हो जिसको कानूनानुसार ऐसे फैसलेके करनेका अधिकार हो ।

उदाहरण ।

(क) कोई कलक्टर जब कि वह किसी अभियोग (मुकदमा) में ऐक्ट नंबर १० सन् १८५९ ई० के अनुसार "अधिकार वर्त्तता हो" जज है ।

(ख) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे अपराधके सबन्धमें कार्रवाई कर रहा हो कि जिसमें उसको जुर्माना या कैदकी आज्ञा देनेका अधिकार है जज है चाहे उसका फैसला अपीलके योग्य हो या न हो ।

(ग) पचायतका प्रत्येक मनुष्य कि जो मदरासके कानून ७ सन् १८१६* ई० के अनुसार अभियोगोंका फैसला व तजवीज करनेका अधिकार रखता हो जज है ।

(२०) कोर्ट ऑफ जस्टिसके शब्दसे उस जजका अभिप्राय है जिसको कानूनके कोर्ट ऑफ जस्टिस, } अनुसार स्वयंही अकेले अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो अथवा जजोंके उस समूहसे अभिप्राय है कि जिसको कानूनके अनुसार इफटा होकर अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो उस अवस्थामें जब कि वह जज अथवा जजोंका समूह अदालतका काम कर रहा हो ।

उदाहरण ।

वह पचायत कि जो मदरासके कानून ७ सन् १८१६ ई० के अनुसार वर्त्त रही हो और जिसको अभियोगोंके सबन्धमें तजवीज वा फैसला करनेका अधिकार प्राप्त है कोर्ट ऑफ जस्टिस है ।

(२१) सरकारी नौकरके शब्दसे उस मनुष्यका अभिप्राय है कि जो निम्नलिखित सरकारी नौकर, } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हो अर्थात्—

पहिले—श्रीमती महारानीका प्रत्येक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर ।

दूसरे—प्रत्येक कमीशनदार अपसर जो महारानी विक्टोरियाकी जंगी अथवा जहाजी सेनामें हो उस अवस्थामें कि जब वह गवर्नमेंट हिन्द या और किसी गवर्नमेंटके अधीन किसी कामपर नियत हो ।

* ऐक्ट ३ सन् १८७३ ई० के अनुसार उपरोक्त कानून रद्द होगवा है ।

तीसरे—प्रत्येक जज ।

चौथे—कोर्ट ऑफ जस्टिसका प्रत्येक ओहदेदार, जिसपर उस ओहदेकी योग्यतासे उचित है कि वह किसी कानून सम्बन्धी बात अथवा किसी घटनाकी जांच करे या उसके सम्बन्धमें रिपोर्ट भेजे या कोई लेख बनावे या तसदीक करे या अपनी चौकसीमें रखे, या किसी मालको अपनी सिपुर्दागीमें ले या उसको अपने निकटसे दूरकरे या अदालतके किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामें) की कार्रवाई करे या कोई शपथ (हल्फ) दे या अनुवादका काम करे या अदालतमें प्रवृत्त रखे और प्रत्येक मनुष्य जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिसकी ओरसे उपरोक्त कामोंमेंसे किसी कामका पूर्ण करनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो ।

पांचवें—प्रत्येक मनुष्य अथवा या प्रत्येक असेसर या प्रत्येक पंचायतका पंच; उस अवस्थामें कि जज वह कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकरकी सहायता करता हो ।

छठे—प्रत्येक पंच या कोई दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमने किसी अभियोग या झगड़ेको निवटानेके लिये नियत किया हो ।

सातवें—प्रत्येक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखताहो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी मनुष्यके कैद करने या कैद रखनेका अधिकारी हो ।

आठवें—प्रत्येक सरकारी ओहदेदार, जिसको अधिकारहै कि वह अपराधोंका होना रोके और अपराधोंकी घटनाओंकी सूचना दे और अपराधियोंको अपने अपराधका उत्तर देनेके लिये कैद करावे और सर्व साधारणकी आरोग्यता कुशलता तथा सुगमताकी रक्षा करे ।

नवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि कोई माल गवर्नमेंटकी ओरसे अपने अधिकारमें लाये या अपनी सिपुर्दागीमें ले या अपनी चौकसीमें रखे या खर्च करे या वह गवर्नमेंटकी ओरसे धरतीके नापे या लगान लगावे या कौल करार करे या वह सरिस्तेमालके किसी हुक्मनामेको जारीकरे या किसी ऐसी बातकी जांचकरे कि जिससे गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रूपयके मद्दे हो या उसके सम्बन्धमें कुछ लिखा पढीकरे या कोई लेख कि जिसमें गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रूपयके मद्दे हो लिखे. या तसदीक करे, या उस लेखको अपनी चौकसीमें रखे, या रूपयके मद्दे गवर्नमेंटके किसी स्वार्थकी रक्षाके लिये किसी कानूनके उल्लंघनको रोके, और प्रत्येक ओहदेदार

जो सरकारका नौकर हो, या गवर्नमेंटसे अपनी नौकरी का हक पाता हो, या उसको किसी सरकारी कामके करनेके बदले फीस या कमीशन मिलती हो।

दशवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि सर्व साधारणके लौकिक कामके लिये किसीगाव या कस्बा या शहर या जिलेके किसी मालको अपने अधिकारमे लाये या अपनी चौकसीमे ले या अपनी चौकसीमे रखे या खर्च करे या धरतीको नापे तथा लगान लगावे या किसी प्रकारकी रसूम व टैक्स उगाहे या किसी गाव अथवा कस्बे या जिलेके निवासियोका अधिकार निश्चय करनेके लिये किसी लेखको लिखे या तस्दीक करे या चौकसीमें रखे।

उदाहरण।

म्युनिसिपल कमिश्नर सरकारी नौकर है।

पहिला स्पष्टीकरण—वे मनुष्य जो ऊपर लिखे हुए प्रकारोंमेसे किसी प्रकारमें हों सरकारी नौकर हैं चाहे गवर्नमेंटसे उन्होंने वह ओहदा पायाहो या नहीं।

दूसरा स्पष्टीकरण—जहा "सरकारी नौकर" के शब्द आवे उनसे प्रत्येक ऐसा मनुष्य समझा जावेगा जो किसी सरकारी नौकरीपर यथार्थमें ही नियत हो चाहे उस ओहदे पर होनेके लिये उसके आधिकारमे कैसी ही कानूनी खोटाई हो।

१—"कनविक्ट वार्डर" अर्थात् कैदी चौकीदार दफा २२३ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार सरकारी नौकरमे गिनाजायगा (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ६३)

२—जो चपरासी महकमा कलकटरीसे नियमित वेतन न पावे वरन उसको उसके कामकी कुछ फीस दीजावे वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर है (बंगाल लारिपोर्ट जिल्द ४ सफा १४६ श्रीमती महारानी बनाम कृष्णदास.)

३—एक इजिनियर कि जिसका काम म्युनिसिपल फडका रुपया लेकर दूसरोंको देनेका है इस दफाके अनुसार सरकारी नौकर कहा जावेगा यद्यपि उसको ऐसे रुपयेके व्ययकी मजूरी देनेका अधिकार नहीं है (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ६४ श्रीमती महारानी बनाम अनन्तराव आत्माराम)

४—ठेकेदार मौजा जो जङ्गलकी आमदनीका हिसाब रखे और उसमेसे एकभाग सरकारको दे और शेष आप ले वह इस २१ दफाके अनुसार सरकारी नौकर नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १२ सफा १ श्रीमती महारानी बनाम रामाजी रावजी बाजीराव)-

५—गाढीवाला या और कोई मजदूर जिसको गवर्नमेंटने नौकर रक्खा हो सरकारी नौकर नहीं है (इंडियन लारिपोर्ट सिलसिला मदरास जिल्द ७ सफा १८ श्रीमती बनाम बन्नी मन्नी)

६—गायबनाजिर दण्डसंग्रहः हिदकी दफा ४०९ के अनुसार सरकारी नौकर है न कि नाजिरका (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देवा जिल्द २ सफा २९८ श्रीमती बनाम महमूद-हुसेन)

(२२) स्थावर धन (माल मनकूला) इन शब्दोंका अमिप्राय सब प्रकारकी मूर्तिमान्

स्थावर धन } वस्तुसे है सिवाय धरती और उन पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बंधे हों
और ऐसे पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बंधे हुए किसी पदार्थके साथ
सदैवको दृढतापूर्वक लगेहों ।

१—(क) बिना किसी अधिकार या आज्ञाके कई गाड़ी मिट्टी एक मौजाकी बिना तयखीसं हुई धरतीसे खोदकर ले गया तमबीज हुई कि (क) चोरीका अपराधी नहीं है । (सिलसिला बंबई जिल्द ११ हिस्सह ९ सितम्बर सन् १८८७ ई० सफा २५५ श्रीमती बनाम कोठा)

२—धरती और धरतीके समस्त पदार्थ पत्थर और धातु इत्यादि जब धरतीसे पृथक् किये जाय कि जिसमें वे लगे हैं स्थावर धन हैं और चोरी होनेके योग्य है जो कोई बदनियतीसे ऐसी मिट्टीको पृथ्वीसे अलग करता है वह चोरीका अपराधी होगा । (इंडियन लारिपोर्ट बंबई लिट्रद १५ सफा ७०२ श्रीमती बनाम शिवराम)

(२३) अनीतिप्राप्त (इस्तहसाल नाजायज) वह प्राप्त किसी वस्तुकी है जो अनुचित

अनीतिप्राप्त. } रीतिसे कोई ऐसा मनुष्य प्राप्त करे कि जो कानूनके अनुसार
उसका अधिकारी न हो ।

अनीतिहानि (जिघान नाजायज) वह हानि किसी वस्तुकी है जो अनुचित रीतिसे की
अनीति हानि. } जावे और हानि उठानेवाला मनुष्य कानूनके अनुसार उस वस्तुका
अधिकारी हो ।

अनीति प्राप्त केवल उसी अवस्थामें न कहाजायगा जब कि वह मनुष्य उस वस्तुको
किसी वस्तुको अनु-
चित रीतिसे रख छाडना } अनुचित रीतिसे प्राप्त करे वरन उस अवस्थामे भी कहा जायगा जब
अनीति प्राप्तमे गिना-
जायगा. } कि वह अनुचित रीतिसे अपने अधिकारमें रखे ।

अनीतिहानि केवल उसी अवस्थामें न कही जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे
किसी वस्तुसे अनु-
चित रीतिपर वेदखल } अनुचित रीतिपर वेदखल रक्खा जावे वरन उस अवस्थामे भी कही
रखना अनीति हानिमे
गिना जायगा. } जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर वेद-
खल किया जाय ।

१—जब कोई साहूकार अपने ऋणीका स्थावर धन उसके अधिकारसे जबरदस्ती (बल-पूर्वक) इस नियतसे ले लेवे कि उसका रुपया अदा करनेमें ऋणीको दबाव पहुँचे, तो ईश

अवस्थामें यह कहा जावेगा कि उपरोक्त साहूकारने उस धनके सम्बन्धमें चोरीका अपराध किया जिसका वर्णन इस सग्रहकी दफा ३७८ में किया गया है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफा १०१७)

(२४) जब कोई मनुष्य इस नियतसे कोई काम करे कि वह किसी मनुष्यको अनीति

अधर्मपने (बददि-) प्राप्त कराये या किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचाये तो कहा यानती) से.

जायगा कि उसने वह काम बददियानतीसे किया ।

१—जब कोई मुहरिर सरकारी रुपयेको अपने व्ययमें लावे और फिर हिमावर्का किताबमें झूठा रुपया इस नियतसे लिखे ताकि भेरा उपरोक्त अपराध छिपजावे तो तजवीज हुई कि झूठा रुपया जमा करना जालसाजीका अपराध नहीं है और इसलिये उसको इस सग्रहकी दफा ४६५ के अनुसार दण्ड देना अनुचित है (सिलसिला इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२१ इ० ला० रि० श्रीमती वनाम जीवानद)

२—(क) अपनी जीवित अवस्थामें (ख) का ऋणी या (क) के मरने पश्चात् (ख) ने बिना अदालतदीवानी कुछ बैल (क) के उसकी स्त्री (ग) से लेलिये तजवीज हुई कि (ख) ने यह काम बददियानतीसे किया । (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६८ श्रीमती वनाम परमात्मानाथ वनर्जा)

३—अपराधकी तजवीज जो इस सग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार बाबत छल या बदनियती से जाली लेखको असली लेखके समान काममें लानेका था यह तजवीज हुई कि चार रसीदे जाली लगानेके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्थामें बनाई थीं कि, जब उसकी चार रसीदे असली खो गई थी—तजवीज हुई कि, अपराधीने इस सग्रहकी दफा २४ व २५ के अनुसार बदनियती से उपरोक्त अपराध नहीं किया इसलिये वह दफा ४७१ के अनुसार दण्डके योग्य भी नहीं हो सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ हिस्सा ६ सफा ४५९ श्रीमती वनाम शिवदयाल) ।

४—एक हिस्सेदार साझेके मालमें बददियानती कर सकता है यदि वह उपरोक्त मालको साझेके अधिकारसे निकालकर अपने अलग अधिकारमें कर लेवे । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १० सफा १८६ श्रीमती वनाम नूरा) ।

५—इन्ट्रस इम्तिहानके उम्मेदवारने सर्टीफिकेट अच्छे चालचलन आदिके इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये हेउमास्टरके जाली दस्तखत बनाकर रजिष्ट्रारके यहा भेज दिये और रजिस्ट्रारने स्वीकार करके इम्तिहानकी आगामी दे दी—तजवीज हुई कि, अभियोग दफा ४१५ व ४७१ व ५११ के अनुसार चलाया जावे कि, उम्मेदवारकी नियत केवल इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये थी कोई छल या बददियानती दफा २४ या २५ के अनुसार नहीं की इसलिये अपराधीने कोई भी अपराध नहीं किया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८० श्रीमती वनाम हरव्यान उर्फ राखलदाम घोष) ।

६—जब हिन्दू लोगोंने परस्पर मिलकर एक बँल और दो गायोंको एक मुमलमानके अधिकारसे अपने अनीतिप्राप्त या चाँपायोंके स्वामीको अनीतिहानिके अभिप्रायने नहीं बरन गायों

को बधसे बचानेके अभिप्रायसे दूर कर दिया तो तजवीज हुई कि, इनके सम्बंधमें डकैतीका अभियोग नहीं चल सकता वरन केवल बलवेका चल सकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २२ श्रीमती बनाम रघुनाथराय) ।

(२९) जब कोई मनुष्य कोई काम इस नियतसे करे कि वह किसीको किसी माल या छलछिद्रसे, } अधिकारसे छलछिद्र द्वारा वेदखलकरे तो इस अवस्थामे कहा जायगा कि उस मनुष्यने वह काम छल छिद्रसेही किया ।

१—एक खेतका नम्बर यथार्थमे २७२ था और लेखमे जो अपराधियोने अदालतमे पेश किया वह नम्बर भूल से १० लिखा गया अपराधियोने नम्बर १० के स्थानपर २७२ बनादिया और इसी लिये सेवानजने उन्हे दफा ४७१ के अनुसार जाली लेखको असलीलेखके स्थानपर काममे लानेके लिये दोषी प्रमाणित किया तजवीज हुई कि जो कि नम्बर बदलियतीसे इस संग्रहकी दफा २४ के अनुसार व छलछिद्रसे इस संग्रहकी दफा २५ के अनुसार नहीं पलटागया और न उससे किसीको अन्यातिप्राप्त तथा अन्यातिहानि हुई थी इस लिये उनपर दफा ४६५ के अनुसार जाली लेख बनानेका दोष नहीं होसकता था और न उपरोक्त लेख दफा ४७० के अनुसार जाली लेख कहा जा सकता था और न उसको अदालतमे पेश करनेसे अपराधी दफा ४७१ के अनुसार दोषी प्रमाणित होसकते थे इस लिये उनपर दफा ४७१ का अपराध नहीं होसकता और जो कि इस संग्रहकी दफा १९२ के अनुसार लेखके किसी भूलको सही कर देना झूठे लेख या झूठे बयानमे नहीं प्रमाणित होसकता इस लिये वह अपराधी निर्दोषी है । (वीकली नोटिस किताब माह नवम्बर सन् १८८२ ई० सफा २२१ श्रीमती बनाम फतह आदि) ।

(२६) यदि किसी बातका निश्चय करनेका पूरा कारण किसी मनुष्यके सामने निश्चय माननेका हेतु, } वर्तमान हो तो इस अवस्थामे कहा जायगा कि वह मनुष्य उसबातका निश्चय करनेका कारण रखता है न कि किसी दूसरी अवस्थामे ।

(२७) जब कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसे उसकी स्त्री या मुहारिर या नौकरके वस्तु जो स्त्री, मुह- } अधिकारमे हो तो इस संग्रहके अर्थानुसार उपरोक्त वस्तु उपरोक्त ही रिर या नौकरके अधि- } मनुष्यके अधिकारमें समझी जायगी । कारमे हो.

स्पष्टीकरण—जो कोई मनुष्य थोडे दिनेके लिये या किसी मुख्य आवश्यकतापर मुहारिर या नौकरके अधिकारपर रक्खा जाय तो वह मनुष्य इस दफाके अनुसार मुहारिर या नौकर है ।

(२८) शुद्ध हुआ दफा ९ ऐक्ट १ सन् १८८९ ई० के अनुसार—जब कोई मनुष्य खोटा बनाना } एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान इस अभिप्रायसे बनावे कि वह उस समानताके द्वारा धोखा दे या इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा धोखा चलजाना सम्भव है तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने खोटा बनाया ।

स्पष्टीकरण १—खोटा बनानेके लिये यह अवश्य नहीं, कि समानता ठीक ही ठीकहो ।

स्पष्टीकरण २—जब कोई मनुष्य किसी पदार्थको किसी पदार्थके समान बनाये और समानता ऐसी हो कि उससे किसी मनुष्यको धोखा होसकता हो तो उसने जबतक इसके विरुद्ध प्रमाणित न हो निश्चय किया जायगा कि जो मनुष्य उन भातिपर एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान बनाता है वह उस समानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता है कि उसके द्वारा धोखा होना सम्भव है ।

(२९) लेखके शब्दोंसे किसी ऐसी लिखावटका अभिप्राय है जो किसी पदार्थ पर

लेख (दस्तावेज) } अक्षरो या अको या चिह्नोंके द्वारा या उनमेंसे दो या तीनोंके द्वारा
प्रगट या बाणत किया गया हो चाहे उन अक्षरो या अको या

चिह्नोंको प्रमाण (सबूत) के लिये काममे लानेकी नियत हो चाहे ऐसाहो कि वह सबूतमे काम आसकें ।

स्पष्टीकरण १—इस बातकी कुछ विशेषता नहीं है कि किन वसीलोसे या किस वस्तुपर वे या अक या चिह्न बनये जाय या यह कि, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिसमे प्रमाणकी रीतिपर काममे लानेकी नियत हो या न हो या वह प्रमाणका कारण काममे आवे या न आवे ।

उदाहरण ।

वह लिखौट कि जिसमे किसी कौल करारके नियम लिखे हों और जो उस कौल करारके लिये प्रमाणकी भांति काममे आसके, लेख (दस्तावेज) है ।

चिक अर्थात् रुक्ना किसी महाजनका लेख है ।

मुख्तारनामा लेख है ।

पृथ्वीका नक्शा या इमारतका नक्शा जो प्रमाण (सबूत) की भांति काममे आनेके अभि-
प्रायसे या काममे आनेके योग्य बनाया जाय, लेख है ।

जिस लिखौटमे कोई हुकम व हिदायतें हों वह लेख है ।

स्पष्टीकरण २—जो अभिप्राय अक्षर या अकों या चिह्नोंसे सौदागरीके चलन अनुसार या किसी दूसरे व्यवहारमे प्रगट होता हो वही इन दफाके अर्थमे उन अक्षरो या अकों वा चिह्नोंमे प्रगट होना समझा जायगा चाहे वह अभिप्राय लेखमे न प्रगट किया गया हो ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर किसी हुडीकी पीठपर अपना नाम लिख दे और हुडीमें लिखा हो कि जिसको कहे उसे रुपया मिले तो सौदागरी व्यवहारके अनुसार इस लिखौटके यह अर्थ है कि जिस किसीके पास वह हुडी हो वही उसको पटा सकता है, इसलिये यह लिखौट लेख है और उससे वही अभिप्राय लेना चाहिये कि मानो दस्तावेजके ऊपर यह लिखौट लिखा होता कि “अधिकारी हुडीको रुपये दो” या कोई और इसी भजमूनकी लिखी होती ।

(३०) किफालतुलमालके शब्दसे उस दस्तावेजका अभिप्राय है जो ऐसी किफालतुलमाल दस्तावेज, } दस्तावेज होय या ऐसी दस्तावेज समझी जानेकी योग्यता रखतीहो जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार प्राप्त किया जावे या बढ़ाया जावे या एकसे दूसरेको दिया जावे या जिसकी अवधि नियत की जावे या नष्ट किया जावे या छोड़ दिया जावे या जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं कानूनके अनुसार अमुक बातके अधीन हूँ या कहे कि अमुक कानूनी अधिकार मेरा नहीं है ।

उदाहरण ।

यदि मित्रगकर किसी हुडीकी पीठपर अपना नाम लिख के तां जय कि आशय इम लेखका यह है कि उस हुडीका अधिकार उसी मनुष्यको दिया गया जो नीतिपूर्वक उसका धनी बने अतएव वह लेख प्रमाणित (किफालतुलमाल) गिना जायगा ।

१—एक तिलकनामा इस संग्रहकी दफा ३० के अनुसार किफालतुलमाल (प्रमाणितलेख) में गिना जायगा और इसप्रकारकी जाली दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिये पेश करना और उसकी रजिस्ट्री करा लेना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७१ के अनुसार अपराध में गिना जायगा (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ११ सफा १५ श्रीमती महारानी बनाम अजीमुद्दीन) ।

२—पट्टेकी नकल इस दफाके अनुसार किफालतुलमाल नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफा २८ सरकार बनाम हीरामन) ।

३—वह सनद कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त होता है किफालतुलमाल नहीं है । (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

(३१) वसीअतनामेके शब्दसे ऐसे लेखका अभिप्रायहै जो कोई मनुष्य मरनेसे पहिले वसीअतनामा, } अपने माल आदिके प्रबन्धके निमित्त लिखे ।

(३२) इस संग्रहके प्रत्येक भागमें सिवाय उन भागोंके जहां लेखसे विरुद्ध आशय करनेके कर्मो सम्बन्धी शब्द कानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बन्ध रखते हैं कानून चूकोंसे भी सम्बन्ध रखेंगे, } विरुद्ध चूकों से भी सम्बन्ध रखेंगे ।

(३३) शब्द “ काम ” से एक कामका और अनेक कामोका भी अभिप्राय है । काम चूक तर्क, } और “ चूका ” के शब्दसे एक चूकाका और अनेक चूकोका भी अभिप्राय है ।

(३४) जब कुछ मनुष्योंने किसी अपराधका काम एक सम्मति होकर किया काम कि जो कई- } हो तो उन मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य उसकामके लिये उसी प्रकार एक मनुष्य एक सम्मति } दण्डके योग्य होगा कि मानो वह काम उसीने अकेले होकर करै. } किया है ।

१—(क) ने (ख) के सामने और (ख) की आज्ञासे किसी मनुष्यके एक घूँसा मारा इस अवस्थामें दोनों ही असली अपराधी गिने जायेंगे—जब दो मनुष्य एक मनुष्यके मारनेमें सम्मिलित होवे और वह मनुष्य उनकी मारसे मरजावे तो इस बातके जांचनेकी कुछ आवश्यकता नहीं कि, वह मनुष्य किसकी मारके प्रभावसे मरा (वीली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा ११) ।

२—एक मनुष्यको कई मनुष्योंने मिलकर मारा यहातक कि उसकी अठारह पसलियां टूट गईं और वह मरगया ऐसी अवस्थामें उनमेंका प्रत्येक मनुष्य मृत मनुष्यके मारनेका अपराधी ठहराया जावेगा । (वीली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५ फौजदारी)

३—अपराधियोंपर जो सर्वे डिपार्टमेंटमें नौकर थे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ६१ के अनुसार कुछ मौजोंसे घूस (रिश्वत) लेनेका अपराध लगाया गया—गवाही केवल उन्हीं मनुष्योंकी थी कि जिन्होंने घूसमें चन्दा दिया था या चन्दा उगाहा था या रुपया नौकरोंको दिया था मजिस्ट्रेटने दफा ६१ के अनुसार कैदसख्त (कड़ीकैद) और जुर्मानेकी आज्ञा दी—तजवीज हुई कि कैसला ठीक २ नहीं हुआ क्योंकि कोई गवाही उन मनुष्योंकी गवाहीको दृढ़ नहीं करती जो सब अपराधमें संयुक्त है इसलिये गवाह कि जिन्होंने अपने रुपयेकी या शरीरकी (जाती) हानिसे बचनेके लिये किसी सरकारी नौकरको घुस देनेका वचन दिया या घुस दिलानेमें सहायता की उनकी गवाही स्वयंही उनके अपराध करनेकी गवाही समझी जायगी (सिलसिला बर्ष ३० ला० रि० जिल्द १४ सफा ११५ श्रीमती महारानी वनाम मगनलाल व मोतीलाल) ।

(३५) जब कि एक ऐसा काम कुछ मनुष्योंद्वारा हुआ हो जो केवल इस कारणसे जब देसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध हो कि बुरी नियत या बुरे अभिप्रायसे किया गया अपराध है कि वह बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्रायसे किया गया है तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्य जिसने उसके करनेमें उसी प्रकारके ज्ञान या प्रयोजनसे साक्षात् किया हो उस कामके सम्बंधमें उसी प्रकारसे दण्डके योग्य होगा कि मानो अकेलेही उस मनुष्यने उसही ज्ञान अथवा अभिप्रायसे उस कार्यको किया ।

(३६) जब किसी परिणामका करना या करानेका उद्योग करना चाहे वह कुछ काम परिणाम जो कुछ करनेसे और कुछ चूकनेसे उत्पन्न हुआ हो । करनेसे हो चाहे चूकनेसे, अपराध गिनाजाय तो समझाजायगा कि उस परिणामका उत्पन्न करना कुछ तो काम करनेसे और कुछ चूक करनेसे भी वही अपराध होगा ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर जानबूझकर रमाशंकरकी मृत्युका कारण इस प्रकारसे हो कि कुछ तो वह रमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक करे और कुछ उसको मारे तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा ।

(३७) जब कि कई एक कामोंके द्वारा कोई अपराध होवे तो जो कोई मनुष्य उन कई कामोंमेंसे कि जिन में अपराधव्रतता है, एक काम करके साक्षी होना } कामोंमेंसे किसी कामको अकेलेही या किसी और मनुष्यके साझे करके जान बूझकर उस अपराधमें संयुक्त हो तो वह मनुष्य उपरोक्त अपराधका अपराधी होगा ।

उदाहरण ।

(क)—यदि शिवशंकर और रमाशंकर इस बातकी सम्मति करें कि हम दोनों पृथक् २ समयपर थोड़ा २ विष देकर उमाशंकरको मारडालें और इसी सम्मतिके अनुसार शिवशंकर व रमाशंकर उमाशंकरको मारनेकी नियतसे विष दे और उस विषसे जो इसप्रकार दिया गया, उमाशंकर मरजाये तो इस अवस्थामें शिवशंकर व रमाशंकर जानबूझकर ज्ञातघातमें संयुक्त हुए और जो कि इन दोनोंमेंसे प्रत्येकने वह काम किया कि जो उमाशंकरकी मृत्युका कारण हुआ इसलिये वे दोनों उपरोक्त अपराधके अपराधी हुए, यद्यपि उनके काम अलग २ थे ।

(ख) शिवशंकर और रमाशंकर दोनों साझेमें जेलखानेके निरीक्षक हैं और उमाशंकर कैदी उनकी चौकसीमें उस अधिकारके कारण बारी २ से छह २ घंटे रहता है और शिवशंकर व रमाशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे अपनी २ नौकरीकी बारीमें उमाशंकरको उस आहारके पहुंचानेमें जो उसे देनेके लिये मिला था कानूनके विरुद्ध चूक की कि जिससे भूखके कारण उमाशंकर मरगया तो शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरके अज्ञातघातके अपराधी हुए ।

(ग)—शिवशंकर जेलखानेका निरीक्षक है और उमाशंकर कैदी उसकी चौकसीमें है—शिवशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध (चूक) की कि जिसके कारण उमाशंकर अत्यंतही निर्बल होगया परन्तु लघन ऐसे भी न हुए कि जिससे उमाशंकर मरजाता—शिवशंकर अपने ओहदेसे हटादिया गया और रमाशंकर उसके स्थानपर नियत हुआ—रमाशंकरने भी विना शिवशंकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध चूक की यह बात जानबूझकर कि इससे उमाशंकरका मरना समझ है—और उमाशंकर भूखसे मरगया तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी है परन्तु शिवशंकरने रमाशंकरको सहायता नहीं दी, इसलिये वह केवल ज्ञातघातके उद्योगका अपराधी हुआ ।

(३८) यदि कुछ मनुष्य किसी अनुचित कामके करनेमें तत्पर हों या उससे कुछ

कुछ मनुष्य जो किसी अपराध को करे अलग २ अपराधोंके अपराधी होंगे, } सम्बन्ध रखते हो तो सम्भव है कि वे मनुष्य उस कामके द्वारा पृथक् २ अपराधोंके अपराधी हों ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकरने किसी ऐसे भारी क्रोध करानेवाले कामकी अवस्थामें जब कि उसका उमाशंकरको मारडालना केवल ज्ञातघात गिना जाता उमाशंकरपर आक्रमण किया—रमाशंकर शिवकी ईर्ष्या उमाशंकरसे थी और उमाशंकरके मारडालनेकी नियत रखता था बिना इसके कि उस प्रकारके क्रोध दिखानेवाले कामकी अवस्थामें उसपर कुछ प्रभाव किया हो उमाशंकरके मारनेमें शिवशंकरको सहायता दे तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरकी मृत्युके कारण हुए हैं परंतु रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर केवल ज्ञातघातका अपराधी ।

(३९) जब कोई मनुष्य किसी परिणामको उन उपायोंसे उत्पन्न करे जिसके द्वारा उस जानबूझकर, }-परिणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमे हो या उन उपायोंसे जिनके काममें लानेके समय वह मनुष्य जानता हो या जाननेका हेतु रखता हो कि उनसे वह परिणाम उत्पन्न होना सम्भव है तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने जान बूझकर उस परिणामको उत्पन्न किया ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर रातके समय एक बड़े नगरके किसी घरमें जिसमें मनुष्य रहते हो इस अभिप्रायसे आग लगाये कि उसके द्वारा डोंका डालना सहज होजावे और इसप्रकार वह किसीमनुष्यके मारनेका कारण हो तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकरकी नियत मारनेकी न हुई हो वरन् उसको इस ज्ञातघातका रज हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मृत्यु हुई तौमी वह जानबूझकर मारनेवाला कहलावेगा, कदाचित् उसने जानलिया हो कि मेरे इस कामसे किसीका मरना अतिसम्भव है ।

(४०) इस कानूनमें सिवाय उन अध्याय और उन दफ्तोंके जिनका वर्णन इस दफ्तके अपराध, } जिमन २ व ३ में है “अपराध” शब्दका अभिप्राय उस वस्तुसे है जो इस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरा दी गई हो ।

अध्याय चौथा और नीचे लिखी दफ्तएँ अर्थात् दफा.

६४, ६५, ६६, ६७, ७१, (ऐक्ट न० ८ सन् १८८२ ई०) १०९, ११०, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५, २०३, २११, २१३, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३४७, ३४८, ३८८, ३८९, ४४५, (ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० दफा २)

अपराध शब्दका अभिप्राय प्रत्येक कामसे है जो इस संग्रहके अनुसार या किसी विशेष कानूनके अनुसार या किसी विशेष स्थानके कानूनके अनुसार वर्णन किये गये इस संग्रहके दण्ड योग्य ठहरा दिया हो ।

और जिस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विशेष कानून या किसी विशेष स्थानके कानूनानुसार दण्डके योग्य है, उसी कानूनके अनुसार दण्ड कैद जिसकी अवधि छह महीना अथवा अधिक जुर्माने सहित व जुर्मानेकी हो तो इन दफा १४१, १७६, १७७, २०१, २०२, २१२, २१६ व ४४१ में अपराध शब्दका वही अर्थ होगा जो ऊपर कह आये हैं ।

१—अपसर पुलीसको इस प्रकारकी आज्ञा हुई कि वह (क) को दफा ५५ जन्ता फौज दारीके अनुसार बदमाशी (बदचलनी) के अपराधमें कैद कर लवे—(क) दूसरे मनुष्यकी सहायता से कैद होकरभी भाग गया यह तजवीज हुई कि (क) पर कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४० के अनुसार नहीं लगाया गया और इसलिये यदि वह कैदकी रोक टोक करके भागजावे तो वह किसी अपराधका हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २२४, २२५ के अनुसार अपराधी न होगा । (इ० ला० रि० हलाहाबाद जिल्द ७ सफा ६७ श्रीमती महारानी बनाम खदनिया)

(४१) विशेष कानूनसे कानूनका अभिप्राय है जो किसी मुख्य विषयसे सम्बन्ध विशेष कानून. } रखता हो ।

नोट—विशेष कानूनमें ऐक्ट जुआब इसी प्रकारके दूसरे ऐक्ट संयुक्त हैं ।

(४२) देश विशेषी कानूनसे उस कानूनका अभिप्राय है जो ब्रिटिश इंडियाके किसी देश विशेषी कानून. } मुख्य भागसे सम्बन्ध रखता हो ।

नोट—जैसे कानून म्युनिसिपालटी पंजाब जो केवल पंजाबमें प्रचलित है व कानून म्युनिसिपालटी मध्यप्रदेश जो केवल मध्यप्रदेशहीमें प्रचलित है ।

(४३) कानून विरुद्धका शब्द प्रत्येक ऐसे कामसे सम्बन्ध रखता है जो अपराध कानून विरुद्ध. } हो या जो कानूनानुसार वाजत हो या जिससे दीवानीकी नालिशका कारण निकले ।

कानूनानुसार उचित } और जब कि चूक करना किसी कामका किसी मनुष्यपर कानूनके विरुद्ध हो तो कहा जायगा कि इस कामका करना इस मनुष्यपर कानूनानुसार उचित है ।

१—यदि कोई मनुष्य कुंपके प्रबंधके अभिप्रायसे जो किसी मार्गसे आठ गजके अंतरपर उसकी निजकरतीमें है उसकी बेराबंदी न करे तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा कि उसने सर्व साधारणको दुःख पहुंचाया (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ६ सफा २८०) ।

(४४) हानिके शब्दसे हर प्रकारका हानिका अभिप्राय है जो कानूनके विरुद्ध किसी हानि. } मनुष्यके तन अथवा मन या यश अथवा धनको पहुंचाई जावे ।

(४५) जीव शब्दसे केवल मनुष्यके जीवका अभिप्राय है सिवाय उसके जहा लेखसे जीव } इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दे ।

(४६) मृत्यु शब्दसे केवल मनुष्यकी मृत्युका अभिप्राय है—सिवाय उसके जहा लेखसे मृत्यु } इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दे ।

पशु. } (४७) पशुके शब्दसे सिवाय मनुष्यके प्रत्येक जीवधारीका अभिप्राय है ।

(४८) जहाजके शब्दसे उस पदार्थका अभिप्राय है जो मनुष्योके अथवा मालको जहाज. } पानीपर लेजानेके लिये बनाया गया हो ।

(४९) जिस स्थानमें वर्ष या महीनेका शब्द आया है वहा यह समझना चाहिये कि, वर्ष या महीना. } वह वर्ष या महीना अगरेजी पत्रे जर्नी. के अनुसार गिना जायगा ।

(५०) दफाके शब्दसे इस सप्त्रके किसी अध्यायके उन टुकडोमेंसे किसी टुकडेका अ-दफा. } मिप्राय है कि, जिनके आरम्भे पहिचानके लिये कोई अंक लगा हो ।

(५१) शपथके शब्दमें सत्य बोलनेका वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो कानूनानुसार शपथ. } शपथके बदले ठहराई गईहो और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी-जिसका करना किसी सरकारी नौकरके सामने, या जिसका किया

जाना प्रमाण (सचूत) की भांति, चाहे किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें हो या न हो कानूनानुसार उचित या अवश्य हो ।

(५२) जिस कामके करने या मानने में यथोचित सावधानी व विचार न किया जाय

पाक दृष्ट्या (नेक) } तो न कहाजायगा कि, उपरोक्त काम नेक नियतीसे किया गया नियती.) या नेक नियतीसे मानागया ।

१—एक अपसर पुलीसने एक घोडा जो उसके लोए हुए घोडेकी सुरतका या एक खेतमें घँघा देखकर पकड लिया और उस खेतवालेको चोरीके अपराधमें कैद किया—तजवीज हुई कि उपरोक्त अपसरने यह काम नेक नियतीसे नहीं किया क्योंकि उसमें यथोचित सावधानी और विचार नहीं किया गया । (बीह्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा २० श्रीमती महागनी बनाम मुहम्मद फाजिलखा)

अध्याय तीसरा ३.

(१३) इस सग्रहके लेखोके अनुसार अपराधी जिन दण्डोंके योग्य होंगे वे यह दण्ड हैं ।*

पहिला—मृत्युदण्ड (सजाय मौत)

दूसरा—देश निकाला (हंस व अवूर दरयायशोर)

तीसरा—कैदकी अवस्थामे सेवा दण्ड (मशकत ताजीरी बहालत कैद)

चौथा—कैद जो दो प्रकारकी है—

(१) कैद कठिन जो परिश्रमके साथ हो.

(२) साधारण कैद.

पांचवां—धनकी जव्ती.

छठा—जुर्माना.

* बेंतके दण्डके बारेमे ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० को देखो (क) (ख)

(श्रीयुत नन्वाब गवर्नर जनरल बहादुरके यहाँसे १८ फरवरी सन् १८६४ ई० को स्वीकार हुआ)

ऐक्ट जिसका यह अभिप्राय है कि, किसी २ अभियोगमे बेंतका दण्ड प्रचलित किया जावे ।

यह बात उचित है कि किसी अभियोगमे दण्ड सग्रह हिदके लेखो (दफों) के अनुसार अपराधी बेंतके दण्डसे दण्डित कियेजाय इस लिये निम्नलिखित आज्ञा होती है कि—

दफा १—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ५३ के अतिरिक्त अपराधी इस सग्रहके अनुसार बेंतके दण्डके योग्य हैं ।

(क) यह ऐक्ट फिहरिस्तमे लिखे हुए जिलेके अतिरिक्त समस्त ब्रिटिश इन्डियामे प्रचलित किया गया है । देखो ऐक्ट १५ सन् १८७४ ई० दफा ३.

यह ऐक्ट दफा ६ के अतिरिक्त ब्रहामें भी प्रचलित किया गया है । (देखो भाग १ क क्रोडपत्र २ ऐक्ट २० सन् १८८६ ई०)

यह ऐक्ट फिहरिस्तमें लिखे हुए जिलेके ऐक्टके अनुसार जो सन् १८७४ ई० मे प्रचलित किया गया था निम्नलिखित जिलेमें प्रचलित किया गया है ।

(१४) प्रत्येक अवस्थामें जहां मृत्युदण्डकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिट या उस मृत्युदण्डके बदलेका गवर्नमेंटको जहां अपराधीको दण्डकी आज्ञा हुई हो अधिकार होगा कि, बिना अपराधीकी प्रसन्नताके उस दण्डको और किसी दण्डके साथ जो इस सग्रहमें नियत की गई है बदलदे ।

दफा २—जो मनुष्य किसी अपराधका (कि जो नीचे लिखे हुए हैं) अपराधी हो तो उचितहै कि, उसको किसी दण्डके बदले जो दण्डसग्रह हिदके अनुसारहो बैठका दण्ड दिया जावे और वह अपराध यह है ।

१—चोरी जिसप्रकार कि उपरोक्त सग्रहकी दफा ३७८ में उसका वर्णन हुआ है ।

२—इमारत या डेरे या जहाज अथवा नावमें चोरी करना—जिसप्रकार कि उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८० में उसका वर्णन हुआ है ।

३—चोरी जो मुहरिर या नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८१ में हुआ है ।

४—किसी मनुष्यके मारने या हानि पहुंचानेकी तैयारी करके चोरी करना कि जिसका वर्णन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८२ में हुआ है ।

५—घमकी देकर बलपूर्वक माल छीनना जिस प्रकार कि उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८८ में कहा है ।

६—किसी पदार्थको बलपूर्वक प्राप्त करनेकी नियतसे किसी मनुष्यको बदनाम करनेकी घमकी देना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८९ में वर्णित हुआ है ।

सिध देखो गजट १० अगस्त सन् १८७८
आफ इंडिया ई० हिस्सा १ सफा ४८२
अदन " २८ जून सन् १८७९ ई०
हिस्सा १ सफा ४३४

पंक्षिमी जलपाई गोडी } देखो गजट आफ
व पंक्षिमी इबारिस व पंक्षि- } इंडिया
मी कोहिस्तान व दार्जीलिंग } ५ मार्च सन् १८८१ ई.
व तराई व डमसन सब } हिस्सा १ सफा ७४
डवीजन जिला दार्जीलिंग, }

जिला हजारीबाग व } देखो गजट आफ इंडिया
लोहार डग्गा व मानभूमि }
व पर्नाना धालभूमि व } २२ अक्टूबर सन् १८८१
कोलहान जिला सिहभूमि } ई० हिस्सा १ सफा ३७४

मुहाल अगल, " } १५ फरवरी सन् १८७९
ई० हिस्सा १ सफा ६०

कमिक्नरी ब्रासी, " } २१ अगस्त सन् १८७८
ई० हिस्सा १ सफा ५४६

कमामू व गढवाल देखो गजट ८ नवम्बर सन् १८७६
आफ इंडिया ई० हिस्सा १ सफा ५
फिहरिस्तमें लिखा } ३१ मई सन् १८७९ ई०
हुआ जिला मिर्जापुर } हिस्सा १ सफा ३८३
जोतसारवावर } ३१ मई सन् १८७९ ई०
हिस्सा सफा ३८२

जिला हजारा पेगा- } ३० जनवरी सन् १८८६
वर कोहाट व नू, डे- } ई० हिस्सा १ सफा ४८
राईस्मा ईलखा, डे- }
रागाजीखा }

जिला लाहौर " } १ मई सन् १८८६ ई०
हिस्सा १ सफा ३०१

फिहरिस्तमें लिखे } ३१ दिसम्बर सन् १८७९
हुए जिले मध्यहिन्दके } ई० हिस्सा १ सफा ७७१
कुर्ग } २८ दिसम्बर सन् १८७८
ई० हिस्सा १ सफा ७४७

एडमान व नीकोवारद्वीप } २५ मार्च सन् १८८२ ई०

(१९) प्रत्येक अवस्थामें जहां जन्मभरके देशनिकालेके दंडकी आज्ञा हुई हो गव-
जन्मभरके देश निका- } लेकी कैदकं बदलेका दण्ड. } नैमेट हिंद या उस गवर्नमेण्टको जहां अपराधीको इस दंडकी आज्ञा
हुई हो अधिकार होगा कि, अपराधीकी बिना प्रसन्नता उस दंडको
दोनों प्रकारसे किसी प्रकारके दंडके साथ जिसकी अवधि १४ वर्षसे अधिक न हो
बदल दे ।

(१६) जब क्रमी किसी मनुष्य पर जो यूरोप या अमेरीकाका रहनेवाला हो कोई
- यूरोपियो और आमे- } ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड इस संग्रहके अनुसार
रिफनोको देशनिकालेके } देश निकाला है तो अदालतको उचित है कि, ऐक्ट २४ सन्
बदले सेवादंडहो. } १८९९ ई० के अनुसार अपराधीको देश निकालेके बदले कैदकी
अवस्थामे सेवादंडकी आज्ञा दे ।

परन्तु शर्त यह है कि, जब कोई अपराधी यूरोप या अमेरीकाका रहनेवाला न प्रचलित
हों तो उपरोक्त ऐक्टकी दंडाज्ञाके योग्य या देश निकालेके योग्य कि, जिसकी अवधि १०
वर्षसे अधिककी होनी होती परन्तु जन्मभरको न होती तो वह इसके योग्य होगा कि,
अदालत उसको कठिन सेवादंड करे कि, जिसकी अवधि छ. वर्ष या इससे अधिक की हो-
जन्मभरकी न हो ।

- नोट—इस दफाकी शर्त ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढाई गई है ।

७—चोरिके मालको जानबूझकर बदनियतीसे लेना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी
दफा ४११ में कहा है ।

८—चोरिके मालको यह जानकर कि वह डकैतीसे पायागया है, बददियानतीसे लेना-
कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१२ में हुआ है ।

९—घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफा
४४३ व ४४५ में किया गया है—ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड बेत दंड होस-
कता है ।

- १०—रातके समय घरं फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस
संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ में किया गया है ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके
अनुसार बेत दंड होसकता है ।

- जिला सिलहट, देखी गजट आफ इंडिया, २४ अक्टूबर सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफा ६३१

जिला कामरूप व नौ गाग. }
व दारंग व शिवसागर व लखी- } " २४ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ५३३
मपुर व ग्वालपाड़ा व कछार }

यह ऐक्ट उपरोक्त ऐक्टके अनुसार पश्चिमोत्तर देशके जिला तराईसे भी सम्बंध रखता है—देखी
गजट आफ इंडिया २३ सितम्बर सन १८८६ ई० हिस्सा १ सफा ५०५

(५७) दंडकी अवधि के विभाग करनेमें जन्मभरका देशनिकाला वीस वर्षके देश दंडकी अवधि के विभाग } निकालेके समान समझा जायगा ।

नोट—इस दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकालेके दंडकी अवधि केवल २० वर्षकी रखी गई है ।

(५८) प्रत्येक अवस्थामें जहां देश निकाले दंडकी आज्ञा हो जबतक देश निकाला

जिन अपराधियोंको देश निकालेके दंडकी आज्ञा हो तो उनको देश निकाला होते तक उनके साथ किस प्रकार वृत्तव कियाजावे ।

न हो, अपराधीके साथ वैसाही वर्त्ताव किया जावेगा कि मानो उक्तको कठिन कैदकी आज्ञा हुई है और जो मीआद (अवधि) इस प्रकारकी कदमें व्यतीत होजायगी वह इसी देश निकालेके दंडमें गिनी जावेगी ।

(५९) प्रत्येक कैदके दंडके बदले किस २ अवस्थामें देश निकालेकी आज्ञा दीजा सकती है ।

अवस्थामें जहाँ अपराधी सात वर्ष या अधिक अवधिकी कैदके योग्य हो वहां दण्ड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि कैदका दंड देनेके बदले अपराधीको किसी एक अवधिके लिये जो सात वर्ष से कम और उस मीआद (अवधि) से अधिक न हो जिस अवधि तक वह अपराधी इस सप्ताहके अनुसार कैदके योग्य है देश निकालेके दंडकी आज्ञा दे ।

१—इस सप्ताहकी दफा ५९ में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उस कैदके बदले जो अदालत अपराधीको वन दंड न बरल होनेके दे सकती हो, देश निकालेका दंड दिया जावे (इ० ला० १० मद्रास जिल्द ५ सफा २८ लकनूसाह वनाम श्रीमती महारानी)

२—इस सप्ताहकी दफा ५९ के अनुसार अदालत केवल उसी अवस्थामें देश निकालेका दंड दे सकती है कि जब अपराधीको मात साल या अधिक कैदकी आज्ञा हो—अदालत अपराध के सम्बन्धमें दंडकी आज्ञा करते समय कैदके दंडको देश निकालेके दंडमें बदल सकती है, परन्तु कैदके दंडकी आज्ञा मुनानेके पश्चात् ऐसी अदल बदल न होसकेगी । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द सपलीमेंट सफा ३५)—

३—वह अपसर जिसको दफा १ ऐक्ट ५ सन् १८६२ ई० के अधिकाग प्राप्तहो—दंड कैदके बदले देश निकालेका दंड दे सकता है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ६ श्रीमती महारानी वनाम शुधुआ)

दफा ३—यदि कोई मनुष्य जिसपर उपरोक्त अपराधमेंसे कोई अपराध प्रमाणित होचुका हो और फिर दूसरी बारभी वह उसी अपराधका अपराधी हो तो उसे उस अपराधका दंड अधिक देनेके साथही साथ धेतका भी दंड दिया जासकता है ।

(स) ब्रह्माजेरवनमें किसी २ अपराधमें जिनका वर्णन ऐक्ट सिपुर्दगी मुजारीमान व जेहल-खाना ब्रह्माजेरवनमें है धेतकाभी दंड दिया जा सकता है । देखो ऐक्ट १६ सन् १८८६ ई० दफा ३ जिसकी मीआद ३० जून सन् १८८७ ई० को वीतजायगा देखो दफा ८ ऐक्ट उपरोक्त ।

४—जब अपराधी कई एक अपराधोंको करे, जिनमें प्रत्येक अपराध सात वर्षसे कमकी कैदके दंड योग्य हो परन्तु सब अपराधोंका दंड मिलकर सात वर्षसे अधिक हो-जाय तो ऐसी अवस्थामें इस संग्रहकी दफा ५९ के अनुसार सब दंड देश निकालेके दंडसे नहीं बदला जा सकता । (वीह्नी रिपो-टर् जिल्द ३ सफा ४४ श्रीमती महारानी बनाम तानूराम माली)

(६०) प्रत्येक अवस्था में जहाँ अपराधी दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदके कैदकी मुख्य अवस्थाओंमें दंडकी आज्ञा कुछ या समस्त साधारण या कठिन हो सकेगी । योग्य हो वहा दंड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि दंडकी आज्ञामें यहभी आदेश करे कि, समस्त कैद कठिन हो या साधारण हो या कि उस अवधिके कुछ समय तक कैद कठिन हो और शेष समयमें कैद साधारण रहे ।

दफा ४—यदि कोई मनुय जिसपर कोई अपराध नीचे लिखे अपराधोंमेंसे पहिले प्रमाणित हुआहो और फिर उसी अपराधमें पकडा जाकर वही अपराध प्रमाणित होवे तो उचित है कि, सिवाय किसी और दंडके कि जिसका वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार दंडित हो उसको बैतका भी दंड दियाजावे अर्थात्—

१—झूठी साक्षी (गवाही) देना या बनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दंडसंग्रहके हिंदकी दफा १९३ में है ।

२—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे मृत्युदण्ड हो झूठी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९४ में कहा है ।

३—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे देश निकालेके दंड होनेकी नियत हो, झूठी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ में कहा है ।

४—किसीका झूठा दोष लगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठामें हानि पहुँचे या प्रकृति विरुद्ध कोई कार्य करे जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा २२१ व ३७७ में वर्णन किया गया है ।

५—किसी स्त्रीका सतीत्व भङ्ग करनेके नियतसे बलपूर्वक आक्रमण करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३५४ में वर्णित है ।

६—बलपूर्वक स्त्री प्रसङ्ग करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७५ में कहा है ।

७—प्रकृतिके विरुद्ध काम करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७७ में वर्णन किया गया है ।

८—बलपूर्वक चोरी करना यः डाका डालना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९० व ३९१ में उसका वर्णन किया है ।

९—बलपूर्वक (धमकाकर) चोरी करनेका उद्योग करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९३ में उसका वर्णन किया है ।

१०—बलपूर्वक चोरी करनेके अपराधमें जानबूझकर किसीको हानि पहुँचाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३९४ में, उसका वर्णन है ।

(६१) प्रत्येक अवस्थामें जहां कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित धनकी जम्मीका दंड } हो जावे कि, जिसके सम्बन्धमें वह इस योग्य हो कि उसका समस्त धन (जायदाद आदि) जब्त किया जावे (राज्यमें लेलिया जावे) तो ऐसी अवस्थामें अपराधी किसी मालकोमी नहीं पा सकेगा सिवाय इसके कि, वह माल गवर्नमेंटके लाभके लिये प्राप्त किया जावे जबतक कि, वह उस दंडके बदले दूसरे ठहराये हुए दंडको न भुगतले या जबतक कि, उसका दंड न माफ (क्षमा) किया जाय।

उदाहरण।

शिवशकर जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिन्दके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हुआ इस बातके योग्य है कि उसकी समस्त सम्पत्ति जन्त की जावे—दंडकी आज्ञा होनेसे पीछे और भुगतनेसे पहिले शिवशकरका चाप मरा और यह जायदाद शिवशकरको उस अवस्थामें मिलती कि जब उसके सम्बन्धमें जम्मी जायदादकी कुछ आज्ञा न होती तो ऐसी अवस्थामें संपूर्ण संपत्ति गवर्नमेंटकी मिल्कियत होगी।

१—जायदाद जम्मीकी आज्ञा केवल उसी अवस्थामें दी जासकती है कि जब अपराध देजानिकालेके दंडके योग्य हो या सात सालकी कैदके योग्य हो (वीही रिपोर्टर-जिल्द ८ सफा ३५ फौजदारी)

११—समझ दूझकर स्वभावसेही चोरीका माल लेना या व्यवहार करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१३ में उसका वर्णन किया गया है।

१२—जालसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६३ में उसका वर्णन हुआ है।

१३—लेख (दस्तावेज) की जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६२ में उसका वर्णन हुआ है।

१४—लेखकी जालसाजी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६७ में उसका वर्णन हुआ है।

१५—धोखा देनेके अभिप्रायसे जालसाजी करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६८ में उसका वर्णन हुआ है।

१६—किसी मनुष्यकी नैकनामीमें बड़ा लगानेके अभिप्रायसे जाली दस्तावेज बनाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४६९ में उसका वर्णन हुआ है।

१७—घर फोडकर या बलपूर्वक घरमें घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४३ व ४४५ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दण्ड इस दफाके अनुसार वेत द्वारा हो सकता है।

१८—रातके समय घर फोडकर या बलपूर्वक अनीतिसे घरमें घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके अनुसार वेत द्वारा हो सकता है।

२—जायदादकी जब्तीका एक ऐसा दंड है जो बड़े भारी अपराधके लिये चाहिये या उन अपराधोंमें कि जो बहुतही बुरी अवस्थामें किये गये ह क्योंकि यह दंड ऐसा है कि जो केवल कैदीके लियेही नहीं है वरन उसके संपूर्ण कुटुम्बके लिये है। (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ फौजदारी)

(१२) जब किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले दंड जब्ती ऐसे अपराधोंके मालकी जो मृत्युदंड (बध), देशनिकाले वा कैदके दंड योग्य हो } वह हो सकता है तो अदालतको यह तजबीज करनेका अधिकार है कि, अपराधीका कुल धन स्थावर व अस्थावर (मनकूला व गैर मनकूला) गवर्नमेंटमें जम्त हो और जब कि, किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले देश निकालेका दण्ड या सात वर्षसे अधिककी कैद होसकती है तो अदालतको यह तजबीज करनेका अधिकार है कि, देश निकालेके दंड या कैदकी मीआदके भीतर अपराधीके कुल धन स्थावर व अस्थावरका लगान व किराया व मुनाफा इस शर्तके साथ गवर्नमेंटमें जम्त रहे कि, अपराधीके कुटुम्ब परिवार व स्त्री बच्चोंके लिये उपरोक्त दंडकी अवधिमें जो आजीविका गवर्नमेंट उचित समझे उस जायदादसे दे ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ६२, कि जिसमें जायदादके जम्त करनेके सबषमें आज्ञा है केवल उसी अवस्थामें काम आसकेगी कि जब अपराधीको देश निकालेका दंड दिया गया हो या कमसे कम ७ वर्षके लिये कैदकी आज्ञा दी गई हो। (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३५ श्रीमती महारानी बनाम किरपा मगई आदि)

२—सेगनजजने एक जमींदारको इस अपराध ' देश निकालेका दंड दिया कि, उसने एक बहका लये हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर बंद रक्खा और उपरोक्त दंड देनेके साथही साथ यहभी आज्ञा दी कि उसकी जमींदारीका लगान व मुनाफा जम्त किया जावे तजबीज हुई कि, इस दंडकी आज्ञा बहुतही कड़ी थी। (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १७ श्रीमती महारानी बनाम तोतामियां)

(६३) जहांपर कहीं जुर्मने की सीमा नियत की गई वहां -पर उस जुर्मने की जुर्मने की तादाद. } तादाद की अपराधी जिसके योग्य होगा असीम है परतु चाहिये कि अटकलसे अधिक न हो ।

दफा ५—उचित है कि किसी कम आयुवाले अपराधीको जो ऐसा अपराध करे कि जिसका दंड, दंडसंग्रहहिदके अनुसार फांसी न हो चाहे वह अपराध उससे पहलीही बार हुआहो चाहे दूसरी-बार—उसे घेतका भी दंड देना चाहिये ।

(६४) प्रत्येक अभियोगमें जिसमें किसी अपराधीपर जुर्मानाका दंड किया जाय तो

जुर्माना अदा न हो } दंड करनेवाली अदालत दंडके साथमें आज्ञा दे सकेगी कि,
नेके बदले दंडकी आज्ञा } जुर्माना न अदा करेगा तो अपराधी इतनी अवधितक कैदमें रहेगा
और यह कैद उस कैदसे सिवाय होगी जो उस अपराधीको दंडमें कां गई हो या उस कैदसे
सिवाय होगी जो किसी दूसरे दंडके बदले ठहराई गई हो ।

१—जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामें उतनेही अवधि तकके लिये दंड कैद की आज्ञा होगी कि जो अवधि अपराधके दण्ड कैदकी चौथाईसे अधिक न हो (वीज़ी रिपोर्टर जिल्द ५ सफा २ फौजदारी)

२—जिस अभियोगमें देय निकालेका दंड हो उसमें जुर्माना न अदा होनेसे दंड कैदकी आज्ञा नहीं हो सकती (वीज़ी रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ३१)

(६५) यदि किसी अपराधके बदलेमें कैद और जुर्माना दोनोंही दंड नियत

जुर्माना अदा न हो- } हों तो जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें अदालतकी
नेकी अवस्थामें कैदके } आज्ञासे निश्चय हो उसकी अवधि उस कैदकी बड़ीसे बड़ी
अवधिमें सीमा जब कि } अवधिके एक चौथाईसे अधिक न होगी जो उपरोक्त अपरा-
अपराधका दंड कैद और } धके दंडमें नियत है ।
जुर्माना दोनों हों ।

(६६) जो कैद जुर्माना न अदा होनेके बदले अदालतकी आज्ञासे निश्चय हुई हो

जुर्माना न चुकनेके } वह उसी भाति कां हो सकती है जो उस अपराधके बदलेमें अप-
बदले कैदका प्रकार, } राधीके लिये निश्चय हो सकती हो ।

दफा ६—जब किसी लोकल गवर्नमेंटने सर्कारी गजट द्वारा सूचना देकर इस दफाकी शर्तोंको किसी सरहद्दी जिला या देशके चारों ओर जगलमें जो उपरोक्त गवर्नमेंटके अधिकारमें हो प्रचलित किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानेके पश्चात् उपरोक्त जिलों आदिमें दफा ४ के अपराधोंमेंसे किसी अपराधको करे—तो उचित है कि किसी और दंडके बदले जिसका वह दंडनग्रह हिंदके अनुमार दंडके योग्य हो उसे बतका दंड दिया जावे ।

दफा ७—(ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० के अनुसार मसूख हो गई)

दफा ८—(ऐक्ट न० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मसूख होगई)

दफा ९—१०—(ऐक्ट न० १६ सन् १८७४ ई० के अनुसार मसूख होगई)

दफा ११—१२—(ऐक्ट न० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मसूख होगई)

(६७) यदि अपराधके बदलेमे केवल जुर्मानेकी दण्ड नियत हो तो वह जब कि अपराधका दंड केवल जुर्माना है उस अवस्थामें जुर्माना न अटा होनेसे कैदकी अवधि, कैद जो अदालत जुर्माना न अदा होनेके बदले ठहरावेगी साधारण कैद होगी और उस कैदकी अवधि जो जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामे अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो नीचे लिखी हुई सीमासे अधिक न होगी, अर्थात् जब जुर्मानेकी तादाद (६०) ६० से अधिक न हो तो दण्ड कैद दो महीनेसे अधिक न हो ।

जब जुर्माना (१००) ६० से अधिक न हो तो दण्ड कैदकी अवधि ४ महीनेसे अधिक न हो और शेष अवस्थामे कोई अवधि जो छः महीनेसे अधिक न हो ।

१—जिस अपराध का दण्ड कैद और जुर्माना दोनों या केवल जुर्माना का हो सकता है और मजिस्ट्रेट केवल जुर्माने के दण्डकी आज्ञा दे तो जुर्माना न चुकनेके बदले कैदकी अवधि दफा ६७ के अनुसार नियत की जावेगी न कि दफा ६५ के अनुसार (बीह्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३० फौजदारी)

(६८) जो कैद जुर्माना अटा न होनेकी अवस्थामे ठहराई गई हो वह उसी जुर्माना अटा करनेपर ऐसी कैद समाप्त होजायगी, समय समाप्त हो जायगी जब कि जुर्माना अदा किया जाय या कानूनकी रीतिसे वसूल कर लिया जाय ।

(६९) यदि उस कैदकी अवधि व्यतीत होनेसे पहिले जो जुर्माना न चुकनेकी अव्यतीत होना इस कैद-का जब कि जुर्मानेका कुछ भाग चुका दिया जाय, स्थामे नियत हो कोई ऐसा भाग जुर्मानेका चुका दिया जाय या वसूल कर लिया जाय कि जितनी अवधि कैदकी व्यतीत होगई हो वह शेष, बिना जुर्माना चुकेसे समीभूत हो तो वह कैद उसीसमय समाप्त होजायगी ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर पर सौ रुपये जुर्माने का दण्ड और जुर्माना न चुकने की अवस्थामे चार मासके लिये कैदकी आज्ञा हुई हो तो इस अवस्थामें यदि अवधि का एक महीना बीतनेसे पहिले (७५) ६० चुकाये जावे या वसूल कर लिये जावे तो पहिला महीना बीततेही शिवशंकर छूट जायगा और यदि पहिला महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद रहनेकी अवस्थामे (७५) रुपये चुकाये जायें तो शिवशंकर तुरत ही छूट जायगा और यदि अवधिके दो महीने बीतनेसे पहिले जुर्मानेके ५०) ६० चुकाये जायें या वसूल कर लिये जायें तो दो महीने बीतते ही शिवशंकर तत्कालही छूटजायगा और यदि इन दो महीनेके बीततेही या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद करनेकी अवस्थामे (५०) ६० चुकाये जायें या वसूल कर लिये जायें तो शिवशंकर उसी समय छूट जायगा ।

(७०) जुर्माना या उसका कोई भाग जो वसूल होनेसे शेष रहगया हो दबाजाकी
 जुर्माना ६ वर्षके } तारीखसे छ. वर्षके भीतर हर समय वसूल किया जा सकता है
 भीतर या कैदकी अवधि } और यदि अपराधी छ. वर्षसे अधिक दंडके योग्य हो तो वह उस
 में किसी समय वसूल } दंडकी अवधिके व्यतीत होनेसे पहले प्रत्येक समय वसूल किया
 किया जा कसका है। } जा सकता है।

और अपराधीके मरजानेसे कोई माल जां उसके मरनेके पश्चात् कानूनानुसार ऋणके
 अपराधीके मरजा } जगडेमें फँस सकता है इस दायित्वसे नहीं छूट सकता।
 नेसे उसकी जायदाद नहीं } छूटती

१ हिन्दुस्तानके दंडसग्रहकी दफा ७० के अनुसार जुर्मानाका रुपया अपराधीके अनस्थावर
 (गैर मनकूछा) धनसे उसकी जीवित अवस्थामे या उसके मरनेके पश्चात् किसी प्रकारसे भी नहीं
 वसूल हो सकता, केवल स्थावर धनसे वसूल हो सकता है। (रिपोर्ट हार्दकोर्ट बवई जिल्द ५
 सफा ६३)

२—जुर्माना प्रत्येक अवस्थामे वसूल कर लिया जावेगा चाहे अपराधीने जुर्माना न देनेके बदले
 दंड कैदका भाग लिया हो, क्योंकि यह एक दण्ड अदालतके सवधमे है (वीकी. रिपोर्टिंग जिल्द ३
 सफा ६१)

(७१) जिस अवस्थामें कोई काम, जो अपराध है, कुछ टुकडोसे बना हो और इन
 अपराधके दंडकी अवधि } टुकडोंका प्रत्येक टुकडा जो स्वयही अपराध हो तो अपराधीको उन
 तो कई अपराधों युक्त है } अपराधोमेसे एकसे अधिक अपराधका दंड न दिया जायगा सिवाय
 उस अवस्थामें कि, जब ऐसे दंडकी आज्ञामें स्पष्ट लेख हो—

जब कोई काम ऐसा अपराध हो जो किसी ऐसे कानूनके जो उस समय प्रचलित हो
 दो या अधिक विरुद्ध लक्षणोमे सयुक्त हो जिसमे अपराधोका वर्णन या उनके दंडोंका लेख हो
 या जब कुछ काम जिनमेसे एक या एक एकसे अधिकका सग्रह स्वय ही अपराध है, सबके
 सब इकट्ठा होकर कोई और अपराध होजावे, तो अपराधीको उस दंडसे अधिक कडा दंड न
 दिया जायगा जिसको अदालत, जो उसके सवधमें विचार करती है, ऊपर लिखे अपराधोंमेसे
 किसी एक अपराधके सवधमें ठहरा सकती है।

उदाहरण।

(क) शिवगकरने रमागकरको पचास लकडिये मारीं तो इस अवस्थामें समझ है कि, शिव-
 गकरने जान बूझकर रमागकरको दुःख पहुंचानेका अपराध इस सब मारपीटके द्वारा किया हो और
 यह भी कि चाहे उन चोटोमेसे जिनको मिलाकर वह सब मारपीट गिनी गई प्रत्येकके द्वारा किया
 हो—इस अवस्थामे यदि शिवगकर प्रत्येक मारके बदले दंडके योग्य होता तो वह पचास वर्षतक कैद

रह सकता था, अर्थात् प्रतिमास्के लिये एक वर्ष परन्तु वह कुल मारपीटके बदले केवल एकही दण्डके योग्य होगा ।

(ख) फिर जब कि शिवशकर रमाशकरको मार रहा है उमाशकर हस्ताक्षेप करे और शिवशकर उमाशकरको जान बूझकर मारे तब जो कि वह मात्र जो उमाशकर पर पडी है, उस कामका कोई भाग नहीं है जिससे शिवशकरने रमाशकरको जान बूझकर कष्ट पहुंचाया—इसलिये शिवशकर रमाशकरको जान बूझकर कष्ट पहुंचानेके अपराधमे एक दण्डके योग्य होगा और उस मारके अपराधमे जो उमाशकर पर पडी दूसरे दण्डके योग्य होगा ।

१—जब कि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हों तो प्रत्येक अपराधके सबधमे विचार करना चाहिये चाहे दफा ७१ अभियोगसे संबध रखती हो या नहीं और दफा ७१ के अनुसार प्रत्येक अपराधका विचार होना चाहिये (इलाहाबाद जिल्द १० सफा ५८)

२—जब किसी मनुष्यपर घर फोड़ने (सेंध लगाने) का अपराध दफा ४५७ व चोरीका अपराध जो उसी समय की गई दफा ३८० दण्डसंग्रह हिदके अनुसार लगाया जावे तो वह इस दफाके अनुसार एकही अपराधका अपराधी ठहराया जावेगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ८७)

३—चोरी और चोरीके मालको लेजाना और रख छोड़ना एकही अपराध है इसलिये उनका दण्ड पृथक् २ नहीं हो सकता । (वील्ली रिपोर्ट जिल्द २ सफा ६३)

४—अपराधीको मनुष्यवधके अपराधमे व कानूनके विरुद्ध हकूदा हुए मनुष्योके समूहमें जानेके अपराधमे पृथक् २ दण्डकी आज्ञा दी गई—परन्तु हाईकोर्टके विचारमें दोनो अपराध एक ही अपराध समझे गये (क्योंकि पीछेका अपराध केवल पहले अपराधकी साक्षीकी मांति था) इस लिये इस पीछेके अपराधमें अपराधी दंडरहित किया गया (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १३ फौजदारी)

५—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर झूठा दोष लगाया और अभियोग चलनेके समय उस दोषकी दृढतामे झूठी गवाही भी अदालतमे दी—हाईकोर्टकी यह राय हुई कि अपराधीको झूठा दोष स्थिर करने और झूठी गवाही देनेके अपराधमे अलग २ दण्ड होना चाहिये । (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ५९ फौजदारी)

६—एकही गवाहीमें चाहे कितने ही झूठे बयान किये जावे परन्तु उनके सबधमे झूठी गवाही देनेका एकही अभियोग चलेगा झूठी गवाही देनेके अपराधकी तादाद (संख्या) झूठ बयानोसे जो एकही गवाहीमें हो नहीं बढ़ सकती (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६—अपील सफा २७)

७—अपराध ले भागनेका दफा ४६३ के अनुसार और फिर बेचने अनसमझ (नाबालिग) का दफा ३७२ दण्डसंग्रह हिदके अनुसार अलग २ अपराध हैं और अलग २ दण्डके योग्य हैं (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १०४)

८—जब कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो तो उसको एक अपराधका अपराधी ठहराना और दूसरे अपराधसे बरी करना उचित नहीं—चाहे अपराध एक दूसरेसे सम्बन्ध ही क्यों न रखते हों (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २)

(७२) प्रत्येक अवस्थामें जहा यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोंमेंसे कि जिन

उस मनुष्यका दंड जो कई अपराधोंमेंसे एकका अपराधी पाया जावे जब कि आजसे लिखागया हो कि निश्चय नहीं इन अपराधोंमेंसे किसका अपराधी है।

का वर्णन फैसलमें हो किसी एक अपराधका कोई मनुष्य अपराधी हुआ है परंतु इसका सदेह रहजावे कि वह मनुष्य उन अपराधोंमेंसे कौनसे अपराधका अपराधी है तो अपराधीको उस अपराधके ब-दलेमें दंड दिया जायगा जिसके लिये कमसे कम दंड निश्चय किया गया है इस नियमसे कि उन सब अपराधोंके लिये एकही

दंड निश्चय नहीं किया गया हो।

(७३) जब किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो जिसके बढे एकान्वामना दंड (कैद तनहाई) इस संप्रहके अनुसार अदालतको कहीं कैदके दंडकी आज्ञा देनेका अधिकार है तो अदालत अपने दंडकी आज्ञामें यह आज्ञा देसकती है कि अपराधी निश्चय कां हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक अवधितक या कई अवधितक कि जिसका पूरा समय तीन महीनेसे अधिक न हो नीचे लिखे अनुसार एकात वासके दंड (कैदतनहाई) में रहे. अर्थात्,—

यदि कैदकी अवधि छ. महीनेसे अधिक न हो तो कैद तनहाई एक महीनेमें अधिक न होगी, यदि कैदकी अवधि छ. महीनेसे अधिक और एक सालसे अधिक न हो तो कैद तनहाई की अवधि दो महीनेसे अधिक न होगी और यदि कैदकी अवधि एक वर्षसे अधिक हो तो कैद तनहाई तीन महीनेसे अधिक न होगी।

१—कैद तनहाईका दंड पुराने अपराधियोंके लिये बहुत ही लाभदायक है मुख्य करके उन अपराधियोंके लिये जो मालके अपराधोंमें दंडित किये जायें साधारण रीतिपर कैद तनहाईका दंड उन मनुष्योंके योग्य नहीं है जो मनुष्यवचके दंडके योग्य अपराधी ठहराये जायें (सी. पी. ला. रि. जिल्द ५ सफा ८ फौजदारी)

(७४) एकातवासका दंड करनेमें यह अवधि कर्मा एक बार चौदह दिनसे अधिक

एकातवाम की अवधि

न होगी और दोबरेके एकातवासके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समयसे कम न होगा और जब कि निश्चय कां हुई कैदकी अवधि

तीन महीनेसे अधिक हो तो कुल निश्चय कां हुई कैदकी अवधिमेंसे किसी एक महीनेमें एकात-वास सात दिनसे अधिक न होगा और एकातवासकी दो अवधियोंके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समय (मुहत) से कम न होगा।

(७५) यदि किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित होचुकाहो जिसके उन मनुष्योंका दंड जो पहले किसी ऐसे अपराधके अपराधी-प्रमाणित होचुके हैं जिसके बदलेमें तीन वर्षकी कैद है और फिर वैसेही अपराधके अपराधी प्रमाणित हुए हों बदलेमें इस संग्रहके अध्याय १२ या १७ के अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है और वह मनुष्य फिर किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो, जिसके बदलेमें किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी कैद नियत है तो ऐसे प्रत्येक नये अपराधके बदले उस अपराधीको आजन्म देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड जिसकी अवधि दश वर्षतक हो सकती है होसकता है ।

१—यदि एकहीसे कई अपराध एकही समयपर हो तो दफा ७५ के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकती । (वीकली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९०)

२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ७५ के अनुसार अधिक दंड उस समय दिया जावेगा कि जब अपराधी इस संग्रहके प्रचलित होने उपरांत अध्याय १२ व १७ के अनुसार दंडित हुआहो (वीकली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १७ फौजदारी)

अध्याय चौथा ४.

साधारण छूटके वर्णनमें ।

(७६) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना कानूनानुसार उचित हो-या जिस वृत्तांतको यथार्थ न समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना कानूनानुसार उचित जानताहो, : कानूनानुसार उचित है या जिसको वह मनुष्य करे कि जो किसी वृत्तांतकी यथार्थ दशाको न समझकर न कि कानूनकी गलत समझीके कारण, नेक नियतके साथ यह निश्चय करताहो- कि इस कामका करना उसपर कानूनानुसार उचितहै ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशकर कि ओ सिपाही है अपने अपसरकी कानूनानुसार आज्ञासे मनुष्योंके एक समूहपर बंदूक चलाये तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ख) यदि शिवशकरको कि जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसका ओहदेदार है उस कोर्टसे रमाशकरके कैद करनेकी आज्ञा मिले और ठीक २ जांचके पश्चात् उमाशकरको रमाशकर जानकर कैद करे तो शिवशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(७७) कोई काम अपराध नहीं है जो कोई जज अदालतका काम करते हुए किसी

जजका काम जब कि वह अदालतका काम कर रहा हो, ऐसे अधिकारको काममें लाकर करे कि जो उसे कानूनानुसार प्राप्त है या जिसके सम्बन्धमें वह नेक नियतीके साथ यह निश्चय करता हो कि उपरोक्त अधिकार उसे कानूनानुसार प्राप्त है ।

(७८) कोई काम अपराध नहीं है जो किसी कोर्ट आफ्जस्टिसकी किसी

काम जो किसी कोर्ट आफ्जस्टिसकी तजवीज (विचार) या आज्ञानुसार किया जावे, तजवीज या आज्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके करनेका आज्ञा उस तजवीज या हुक्मसे पाई जाती हो, इस दशामें कि उपरोक्त काम उस समयके भीतर कियाजाय जब कि वह तजवीज या आज्ञा प्रचलित रहे, चाहे उस कोर्ट आफ्जस्टिसको ऐसी तजवीज या आज्ञा का अधिकार न हो परंतु काम का करनेवाला मनुष्य नेक नियती (शुद्धभाव) से निश्चय करता हो कि कोर्ट आफ्जस्टिसको उस प्रकारका अधिकार प्राप्त है ।

(७९) कोई काम अपराध नहीं है जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसका

काम जो किसी ऐसे मनुष्यमें हो जो कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो वृत्तान्त अशुद्ध समझनेमें अपने को कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझता हो, उसका करना कानूनानुसार उचित है या वह मनुष्य करे जो किसी वृत्तान्तका यथार्थ अमिप्राय न समझनेसे, न कि कानूनकी गलत समझके कारण, नेक नियतीके साथ अपने को उस कामके करनेका कानूनानुसार अधिकारी निश्चय करता है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर रमाशंकरको ऐसा काम करते देखे जो शिवशंकरके निकट जातघात जानपड़े और शिवशंकर अपनी शुद्धि को यथासम्भव शुद्ध भावसे काममें लाकर उस अधिकारको वर्तनेमें जो कानूनानुसार सब मनुष्योंको प्राप्त है कि घात करते हुए घातकों को कैद करे रमाशंकर को इस लिये कैदकरे कि उसको किसी यथोचित अधिकारी हाकिमके सन्मुख लाये तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस कामका अपराधी न हुआ, चाहे यह बात निश्चय, होबवे कि रमाशंकर वह काम अपनी रक्षाके लिये कर रहा था ।

१—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यको कैद करनेमें जिसको वह शुद्ध भावसे चोर जानताहो कुछ सखी करे या हानिभी पहुंचावे तो वह इस सग्रहकी दफा ७९ के अनुसार किसी अपराधी का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीही रिपोर्टर जिल्द २ सफा ९ श्रीमती महारानी बनाम परनाथ चौकीदार)

(८०) कोई काम अपराध नहीं है जो देवात् या कुभाग्यसे बिना किसी अपराध नीतिपूर्वक काम करने में हठात् कुछका कुछ होजाना. } योग्य नियत या समझवृद्धकर किसी उचित कामके करनेमें होजावे और वह काम उचित रीति व नीतिपूर्वक यथोचित सावधानी और चैतन्यताके साथ बियाजावे ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुल्हाड़ी से काम करता हो और फल निकल कर किसी मनुष्यके जालमें जो समीपही खड़ा हो, और वह मरजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर का यह काम अपराध योग्य नहीं है जब कि शिवशंकरकी ओरसे यथोचित सावधानी में कुछ कमी न हुई हो ।

(८१) कोई काम केवल इस कारणसे अपराध न होगा कि कर्त्ता यह जानकर करे काम जिस से हानि पहुँचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके बिना और दूसरी हानि रोकने के लिये किया जावे. } कि उससे कोई हानि होनी सम्भव है बशर्ते कि उस कामके करने के प्रयोजनमें हानि पहुँचाने की नियत न हो और वह काम शुद्धभाव के साथ माल या जानको किसी दूसरी हानिसे बचाने या रोकनेके अभिप्रायसे किया जावे ।

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थामें यह बात निश्चय करनी होगी कि वह हानि, जिससे रोकने या बचानेका अभिप्राय था इस प्रकारका और ऐसी समाहित थी कि ऐसे कामके जानेसे जोखिमका उत्पन्न करना उचित या क्षमाके योग्य हो सकता है या जब कि अपराधी जानता था कि उस कामके करनेसे हानि उत्पन्न होना सम्भव है ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर, कि जो एक धुएँवाले जहाजका कप्तान है, हठात् बिना किसी अपराध या, अचैतन्यताके एक ऐसे स्थान पर पहुँचा कि जब तक वह अपने जहाज को रोके तबतक रामबाण नावको जिसमें २० अथवा ३० यात्री थे अवश्य टक्कर लगती जान पडी और टक्कर बचानेका केवल यही उपाय था कि शिवशंकर अपने जहाजका मुह दूसरी ओर फेर देता परंतु मुँह फेरनेसे इस बातकी हानि थी कि और एक नाव रुद्रशरको कि जिसमें केवल दोही यात्री थे टक्कर लगती तथापि उस का बचानामी संभव था, यहां यदि शिवशंकर रुद्रशरनावको टक्कर देनेके अभिप्राय बिना और रामबाणके यात्रियों को टक्कर लगने को आपत्तिसे बचाने के निमित्त अपने जहाजका मुह शुद्ध भावसे फेर दे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा, चाहे उसके इस कामसे जिसको वह जानता था कि इस से रुद्रशर नाव को टक्कर लगना अति सम्भव है रुद्रशर को टक्करभी लगजाती, जब कि यह बात प्रमाणित हो जावे कि वास्तवमें वह हानि, कि जिसे बचाना उसकी नियतमें था ऐसी थी कि उसके कारणसे रुद्रशरको टक्कर दिलाना क्षमा के योग्य था ।

(ख) यदि बड़ी भारी आग लगी हो और शिवशंकर इस अभिप्रायसे घर गिरावे कि आग न फैलने पावे और वह यह काम शुद्धभावके साथ मनुष्योके प्राण व धन बचानेके अभिप्रायसे करे इस अवस्थामें यदि यह बात प्रमाणित हो कि, वह हानि जिसकी रोकका अभिप्राय था.

इस प्रकारकी और ऐसी संभवित थी कि उससे गिबशकरका काम क्षमाके योग्य हुआ तो गिबशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

१—एक मनुष्यने अपने ताडीके वासनामें धत्रेका रस (अर्क) यह जानकर कि, यदि मनुष्य उसको पियेगा तो उसको हानि पहुचेगी, चोरको पकडनेके अभिप्रायसे जो उसकी ताडी चुराकर ले जाता था, भरदिया, उम अर्कको कुछ सिपाहियोने छिपाकर बेचनेवालेसे मोल लेकर घी लिया और उससे उनको हानि पहुँची—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्य हिंदुस्थानके ढडसग्रहकी दफा ३३८ के अनुसार दडके योग्य था दफा ८१ म लिखेहुए हुबमोंसे वह दडसे नहीं बच सकता (रिपोर्ट हाई-कोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ५९)

सातवर्षकी अवस्थासे } (८२) कोई काम जो सात वर्षसे नीचेकी अवस्थाके
नीचेके बालकका काम, } बालकने किया हो अपराध न होगा ।

(८३) कोई काम अपराध नहीं है जो सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अव-
सातवर्षसे ऊपर और } स्थाका बालक करे जब कि उसकी समझ इतनी पकायतीको
बारहवर्षसे नीचेकी अव- } न पहुँची हो कि वह उस कामके गुण और उसके फलकी बुराई
स्थाके बालकका काम } मलाईको समझसके ।
जिसे उचित बुद्धि न }
हुई हो.

१—एक कम उमर लडकेने एक हार १॥) र० मूल्यका चुराया और एक दूसरे मनुष्यके हाथ १—) मे बेचा लडका इस कारण छोडा गया कि ढडसग्रह हिंदकी दफा ८३ के अभिप्रायसे उसकी बुद्धि पकायतीको नहीं पहुँची थी, मोल लेनेवाला ढडसग्रह हिंदकी दफा ४४१ के अनुसार दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जान बूझकर चोरीका माल लिया । (३० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

(८४) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय अपनी
उस मनुष्यका काम } बुद्धिके बिगाडके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके
जिसकी बुद्धि बिगाडी हो. } योग्य न हो कि जो वह कर रहा है अनुचित या कानूनके
विरुद्ध है ।

१—अपराधीने अपने दो लडकोंको कुल्हाडीसे काट डाला, इस अपराधका कारण यह बयान किया गया है कि जब वह ज्वर (बुखार) मे पडा हुआ था उसे उसके बच्चोंके चिह्नानेका शब्द बुग जान पडा—यह भी बयान किया गया था कि ज्वरके कारण उसके स्वभावमें अन्तर आगया था और उसको शब्द मला नहीं लगता था, परन्तु यह प्रगट नहीं हुआ कि अपराध करनेके समय अपराधी अचैतन्य (बेहोश) था—अपराधीने मन्त्रा वृत्तान्त छिपानेकी कोई इच्छा नहीं प्रगट की—ब्रन प्रत्येक

अपराधको पूरा २ स्वीकार किया—हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जिस अवस्थामें अपराधी अपने कामके गुणको जानता था तो उसके संवधमे विचार लेना चाहिये कि वह अपने कामके दंडको भी जानता था—इसलिये वही ज्ञातघातका अपराधी है । (इ० ल० रि० ब्रवई जिल्द १० सफा ५१२)

२—कैदीने एक मनुष्यको लाठीसे मार डाला और जब वह पहली बार देखा गया तो लाठके आसपास अपनी लाठी धुमाता फिरता था और जब दूसरी बार देखा गया तो एक पेडके नीचे जहां एक घोडा बैधा हुआ था “ हुश हुआ ” करता था—थोडी देरके पश्चात् उसने कुछ मनुष्योपर आक्रमण (हमला) करके उनके संबूक तोड डाले और उनका असावधान गिरा दिया अपसर पुलीसने कि अपराधी जिसकी रक्षामे था बयान किया कि वह कभी तो सावधान हो जाता था और कभी असावधान (पागल) विचारके समय वह सावधानीकी वाते करता था परन्तु आकृतिसे व्याकुल जान पडता था, इसलिये हाईकोर्टने छूट गया (वील्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४२)

३—अपराधीने अपने लडकेको एक टेवताके आगे मारडाला और स्वय अपना गला काटकर उस टेवता पर चढानेका उद्योग किया और एक दिनके पश्चात् पकडा गया, परन्तु वह बोल न सकता था इसलिये उसने यह (लिख दिया—मेरा लडका मंगलके दिन जी उठेगा—मैंने चढावा माना था कि यदि मेरे लडका उत्पन्न होगा तो उसको गङ्गाकी भेट करदूंगा और पूजा करूंगा—यद्यपि लडका तो उत्पन्न हुआ परन्तु उसके साथ धन नहीं आया, इसलिये मैंने उसको मार डाला—यह भी प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अपराधी नशेकी अवस्थामे बहुतही सावधान रहता था, परन्तु कभी उसकी बुद्धि न विगडी थी और विचारके समय उसने कियेहुए अपराधसे इन्कार किया—इसलिये अपराधी समझा जाकर दण्डित हुआ । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १००)

(८५) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय नशेमें

उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेको असमर्थहो, होनेके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कर रहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है—उस अवस्थामें कि जब वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजानमे या इच्छाके विरुद्ध उसे दिया गया हो ।

यदि अपराधी स्वय ही अपनेको नशेकी अवस्थामे करले तो अपराधसे बचनेके लिये पूरा प्रमाण नहीं है । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७९ फौजदारी)

(८६) जिन अवस्थाओंमें कोई किया हुआ काम अपराध नहीं है, सिवाय उस

अपराध जिसमे विशेष जान या प्रयोजन अवश्य हो और जिसको वह मनुष्य करे जो नशेमें हो, अवस्थामें कि जब वह किसी विशेष ज्ञान या प्रयोजनसे किया गया हो, उन अवस्थाओंमें उस मनुष्यके साथ, जो नशेकी अवस्थामे इस कामको करे उसीप्रकार धर्त्ताव किया जायगा कि मानो उसको

वही ज्ञान था जो उसको नशा न होनेकी अवस्थामे होता, सिवाय इसके कि वह

प्रदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजान या इच्छाके विरुद्ध उमरको दियागया हो ।

(८७) जिस कामके करनेसे मृत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो और जिसके

काम जिससे मृत्यु या अधिक हानि पहुँचनेकी नियत न हो और न उसका होना सम्भव जान-पड़े और जो प्रसन्नता पूर्वक किया गया हो, करनेवालेको यह जानकारी न हो कि उस कामसे मृत्यु या अधिक हानि होना सम्भव है, तो वह काम किमी ऐसी हानिके कारण अपराध न होगा जो उस कामसे अठारह वर्षसे अधिक उमरवाले किसी मनुष्यको पहुँचजाय या जिसका ऐसी उमरके किसी मनुष्यको पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें होवे—जब कि, उस मनुष्यने हानि उठानेमें अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो, और न ऐसी हानिके कारण वह काम अपराध होगा जिसके पहुँच जानेका सम्भव ऐसी उमरके किसी मनुष्यको करनेवालेकी जानकारीमें हो जब कि, वह मनुष्य ऐसी हानि उठाने पर सम्मत हुआ हो—

उदाहरण ।

यदि शिवशकर और रमाशकर मन बहलानेके लिये परस्परमें पटा खेलनेपर समत हो तो इससे यह बात समझी गई कि पटा खेलनेमें जो कुछ हानि बिना कपटके किसीको होजाय उसका सहना दोनोने स्वीकार किया—शिवशकरने जत्र कि वह बिना कपटके खेल्ता था रमाशकरको चोट पहुँचाई तो शिवशकरने कुछ अपराध नहीं किया ।

(८८) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्युका अभिप्राय न हो किसी ऐसी हानिके कारण

काम जिससे मृत्युका अभिप्राय न हो किसी मनुष्यके लामके लिये उसकी प्रसन्नता पूर्वक शुद्धभावसे किया गया हो, अपराध नहीं है जो उपरोक्त कामसे ऐसे मनुष्यको पहुँचे या ऐसे मनुष्यको जिसका पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें हो या ऐसे मनुष्यको जिसके पहुँचनेका इहतिमाल (सम्भव) करनेवालेकी जानकारीमें हो जिसके लामके लिये शुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जावे और जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्ञानआघातको उठानेके लिये अपनी प्रसन्नता प्रगट की हो ।

उदाहरण ।

शिवशकर एक डाक्टरने यह बात जान बूझकर कि असुक चीर फाडसे रमाशकरकी मृत्यु, जो एक बड़े रोगमे फैला हुआ है, होना संभव है परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके बरन शुद्ध भावसे उसके लामकी इच्छासे उसी चीर फाडका बर्ताव रमाशकरकी प्रसन्नतासे किया तो शिवशकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है ।

(८९) जो काम शुद्ध-भावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये, जिसकी आयु १२ व-

काम जो नेक निय-
तीसे किसी लडके या
सिद्धी मनुष्यके लाभके
लिये स्वामीसे या स्वा-
मीकी प्रसन्नतासे किया
भया हो,

र्षसे कम हो अथवा जो सिद्धी हो उसका स्वामी या वह मनुष्य कि,
जिसकी रक्षामें उपरोक्त मनुष्य है करे, या उस स्वामी या रक्षककी
आज्ञासे वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा प्रगट रीतिसे दी
गई हो या अप्रगट रीतिसे—तो उस हानिके कारण जो उस कामसे

उस मनुष्यको पहुँचे, या जिसका पहुँचना करनेवालेकी नियतमें हो या उसकी जानमें
हो कि, इस कामके करनेसे हानि पहुँचना सम्भव है, वह काम नीचे लिखे नियमानुसार
अपराध न गिनाजायगा ।

प्रथम—यह छूट अभिप्राय पूर्वक किसीकी मृत्यु करने या मृत्यु करानेके उद्योगसे
सम्बन्ध न रखेगी ।

दूसरे—वह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रखेगी जिसको करनेवाला
जानता हो कि, इससे मृत्युका होना अति सम्वित है और जो किसी दूसरे अभिप्रायसे किया
जाय सिवाय इस अभिप्रायके कि, उससे मृत्यु या भारी दुःखकी रोक हो या उससे
किसी भारी रोग या दुर्बलताकी औषधि हो ।

तीसरे—यह छूट जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाने अथवा पहुँचानेका उद्योग करनेसे
सम्बन्ध न रखेगी सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु या भारी दुःखकी रोक या किसी
भारी रोग या दुर्बलताके मिटानेके अभिप्रायसे किया जाय ।

चौथे—यह छूट जिस अपराधके करने पर लागू नहीं है, उसके करनेकी सहायता
पर भी लागू न होगी ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर शुद्धभावसे अपने लडकेके लाभके लिये उस लडकेकी बिना प्रसन्नता
घथरी निकलवानेके अर्थ डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वृत्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टरीके
वृत्तावमें लडकेका प्राण जाना संभव है परंतु यह नियत न करके कि वह काम उस लडकेकी मृत्युका
कारण हो तो शिवशंकरसे यह छूट सम्बन्ध रखेगी, क्योंकि लडकेका आरोग्य होना शिवशंकरका
अभिप्राय था ।

(९०) जो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके भयसे या किसी वृत्तांतको यथार्थ न

सम्मति जो डर या
अनसमझीकी अवस्थामें
दी गईहो,

समझनेकी अवस्थामें दी हो और उस कामका करनेवाला यह जान-
ता हो या जाननेका कारण रखता हो कि वह सम्मति उस डर या
अनसमझीके कारणसे दी गई थी तो वह सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है

जैसी कि इस सग्रहकी किसी दफ्ताका अभिप्राय है और—

न उस मनुष्यकी रजामदी जो सिडी या नशेके कारण उस कामका गुण लडके या सिडीकी सम्मति. } और उसका फल नहीं समझ सकता, जिसके सबधमे वह अपनी रजामदी प्रगट करता है और न उस मनुष्यकी रजामदी जिसकी आयु चारह वर्षसे कम हो सिवाय इसके कि लेखने इसके विरुद्ध आशय पाया जाय ।

हिदुस्थानके दहसंग्रहकी दफा ९० के अनुसार रजामदी स्वाधीनतापूर्वक होनी चाहिये जो रजामदी किमी डर या हानिके कारण प्रगट की जावे वह उचित नहीं है—इसीलिये जब एक कानिस्टेबिलने एक चौकीदारको एक झीके घरके द्वापर नियत कर दिया और आप भीतर जाकर उस झीसे समोग किया, यद्यपि उस झीको पहिले इन्कार था परन्तु फिर राजी हो गई थी क्योंकि यदि वह सामना करती तो चौकीदार उस कानिस्टेबिलकी सहायताको पहुँचजाता और यदि वह भागनेकी इच्छा करती तो चौकीदार न जाने देता—विचार हुआ कि उपरोक्त कानिस्टेबिल बलपूर्वक झीसमोग करनेका अपराधी हुआ था । (वीडी रिपोर्टर जिल्ड १ सफा २१)

(९१) जो छूटें दफा ८७, ८८ व ८९ में लिखी हैं वे उन कामसे सम्बन्ध न कामजो इस बातको छोडकर कि राजी देने वाले मनुष्यको उसमे हानि पहुँची आपही अपराधीहो दफा ८७, ८८ व ८९ की छूटोंमें गिनवी न होंगे } रकेखगी जो स्वय आपही अपराध है—बिना किसी ऐसी हानिके जो उनसे रजामदी देनेवाली मनुष्यको या उस मनुष्यको जिसकी ओरसे रजामदी दीजावे, पहुँचे या जिस हानिका उपरोक्त मनुष्यको पहुँचाना नियतमें हो या जिस हानिका उन कामोंसे उपरोक्त मनुष्यको पहुँचनेका समव हो ।

उदाहरण ।

गर्मका गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्धभावमे झीका प्राण बचानके लिये हो, स्वय आपही एक अपराध है, इस बातको छोडकर कि उससे कोई हानि उपरोक्त झीको पहुँचे अथवा पहुँचानेका अभिप्राय किया जाय—इसलिये यह काम उस हानि होनेके कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्म गिरानेके सबधमे झी या उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचित नहीं करती ।

(९२) कोई काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है जो उस कामसे किसी काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये बिना प्रसन्नता उसकी के कियागया हो. } ऐसे मनुष्यको पहुँचे जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे बिना प्रसन्नता उस मनुष्यके किया जाय, उस अवस्थामे जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामदी (सम्मति) देना असम्भव होवे या जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामदी प्रगट करनेका बल न हो और न उसका कोई स्वामी या कोई और

उचित रक्षक वर्तमान (मौजूद) हो जिससे इतने समयमें रजामंदीका प्राप्त करना सम्भव हो ; जिससे उस कामके करनेमें लाभ निकले—परंतु नियम ये हैं कि:—

पहले—यह छूट जानबूझकर बध करने या जानबूझकर बध करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रखेगी ।

दूसरे—यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रखेगी कि, जिसे करने-वाला जानता हो कि इससे मृत्युका होना अतिसम्भवित है—सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःखके रोकने, अथवा किसी भारी रोक या दुर्बलता मिटानेके निमित्त कियाजाय ।

तीसरे—यह छूट जानबूझकर हानि पहुँचाने या हानि पहुँचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रखेगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि (जरर) का रोक करे ।

चौथे—यह छूट जिस अपराधके करनेपर नहीं है उसके करनेका सहायता परभी लागू न होगी ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर घोड़ेसे गिरकर अचैतन्य होजावे और रमाशंकरको जो डाक्टर है, श्रांत हो कि, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करना आवश्यकीय है, और उसको जानसे मार डालनेकी नियत न करके वरन शुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जब शिवशंकरको अपनी भलाई बुराई समझनेका शान प्राप्त होजावे, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करे तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ख) यदि शिवशंकरको शेर उठा लेजाय और रमाशंकर यह जानकर कि बंदूक चलानेसे शिवशंकरकी मृत्यु होना संभव है, परन्तु उसको जानसे मारडालनेकी नियत न करके वरन नेक नियतीसे उसके लाभके लिये उस शेर पर बंदूक चलावे और रमाशंकरकी गोलीसे शिवशंकरको प्राणघातक घाव लगे तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ग) यदि शिवशंकर जो एक डाक्टर है किसी बच्चेको एक ऐसी चोटमें देखे कि जिससे उसका मरना संभव है सिवाय उस अवस्थामें कि जब उसपर तत्काल चीर फाडका वर्ताव किया जाय; और उसके स्वामीसे आज्ञा लेनेका समय नहीं है—परन्तु यदि शिवशंकर जिसको शुद्धभावसे उस बच्चेका लाभ स्वीकार था, उसके रोने पीटने परभी उसपर चीर फाडका कुछ वर्ताव करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(घ) यदि शिवशंकर एक लडके रमाशंकरके साथ किसी ऐसे घरमें हो जिसमें आग लगी है और कुछ मनुष्य नीचे कमल ताने खड़े हो और शिवशंकर यह जानकर कि बच्चेको नीचे फेंकनेमें

उसका मरना सम्भव है, परन्तु उसके मृत्युकी इच्छा न करके वरन शुद्धभावसे उसके लाभकी इच्छासे उसको छतसे नीचे डालदे तो यदि वह बच्चा गिरनेसे मरमी जावे तथापि शिवशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

स्पष्टीकरण (तशरीह)—केवल द्रव्यसम्बन्धी लाभ दफा ८८-८९ व ९२ के अर्थमें लाभ न समझा जायगा ।

(९३) शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना इसीकारण अपराध न समझा जायगा

शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना, } कि जिस मनुष्यको वह बात बतलाई गई उससे उसका कुछ हानि हुई जब कि वह बात उस मनुष्यके भलेके लिये बतलाई गई हो ।

उदाहरण ।

यदि शिवशकर कि जो एक डाक्टर है किसी रोगीको यह बात बतलावे कि मेरी समझमे तुम जी नहीं सकते हो और वट रोगी इस समाचारके दृष्टिकेसे मरजाय तो ऐसी अवस्थामे शिवशकर किसी अपराधका अपराधी न होगा । यद्यपि वह यह जानता था कि इसप्रकार पर बतला देनेसे रोगीका मरना सम्भव है ।

(९४) सिवाय ज्ञातघात और राजविरुद्ध अपराधोको छोडकर जिनके लिये बधक - काम जिसके करनक लिये कोई मनुष्य धम- किशोसे विवश कियागया } दड नियत है, कोई काम अपराध नहीं है जब कि उसको कोई मनुष्य धमकीसे विश्वास होकर करे और उस धमकाये जाते मनुष्यको उससमय भलीप्रकारसे यह डर उत्पन्न होवे कि उस कामके न करनेसे तत्कालही उसका मृत्यु होजायगी, परतु शर्त है कि उस कामके करनेवाले मनुष्यने स्वय अपनीही प्रसन्नतासे या अपनी किसी हानिके डरसे, जो तत्काल ही जानसे मारे जानेसे कमहो, अपनेको उस अवस्थामे न डाला हो जिसमे वह इस भाति विवश कियागया ।

स्पष्टीकरण-१—यदि कोई मनुष्य स्वय अपनीही प्रसन्नतासे या मारपीटकी धमकीसे डाकुनोंके किसी झुडमें उनकी चालचलन जानबूझकर मिलजावे तो उपरोक्त मनुष्य इस कारणसे; कि उसके साथियोने उससे कोई ऐसा काम विश्वास करके कराया जो कानूनानुसार अपराध है, इस छूटसे लाभ उठानेका अधिकारी न होगा ।

स्पष्टीकरण-२—यदि डाकुनोंका कोई समूह किसी मनुष्यको पकड लेजाय और वह मनुष्य तत्काल जानसे मार जानेकी धमकीके कारण किसी ऐसे कामके करनेपर विश्वास किया जावे जो कानूनानुसार अपराध है, जैसे कोई लोहार अपने औजार ले जाने और किसी घरका

द्वार तोड़वाखनेके लिये विवश कियाजाय जिससे डाकू घरके भीतर घुसकर छूटे तो वह मनुष्य इस छूटके लाभ उठानेका अधिकारी होगा ।

१—यदि कोई मनुष्य विवश होकर ज्ञातघातमे सहायता करना स्वीकार करे तो ऐसा स्वीकार करना अपराध माननेकी सीमातक नहीं पहुँचता (वील्ली रिपोर्टर् जिल्द ७ सफा ८ श्रीमती बनाम कस्ट्रु मंडल आदि)

२—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९४ से लाभ उठानेमे अपराधीको यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसका काम तत्कालही मृत्युप्रयसे किया गया था—इमलिये जो मनुष्य झूठी गवाही दे और बयान करे कि उसने वह गवाही धमकीके कारण दी थी—वह इस दफासे लाभ नहीं उठा सकता (वील्ली रिपोर्टर् जिल्द १० सफा ४८)

(९९) कोई काम इस कारणसे अपराध नहीं है, कि उससे कोई हानि पहुँचे
कोई काम जिससे } या उससे किसी हानिके पडुचानेका अभिप्राय है या जान-
कुछ हानि पहुँचे. } कारीमे है कि, उससे किसी हानिका पहुँचना समभव है
जब कि वह हानि ऐसी तुच्छ हो कि साधारण बुद्धिका मनुष्य भी उस हानिका फारियाद न करे ।

१—अपराधीने एक छतरीसे किसी मनुष्यकी छातीमे चोट पहुँचाई, तो यह एक ऐसा तुच्छ काम नहीं है जो दंडसंग्रह हिदकी दफा ९५ के अनुसार वह धमाके योग्य होवे (वील्ली रिपोर्टर् जिल्द २४ सफा ६७)

२—अपराधी सांडनी सवार है—उसने ऊटके चारेके लिये एक बड़े पीपलकी झाडकी डालियां काटी इस कारण उसे चोरिका दंड दिया गया—परन्तु साहब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेशके विचारमे अपराधीने दंडसंग्रह हिदकी दफा ९५ के अनुसार कोई अपराध टडके योग्य नहीं किया । (सी. पी. ला. रि. जिल्द ८ सफा १५ फौजदारी)

निजरक्षाके अधिकारके विषयमें ।

(९६) कोई काम अपराध नहीं है जो निजरक्षाका अधिकार बर्तनेमे
कोई काम जो निज } किया जाय ।
रक्षाके लिये किया जाय }
अपराध नहीं है. }
निज तन और ध- } (९७) प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है कि दफा ९९ के निय-
नकी रक्षाका अधिकार. } मोंके आधीन रहकर अपने तन और धनकी रक्षा करे ।

पहले—अपने या किसी और मनुष्यके तनका, किसी ऐसे अपराधके दूर करनेमें जो मनुष्यके तनसे सम्बन्ध रखता हो ।

दूसरे—अपने या किसी और मनुष्यके धनकी चाहे वह स्थावर हो या अस्थायर किसी ऐसे कामके रोकनेके लिये जो ऐसा अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुचाने या अनधिकारप्रवेशके लक्षणोंमें गिना जाय या चोरी या जोरी या हानि पहुचाने या अनधिकारके लक्षणोंके उद्योगमें गिना जाय ।

टीप दफा ९६ की १—किसी लीके स्वामीने एक मनुष्यको कि. तिसने रातके समय उसके घरमें उसकी लीके साथ बलात्कार (जिना) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा— तो दफा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नहीं है क्योंकि वह ऐसी हानिके पहुचानेका अधिकारी या कि जो मौतसे कम होवे (वीही रिपोर्टर जिल्द २० सफा ३६)

टीप दफा ९७ की १—अपराधी जिसका माल बहुधा चोरी जाता या लठी लेकर उसकी रक्षाके लिये निकला और उस लठीसे एक चोरको मारा जो उसकी चोटसे मरगया—चोट और अपराधीके कामपर विचार करके हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९७ व १०४ के लेख (अहकाम) के अनुसार अपराधसे बरी है, क्योंकि उसने उचित निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया (वीवली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा १५)

२—जमींदारको बिना अदालतकी सहायतासे अपने असामीकी फसलको कुर्क करनेका अधिकार है यदि उसने ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० की दफा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामा (सूचना पत्र) असामीके नाम भिजवा दिया हो और ऐसी अवस्थामें यदि वह असामी जानबूझकर भी उस कुर्कीमें रोक टोक करे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ९७ के अहकामसे लाभ नहीं उठा सकता, परन्तु यदि जमींदारके आदमी बिना उपरोक्त इत्तिलाअनामाके जारी हुए फसलकी कुर्की करे तो असामी उनके कामको अनधिकारप्रवेश समझ सकता है ।

३—अपराधीने एक चोरको अपने घरमें सेंघ करते पकडा और जब गाववाले चोरको देखने आये तब उन लोगोंने उसको मरा हुआ पाया, अपराधीका बयान है कि उसने चोरको एक लठी मारी—परन्तु सेशनजजने उसके बयान पर कुछ मरोसा न कर उमे तीन साल कैदका दंड दिया क्योंकि डाक्टरकी रिपोर्टसे सेशनजजको मालूम हुआ कि चोरकी मौत फासी लगानेसे हुई । परन्तु यथार्थमें रिपोर्ट और बयानके देखनेसे यह बात पाई गई कि चोरकी मौत आस बढ होजानेके कारण हुई और उसकी आस इस कारण बढ हुई कि जब चोर घरके भीतर अपना मुँह नीचेकी ओर करके घुस रहा था उस समय अपराधीने उसको पकडा और पकडे रखा—ऐसी अवस्थामें उसने कानूनानुसार निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया, इसलिये अपराधी छोड़ने योग्य है (वीही रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १२)

(९८) जब कि कोई काम, करनेवालेकी कमउमरी या अनसमझी (बुद्धिकी

निजरक्षाका अधिकारी सिडी इत्यादि मनुष्योंके कामसे, } पकायती न होना, या सिडीपन या नशेमें होनेके कारणसे या उसकी गलत समझीसे, अपराध न हो नहीं तो और अवस्थामे

अपराध होता, तो प्रत्येक मनुष्यको उस कामके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता जब कि वह काम अपराध होता ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशकर सिडीपनकी अवस्थामें रमाशंकरके वधका उद्योग करे तो शिवशकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु रमाशंकरको अपनी रक्षाका अधिकार उसी भाँति प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता, जब कि शिवशंकर सिडी न होता ।

(ख) यदि शिवशकर रातके समय किसी घरमें जावे जिसमें जानेका उसको कानूनानुसार अधिकार है और रमाशंकर नेक नियतीसे शिवशकरको चोर जानकर उसपर आक्रमण (हमला) करे तो रमाशंकर इस गलत समझीसे किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु शिवशकरको रमाशंकरके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाका प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता जब कि रमाशकर ऐसी गलत समझीसे बर्ताव न करता ।

(९९) पहिला—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुँचनेका भय उचित कारणसे वे काम जिनके रोकनेमें जिन रक्षाका अधिकार प्राप्त नहीं है उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओरसे नेकनियतीके साथ और अपनी नौकरीके कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो ।

दूसरा—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुँचानेका भय उचित कारणसे न हो उस कामके रोकनेमें कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है, उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जाय जो नेक नियतीके साथ अपनी नौकरीके कर्तव्यको पूरा करता हो, चाहे वह आज्ञा कानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो ।

तीसरा—ऐसी अवस्थाओंमें भी कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है जब कि सर्व सबधी अधिकारियोंसे रक्षा मिलनेका अवकाश हो ।

चौथा—निजरक्षाका अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न होगा कि जितनी हानि पहुँचाना रक्षाके लिये अवश्य हो उससे अधिक हानि पहुँचाई जाय ।

स्पष्टीकरण २—जो कोई काम या कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओरसे किया जाय कि, जो अपनी नौकरीके कारण करता है, तो उस कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह

मनुष्य यह जानताहो या जाननेका कारण रखता हो कि करनेवाला उस कामका ऐसाही सरकारी नौकर है ।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जावे तो ऐसे कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामे कि जब वह मनुष्य जानता हो या निश्चय करनेका कारण रखताहो कि उपरोक्त कामका करनेवाला ऐसी आज्ञासे वर्त्ताव करता है, या कि जब उपरोक्त मनुष्य ऐसी आज्ञा बतलावे जिसके अनुसार वह वर्त्ताव करता है, या यदि उसके पास लिखी हुई आज्ञा मौजूद होवें, तो जब वह ऐसी लिखी हुई आज्ञा मागनेके समय पेश करदे ।

१—इजराय टिगरीकी गिरफ्तारीके वारंटमें अदालतके हाकिमके सक्षेप हस्ताक्षर (दस्त-खत) थे—जिमकी तामीलके समय कर्जदारने बलपूर्वक तामील करनेवालेके साथ रोकटोककी तजवीज हुई कि यद्यपि यह बात उचित है कि जो मनुष्य वारंटपर अपना दस्तखत करे वह अपना नाम पूरा लिखे परन्तु यह बात नहीं कही जासकती कि सक्षेप हस्ताक्षर होनेके कारण उस वारंटकी तामील नहीं हो सकती थी—दंडसंग्रह हिंदकी दफा ९९ के अनुसार उसने जो निजरक्षा की वह अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दंडके योग्य है (३० ला० रि० इला-हाबाद जिल्द ८ सफा २९३)

२—यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है कि वह स्वयं किसीको कैद करे परन्तु यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातके समय वेध लगाते हुए या चोरी करते हुए पकड़े तो पकड़े हुए मनुष्यको निजरक्षाका अधिकार प्राप्त नहीं है (वीली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ८)

३—एक मनुष्यने एक दुर्बल और बूढ़ी स्त्रीको अपने घरमे चोरी करते हुए पाकर मार-डाला तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिंदके दफा ९९ के अहकामका अधिकारी न था (वीली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ३३)

४—यदि कोई चोर घरसे खाली हाथ भागा जाता हो और घरसे अन्तर पर हो तो उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके अधिकारसे सम्बन्ध न रखेगा (बगल लारिपोर्ट जिल्द १ सफा ८)

(१००) तनकी रक्षाका अधिकार पिछली दफामें लिखे हुए नियमोंके आधीन

तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा, } रहकर आक्रमणकारी (हमला करनेवाले) को जानबूझ कर मृत्यु अथवा और कुछ हानि पहुँचाने तक हो सकेगा जब कि वह

अपराध जिससे निजरक्षाको अधिकार वर्त्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो ।

पहिला—आक्रमण ऐसा होवे कि उसमे इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो मृत्यु होना सम्भव है ।

दूसरा—आक्रमण ऐसा हो कि उसमे इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो उसका फल भारी दुःख होगा ।

तीसरा—वह आक्रमण जो बलात्कार (बलपूर्वक व्यभिचार) के अभिप्रायसे कियाजाय ।

चौथा—वह आक्रमण कि जो स्वभावविरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके अभिप्रायसे किया जाय ।

पाँचवाँ—वह आक्रमण कि जो मनुष्यके ले भागने या भगा ले जानेके अभिप्रायसे किया जाय ।

छठा—वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अनीतिवदमें रखनेके अभिप्रायसे ऐसी दशाओंमें किया जाय जिससे उपरोक्त मनुष्यको इस बातका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो कि उसको अपने छुटकारेके विषयमें अधिकारियो (हुकामो) से सहायता माँगना असम्भव है ।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर भालेसे आक्रमण किया—दूसरे मनुष्यने पहले मनुष्यके लाठी मारी कि जिससे वह मरगया—तजवीज हुई कि—प्राण घनके बचावके लिये इस अभियोगमें निज-रक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वर्तागया—क्योंकि ऐसा अधिकार दंडसंग्रह हिदकी दफा १०० के अहकामात (अभिप्राय) के अनुसार उस अवस्थामें किसी मनुष्यको जानसे मार डालने तक है कि जब उसे भारी दुःख पहुंचानेका भय उचित कारणसे उत्पन्न होवे (बीही रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ४१)

(१०१) यदि अपराध ऊपरकी दफामे लिखे हुए प्रकारोंसे किसीप्रकार का न हो यह अधिकार मृत्यु-को छोडकर कोई दूसरी हानि पहुँचानेमें कयतक हो सकेगा, तो तनकी रक्षाका अधिकार आक्रमणकारीको जानबूझकर मार-डालनेतक न होगा परंतु दफा ९९ मे लिखे हुए नियमोंके आधीन यहातक हो सकेगा कि आक्रमणकारीको मृत्यु छोडकर कोई दूसरी हानि पहुँचा दीजाय ।

(१०२) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समयसे आरंभ होगा कि जब तनकी निजरक्षाका आरंभ होना और स्थिर रहना, अपराधके उद्योग या धमकीसे तनके लिये विपत्तिका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो, चाहे वह अपराध किया भी न गया हो, और यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा किं जबतक तनके लिये विपत्तिका वही भय जनारहे ।

(१०३) धनकी निज रक्षाका अधिकार दफा ९९ में लिखे हुए नियमोंके अधीन धनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्युके करनेतक कब होसकेगा } अनीति करनेवालेको जानबूझकर मारढालने अथवा और कोई हानि पहुँचानेतक होसकेगा— उस अवस्थामें कि जब वह अपराध जिसके करनेसे या करनेके उद्योगसे उस अधिकारका वर्तना अवश्य हुआ आगे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो ।

(१) बलजोरि (सरका बिलजत्र)

(२) रातके समय सेंव लगाना (नक़वजनी)

(३) आगके द्वारा हानि पहुँचाना जो किसी ऐसे घरमें या डेरमें या नावमें पहुँचाई जाय जो घर वा डेरा या नाव मनुष्योंके रहनेके लिये या चीज वस्तुके धरनेके लिये काममें हो ।

(४) चोरी या हानि पहुँचाना, या घरमे बलपूर्वक अधिकार करना (मदाखलत-वेजा) ऐसी अवस्थामें कि इस बातका मय उचित कारणसे उत्पन्न हो कि यदि उस अपराधके रोकनेमे निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव न किया जाय तो उस अपराधका फल मृत्यु या भारी दुःख होगा ।

— १—कुछ मनुष्योंने एकाएक अपराधियोंपर उनकी फसल काटनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया अपराधियोंने रोक परन्तु पुलिसको सूचना देनेका उन्हें अवसर न मिला, इसलिये उन्होंने आक्रमण कारियोंसे एकपर बासकी लकड़ीसे एक ऐसी चोट मारी कि जिससे वह मरगया—सेवान्सजजने अपराधियोंको दण्डसग्रह हिदकी दफा ३०४ व १४८ के अनुसार दण्ड दिया—परन्तु हाईकोर्टने यह तजवीज की कि जो चोट उनको पहुँचाई गई थी वह ऐसी नहीं थी कि जिससे यह पायाजावे कि अपराधियोंने अपनी रक्षाके लिये निजरक्षाके अधिकारसे अधिक वर्त्ताव किया इसलिये अपराधी छोड़े गये । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९ अपील विभाग)

(१०४) यदि वह अपराध जिसके किये जानेसे या किये जानेके उद्योगसे निजरक्षाके

यह अधिकार मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि करनेपर कब अधिकारप्रवेश पिछली दफामें लिखे हुए प्रकारोको छोडकर किसी होसकेगा, } अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ चोरी या हानि पहुँचाने या अन-

दूसरे प्रकारका हो तो वह अधिकार जानबूझकर मृत्युको छोडकर दूसरी कोई हानि अनीति करने वालेको पहुँचानेतक हो सकेगा ।

(१०५) पहिला—धनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समय आरभ होगा,

धनकी निजरक्षाके अधिकार का आरभ और स्थिर रहना, } जब कि धनका विपत्तिका मय विशेष कारणसे उत्पन्नहो ।

दूसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेमें उस समयतक स्थिर रहेगा जबतक अपराधी माल (धन) लेकर चलाजाय या अधिकारियों (हाकिमों) से सहायता प्राप्त होजावे या धन फेर लियाजावे ।

तीसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी (सरकाविलजब) के रोकनेमें उस समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख पहुँचाता रहे या अनुचित रोकटोक (अनीतिवद अर्थात् मुजाहिमत बेजा) करता रहे या इन कामोंके करनेका उद्योग करता रहे या जबतक कि तत्काल मारडालने या तत्काल दुःख या तत्काल अनीतिवद मुजाहिमत जिस्मानी का भय बना रहे ।

चौथा—धनकी निजरक्षाका अधिकार मदाखलतवेजा (अनधिकारप्रवेश) या उत्पात रोकनेको उतने समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी मदाखलतवेजा या -उत्पातका अपराध करता रहे ।

पाँचवाँ—धनकी निज रक्षाका अधिकार रातके समय सेंध लगानेकी रोकके लिये उस समयतक रहेगा कि जबतक वह घरकी मदाखलतवेजा, कि जिसका आरम्भ उस सेंध लगानेके साथ हुवा है, बनी रहे ।

१—दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९९ के नंबर ३ की दफा १०५ के नंबर १ से मिल्कर पढ़ चाहिये—धनकी निजरक्षाका अधिकार उस समयसे आरम्भ होता है जब धनकी विपत्तिका भय उत्पन्न हो, ऐसा भय उत्पन्न होनेके पहिले धनके स्वामीको आवश्यकता नहीं है कि वह अपने धनकी रक्षाके लिये किसी सरकारी नौकरसे सहायता मांगे—सरकारी नौकरसे उस भयका प्रगट कर देना अवश्य है परन्तु जब उसके भय होनेका यथार्थ कारण हो तो उस समय व उस स्थानसे हाकिमको सूचित करे जिससे कि उसका प्रबन्ध होसके । (बम्बई, इ० ला० रि० जिल्द १४ सफा ४४१)

(१०६) यदि किसी ऐसे आक्रमणके रोकनेको जिससे मृत्युका भय विशेष कारणसे निजरक्षाका अधिकार उत्पन्न हो निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया जाय और मृत्युकारक आक्रमणके रोकनेको उस अवस्थामें रक्षा करनेवाला ऐसी अवस्थामें हो कि वह एक किसी निरपराधी मनुष्यको हानि पहुँचाये बिना अपने अधिकारका वर्त्ताव मली जब कि किसी अनपराधी मनुष्यको हानिका भय हो, प्रकारसे नहीं कर सकता तो वह निजरक्षाके अधिकारके वर्त्तावमें उस मनुष्यको भी हानि पहुँचा सकता है ।

उदाहरण ।

यदि धिक्कार पर कुछ मनुष्योंके समूहने उसे मारडालनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया और धिक्कार उस समूह पर बंदूक चलाए बिना निजरक्षाके अधिकारको भली प्रकारसे काममें नहीं

छा सकता और उन लडकोंको जो उस समूहमें हैं हानि पहुँचानेके बिना वह बढ़क नहीं चला सकता तो यदि शिवशकरके इस प्रकार बढ़क चलानेसे इन लडकोंमेंसे किसी लडके को हानि पहुँचे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा।

अध्याय पाँचवाँ ५.

सहायताके विषयमें।

सहायता किसी कामकी } (१०७) प्रत्येक वह मनुष्य किसी कामके करनेमें सहायता करता है जो,—

पलिले—किसी मनुष्यको उस कामके करनेमें बहकावे या।

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्योंके साथ जत्येमें मिलकर उस कामको करनेके लिये सम्मति करे जब कि उस जत्येके मतके कारण और उस कामके होनेके निमित्त कोई काम या चूक कानूनविरुद्ध होजावे, या।

तीसरे—किसी कानूनविरुद्ध चूक या कामके द्वारा उस कामके करनेमें जानबूझकर सहायता करे।

स्पष्टीकरण १—किसी कामको करनेके लिये बहकाना, उस मनुष्यके सम्बन्धमें कहा जायगा जो जानबूझकर झूठ बोलनेके द्वारा या ऐसी मुख्य बातको, जिसका प्रगट करना उसपर अवश्य है, छुपा रखकर अपनी इच्छासे उपरोक्त कामको करावे या उसके करानेका यत्न करे या करानेके यत्नमें उद्योग करे।

उदाहरण।

(क) कि जो एक सरकारी ओहदेदार है किसी कोर्ट आफ जस्टिसके वारंटसे (ख) को पकडनेका अधिकारी है—(ग) जो यह बात जानता है और यहभी जानता है कि (घ) (ख) नहीं है जानबूझकर (क) से यह कहे कि (घ) (ख) है और इसप्रकार (क) से (घ) को कैद करावे तो यहा कहा जायगा कि (ग) ने बहकाकर (घ) को पकडवाया।

स्पष्टीकरण २—यदि कोई मनुष्य किसी कामके किये जानेके समय या उससे पहले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उपरोक्त काम सुगमतासे होजावे और इस कामसे उसका

• यह अध्याय उन अपराधों से सम्बंधित है जो बंमूजिब दफा १२१ (अ) व १२४ (अ) व २२५ (अ) व २९४ (अ) व ३०४ (अ) के दंडयोग हैं—देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ किसी २ अपराधकी सहायता राजीनामाके योग्य है—देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ इ० दफा ३४५.

करना सरल होजावे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेमे सहायता की ।

१-यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको डाकके द्वारा पत्र भेजकर किसी अपराधके करनेको बहकावे तो जिस समय उपरोक्त पत्रका वृत्तांत पत्र पानेवालेको ज्ञात होजावे उसी समय वह सहायताका अपराधी हो जावेगा और ऐसे अपराधकी जाच व तजवीज उस स्थानपर हो सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया हो । (ई० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३८९)

२-दंडसंग्रह हिंदुस्थानके अनुसार सहायताका अपराध एक असली अपराध समझा जाता है इसलिये सहायताके किसी अपराधीका दंड असली अपराधीके दंडसे सम्बन्ध नहीं रखता (ई० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा १५)

३-किसी अपराधके होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधकी सहायतामे नहीं समझी जायगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब उपरोक्त सूचना का न देना किसी उचित कर्तव्य या कानूनके विरुद्ध होवे-देसो दफा ४४ व ४५ मजमूआ जावता फौजदारी (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ७)

४-कोई मनुष्य अपने नौकरके अनुचित कामके लिये अदालत फौजदारीमे जिम्मेदार न होगा जब तक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेकी मखीप्रकारसे आज्ञा दी (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ६०)

(१०८) कोई मनुष्य किसी अपराधमे सहायता देनेवाला कहलावेगा जब कि वह सहायता करनेवाला } या तो उसी अपराधके किये जानेमें या दूसरे किसी ऐसे कामके किये जानेमे सहायता दे जां उस अवस्थामें अपराध गिना जाता हो जब कि उसका करनेवाला कानूनानुसार अपराध समझताहो जब कि वह अपराध वैसेही अभिप्राय अथवा जानकारीसे करे जैसा कि उस सहायता करनेवालेका है ।

स्पष्टीकरण १--किसी काममें कानूनविरुद्ध चूक करानेका सहायक होना अपराध होसकेगा चाहे उस कामका करना सहायकपर अवश्य भी न हो ।

स्पष्टीकरण २--सहायताके अपराधके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काममें सहायता दीगई वह हो ही जाय अथवा जिस परिणामका होजाना उस कामको अपराध बनानेके लिये अवश्य हो वह होही गयाहो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके वधके लिये उमाशंकरको बहँकाया और उमाशंकर उस कामके करनेसे ' नहीं ' करगया तो शिवशंकर शताघात करनेके लिये उमाशंकरको सहायता देनेका अपराधी होचुका ।

(ख) यदि शिवशकर उमाशकरको रमाशकरका वध करनेके लिये बहँकावे और उमाशकर उस बहँकानेके अनुसार रमाशकरको घायल करे परन्तु इस घावसे रमाशकर बच जावे तो शिवशकर जातघात उमाशकरके करनेके लिये बहँकानेका अपराधी होचुका ।

स्पष्टीकरण—३—यह अवश्य नहीं है कि सहायता पानेवाला मनुष्य कानूनानुसार अपराध करनेके योग्यही हो या कि उसकी नियत या जानकारीमें वही कुज्ञान हो जो सहायता करनेवालेकी नियत या जानकारीमें है या उसकी नियत या जानकारीमें कुछ कुज्ञान हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकरने कुप्रयोजनसे किसी बच्चे या सिडीको एक ऐसे कामके करनेको बहँकाया कि जिसका करना उस मनुष्यसे अपराध होता जो कानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता और जिसका अभिप्राय शिवशकरकासा होता—तो इस अवस्थामें शिवशकर अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा, चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं ।

(ख) शिवशकरने, रमाशकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उमाशकरको कि जो सात वर्षसे कमती अवस्थाका एक बालक है एक ऐसा काम करनेको बहँकाया जिससे रमाशकरकी मृत्युहो उमाशकरने इस बहँकानेके कारण शिवशकरकी अनुपस्थित अवस्था (गैरहाजिरी) में उस कामको किया कि जिसके कारण रमाशकरकी मृत्यु होगई—यहापर यद्यपि उमाशकर कानूनानुसार किसी अपराध करने योग्य नहीं था तथापि शिवशकरको उसी प्रकारका दंड मिलेगा कि मानों उमाशकर कानूनानुसार अपराध करनेके योग्य था और उसने जातघातका अपराध किया—इसलिये शिवशकर मृत्युदण्डके योग्य होगा ।

(ग) शिवशकरने रमाशकरको किसी रहनेके घरमें आग लगानेके लिये बहँकाया, और रमाशकर अपनी शुद्धिके विगाडके कारण उस कामके गुणको न जानसका या यह न समझसका कि जो मैं कर रहा हू वह अनुचित या कानूनके विरुद्ध है—और रमाशकर शिवशकरके बहँकानेके कारण उस घरमें आग लगाए तो रमाशकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परन्तु शिवशकर घरमें आग लगानेके अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उस दंडके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है ।

(घ) शिवशकर इस अभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावे, रमाशकरको यह बहँकावे कि उमाशकरका माल उमाशकरके पाससे लेआवो और रमाशकरको यह निश्चय कराए कि वह माल मेरा है—और रमाशकर शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि वह माल शिवशकरका है उसे उमाशकरके अधिकारसे निकाल जाए तो ऐसी अवस्थामें, जो कि रमाशकर ऐसी गलत समझीके कारण यह बर्ताव करता है न कि कुप्रयोजन (बद् दिशानती) से मालको लेता है, उस अपराधसे वह चोरीका अपराधी न होगा परन्तु शिवशकर चोरीमें सहायता करनेका अपराधी और उस दंडके योग्य होगा जो उसको उस अवस्थामें होता जब कि रमाशकर चोरीका अपराध करता ।

स्पष्टीकरण—४—जो कि अपराधमें सहायता करना अपराध है तो ऐसी सहायतामें सहायता करना भी अपराध है ।

उदाहरण ।

शिवशकर रमाशकरको बहँकावे कि तुम उमाशकरको हरशकरके मारडालनेके लिये बहँकावो और रमाशकर उसके अनुसार उमाशकरको हरशकरके मारनेके लिये बहँकावे और उमाशकर रमाशकरके बहँकानेसे उस अपराधको करे तो रमाशकर इस अपराधके बदले उस दंडके योग्य होगा जो शातघातके बदलेमे ठहराया गया है और जो कि शिवशकरने रमाशकरको उस अपराधके करनेके लिये बहँकाया है इसलिये शिवशकरभी उसी दंडके योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—५—सम्मतिके द्वारा सहायताका अपराध करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि सहायता करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यत्नमें सम्मिलित हो जो उसे करता है बरन् यही बहुत है कि वह उस सम्मतिमें सम्मिलित हो जिसपर वर्ताव करनेसे वह अपराध हुआ ।

उदाहरण ।

शिवशकरने उमाशकरको विष देनेके लिये रमाशकरके साथ परामर्श किया और वह ठहराव हुआ कि शिवशकर विष देवे, इसके पश्चात् रमाशकरने इस सम्मतिके वृत्तान्तकी हरशंकरसे प्रगट किया और कहा कि एक तीसरा मनुष्य विष देगा परन्तु शिवशंकरका नाम न बतलाया और हरशंकरने विष ला देना स्वीकार किया और लाकर इस अभिप्रायसे रमाशकरको दिया कि वह ऊपरके कहे हुए कामको करे—फिर शिवशकरने विष खिलवाया कि जिसके कारण उमाशकर मर गया तो ऐसी अवस्थामे यद्यपि शिवशकर और हरशंकरमें कुछ सम्मति नहीं हुई तथापि शिवशकर इस सम्मतिमें सम्मिलित रहा जिसपर वर्ताव करनेसे उमाशकरका वध हुआ—इसलिये शिवशकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इम दफामे कहा है और वह उस दंडके योग्य होगा जो वधके बदले ठहराई गई है ।

(१०८) यदि कोई मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर किसी ऐसे कामके होनेमें

ब्रिटिश इंडियामे उन अपराधोकी सहायता करना जो उसके बाहर हो } सहायता करे जो ब्रिटिश इंडियासे पृथक् या उससे बाहर हो }
 और ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेमें जो एक अपराध गिना-जाता तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दण्डसंग्रह हिंदके कानूनानुसार उस अपराधमें सहायता की ।

उदाहरण ।

(क) ने ब्रिटिश इंडियामे (ख) को जो अन्य देशका रहनेवाला है और गोवामे है, गोवामे मारनेको बहँकाया तो ऐसी अवस्थामें (क) शातघातके अपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा ।

१—यह दफा ऐक्ट न० ४ सन् १८९८ ई० के अनुसार, जिसके अनुसार टण्डसग्रह हिंदू अद्व हुआ है, बढ़ाई गई है ।

२—एक मनुष्य दो मनुष्योंके आक्रमणसे मर गया, परंतु इस बातका निश्चय न हुआ कि किसने मारा तो वे दोनों मनुष्य असल अपराधियोंके समान अपराधी होंगे न कि मंहायकोंके समान (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४९)

३—अपराधके तमाशा देखनेवालेके समान एक लीको मती होते हुए देखते थे परंतु वे उनके किसी काममें सयुक्त नहीं हुए—खोज करनेसे जानागया कि उन्हें पहिलेहीसे जानकारी थी कि अमुक ली सती होनेवाली है और उसी जानकारीके कारण वह अपराध (सती) होनेके समय उस स्थानपर तमाशा देखने गये थे इसलिये वह मनुष्य आत्महत्याकी सहायताके अपराधी ठहराये गये (वीह्नी रिपो- टर जिल्द १ सफा २४६)

* (१०९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे तो यदि उस सहा-
सहायताका दंड, यदि यताके कारणसे वह काम हो जिसमें सहायता कीगई है और इस सप्रहमें एंसी सहायताके दंडके विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा न हो तो उस मनुष्यको वही दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये कोई स्पष्ट आज्ञा न हो ।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या अपराध उस वृहंकानेके कारणसे या उस सम्मतिपर चर्चाव करनेसे या उस सहारेसे हो जिसको सहायता ठहराया गया है तो कहा जावेगा कि उपरोक्त काम या उपरोक्त अपराध सहायताके कारणसे हुआ ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशकरने रमाशकरको कि जो एक सरकारी नौकर है इसलिये कुछ धूम देना कही कि वह अपने ओहदेका काम करते समय शिवशकरके साथ कुछ पक्षपात करे और रमाशकर उस धूमको स्वीकार करे तो शिवशकरने उस अपराधमें सहायताकी जिसका वर्णन दफा १६१ में किया गया है ।

(ख)—शिवशकर रमाशकरको झूठी गवाही देनेके लिये वृहंकावे और रमाशकर उस वृहंकार नेके कारण उस अपराधको करे तो शिवशकर उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उसी दण्डके योग्य होगा जिसके योग्य रमाशकर है ।

(ग)—शिवशकर और रमाशकर उमाशकरके विष देनेकी सम्मति करें और इस सम्म- तिपर चर्चाव करके विष लावे और इस अभिप्रायमें रमाशकरको दें कि वह उमाशकरको खिलावे और रमाशकर इस सम्मतिके अनुसार शिवशकरके वहा न होनेपर उमाशकरको विष दे और

उस विपसे उमाशंकर मरजावे तो इस अवस्थामे रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर उस अपराधमें सम्मतिके द्वारा सहायता करनेका अपराधी होगा और ज्ञातघातके दण्ड योग्य होगा ।

१—शिवशंकरने एक सतीकी चिता जलानेकी रमाशंकरको अज्ञाती, रमाशंकरने उस समय तो उसकी बात न स्वीकार की परंतु जब वह स्त्री उस चितासे भाग गई तब उसको फिर चितामे जानेके लिये बहँकाया—इसलिये शिवशंकर ज्ञातघात घातकी सहायताका अपराधी और रमाशंकर अात्महत्याकी सहायताका अपराधी ठहराया गया । (श्रील्लि रिपोर्टर जिल्ड १ सफा १७४)

२—यदि कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध दूसरा ब्याह करे तो पंडित जो इस ब्याहको करावे दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १०९ के अनुसार दफा ४९४ के अपराधका सहायक है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्ड ६ सफा १२६)

(११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होनेमे सहायता करे तो यदि वह मनुष्य सहायताका दण्ड, यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे उस अपराधको किसी ऐसे अभिप्रायसे करे जो सहायकके अभिप्रायसे विरुद्ध हो । कि जिसकी सहायता कीजावे उस अपराधको किसी ऐसे अभिप्राय या जानकारीसे करे जो सहायता करनेवाले मनुष्यके अभिप्राय या जानकारीके विरुद्ध हो तो सहायता करनेवालेको उस अपराधका दण्ड दिया जायगा कि जो अपराध इत अवस्थामे होना कि जब वह काम किसी और अभिप्राय या जानकारीसे नहीं बरन् सहायता करनेवालेकेही अभिप्राय या जानकारीसे किया जाना । (दफा ४० मी देखो)

(१११) जब कि सहायता तो एक कामकी कीजावे और काम कोई दूसराही हो जावे तो सहायता करनेवाला उस कामके सम्बन्धमें कि जो दण्ड जब कि एक काममे सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय । हो जावे तो सहायता करनेवाला उस कामके सम्बन्धमें कि जो हुआ है उसी प्रकारसे और उतनाही दण्डके योग्य होगा कि मानों उसने भली प्रकारसे उस उपरोक्त कामकी सहायता की परन्तु नियम यह है कि, वह काम जो हुआ इस प्रकारका है कि सहायतासे उसका होजाना अति समाहित पाया जाय और यह कि वह काम वहकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे जिसको सहायता ठहराया गया है होवे ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकर एक लडकेको रमाशंकरके भोजनमे विप डालनेके लिये बहँकावे और इसी अभिप्रायसे उसको विप दे—उस बहँकानेके कारण वह लडका उमाशंकरके भोजनमे जो रमा

शकरके भोजनके पास रखवा हो भूलकर विषडालटे तो इस अवस्थामें यदि उपरोक्त लडकेने शिव-शकरके बर्हेकानेसे वह बर्ताव किया हो और वह काम जो हुआ ऐसी अवस्थाओमें कदाचित् उस सहायताका परिणाम हो तो शिवशकर उसी प्रकार और उतनाही अपराधी होगा कि मानों उसने लडकेको उमाशकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बर्हेकाया ।

(ख)—शिवशकरने रमाशकरको उमाशकरका घर जला देनेके लिये बर्हेकाया, रमाशकरने घरमें आग लगादी और उसी समय वहांका धनभी चुरालिया तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशकर घर जला- देने में सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक पृथक्ही काम था और घर जलानेका परिणाम सम्भवित न था ।

(ग) शिवशकरने रमाशकर और उमाशकर दोनोको किसी बसे हुए घरमें जोरीसे चोरी करनेके लिये आधीरातके समय बलपूर्वक घुसनेको बर्हेकाया—और इस अभिप्रायके कारण शिवशकरने उन्हें हथियार लादिये—यदि रमाशकर और उमाशकर बलपूर्वक उस घरमें घुसजावें और घरवालोमेंसे एक मनुष्य हरशकरको जो उनका सामना करे मारडालें तो ऐसी अवस्थामें, यदि वह मारडालना सहायताका परिणाम सम्भवित था तो शिवशकर उस दंडके योग्य होगा जो जातघातके लिये ठहराया गया है ।

(११२) यदि वह काम, जिसका सहायक दफ्ता १११ के अनुसार दंडके योग्य

<p>जिस काममें सहायता की गई हो—और जो काम किया गया है उसके लिये सहायक कथ दोनो दंड पा देगा</p>	}	<p>है उस कामके अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता की गई है और वह वास्तवमें दूसराही अपराध हो तो सहायक उन अपराधोंमेंसे प्रत्येक अपराधके लिये दंडके योग्य होगा ।</p>
---	---	---

उदाहरण ।

शिवशकरने किसी सरकारी नौकरकी कीहुई कुर्कीमें बलपूर्वक सामना करनेके लिये रमाशकरको बर्हेकाया और रमाशकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका और रोकनेमें रमाशकरने जान बूझकर कुर्की करनेवाले ओहदेदारको भारी दुःख पहुँचाया तो यहा उसने दोनों अपराध किये इसलिये वह दोनो अपराधोंके दंड योग्य हुआ और जब कि शिवशकरने यह बात जानली हो कि कुर्कीका सामना करनेमें भारी दुःख पहुँचना अति सम्भवित है तो शिवशकर भी इन दोनों अपराधोंमें दंड योग्य होगा ।

टीप—१—(क) ने (ख) के घरमें बिना उसकी प्रसन्नताके जाकर उसकी स्त्रीके साथ समोग किया—तजबीज हाईकोर्टकी यह हुई कि (क) दोनों अपराधोंके लिये अर्थात् व्यभिचार (जिनाकारी) और बलपूर्वक घरमें घुसने (मदाखलत बेजा) का अपराधी है और वह दोनो अपराधोंका दंड पासकता है क्योंकि वे दोनों अपराध अलग २ हैं—लेकिन ऊपर लिखे अभियोग (हालत) में (ख) की स्त्री कानूनानुसार मदाखलत बेजाके अपराधकी सहायता करनेके योग्य नहीं है । (पजाब रिपोर्ट नं० सन् १८७१ ई०)

(११३) जब किसी काममें सहायता कीजावे और सहायता करनेवालेका यह

दंड सहायकको उस परिणामके बदले जो उस कामसे उत्पन्न हो जिसकी सहायता कीजावे और जो परिणाम काम करनेवाले के अभिप्राय विरुद्ध हो, } अभिप्राय हो कि उससे कोई विशेष परिणाम होवे और वह काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है किसी ऐसे परिणाम को उत्पन्न करे जो उस परिणामके विरुद्ध हो कि जो सहायककी नियत (इच्छा) में था तो सहायक उस परिणामके कारण जो उत्पन्न हुआ उसीप्रकार और उतनाही दंड योग्य होगा

कि मानो उसने उस परिणामके उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे उस काममें सहायता की, परंतु नियम यह है कि जब वह यह जानता हो कि उस कामसे (जिसमें सहायता की गई है) उस परिणामका उत्पन्न होना सम्भव है ।

शिवशंकरने, उमाशंकरको भारी दुःख पहुँचानेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उस बहँकानेके कारण उमाशंकरको भारी दुःख (जरूरशरीदी) पहुँचाया और उमाशंकर इसी कारणसे मरगया—तो इस अवस्थामे यदि शिवशंकर यह जानता था कि उस भारी दुःखके कारण मृत्यु होनेका मय है तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो वध अपराधके बदले ठहराया है । (देखो दफा ४०)

(११४) जब कोई मनुष्य, जो अनुपस्थित (गैरहाजिरी) अवस्थामे सहायता अपराध किये जानेके } करनेके लिये दंडके योग्य होता तो उस काम या अपराध होनेके समय सहायकका होना, } समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करनेके कारण दंडके योग्य होता तो वह उस काम या अपराधका करनेवाला समझा जावेगा—

१—इस अभियोगमे अपराधी वधके समय उपस्थित था और वह यह नहीं जानता था कि ऐसा काम होवेगा—इसके मारे उसने उपरोक्त अपराधके रोकनेका कोई यत्न नहीं किया वरन् उस मरे हुए मनुष्यकी लाश छिपानेमें वधियों (अपराधियों) के साथ मिलगया—तजवीज हाईकोर्ट की यह हुई कि अपराधी वध करनेकी सहायताका अपराधी नहीं था वरन् वह उपरोक्त अपराधकी गवाहोंको भित्तिदेनेका अपराधी दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ के अनुसार होगा (चीफ़ी रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८०)

(११५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेमें सहायता करे जिसके त्रद-

उस अपराधमे सहायता करना कि जिसका दंड मृत्यु या देश निकालेका है यदि अपराध सहायताके कारण न हो । } लेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मध्ये इस संग्रहमें कोई दंड न ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और वह धन दंडके भी योग्य होगा ।

और यदि कोई ऐसा काम किया जावे जिसके मध्ये सहायक सहायताके कारण यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजावे, दंडके योग्य है- और जिस- कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचे तो सहायक दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदके योग्य होगा जिसका अवधि १४ वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उदाहरण ।

शिवशकरने रमाशकरको उमाशकरके मार डालनेके लिये बहूँकाया परन्तु रमाशकरसे यह अपराध नहीं हुआ परन्तु यदि उमाशकरको मारडालता तो वह मृत्युदंड या देश निकालेके दंडका भागी होता तो इस अवस्थामें शिवशकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि इस सहायताके कारणसे उमाशकरको कुछ हानि पहुँचे तो शिवशकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्ष तक होसकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(११६) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे जिसके बदलेमें

उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड कैद है यदि अपराधका होना सहायताके कारण न हो } कैदका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मध्ये इस सप्रहमे कोई विशेष दण्ड भी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी अवधि (मीआद) उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक हो सकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जायेंगे ।

और यदि सहायक या सहायता पानेवाला सरकारी नौकर हो तो सहायकको

यदि सहायक और जिसकी सहायता कीजाय दोनोंही सरकारी नौकरहो जिसपर अपराधका रोकना कर्त्तव्य है, } उस प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधे तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जायेंगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर रमाशकरको जो सरकारी नौकर है कुछ धूस इनामकी तौरपर इसलिये देने केहे कि रमाशकर अपने ओहदेके काममें कुछ पक्षपात करे और रमाशकर धूस लेनेसे नाही करे तो शिवशकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(ख) शिवशकरने रमाशकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकाया इस अवस्थामें यदि रमाशकर झूठी गवाही न दे तो भी शिवशकर उस अपराधका करनेवाला होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है और उसीके अनुसार दण्डके योग्य होगा ।

(ग) शिवशकर एक पुलीसके ओहदेदारने जिसका काम चोरीके रोकनेका है चोरी होनेमें सहायता की इस अवस्थामें यद्यपि चोरी न भी हुई तो भी शिवशकर उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक आधे भागके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(घ) रमाशकर चोरीके होनेमें शिवशकरकी सहायता करे और शिवशकर पुलीसका एक ओहदेदार हो जिसपर ऐसे अपराधके होनेका रोकना उसका कर्तव्य कर्म है तो इस अवस्थामें चाहे चोरी न भी हो तो भी रमाशकर उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक आधेके योग्य होगा जो चोरीकी चोरीके बदलेमें ठहराई गई है ।

(११७) जो कोई मनुष्य सर्व साधारण मनुष्योंको या मनुष्योंके किसी समूहको सहायता पहुँचाना किसी अपराधके करनेमें सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्योंके द्वारा । } जो दश मनुष्योंसे अधिक हो किसी अपराधके करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारके कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड अथवा कैद और जुर्माना दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे । (दफा ४० को देखो)

उदाहरण ।

शिवशकर किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमें एक विज्ञापन लगावे जिससे किसी सम्प्रदाय (फिर्का) को जिसकी संख्या दशसे अधिक हो यह बहँकावे कि वह किसी मुख्य समय और स्थान पर इस अभिप्रायसे इकट्ठे हो कि प्रतिकूल सम्प्रदायके मनुष्यों पर जब कि वह समाज बांधे हुए जाते हैं आक्रमण (हमला) करें तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(११८) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे, कि किसी अपराधका उद्योग किसी ऐसे अपराधके उद्योगको गुप्त रखना जिसका दण्ड मृत्यु या देश निकाला है । } जिसका दण्ड मृत्यु या देश निकाला है सहज होजावे या यह जान कर कि उसका सहज होना संभव है किसी काम अथवा कानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा उस उद्योगको छिपावे जो ऐसे अपराधके होनेको किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता है तो उस अपराधके हो जानेपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों

प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और यदि अपराध न हो तो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और प्रत्येक अवस्थामें वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उदाहरण ।

गिवगकर यह जानकर कि रामनगरमें डाका पडनेवाला है साहब मजिस्ट्रेटको झूठी सूचना (खबर) दे कि चन्द्रनगरमें जो दूसरी ओर है शीघ्रही डाका पडनेवाला है और इस प्रकार साहब मजिस्ट्रेटको धोखा दे इस अभिप्रायसे कि उस कामका होना सहज होजावे और इस उद्योगपर बर्ताव करनेसे रामनगरमें डाका पडजावे तो गिवगकर इस दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

ट्रिप १—मदरासमें चार अपराधियोंको बंधके अपराधमें दंड दियागया और पॉंचवें अपराधीकी तजवीज (विचार) जो मारेगये मनुष्यकी ली थी, दंडसग्रह हिदकी दफा ११८ के अनुसारकी गई—हाईकोर्टने इस अपराधिनिको दंड दिया, क्योंकि जाचनेसे यह पाथागया कि लीको उसके स्वामीके बंधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था और उसने इस वृत्तान्तको अपने स्वामीसे छुपाया—(मदरास केस नं० ३० सन् १८६८ ई०)

(११९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका

सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके उद्योगको छिपावे जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य है, } होना कि जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य कर्म (फर्ज) है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज होजाना सम्भव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उद्योगको छिपावे जो होनेवाले अपराधके लिये किया गया हो या उस उद्योगके मध्ये

कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो उस अपराधके होजानेपर उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदके एक आधेतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है अथवा कैद और जुर्माना दोनो दंड दिये जावेंगे—और—

यदि उस अपराधके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो

यदि अपराधका दंड } दोनो प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद दश वर्षतक मृत्यु आदि हो. } है होसकती है और यदि अपराध न हुआ हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या कैद और जुर्माना दोनोही दंड दिये जायगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर पुलीशके ओहदेदारको कानूनानुसार उचित है कि जोरीकी चोरी (सरका विल-जत्र) के उद्योगकी जो उसको श्रात हो सूचना करे और शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकर जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा है ऐसी सूचना करनी इस अभिप्रायसे रहित करे कि उस अपराधका होना सहज होजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने कानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा रमाशंकरके होते हुए उद्योगको छिपाया, इसलिये इस दफाकी आजानुसार वह दंडके योग्य हुवा ।

(१२०) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना, जिसके उस अपराधके होनेके बदलेमें कैदका दंड ठहराया गया है सहज होजावे या यह जानकर उद्योगको छिपाना जिसका दंड कैद है. } कि उसके सहज होजानेका संभव है किसी काम या कानूनविरुद्ध चूककेद्वारा अपनी इच्छासे उस होते हुए उद्योगको छिपावे जो उपरोक्त अपराधके होनेके लिये किया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई ऐसा वर्णन करे जिसको वह झूठा जानता हो तो यदि उपरोक्त अपराध होवे तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदके बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है और यदि अपराध न हुवाहो तो कैद एक आठवे हिस्सेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है अथवा उम जुमानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

नोट—इस दफामें लिखे हुए दंड उन सरकारी नौकरोंके मध्ये अधिक कडे हैं जिनका काम अपराधके रोकनेका है—इस दफाके साथ मजमूआ जाब्ता फौजदारी ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ देखी जाय ।

अध्याय छठा ६.*

राजविद्रोहके अपराधोके विषयमे ।

(१२१) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या ऐसे युद्ध करनेका श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना. } उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्यु या देश निकालेका दंड दिया जावेगा और उसका सत्र धन (जायदाद) जप्त किया जायगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवगकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विद्रोहमें साक्षी हो तो शिवगकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशकर, जो हिन्दुस्थानमे है विद्रोहियोंको हथियार भेजकर एक विद्रोहमे सहायता करता है जो सीलोनटापूमे श्रीमती महारानीके विरुद्ध हुई हो, ऐसी अवस्थामें शिवगकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होगा ।

टीप—(१) सुकदमे का विचार अदालत सेगन करसकती है ।

(२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती ।

(३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ।

(४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है ।

(५) राजीनामा (सधि) नहीं हो सकता है ।

(६) मजूरी दरकार है ।

(१२१) (अ) जो मनुष्य कि ब्रिटिश इंडियामे या उससे बाहर किसी उन अपराधोके कर- } अपराधको मरनेके लिये जो दफा १२१ के अनुसार दंडके नेम उद्योग जो दफा १२१ के अनुसार दंडके योग्य है, या श्रीमती महारानीको ब्रिटिश इंडिया या उसके किसी भागके अधिकारसे अधिकार रहित (वे दखल) करनेके लिये उद्योग करे या अपराधयुक्त बलके द्वारा अथवा अपराधयुक्त बल दिखाकर गवर्नमेंट हिंद या किसी लोकल स्थानिक गवर्नमेंटकी न्यूनताके लिये उद्योग करे तो वह मनुष्य जन्म भरके लिये या इससे कम मीआदके लिये देश निकालेके दंड योग्य होगा या उसे दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है ।

* ऐक्ट २७ सन् १८७० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो ।

समस्त मनुष्योको उचित है कि दफा १२१ से १२६ तक के १३० दफाके अपराधोकी सूचना करें देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा २४

स्पष्टीकरण—इस दफाके अनुसार सहायता दिये जानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा कानून विरुद्ध चूक उसके उद्योगमें दिखाई दे । (दफा ४ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेवान् मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है (२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरी दरकार है ।

(१२२) जो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोले ब्राह्मदकी किस्मसे श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे शस्त्र आदि इकट्ठा करना, } कोई सामान इकट्ठा करे या किसी और प्रकारसे युद्धकी तैयारी करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करनेपर तैयार रहे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनो प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और उसका कुलधन (जायदाद) जप्त होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान् मुकद्दमेकी तजवीज करसकती है (२) विना वारंट मजिस्ट्रेटके पोलीस अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (४) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (५) राजीनामा नहीं हो सकता (६) मजूरी दरकार है ।

(१२३) जो कोई मनुष्य किसी काम या कानूनविरुद्ध चूकद्वारा किसी होने हुए युद्ध करनेके थलको उसके सहज करनेके अभिप्रायसे छिपाना, } उद्योगको जो श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये किया गया है, छिपावे इस अभिप्रायसे या यह जाननेके समझसे कि ऐसे छिपानेसे युद्धका करना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान्, (२) पोलीस दस्तन्दाजी (इस्ताक्षेप) नहीं कर सकती, (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा, (४) जमानत नहीं है, (५) राजीनामा नहीं हो सकता है, (६) मजूरी दरकार है ।

(१२४) जो कोई मनुष्य गवर्नरजनरलहिद या किसी प्रेजीडेसीके गवर्नर नवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर किसी उचित अधिकारके बर्तनेपर विवश करना या बर्तनेसे रोकनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना, } या लेफिटनेन्टगवर्नर या गवर्नरजनरल बहादुर हिदकी कौंसलके मेंबर (सभासद) पर आक्रमण करे या उसे अनीति रीति (मुजाहिमत बेजा) से रोकें या अनीति रीतिसे रोकनेका उद्योग करे या किसी अपराध संयुक्त बल (जन्न मुजरिमाना) के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर डरावे या इस प्रकार डरानेका उद्योग करे इस अभिप्रायसे कि वह उस गवर्नर

जनरलवहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौंसलके मेबरको दवावे या विवश करे कि वह गवर्नरजनरलवहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौंसलके मेबर किसी प्रकार अपने उचित अपराधमेंसे किसी अधिकारको वर्त्ते या किसी प्रकार वर्त्तनेसे रुका (बाज) रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पुलिस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं हो सकता (६) मजूरी दरकार है।

(१२४) * (अ) जो मनुष्य शब्दोद्वारा जो बोले गय या लिखे गये हो या बुरे विचारोका उत्पन्न करना } चिह्नोद्वारा या आखसे देखने योग्य कोई नकल बनाकर या और किसी भातिपर घृणा (नफरत) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवर्नमेन्टके मद्धे जो ब्रिटिश इंडियामे स्थिर कीगई है, उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभर या कुछ कम मीमादके लिये देश निकालेका दंड हो सकता है जिसपर जुर्माना भी बढ़ाया जा सकेगा या कैदका दंड जुर्माना सपेत जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण—१—“बुरे विचार” के शब्दमे कृतघ्नता (बेवसाई) और शत्रुताके समस्त विचार सयुक्त है।

+स्पष्टीकरण—२—सरकारके—उद्योगोके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ता-चीनी (टीका) करना इस अभिप्रायसे, कि उचित रीतोद्वारा उनमे अदल बदल कराया जावे विना इस बातके कि, घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहरता।

* दफा ५—ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो।

इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दंडके योग्य है (ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० की दफा १३ व १४ को देखो।

+ बुरे विचारों और अप्रसन्नताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ० लॉ० रि० कलकत्ता जिल्दे ६९ सफा ३५.

स्पष्टीकरण ३—सरकारके प्रबन्ध या किसी और कामके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी अर्थात् टीका करना विना इस बातके कि घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहराता ।

(टीप) — (१) अदालत सेशन या चीफ प्रे० म० या मजिस्ट्रेट जिला या म० दर्जा अक्वल जिस्से लोकल गवर्नमेंटने इस बारेमे अधिकार दिया हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

(१२५) जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी किसी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती किसी एशियाई देशकी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती महारानीसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा और इसके सिवाय जुर्माना भी होसकता है या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका भीआद सात वर्षतक हो सकती है और अतिरिक्त इसके जुर्माना भी हो सकता है या केवल जुर्मानेका दण्ड दिया जावेगा ।

टीप— (१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी हस्ताक्षेप नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

(१२६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशमें छूट मारकरे या छूटमार करनेकी तैयारी कें ऐसे अधिपतिके राज्यमे छूट मार करेना जो श्रीमती महारानीसे संधि रखता हो । जिसका अधिपति श्रीमती महारानीसे मित्रता या संधि रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायेगा जिसका भीआद सात वर्षतक हो सकता है और वह मनुष्य जुर्मानेका तथा उस माल व असबाबकी जन्तीके भी योग्य होगा जो उस छूटमारके काममें आरय हो. या जिसका उसके काममे आना समभव हो जो उस छूटमारके द्वारा प्राप्त हुवा है ।

टीप— (१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारन्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

(१२७) जो कोई मनुष्य कोई माल या असबाब यह जानकर ले कि वह उन अप-
 लेना उस मालका जो) राधोंमेंसे किसी ऐसे अपराधके द्वारा प्राप्त किया गया है जिनका
 दफा १२५ व १२६के अ-) वर्णन दफा १२५ व १२६ मे हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको
 नुसार युद्ध व लूटमारके) दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी
 द्वारा प्राप्त किया गया हो ।) मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका और
 उस माल व असबाबकी जन्तीके भी योग्य होगा जिसको वह इस प्रकार अपने
 अधिकारमे लाया हो ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम
 जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१२८) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई

सरकारी नौकर को) राज्यविरोधी कैदी या युद्ध कैदी हो, उस कैदीके किसी स्थानसे
 अपनी चौकसीसे किसी) जहा वह कैद है जानबूझकर भाग जाने दे तो उपरोक्त मनुष्यको
 राज विरोधी अपराध के) जन्म मरके लिये देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी
 कैदी अथवा युद्धके कैदी) कैदका दंड दियो जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है
 को भाग जाने देना,) और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम
 जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरी दरकार है ।

(१२९) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई

सरकारी नौकरका अप-) राज्यविरोधी कैदी या युद्धका कैदी हो असावधानी (गफलत)
 नी-चौकसीसे किसी राज्य) से उस कैदीको उस स्थानसे कि जहा वह कैद है भाग जानेदे तो
 विरोधी कैदी या युद्धके) उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी
 कैदी को भाग जाने देना,) मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अब्बल (२) अदम दस्तन्दाजी
 पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं
 है (६) मजूरी दरकार है ।

(१३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी राज्यविरोधी कैदी या युद्धके कैदीको

उपरोक्त कैदीको भाग) उचित चौकसीसे भाग जानेमें सहायता करे अथवा सहारा दे या
 जानेमें सहायता करना या) किसी ऐसे कैदीको छुडा लेजाय या छुडा लेजानेका उद्योग करे या ऐसे
 उसको छुडाना या मरण) कैदीको जो उचित चौकसीसे भाग गया हो शरण दे या छिपारखे
 देना,) या किसी ऐसे कैदीके फिर पकडनेमें किसी प्रकारकी रोकटोक करे या

रोकटोक करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मनिके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—कोई राज्यविरोधी कैदी अथवा युद्धका कैदी जिसको ब्रिटिश इन्डियाकी नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार फिरनेकी आज्ञा हुई हो कदाचित् वह उसी सीमाके भीतर फिरनेकी आज्ञा हुई है बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि वह उचित चौकसीसे भाग गया ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

अध्याय सातवाँ ७.

जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें ।

(१३१) जब कोई मनुष्य, विद्रोह करनेमें जो श्रीमती महारानीकी जगी या

वर्गावतमें सहायता
करना या किसी सिपाही
जहाजी क्वेटको उ-
सके कामसे बर्हकानेका
उद्योग करना.

जहाजी सेनाकी अपसर या सिपाही या जहाजी क्वेटकी ओरसे हो,
सहायता करे या ऐसे अपसर या सिपाही या क्वेटको नौकरी या नौक-
रीका काम न करनेके लिये बर्हकानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनु-
ष्यको जन्म भरके देश निकालेका या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रका-

रकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मनिका भी देनदार होंगो ।

स्पष्टीकरण—इस दफामे शब्द “अपसर” और “सिपाही” के अर्थमें प्रत्येक मनुष्य गिना जायगा जो आरटिकल्स आफ वार धर्म प्रबन्धी सेना श्रीमती महारानीके अधीन है या जो आरटिकल्स आफ वार ऐक्ट १ सन् १८७९ के ई० लेखानुसार हो । (दफा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट वनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१३२) जब कोई मनुष्य विद्रोह करनेमें, जो श्रीमती महारानीके जगी या जहाजी विद्रोहमें सहायता करना जब कि वह विद्रोह उसी सहायताके कारण होनाय } सेनाके किसी अपसर या सिपाही या जहाजी क्वेटकी ओरसे हो, सहायता करे और यदि उसकीही सहायताके कारण विद्रोह होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्युदंड या जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दस वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पुलिस हस्ताक्षेप करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३३) जब कोई मनुष्य किसी आक्रमण (हमले) में सहायता करे जो श्रीमती किसी आक्रमणमें सहायता देना जो कोई सिपाही या जहाजी क्वेट अपने ऊपरके अपसर पर जब कि वह अपने ओहदेका काम कर रहा हो } महारानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अपसर या सिपाही जहाजी क्वेट अपने ऊपरके अपसरपर करे उस अवस्थामें कि जब वह अपने ओहदेका काम कर रहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्र० म० या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट वनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३४) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे आक्रमणमें सहायता करे जो श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अपसर या सिपाही या जहाजी क्वेट अपने किसी ऊपरके अपसर पर ऐसे अवस्थामें करे कि जब वह अपने ओहदेका काम कर रहा है तो यदि उस सहायताके कारण वह आक्रमण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट वनाम अपराधी (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जगी या जहाजी सेनाके किसी अपसर या सिपाही या जहाजी क्वेटकी नौकरी परसे भाग जानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दायम (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३६) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूटके श्रीमती महारानीकी जंगी नौकरीसे भागे हुएको } अथवा जहाजी सेनाके किसी अप्सर या सिपाही या जहाजी कैच-
जरण (पनाह) देना. } टको यह जानबूझकर या जाननेका कारण रखकर कि यह अप्सर या सिपाही या जहाजी कैचट अपनी नौकरीसे भाग आया है शरण दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

छूट—यह नियम उस अवस्थामे सम्बन्ध न रखेगा जब कि कोई स्त्री अपने स्वामीको शरण दे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३७) उस सौदागरी जहाजका नावपति या अधिकारी जिसपर कोई ऐसा मनुष्य भागे हुएका सौदा-गरी जहाजमें नावपतीकी असावधानीसे छुपाहोना. } छुपा हो जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाजी सेनाकी नौकरीसे भाग गया है जुर्मानेके दंडके योग्य होगा जो पांचसौ रुपयेसे अधिक न हो चाहे उस छुपे होनेकी उसको जानकारी न हो; परन्तु शर्त यह है कि उस छुपे होनेका माझमरर लेना उसके अधिकारमे था यदि वह अपने नावपति या अधिकारीपनेके काममे असावधानी न करता या जहाजके प्रबंधमे कुछ खोट न होता ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(१३८) जो कोई मनुष्य किसी काममे सहायता करे जिसको वह श्रीमती किसी डिगही या महारानी जंगी या जहाजी सेनाके किसी अप्सर या सिपाही या जहाजी कैचटकी ओरसे या जहाजी कैचटकी ओरसे आज्ञामररका अपराध जानता है, तो यदि वह आज्ञामररका काम उस सहायताके कारण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है ।
(३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं हो सन्ता ।

(१३८) (अ) इस अध्यायकी ऊपर लिखी हुई टफाये इस प्रकारपर सम्बन्ध ऊपरकी दर्फोंका हिन्दुस्थानकी जहाजी नौकरी से सम्बन्ध रखना. } रक्खेंगी कि मानो हिन्दुस्थानी सरकारकी जहाजी नौकरी श्रीमती महारानीकी जहाजी सेनामे संयुक्त है—(यह टफा एक्ट १४ सन् १८८७ ई० के अनुसार बढाई गई है)

(१३९) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे कानूनके अधीन होवे जो आरटि-जो मनुष्य आरटि-कलस आफ वार कहलाता है और श्रीमती महारानीकी जमी या कलस आफ वारके अधीन-कारमें है वो-इस सग्रहके अनुसार दंड योग्य नहीं है } जहाजी सेना या उपरोक्त सेनाके किसी टुकड़ेके लिये नियत (मुकरर) है तो वह मनुष्य उन अपराधोंसे किसी अपराधके बदलेमें कि जिनका वर्णन इस अध्यायमे किया गया है, इस सग्रहके अनुसार दंड योग्य न होगा ।

(१४०)—यदि कोई मनुष्य जो श्रीमती महारानीकी जमी-या-जहाजी सेनाका सिपाहीके ल्बास (वर्दी) पहिने या ऐसा (वर्दी) का पहिना. } सिपाही न हो कोई ऐसा ल्बास (वर्दी) पहिने या ऐसा चिह्न (निशान) धारण करे जिसको वह सिपाही वर्तता (इस्तेमाल) है इस अभिप्रायसे कि वह ऐसा सिपाही समझा जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी-मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानका दंड जिसकी तादाद ९००) पाचसौ रुपयातक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

अध्याय आठवाँ ८.

सर्वे सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें ।

(१४१) पांच या अधिक मनुष्योंका प्रत्येक जमाव कानून विरुद्ध जमाव कहलावेगा } जब कि उन मनुष्योंका, जिनसे वह जमाव बना है, यह कानूनविरुद्ध जमाव, } अभिप्राय होवे—

पहले—हिन्दुस्थानके लेजिस्लेटिव (कानून बनानेवाली) या इक्जेक्यूटिव (कारव्यवहार करनेवाली) गवर्नमेन्ट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेन्ट या किसी लफ्टेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरको जब कि वह अपनी नौकरीका अधिकार नीतिपूर्वक वर्त रहा हो, अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल (जन्ममुजरिमाना) दिखाकर डराना या—

दूसरे—रोकना किसी कानूनके प्रचारका; या कानूनानुसार आज्ञापत्रका; या—

तीसरे—हानि पहुँचाना या मदाखलत वेजा (अनीतिसे किसीपर अधिकार करना) अथवा किसी और दूसरे अपराधका करना या—

चौथे—अपराध संयुक्त बलके द्वारा या किसी और अपराध संयुक्त बलको दिखाकर किसी मनुष्यसे कोई माल लेना या उसपर अधिकार करना—या किसी मनुष्यको किसी मार्ग अथवा जलाशयका अधिकार भोगनेसे रहित करना अथवा और किसी अमूर्ति (गैरमादी) अधिकारके लाभसे जिसको वह भोग रहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कल्पित अधिकार (इस्तेहकाकख्याली) को काममें लाना; या—

पांचवें—अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर किसी मनुष्यको विवश करना, उस कामके करनेमें जिसका करना उसपर कानूनानुसार उचित न हो या ऐसे कामके करनेमें चुकानेके लिये जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है ।

स्पष्टीकरण—सम्भव है कि कोई जमाव जो जमा होनेके समय कानूनके विरुद्ध न था जमाव होनेके पश्चात् कानूनके विरुद्ध हो जावे (—दफा ४० को देखो)

१—किसी मनुष्यके सम्बन्धमें, कानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना या रहना इस अवस्थामें नहीं कहा जासकता कि जब साक्षी (गवाही) से यह प्रमाणित हो कि वह उस स्थानपर जहां कानूनविरुद्ध जमावके मनुष्य इकट्ठा थे अपने मालको हानिसे बचानेके लिये गया था (बीकली रिपोर्टर बिन्द ३९ सफा ६६)

२—यदि कानूनविरुद्ध जमावका कोई मनुष्य किसी अन्याय (जबर) को करे तो उसके उस कामसे बलके अपराध-उत्पन्न होगा, चाहे वह अन्याय कैसाही तुच्छ क्यों न हो—जब पांच या अधिक मनुष्योका अभिप्राय दफा १४१ में कहे हुए किसी अभिप्रायसे अन्तर्गत हो तो उनका जमाव कानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा चाहे वह अभिप्राय उनके दिलमें जमा होनेके समय उत्पन्न हुआ हो चाहे पीछेसे (पंजाब रिकार्डें नं० ३४ सन् ३८६८ ई०)

३—कानूनविरुद्ध जमावमे सयुक्त होना उस अवस्थामें दंड योग्य न होगा जहां दोनों ओर वालो (फरीकैन) की इच्छा किसी अधिकार या कल्पित अधिकारको काममें लानेकी न हो वरन् किसी अधिकारको बिना रोक टोक स्थिर (कायम) रखनेकी हो जिसे वे उस समय बर्त्त रहे थे। (वीकली रिपोर्टर जिल्द २३ सफा २५)

(१४२) जो कोई मनुष्य उन बातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमावकानून किसी अनीति जमा- } विरुद्ध जमाव कहलाता है स्वयं उस जमावमे साक्षी होजावे या उममें वमे साक्षी (शरीक) होना } बनारहे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य कानूनविरुद्ध जमावका साक्षीदार है ।

(१४३) प्रत्येक मनुष्यको जो कानूनविरुद्ध जमावका साक्षी हो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी दंड (सजा) } प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलिस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

कुछ मनुष्योंकी तजवीज (विचार) के समय कि जिनपर कानूनविरुद्ध जमावका अपराध लगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुछ घर्तीके अधिकारके सम्बन्धमे अपराधी और कुछ दूसरे मनुष्योंमें बहुत समयसे झगडा चला आता है—दोनों ओरके जमावोंमेंसे किसी भी जमावका अधिकार बिना रोक टोकके कमी भी नहीं रहा—अपराधी उस घर्तीमे नील बोनके लिये बहुतसे मनुष्योंका झुंड लेकर गये कि जिनके पास लाठियां थीं और वे आवश्यकताके कारण जवर्दस्ती करनेपर भी तैयार थे और लाठीवालोंने जब कि वह घर्ती कोई जाती थी दूसरे जमाववालोंको अपने हथियार जुमानेके द्वारा दूर रक्खा—हार्डकोर्टकी यह तजवीज हुई कि, दफा १४३ दंडसग्रह हिदके अनुसार अपराधियोपर कानूनविरुद्ध जमावमे साक्षी होनेका अपराध मलीप्रकारसे प्रमाणित है। (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६३९)

किसी गावमे उत्पाती मनुष्योंके दो जमाव थे, उनमेंसे एक जमाववालेने दूसरेको एक ऐसी खाली जगह परसे जलसेके साथ जानेको मना किया, जो उस गावकी आम (सर्व साधारण) सड़क पर है पोलिसने उनको अलग होनेका हुक्म दिया—परन्तु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस लिये पोलिसने दूसरे उत्पाती जमावसे जलसा छोड़ देनेको कहा—तजवीज हुई कि वह मनुष्य जो अलग होजानेका हुक्म देनेपर अलग नहीं हुए कानूनविरुद्ध जमावमे साक्षी होनेके अपराधी थे। (३० ला० रि० मद्रास जिल्द १४ सफा १२६)

(१४४) कोई मनुष्य जो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको किसी कानूनविरुद्ध जमावमे मृत्युकारक हथियारके साथ साक्षी होना. मारनेके हथियारकी मॉति बर्ते जानेसे मृत्युका होना अति सम्भवित हो, बांधकर किसी कानूनविरुद्ध जमावका साक्षी होगा तो उपरोक्त मनुष्योको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) कान्विल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारण्ट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

यदि यह बात प्रमाणित हो कि अपराधी जमावमे साक्षी होनेके अतिरिक्त कानूनविरुद्ध एक बन्दूक या कोई और हथियार ऐसा रखता था जिसको यदि बर्ताजावे तो उससे मृत्यु होसके इसलिये ऐसी अवस्थामे अपराधी दफा १४४ दंडसंग्रह हिन्दके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(१४५) जो कोई मनुष्य किसी कानूनविरुद्ध जमावमे दाखिल होवे यह बात जानकर भी (प्रवेश करे) या दाखिल रहे, यह जानकर कि उस कानूनविरुद्ध जमावको कानूनके ठहराये हुए नियमोंके अनुसार अलग २ (मुतफरिक्) होनेकी आज्ञा हो चुकी है उसमें मिलना या बनारहना, मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोही दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) कान्विल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधीके जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१४६) जब किसी कानूनविरुद्ध जमाव या उसके किसी सार्जिकी ओरसे उपरोक्त बलवा: जमावके साक्षियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेमे अन्याय (जत्र) या कर्बाई (सख्ती) का बर्ताव किया जावे तो उस जमावका प्रत्येक मनुष्य बलवा करनेका अपराधी होगा ।

१—एक जमीदारने अपने असामीको ऐक्ट वसूली लगान मंदरासके अनुसार पट्टा दिया था, जमींदारने लगान न पटने पर पोलीसकी सहायतासे उसके चौपाये कुर्क कर लिये उपरोक्त असामीने व्यासह मनुष्योकी सहायतासे उस कुर्कीको रोका और इसलिये उनपर बलवेका अपराध लगाया गया हाईकोर्टके विचारमे अपराधीका दंड बलवेके अपराधमे सही पायागया—(इ० ल० रि० मंदरास जिल्द १३ सफा १४८)

२—कानूनविरुद्ध जमयका, कि जिसके कुछ साक्षियोंने किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुंचाया था, कोई साक्षी उचित रीतिपर बलवेके अपराध और भारी दुःख पहुंचानेके अपराधका दंड नहीं पासकता । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा २९)

(१७७) जो कोई मनुष्य बलवा करनेका अपराधी हो उसे दोनो प्रकारोंमेंसे किसी

बलवेका दंड } प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीमाद दो वर्ष तक

हो सकती है या जुमानेका दंड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नामजारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—कुछ मनुष्योंने परस्परकी शत्रुताके कारण एकसाथ उपद्रव किया जिसका फल यह हुआ कि एक मनुष्यको भारी चोट लगी और वह उसके कारण मरगाया—तजवीज हुई कि जो कि कोई जमाव कानूनविद्वद् न था इसलिये बलवेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता—अपराधी पर उपद्रव (हंगामे) का अपराध ठहराना या और अदालतने इस बात पर कि इन अपराधियोंमेंसे कौन मनुष्य जातवत् घातका अपराधी हुवा या विचार नहीं किया । (वी० रि० जिल्द १४ सफा ७२)-

२—दो जमावोंको बलवाले अपराधमें दंड हुवा, एक जमावमें पांच मनुष्योंसे कम न थे और उनके सम्बन्धमें यह मालूम हुवा कि वे लडाईके समय इकट्ठा हुए थे और वह और उनके शत्रु खठियां—बांधकर लडनेके लिये आये थे—तजवीज हुई कि उनको बलवेका दंड देना उचित था—क्योंकि उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करनेका था—दूसरे जमावमे केवल चार मनुष्य थे और यह बात मालूम नहीं कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योंके साथ क्या अभिप्राय रखते थे और लडाई भी किसी सर्व साधारण स्थानपर नहीं हुई थी इसलिये दूसरे जमावको बलवेके अपराधमें दंड देना अनुचित है और तजवीज हुई कि लडाई किसी सर्व साधारण (नियत) स्थानपर होती तो यह समझा जासकता था कि दोनों जमावोंका—यह अभिप्राय था परस्पर उपद्रव—(हंगामालडाई) किया जावेगा (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफा २०८)

(१४८) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या ऐसी वस्तुको लेकर कि यदि मृत्युकारक हथियारके उसको हथियारकी मौति काममें लाए तो उससे मृत्यु होना साथ बलवा करना } सम्भवित है बलवा करनेका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है या जुमानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रेसीडसी मजिस्ट्रेट या म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

यह बात आई कि “ लाठी ” दफा १४८ दंडसंग्रह हिंदके अभिप्रायसे मृत्युकारक हथियार है या नहीं—यह एक बात है कि जिसका (निश्चय) मुकद्दमेकी विशेष अवस्था पर होना चाहिये (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९)

कुछ मनुष्योंने कैदियोंपर इस अभिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फसल (खेत) काटलेवे कैदियोंने उनका सामना किया और पुलीसको सूचना देनेका अवसर न पाकर बांसे उन आक्रमण करने वालेके एक मनुष्यको चोट पहुँचाई जिसके कारण वह मरगया, सेशन जजने कैदियोंको दफा १४८ व १४९ के अपराधमे दंड किया और हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि कैदियोंने जो उनका सामना किया था और जो चोट आक्रमण करने वालेको पहुँचाई थी वह उनके निज-रक्षाके अधिकारके वर्त्तावसे बाहर न था इसलिये कैदी छोड़े गये । (बंगाल ला० रि० जिल्द ६ सफा ९)

(१४९) यदि कानूनविरुद्ध जमावके किसी साक्षीकी ओरसे उस जमावका-अभिप्राय

कानूनविरुद्ध जमाव- का प्रत्येक साक्षी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा जो सब साक्षियों- का अभिप्राय प्राप्त होनेके लिये किया जाय.	}	प्राप्त करनेमे कोई अपराध हो या कोई ऐसा अपराध हो जिसको उस जमावके साक्षी जानते हों कि उस अभिप्रायके प्राप्त करनेमें उसका (अपराध) होना सम्भवहै तो प्रत्येक मनुष्य जो उस अपराधके समय उस जमावका साक्षी है उपरोक्त अपराधका अपराधी है ।
--	---	--

१—एक जमावके बहुतसे मनुष्योंने दूसरे जमावके मनुष्योंकी राह रोकी जिसका फल यह हुवा कि परस्पर लड़ाई होने लगी—पहिले जमावका एक मनुष्य घायल होकर सड़कके एक किनारे पर होगया और फिर उस लड़ाई मे साक्षी न हुआ, उसके अलग हो जानेके पश्चात् दूसरे जमावका एक मनुष्य मारा गया—तजवीज हुई कि उस घायल मनुष्यका उसके अलग होनेके पश्चात् कानूनविरुद्ध जमाव मे रहना नहीं ठहरता, और उसके ऊपर दफा १४९ के अनुसार वधका अपराध नहीं ठहर सकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १)

२—कुछ मनुष्य जो कानूनविरुद्ध जमावमे साक्षी थे (अ) को ले भागनेके अभिप्रायसे निकले और उनमेंसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमे (व) को मारडाला, तजवीज हुई कि सब मनुष्य जो ले भागनेके समय उस अपराधके उद्योगमे सम्बन्ध रखते थे, (व) के मारे जानेके कारण दण्डसंग्रह हिदकी दफा १४९ के अनुसार अपराधी थे । (वीकली रिपोर्टर जिल्द -१३ सफा ३३)

३—जब कुछ मनुष्योंमेसे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मारनेमे साक्षी हुआ, यहाँ तक कि उस मनुष्यकी आठपसलिया दूट गई और वह मरगया तो तजवीज हुई कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हुआ था (वीकली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ५)

(१९०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी कानूनविरुद्ध जमावमें किसी कानूनविरुद्ध जमावके मनुष्योंको नौकर रखना या उन्हें रखनेके लिये सलाह करना, मिलने या साक्षी होनेके अभिप्रायसे नौकरीपर या उजरत (रोजनदारी) पर रखेगा या कामपर लगावेगा या उसे उजरतपर या नौकरीपर रखने या कामपर लगानेमे सहायता या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस कानूनविरुद्ध जमावके साक्षियोंकी भाँति दंड पाने योग्य है और किसी ऐसे अपराधके भेद्ये जो उस

मनुष्यकी ओरसे उस कानूनविरुद्ध जमावके अनुसार उस नौकर रखे जाने या उजरत पाने या कामपर लगाये जानेके किया जावे तो उसका दंड उसीप्रकार होगा कि मानो वह स्वयं उस कानूनविरुद्ध जमावमे साझी था या कि स्वयं उसीने वैसा अपराध किया ।

टीप—(१) इस दफाके अनुसार अपराधका विचार वही अदालत करेगी जो किये हुए अपराधका विचार करसक्ती है ।

काविल दस्तन्दाजी पोलिस है ।

- (२) अपराधके लक्षणोंके अनुसार वारंट या समन अपराधीके नाम जारी होगा ।
 (३) अपराधके लक्षणोंके अनुसार जमानतका होना न होना ठहराया है ।
 (४) (५) राजीनामा नहीं होसकता है ।

(१५१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर पांच या अधिक मनुष्योंके किसी ऐसे जमा-
 पांच या अधिक मनुष्यों-
 को किसी जमावमे उस
 के अलग होजानेकी आ-
 जा होनेके पश्चात् साझी
 होना या रहना. } वमे, जिससे सर्वसाधारणकी कुशलतामे विघ्न पडना सम्व है, पश्चात्
 इसके कि उपरोक्त जमावको कानूनानुसार अलग २ होजानेकी आज्ञा
 होचुकी हो साझी हो या साझी रहं तो उस मनुष्यको दोनों प्रका-
 रोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः
 महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

स्पष्टीकरण—यदि वह जमाव दफा १४१ के अभिप्रायानुसार (हस्तमशाय) कानूनविरुद्ध जमाव हो तो वह अपराधी दफा १४५ के अनुसार दंड पावेगा ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काविल दस्तन्दाजी पोलिस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

जब तीन मनुष्योंका अभिप्राय केवल एक भीड़ इकट्ठा करनेका था और उन्होंने ऐसे काम किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्योंका जमाव होगया और इस जमावसे सर्व साधारणकी कुशलतामे विघ्न पहुँचना सम्व था—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि उस जमावका इस प्रकारपर इकट्ठा होना दंडसम्वह हिदकी दफा १५१ के अभिप्रायसे पांच या अधिक मनुष्योंके जमावमे गिना जायगा—और जब कि उन मनुष्योंको अलग होजानेकी उचित आज्ञा दीगई और उन्होंने अलग होनेसे नहीं की तो ऐसी अवस्थामे उन सबका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है । (इ० ल० रि० संबई जिल्द ७ सफा ४२)

(१९२) जब कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करे या किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना या उसको रोकना जब कि वह बलवे आदि-को शातकर रहा हो ।

आक्रमण करनेकी धमकी दे या उसके साथ रोक टोक करे या रोक टोक करनेका उद्योग करे जब कि वह किसी कानूनविरुद्ध जमावको अलग करने या किसी बलवे या हंगामेको बंद करनेमें उस सरकारी नौकरके कारण अपनी नौकरकी काम कर रहा हो, या ऐसे नौकर पर अपराध सयुक्त बल करे या बलकरनेकी धमकी दे या अपराध सयुक्त बल करनेका उद्योग करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या० म० अ० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१९३) जब कोई मनुष्य दुर्भावसे या बिना किसी बात, किसी ऐसे कामको करके बलवा करानेके अभिप्रायसे किसीके दिलको बिना बात क्रोध करानेका काम करना ।

जो कानूनविरुद्ध है, किसी मनुष्यके दिलको क्रोध दिलावे-इस अभिप्रायसे या इस बातको समवित जानकर कि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध होवे, तो यदि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध

किया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि बलवेका अपराध न किया जावे तो दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) यदि बलवेका अपराध होजावे तो वारंट या बलवेका अपराध न होवे तो केवल समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

शाह अगस्त सन् १८९३ ई० में बवईमें हिंदू और मुसलमानोंके मध्य बलवा हुवा और उस समय कि-बलवेका आवेश (जोश) विल्कुल बंद नहीं होगया था, अपराधीने एक काव्य बनाकर छपवाया जिसमें बलवाका वर्णन लिखा था और हिन्दू लोगोंकी किसी २ कौम अर्थात् घाटियों और कमाठियोंकी, जिन्होंने मुसलमानोंके साथ बलवा करते समय बहादुरी दिखाई थी, तारीफ लिखी थी-उपरोक्त काव्यमें पहिले तो घाटियों और कमाठियोंकी तारीफ थी फिर उसमें नीचे लिखे अनुसार शेर थे:—

शेर—इलाही बख्शो तुमको इज्जतो जाह, खुशी हासिल हो तुमको हस्व दिअस्वाह।

लडो फिर मुल्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग हैं अजबस दिलवर।

बरो मत मौतसे ऐ मेरे भाई, नही बचता कोई जब मौत आई।

ऊपरके काव्य गुजराती भाषामें लिखे ये जो घाटिये और कमाठी वरन् मुसलमान् भी मेली प्रकारसे नही बोलते थे,—यह प्रगट नहीं हुआ कि यह काव्य उन मनुष्योंको बादा गया जो बल्लेमें शामिल हुए थे और न उस किताबके छपने बाद कुछ नया बलवा हुआ—अपराधियोंपर फौजदारीका अभियोग चलायागया और उनपर दंडसग्रह हिटकी दफा ११७ व १५३ इस्कारणसे लगाई गई कि ऊपर लिखे पदसे विशेष कर “लडो फिर” के शब्दसे घाटियों और कमाठीयोंको बल्लेके लिये, बहँकाया गया है कि वे नया अगडा उत्पन्न करें—तजवीज् हाईकोर्ट यह हुई कि जिस इवारतके मध्ये एतराज (तर्क) किया गया है उसका अभिप्राय कुल काव्यसे निकालना चाहिये, उपरोक्त काव्यका अभिप्राय यह है कि आपसमें मेल व सम्मति होवे और उसमे आदिसे अततक बलवा व हानि व प्राणोंके नाशहोनेका रज प्रगट किया गया है और हिन्दू मुसलमान दोनोको मेल व सम्मति करनेकी सलाह (परामर्श) दी गई है, और कोई बात उसमे ऐसी नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि काव्य बनानेवालेका यह अभिप्राय था कि हिन्दू और मुसलमान फिरसे बलवा करें, इसमे संदेह नहीं कि “लडो फिर” का अर्थ एतराजके लयक है परन्तु इस शब्दका यह सही अर्थ नहीं है कि उसके अर्थको किताबके कुल लेख (मजमून) से बढ़ादिया जावे (इ० ल० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा ७५८)

(१५३ (अ) जो मनुष्य उन शब्दोंद्वारा कि जो बोले गये या लिखे गये हो जमावोंमें शत्रुताका) या त्रिहोद्वारा या आँखसे दिखाने-योग्य बनाई हुई नकलके द्वारा बटाना, - } या और प्रकार पर शत्रुता या घृणाके विचार श्रीमती महारानीकी प्रजाके अलग २ जमावोंमे बढ़ावे या बढ़ानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्योंको कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी सीमाद दो सालतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

स्पष्टीकरण—इस दफाके अभिप्रायके अनुसार विना शत्रुताकी इच्छाके बरन उनको बुर करनेके सबे अभिप्रायके साथ उन कामोंका, जो विचार शत्रुता या घृणाको श्रीमती महारानीके अलग २ जमावोंमें उत्पन्न करते हैं या उनसे उत्पन्न होनेका अभिप्राय पाया जाता है, प्रगट करना किसी अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता।

टीप (१) प्र० म० या० म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नही होसकता।

१९४, जब कमी कोई जमाव कानूनविरुद्ध इकट्ठा हो या बलवा होजाय
 मालिक या काबिल } तो उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जहा वह जमाव
 धरतीका जिसपर कानून- } कानूनविरुद्ध इकट्ठा हुआ है, या वह बलवा हुआ है और भी
 विरुद्ध जमाव जुडे. } ऐसा कोई मनुष्य जो वैसी धरतीमें अधिकार रखता हो या
 उस धरतीमें अधिकारका दावा रखता हो ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जिसका तांदाद
 एक हजार रुपयेसे अधिक न हो परन्तु शर्त (नियम) यह है कि उपरोक्त मनुष्य
 या उसका कारिन्दा या प्रबधकर्त्ता (मुंतजिम) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध
 हो रहा है, या होचुका निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त अपराधका होना
 संभवित है उस अधिकारी (अपसर) को जो सबसे निकटके थाना पोलीसमें है इस
 बातकी सूचना जर्हातक उसके वशमें हो शीघ्र न करे और जब वह या वे निश्चय
 करनेका कारण रखता हो या रखते हों कि उपरोक्त अपराध शीघ्रही होनेवाला है वे सब
 उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उपरोक्त अपराधके रोकनेके लिये काममें न ल्याये
 या न ल्याये और अपराधके होजानेपर उस कानूनविरुद्ध जमावके अलग करने या उस
 बलवाको दवानेमें सब उचित यत्नोंको जो उसके या उनके वशमें हों वर्त्तावमें न ल्याये
 या न ल्याये ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस
 (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) अपराध जमानती है (५) राजीनामा
 नहीं होसकता ।

किसी धरतीके स्वामीको, जहां पर कोई बलवा हुआ हो, फौजदारी अदालतमें अपराधी ठहर-
 नेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसे ऐसी घटना (वारदात) के होनेका हाल पहिलेमें गालूम
 होना चाहिये । (इ० ला० रि० इल्हाहावाद जिल्द १२ सफा ५५०)

(१९५) जब कमी कोई बलवा (दंगा) किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या
 दड योग्य होना उस }
 मनुष्यका जिसके लाभके } उसकी ओरसे किया जाय जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या
 लिये दंगा (बलवा) } अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा हुआ था जो मनुष्य उस धर-
 किया जाय. } तीमें या हागडेके ऐसे काममें कि जिसके कारणसे बलवा हुआ है
 दावेका अधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया
 या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्मानेका दड दिया जायगा; परंतु नियम यह है कि
 वह या उसका कारिन्दा या प्रबधकर्त्ता (मुन्तजिम) इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर
 कि उस बलवेका होना सम्भव था या यह कि उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका मय था
 जिससे वह बलवा हुआ, वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उस इकट्ठा होते

हुए जमावके रोकने और उसको अलग २ करनेके लिये या उस होते हुए बलवेको रोकनेके लिये और उसके दवानेके लिये काममें न लाये या न लायें।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है। - ताजीरात हिदकी दफा ५५ के अनुसार कोई जमीदार किसी ऐसे बलवेका जिम्मेदार न होगा जिसके होनेका पहिलेसे भय न हो (वीली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ५४)

(१९६) जब कमी कोई बलवा किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी स्वामीका या अधिका-रीका कि जिसके लिये कोई बलवा किया जावे, कारिदाका जिम्मेदार होना, } ओरसे किया जावे जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा (दगा) हुआ, या जो मनुष्य, उस धरतीमें या किसी झगडेके काममें जिसके कारण बलवा हुआ किसी अधिकारका दावा रखता हो या जिसने उस धरती या काममें कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यके कारिन्दे या प्रबंधकर्त्ताको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा, परंतु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रबंधकर्त्ता इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर, कि उस बलवेका होना सम्भवित था या उस कानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुआ, वे सब उचित यत्न जो उसके वशमें हों उस बलवेके रोकने और उसको दवानेके लिये या उस इकट्ठा होते हुए जमावको रोकने और उसे अलग २ करनेके लिये काममें न लाये।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है। - कारखाना नीलके प्रबंधकर्त्ता (मुतजिम) को दंडसग्रह हिदकी दफा १५६ के अनुसार दंड करनेके लिये योग्य साक्षियो (जायज शहादत) द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिये कि:—(१) बलवा हुआ (२) यदि बलवा हुआ, तो वह अपराधीके लाभके लिये हुआ (३) अपराधीके यह जाननेका कारण था कि बलवा अवश्य होनेवाला है। (ई० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ३३८)

(१९७) जब कोई मनुष्य लोगोको किसी घर या घरे (अहाते) में जो उसके - उन मनुष्योको जो किसी कानूनविरुद्ध जमावके लिये उजरतपर रखे गये हो छिपा रखना, } अधिकार या सिपुदर्गीमें हो छुपारखे या - जाने दे या इकट्ठा करे या यह जानकर कि वे लोग किसी कानूनविरुद्ध जमावमें भरती या साक्षी होनेके लिये उजरत पर रखे गये है या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया गया है या शीघ्रही वे उजरतपर रखे जायेंगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया जायगा

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१९८) जो मनुष्य उन कामोंमेंसे जिनका वर्णन दफा १४१ में हुआ है

किसी कानूनविरोद्ध-जमावमें साझी होनेके लिये उजरतपर रक्खा जाना, } किसी कामको करनेके लिये या उसके होनेमें सहायता करनेके लिये प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको स्वीकार कराये या प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको कहे या

उसका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और वह मनुष्य जिससे प्रतिज्ञा लीगई हो या जो उपरोक्त उजरतकी भाँति रक्खा गया हो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको यदि हथियारके समान वस्तु तो मृत्यु होना अति सम्भवितहै लेकर फिरे या लेकर फिरनेकी प्रतिज्ञा करे या लेकर-

या हथियार वांधकर फिरनेको कहे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है

या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा परन्तु यदि हथियार लिये लिये तो वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१९९) जब दो या अधिक मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गके स्थानपर लडकर हंगामा (लडाई) } सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्नडालेंगे तो कहा जायगा कि उन्होंने खानेजंगी) हंगामा किया ।

(१९०) जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी

हंगामेका दंड } प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद (१००) एक सौ-

रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय नवाँ ९.

उन अपराधीके सम्बन्धमें जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जावें
या उनसे सम्बन्ध रखवें ।

(१६१) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी आशा

मर्ब सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदेके किसी काम के मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरी (उजरत) के कुछ घू- सकी-माति ले.	}	रखता (उम्मेदवार) हो, किसी सरकारी कामके करने या उससे वाज (पृथक्) रहनेके लिये या अपने सरकारी कामके वर्तनेमें किसी मनुष्यका पक्षपात करने या उस मनुष्यके विरुद्ध होने या उससे बाज रहनेके लिये या हिन्दुस्थानकी लेजिस्ट्रेटिव (कानूनकारक)
---	---	---

या इकजेक्यूटिव गवर्नमेंट (कानून प्रवर्तक) या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्ट-
नेट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी मनुष्यके साथ मलाई तुराई करनेके
लिये, या उसका उद्योग करनेके लिये, किसी मनुष्यसे, चाहे अपनेही लिये या किसी दूसरे
मनुष्यके लिये उचित उजरतके सिवाय और कुछ घूस लालच या इनामकी माँति स्वीकार करे
या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका
दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन सालतक होसकती है. या जुर्मानका दंड या दोनों
दंड दिये जावेंगे ।

- स्पष्टीकरण—“सरकारी नौकर होनेकी आशा रखना” यदि कोई मनुष्य जिसको सर-
कारी नौकरीकी आशा न हो, ओखा देकर औरोंको यह विश्वास दिलावे कि मैं सरकारी नौकर
होनेवाला हूँ और तब तुम्हारे काम आऊगा और इस यत्नसे कुछ घूस लेवे तो ऐसी अवस्थामें
वह मनुष्य ठगनेका अपराधी होसकेगा परंतु उस अपराधका अपराधी न होगा जिसका वर्णन
इस दफामें किया गया है ।

“घूस”—घूसके शब्दसे केवल ऐसीही घूसका अभिप्राय नहीं है जो रुपयेसे सम्बन्ध
रखे या जिसकी कूत (अदाज) रुपयेमें होसके ।

“कानूनानुसार उजरत” कानूनानुसार उजरतके, शब्दोंमें केवल उसी उजरतका
अभिप्राय नहीं है जिसको कोई सरकारी नौकर उचित रीतिपर लेसके, वरन उसमें कुछ ऐसी
उजरत (चाकरी) शामिल है जिसके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको गवर्नमेंटकी ओरसे
मिलचुकी हो कि जिसकी वह नौकरी करताहो ।

“कुछ करनेके लिये लालच या इनाम”—इन शब्दोंमें वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूस किसी ऐसे कामके करनेके लिये, जिसका करना उसकी इच्छा (नीयत) में न हो लालचकी भौंति या कोई काम करनेके लिये जो उसने न किया हो इनामकी भौंति स्वीकार करे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक मुस्लिमने एक साहूकार रसाशंकरसे अपने भाईके लिये रसाशंकरकी कोठीमें एक नौकरी रसाशंकरकी जीतमें एक मुकद्दमा फैसलकर देनेके बदले प्राप्त की तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(ख) शिवशंकरने जो किसी आजाकारी गवर्नमेंटके दरबार-रियासतमें रजीडेटक ओहदा रखता है उस दरबारके दीवानसे एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया—यह प्रगट नहीं है कि शिवशंकरने यह रुपया, अपने ओहदेका कोई विशेष काम करनेके लिये या रोकनेके लिये या सरकार अग-रेजीमें उस दरबारका कोई विशेष अभिप्राय निकालने या किसी विशेष अभिप्रायके निकालनेका उद्योग करनेके लिये इनाम या लालचकी भौंति स्वीकार किया, परन्तु यह प्रगट होता है कि यह रुपया शिवशंकरने अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तनेमें साधारणतः उस दरबारका पक्षपात करनेके लिये लालच या इनामकी भौंति स्वीकार किया तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(ग) एक सरकारी नौकर शिवशंकरने रसाशंकरको इस झूठी बातके मान लेनेका बोला-दिया कि शिवशंकरकी सिफारिशके कारण रसाशंकरको सरकारसे एक खिताब मिला है, इस प्रकार पर मुसलमानके कारण रसाशंकरने शिवशंकरको कुछ रुपया इनामकी भौंति इस कामके बना देनेके बदलेमें दिया—तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या० अ० (२) पोलीस थिना वारंट अपराधीकी नहीं पकड़सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—अपराधी मालके महकमेका एक मजकूरी था, उसको फीसमेंसे तन्ख्वाह मिलती थी, ऐसे मजकूरी आवश्यकताके समय रख लिये जाते हैं, परन्तु जब कोई सरकारी काम उसके सिपुर्द किया जावे और उसकी तन्ख्वाह फीसमेंसे दीजाती हो तो उसको सरकारी नौकर कहा जावेगा, ऐसी अवस्थामें यदि वह घूस लेवे तो उसका दंड इस दफाके अनुसार होसकता है (बंगाल ला रिपोर्ट जिस्ट ७ सफा ४४६)

२—एक डिप्टी इन्स्पेक्टर पोलीसने ३५) ४० पेश किया जो उसे अपराधीने घूसकी भौंति दिया था—साहेब मजिस्ट्रेटमें अपराधीपर अपराध प्रमाणित कर उनमेंसे १०) रु. इनामकी भौंति डिप्टी इन्स्पेक्टरको दिया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटका हुक्म मजमूआजाब्ता फौजदारीकी दफा ४१८ के अनुसार उचित है (पंजाब रिकार्ड नं० ९ सन् १८७३ ई०)

३-कोर्ट आफ वार्डसका प्रबन्धकर्ता एक वकमें जो सरकारी खजानेका काम करता था, सर-
कारकी ओरसे रुपया दाखिल किया करता था उस वकके खजानचीने अपनी मिहनतके कारण
कुछ इनाम लिया-तजवीज हुई कि जिमन ९ दफा २१ व दफा १६१ रंडसग्रह. हिंदके अनुसार
खजानची सरकारका नौकर नहीं है इसलिये वह कैदसे छोडागया (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द
४ सफा ३७६)

(१६२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बुरे या अनुचित उपायोंके द्वारा

लेना घूसका किसी सरकारी नौकरको बुरे अथवा अनुचित उपायसे फुसलानेके निमित्त, } इस बातको फुसलानेके लिये कि वह सरकारी नौकर कोई सरकारी काम करे या उसको न करे या सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके अनुसार किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो

या हिंदुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या इलाहाबाद यूनीवर्सिटीकी सीनेटके किसी मेबर या किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी प्रकारकी घूस इनामकी माति या फुसलानेके कारण अपने लिये या और किसी मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या प्राप्त करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दजी पोलीस है (३) पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६३) जब कोई मनुष्य अपनी निजी अनुरोध (जाती रुसूख) के काममें लानेसे

सरकारी नौकरके साथ जावी दबाव डालनेके लिये कुछ घूस लेना. } किसी सरकारी नौकरको इस बातके फुसलानेके लिये कि वह कोई सरकारी काम करे या न करे या अपने ओहदेका काम करते समय सरकारी कामके वर्तनेमें किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके

विरुद्ध हो या हिंदुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडसीकी गव-
र्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या सरकारी नौकरके ओहदेसे किसी सरकारी नौकरके
सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करनेके लिये- या उसका उद्योग करनेके लिये
किसी मनुष्यसे कुछ घूस इनामकी माति या फुसलानेके कारण अपने लिये या किसी और

मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेमें उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

कोई वकील जो किसी जजके इजलासमें किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर करनेके लिये मेहनताना ले—कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरजीको जिसमें अरजी देनेवालेकी कारगुजारी या अधिकार लिखकर गवर्नमेंटको दिया जायगा लिखे, या उसमें सम्मति दे—कोई अपराधी जिसको दंडकी आज्ञा हो चुकी हो उसका कोई मुखत्यार जो मुखत्यारनामा लेकर काम करता है और जो गवर्नमेंटके सामने इस आज्ञाके बयान करे कि दंडकी आज्ञामें अन्याय हुआ है, ये सब लोग इस दफ्तामें न गिने जायेंगे क्योंकि वे न तो अपनी निजी सिफारिशको काममें लाते हैं और न उसे काममें लानेको कहते हैं ।

टीप—(१) प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अक्वल (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६४) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, और उन अपराधोंसे जिनका वर्णन

उस सहायताका दंड } इसके पहिलेकी दो पिछली दफ्ताओंमें कियागया है, कोई अप-
जो सरकारी नौकर उन } राध किया जावे और वह उस अपराधमें सहायता करे, तो उस
अपराधोंमें करे जिनका } मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा
वर्णन ऊपर कियागया है, }
जिसकी मीमाद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशकर एक सरकारी नौकर है, उसकी स्त्री हरदेवीने शिवशकरसे किसी मनुष्यको नौकरी दिलवानेकी प्रार्थना करनेके लिये कहकर लालचकी भांति उस मनुष्यसे कुछ भेंट लेली और यदि शिवशकर ऐसा करनेमें सहायता करे तो हरदेवी कैदका दंड पावेगी जिसकी मीमाद एक वर्षसे अधिक न हो या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे—और शिवशकर कैदका दंड पावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड पावेगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६५) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है किसी ऐसे मनुष्यसे, जिसको उसका

सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना बदला दिये किसी मनुष्यसे ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सरकारी नौकरके किये हुए किसी मुकद्दमे या काममे हो.

जानकारियों किसी ऐसे मुकद्दमे या मामलेसे सम्बन्ध था या सम्बन्ध है या सम्बन्धके होनेका सम्भव है जिसको उस सरकारी नौकरने किया हो या जिसको वह करनेवाला है या जो उस सरकारी नौकर या किसी और सरकारी नौकरके ओहदेसे सम्बन्ध रखता है जिसके कि वह अधीन है या किसी ऐसे मनुष्यसे जिसको वह सरकारी नौकर जानता है कि वह उस मनुष्यसे जिसको उप-

रोक्त सम्बन्ध है कुछ लगाव या रिश्ता रखता है कोई मूल्यवान् वस्तु विना बदला दिये या ऐसा बदला देनेपर जिसको वह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

—(क)—शिवशंकर किसी कलेक्टरने एक घर रमाशंकरका ज़िमका कोई मुकद्दमा बदोवस्ती उसके सामने दायर था, भाडेपर लिया और यह ठहराव हुवा कि शिवशंकर पचास रुपया महीना दिया करेगा—यद्यपि वह घर ऐसा है कि यदि शुद्धभावसे उसका ठहराव किया जाता तो शिवशंकरको दोसौ रुपया महीना देना पडता, तो ऐसी अवस्थामे कहा जावेगा कि शिवशंकरने विना पूरा बदला दिये रमाशंकरसे एक मूल्यवान् वस्तु प्राप्त की—

—(ख)—शिवशंकरने, कि जो एक जज है रमाशंकरसे जिसका कोई मुकद्दमा शिवशंकर के यहा दायर है गवर्नमेण्टका प्रामेसरी नोट जब कि वह उस समय बाजारमे बढतीपर विकते थे बड़ेसे मोल लिया तो शिवशंकरने मूल्यवान् वस्तु विना यथार्थ बदला दिये रमाशंकरसे प्राप्त की ।

(ग) शिवशंकरका भाई झूठी गवाही देनेके अपराधमे पकडा जाकर रमाशंकर नाम किसी मजिस्ट्रेटके सामने लायागया, रमाशंकरने शिवशंकरको किसी बंकेके हिस्से फिरतेपर बेचे जब कि बाजारमें उन हिस्सोपर बड़ा लगता था और शिवशंकरने रमाशंकरको उसी अनुसार हिस्सोंका मूल्य चुकादिया तो जो रुपया रमाशंकरने इस माति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान् वस्तु है जो उसने विना देने यथार्थ बदलेके प्राप्त किया ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) आरंभमें अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—कामताप्रसाद एक अहलकार पोलीसने कुछ रुपया,—एक मनुष्यसे जिसके चोरी होगई थी और चाराक अपराधमे अपराधीको दंड हुआ था और रुपया उस मनुष्य (मुस्तगीब) को देदिया

गया था प्राप्त किया—तजवीज हुई कि वह दफा १६१ के अनुसार दंडके योग्य न था, ब्रन् दंडसंग्रह हिंदकी दफा १६५ के अनुसार दंडके योग्य था (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफा ५३० श्रीमती महारानी बनाम कामताप्रसाद)

(१६६) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकी किसी आज्ञाका, जिसमे उसके

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे कानूनी आज्ञाका उल्लंघन (इन्हाराफ) करे, } लिये सरकारी नौकरीके भुगतानेका कर्तव्य (फर्ज) है जानबूझकर उल्लंघन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात जानकर कि उस उल्लंघनसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशकर एक ओहदेदार है जिसको कानूनानुसार किसी डिगरीका रुपया वसूल करनेके लिये जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने रमाशंकरके पक्षपातमे की है मालमुक्त करनेकी आज्ञा है वह कानूनकी इस आज्ञाका जान बूझकर उल्लंघन करे इस बातको जानकर कि उस उल्लंघनसे रमाशंकरको हानि पहुँचेगी तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इम दफामे किया गया है ।

टीप—(१) प्रे० मं० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१६७) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरीके

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठा लेख (दस्तावेज) बनावे, } कारण कोई लेख (दस्तावेज) बनाने या अनुवाद करनेका अधिकार प्राप्त है, इस प्रकारसे किसी दस्तावेजको बनावे या उसका अनुवाद करे जिसको वह झूठ जानता या झूठ

निश्चय करताहो, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना जानकर कि ऐसे बर्तावसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको दोनों प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० मं० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अपराधीने जो एक गॉवका पटवारी है अपने रोजनामचेके इवारतका एक झूठ उल्या तैयार करके एक दीवानी मुकदमे वादी (मुद्दई) को दिया—इस इवारतका अभिप्राय वादी व दूसरे मनुष्यके मध्यमें कुछ सम्बंध रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिदकी दफा १६७ का अपराध कायम करके उसी दफाके अनुसार दंड दिया गया—हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि अपराधीको बहुत उचित दंड दिया गया है (पंजाब रिकार्ड न० ३२ सन् १८७२ ई०)

(१६८) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी सरकारी नौकर जो करनेके कारण व्यापारसे सम्बन्ध न रखना कानूनानुसार उचित है, कानूनकी आज्ञाके विरुद्ध व्यापारसे सम्बन्ध रखे, व्यापारसे सम्बन्ध रखे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राखीनामा नहीं है ।

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण किसी विशेष वस्तुको मोल न लेना अनुचित रीतिपर कोई या उसके लिये बोली न बोलना कानूनानुसार उचित है, उस माल लेवे या उसके लिये वस्तुको अपने नामसे या किसी दूसरे मनुष्यके नामसे या बोली बोले, दूसरोके सगमे या साझेमे मोल लेगा या उसके लिये बोली बोलेगा तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि वह वस्तु छीगई हो तो जब्त की जायगी ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राखीनामा नहीं है ।

एक सब इन्स्पेक्टर पोलीसपर एक टट्टके मोललेनेका अपराध लगया गया जो किसी काजी-हौसमे कैद कियागया था—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट न० १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व दंडसंग्रह हिदकी दफा १६९ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये थी, अपराधीको दंडसंग्रह हिदकी दफा ४०६ के अनुसार दंड नहीं होसकता (बगाल का रिपोर्ट जिल्द ८ सफा १ अपील)

(१७०) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी भाँति पर किसी विशेष ओहदेपर सरकारी नौकर होनेका मिस करे यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्राप्त धनना, नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा मनुष्य बने जो उस ओहदेपर नियत (कायम) है और इस बनी हुई अवस्थामे उस ओहदेके मिससे कुछ काम करे या किसी

कामका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१७१) जो कोई किसी विशेष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर कोई वरदी

छलछिद्रके अभिप्रायसे सरकारी नौकरकी वरदी पहिरना या चिह्न रखना, } या चिह्न जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोंकी वरदी या चिह्नके सदृश हो पहने, इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि वह मनुष्य सरकारी नौकरके उस दर्जमे गिना जावे—तो उपरोक्त

मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो सौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय दशवाँ १०.

सरकारी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकारका अपमान करनेके विषयमें.

(१७२) जो कोई मनुष्य इस लिये छिपजाय कि किसी ऐसे सरकारी नौकरके जारी

सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन अथवा और किसी आज्ञापत्रके लेनेसे बचनेके लिये छिप जाय, } किये हुए समन या सूचनापत्र (इत्तिलाअनामा) या आज्ञाका उस- तक पहुँचना टल जावे जो उस सरकारी नौकरके कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञाके जारी करनेका कानूनानुसार

अधिकारी है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक महीनातक होसकती है, या जुर्मानेका दंड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञा इस प्रकारकी हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्टआफजस्टिस (न्यायालय) में स्वय उपस्थित (हाजिर) हो या अपने मुखयारको उपस्थित

करे या वहा कोई दस्तावेज पेश करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः महीना तक होसकती है या जुर्मानका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) सबके पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

किसी ऐसे हुक्मनामे (आज्ञापत्र) की कार्रवाईसे बर्तनके अभिप्रायसे, कि जो सचनुचमें जारी नहीं हुवा है, किसी मनुष्यका भागना दफा १७२ दंडसंग्रहके अनुसार अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता, भागनेका अभिप्राय केवल स्थानही बदलनेसे नहीं है वरन उसमें छुप जानाभी सम्मिलित है जब कोई मनुष्य किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामा) के जारी होनेसे पहिले छुपजावे और उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्चात् भी वह छुपा रहे तो कहा जावेगा कि वह भागा रहा (ई० ल० रि० मदरास जिल्द ४ सफा ३९३)

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्ध वारंटकी कार्रवाईको रोकनेके अभिप्रायसे छुप जावे तो उसका दंड दंडसंग्रह हिदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योंकि वारंट इत्तिलाअनामा या समन कुछ भी नहीं है वरन वह किसी मुख्य अपसरके यहां तामीलके लिये भेजा जाता है न कि उस मनुष्यके यहां कि जिसकी हाजरीकी आवश्यकता है (पश्चिमोत्तर डेग रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ३०२)

(१७३) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी सरकारी नौकरिके कारणसे जो उस सरकारी किसी समन अथवा और प्रकारके हुक्मनामेका जारी होने अथवा प्रगट किये जानेसे रोकना, नौकरको कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मके जारी करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, जारी किये हुए समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मकी कार्रवाई अपनेपर या किसी दूसरे मनुष्य पर होनेसे किसी प्रकार जानबूझकर रोके, या—

जानबूझकर उस समन या इत्तिलाअनामा हुक्मको किसी स्थानपर उचित प्रकारसे चिपकाए जानेको रोके, या—

किसी ऐसे समन या इत्तिलाअनामा या हुक्मको किसी स्थानसे, जहा वह उचित प्रकार पर चिपकाया गया है, जानबूझकर छुटावे, या—

किसी ऐसे उचित रीतिपर प्रगट किये जाते हुये इस्तिहारको जानबूझकर रोके जो किसी ऐसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हुवा जिसको अपनी सरकारी नौकरिके कारण उस इस्तिहारके प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकार हो, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक महीने तक हो सकती है या जुर्मानका दंड जो पांचसौ रुपये तक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे, या—

यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या हुकम या इस्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे या वहा कोई दस्तावेज पेश करे, तो—

उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक हो-सकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तखत करनेसे नहीं करना दंडसंग्रह हिदकी दफा १७३के अपराधमें न गिना जायगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३४)

२—समन भरपानेकी रसीद देनेसे भी नहीं करना दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२१)

३—समन लेनेसे नहीं करना भी दफा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ५ सफा १९९)

४—बहुत ही थोडा समय व्यतीत हुवा कि, एक मुकदमे में कलकत्ता हाईकोर्टने यह तजवीज किया है कि समन पानेकी रसीद पर केवल दस्तखत करनेसे नहीं करना दंडसंग्रह हिदकी दफा १७३ के अनुसार अपराध न होगा । (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)

(१७४) जब किसी मनुष्यका जिसपर किसी मुख्यस्थान या समयपर ऐसे समन सरकारी नौकरकी } इत्तिलाअनामा, या इस्तिहारके अनुसार जो किसी ऐसे सरकारी आजानुवार हाजिर हो- } नौकरकी ओरसे जारी हुवा है कि जिसको अपनी सरकारी-नौक-नेमें चूकना. } रीके कारण जारी करनेका कानूनानुसार अधिकार हो स्वयं या मुखत्यारके द्वारा उपस्थित होना कानूनानुसार उचित हो और वह मनुष्य उस स्थान या समयपर जानबूझकर उपस्थित होवे या उस स्थानसे जहां कि उसका उपस्थित रहना उचित है उस समयसे पहिले चलाजाय जब कि उसका वहासे चलाजाना उचित है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपया तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे । या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या इस्तिहार इस प्रकारका हो कि कोई मनुष्य कोर्ट आफ जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे, तो साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर जिस पर कानूनानुसार अवश्य है कि कलकत्तेमें सुप्रीम कोर्टके सामने उन्नी कोर्टके जारी किये हुए सफाईके अनुसार उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(ख) शिवशकर जिसपर कानूनानुसार अवश्य है कि किसी जिलाजजके सामने उसी जिला जजके जारी किये हुए समनके अनुसार गवाही देनेको उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशकरने इस दफामें कहा हुआ अपराध किया।

टीप—(१) एक कोई मजिस्ट्रेट (२) (अदम) दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) काविल जमानत है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजरीदरकार है।

१—जो किसी तहसीलदारने समन किसीके नाम इस अभिप्रायसे जारी किया हो कि वह किसी मौजेकी महुंमज्जमारी (मनुष्यनगना) का नकशा तैयार करे, यदि वह मनुष्य उसके अनुसार कार्यवाई न करे तो दंडसग्रह हिदकी दफा १७४ में लिखे हुए अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा ३७७)

२—जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित होनेको जारी किया उसमें उपस्थित होनेका समय तारीख व स्थान स्पष्ट स्पष्ट लिखा रहना चाहिये यदि इसमें किसी प्रकारकी भूल होगी तो वह मनुष्य उपस्थित न होनेपर उस अपराधका अपराधी नहीं गिना जायगा (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ७)

३—एक मनुष्य समनके अनुसार वास्ते हाजिरी व जवाब देही मुकदमा मौजदारीके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आया, लेकिन वह समनमें लिखे हुए समय पर मजिस्ट्रेटको हाजिर न पाकर, एक उचित समयतक उसको परखे बिना चलागया तो ऐसी अवस्थामें वह दफा १७४ के अपराधका अपराधी होगा। (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १० सफा ९३)

४—जब कोई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसी मनुष्यके नाम इस प्रकारका समन जारी करे कि वह उसके सामने एक ऐसे स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अङ्गरेजी राज्यके बाहर हो और यदि वह मनुष्य उस समनकी आज्ञाको न माने तो उसके सम्बन्धमें यह न कहा जायगा कि उसने दफा १७४ का अपराध किया। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १६ सफा ४६३)

५—जब दंडसग्रह हिदकी दफा १७४ के अपराधमें दंड होवे तो दंड होनेके पहिले इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीने जानबूझकर गैरहाजिरीकी (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द १ सफा २०३)

६—म्यूनिसिपल कमिश्नरानं कि जो ऐक्ट २६ सन् १८५० के अनुसार नौकर हैं यद्यपि सरकारी नौकर हैं, परन्तु इस सरकारी नौकरीमें रहकर भी कानूनानुसार किसीकी हाजिरीके लिये आज्ञा

नहीं जारी कर सकते, इस लिये उनकी आज्ञाभङ्ग करनेवाला दंडसंग्रह हिटकी दफा १७४ के अपराधका अपराधी नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा ३३ श्रीमती महारानी वनाम युरपोत्तमलालजी)

(१७५) कोई मनुष्य, जिसको किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी किसी सरकारी नौकरके सामने कोई लेख (दस्तावेज) पेश करनेसे चूकना, किसी ऐसे मनुष्यका जिस पर उसका पेश करना कानूनानुसार उचित है, नौकरके ओहदेसे किसी दस्तावेजका पेश करना या उसका उस नौकरको दे देना कानूनानुसार उचित है उपरोक्त दस्तावेजके पेश करने या दे देनेमें जानबूझकर चूक करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेगे और यदि वह दस्तावेज किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें पेश किये जाने या दे देनेको ही तो साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर जिसको किसी जिला कोर्टके सामने किसी दस्तावेजका पेश करना कानूनानुसार उचित है, उपरोक्त दस्तावेजको जानबूझकर पेश करनेमें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

१—किसी दस्तावेजको पेश करनेके लिये गवाह बुलाया गया वह अदालतमें उपस्थित हुआ परन्तु उसने दस्तावेज न पेश की और शपथके अनुसार (हलफिया) वह बयान किया कि वह भेरे अधिकारमें नहीं है परन्तु इस बयान पर विश्वास न करके अदालत उसपर दफा १७४ जान्तादीवानीके अनुसार ७५) रुपया जुर्माना किया—तजवीज हुई कि जुर्माना अनुचित रीतिपर वसूल किया गया जान्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थामें दिया जायगा कि जब कोई गवाह जो समनपर न आवे गिरफ्तार करके अदालतके सामने पेश किया जावे, ऐसे गवाहके लिये जिसके यहा दस्तावेज हो परन्तु पेश न करे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा ४८० के अनुसार दंड देना चाहिये, परन्तु जब यह प्रमाणित होजावे कि उस अपराधीने झूठ कहा—(इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफा ६३)

२—अदालत हाईकोर्टके सिवाय प्रत्येक अदालत उन मनुष्योके अपराधोके मध्ये जो स्वयं उसके सामने किया गया हो केवल ऐसी अवस्थामें विचार कर सकती है जिनसे दफा ४७७ या ४८० या ४८५ जान्ता फौजदारीका सम्बन्ध है और उन दफोमेंसे किसी दफाका सम्बन्ध नहीं है जब कि अपराधी पर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ का अपराध लगाया जावे (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा ४२)

(१७६) कोई मनुष्य, जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकराके वह-मनुष्य सरकारी नौकरको सूचना या समाचार देनेमें चूक करे जिसको सूचना या समाचार देना कानूनानुसार उचित है } ओहदेसे किसी कामके मध्ये कोई सूचना या समाचार देना कानूनानुसार अवश्य है, उस समय और उस भातिपर जो कानूनानुसार नियत (मुकरर) है वह सूचना देने या समाचार पहुँचानेमें जान-बूझकर चूकी करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पाचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे और यदि वह सूचना या समाचार कि जिसके देनेकी आज्ञा है किसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध रखे या किसी होनेवाले अपराधकी रोकके लिये या किसी अपराधीको पकडनेके लिये अवश्य हो तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे । (दफा ४०को देखो)

टीप-(१) प्रे० म०, या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस(३)समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं (६) मजूरी दरकार है ।

(नया मजमूआ जाब्ता फौजदारी, ऐक्ट न ५ सन् १८९८ ई० की दफा ४४ व ४५ को देखो जिनमें स्पष्ट लिखा है कि किन २ मनुष्योको किन २ अपराधोंके मध्ये सूचना या समाचार देना उचित है)

१-(क) दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७६ के अपराधमें इस कारण दंडित हुवा कि उसने जान बूझकर पोलीसको इस बातकी सूचना नहीं दी कि एक इन्तित्तहारी अपराधी (ब) एक विशेष गोंवमें उपस्थित था—अदालतने (ब) को इन्तित्तहारी अपराधी मानलिया था क्योंकि यह प्रमाणित होचुका कि (ब) की सब जायदाद (धन) मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ८८ के अभिप्रायानुसार कुर्क की गई थी—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि चादी (मुद्दई) को (ब) अपराधीके सम्बन्धमें इन्तित्तहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था—जिस मनुष्यपर किसी इन्तित्तहारी अपराधीके किसी विशेष गोंवमें होनेकी सूचना पोलीसको देना कानूनानुसार अवश्य होवे, उसपर फौजदारीका अभियोग (मुकद्दमा) उपरोक्त दफाके अनुसार ऐसी सूचना या समाचार न देनेके मध्ये उस अवस्थामें नहीं चलाना चाहिये कि जब पोलीसको इस घटना (वाकिआ) का वृत्तात पहिलेहीसे ज्ञात होगया हो (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ४३६)

२—जब कई मनुष्योमेंसे कोई एक, जिनपर पोलीसको सूचना देना मजमूआ जाब्ता फौजदारीकी दफा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध बघके होनेकी सूचना देदेवे, जिसके कारण एक अहलकार पोलीस घटना (वारदात) होजानेके योडी देर पश्चात् गोंवमें पहुँचा तो ऐसी अवस्थामें शेष दूसरे मनुष्योपर कि जिनको ऐसी सूचना देना अवश्य था, दंडसग्रह हिंदकी दफा १७६ के अपराधका दंड न दिया जावेगा (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३१६)

(१७७) शुद्ध हुआ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० की दफा ५ के अनुसार कोई झूठा समाचार देना. } मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये 'समाचार देना कानूनानुसार अवश्य हो, उस कामके मध्ये ऐसा समाचार सच की भांति दे जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ जाननेका कारण रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि वह समाचार जिसका देना उस मनुष्यपर कानूनानुसार अवश्य है किसी अपराधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेवाले अपराधके रोकके लिये या किसी अपराधीके पकडनेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (देखो दफा ४०)

स्पष्टीकरण—दफा १७६ और इस दफामें “अपराध” के शब्दमें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवाहो यदि ब्रिटिश इंडियाके भीतर किया जाता तो नीचे लिखी हुई दफोंमेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होता अर्थात्—दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, व ४६० और “अपराधी” के शब्दमें प्रत्येक ऐसा मनुष्य गिना जायगा जिसके मध्ये किसी वैध कामका अपराधी होना वर्णन कियागया हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर जमींदार अपने गाँवकी सीमाके भीतर जातघातका अपराध होनेसे जानकार होकर मजिस्ट्रेट जिलाको जान बूझकर यह झूठा समाचार दे कि वह मृत्यु देवात्-सौंपके काटनेके कारण हुई—तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख)—रमाशकर किसी गाँवका चौकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योंका एक बड़ा समूह उसके गाँवमेंसे होकर पासहीके स्थानपर रहनेवाले उषामात्रकर नामक एक धनकान सौदागरके घरमें डाका डालने गये हैं और रमाशकर पर सग्रह बंगालके कानून नं० ३ सन् १८२९ ई० की दफा ७ जिनम ५ के अनुसार सबसे निकट पोलीस स्टेशनके अप्सरको शीघ्रता पूर्वक और ठीक २ इस कामका समाचार देना अवश्य है तो फिर यदि रमाशकर उस अप्सर पोलीसको जानबूझकर झूठा समाचार दे कि किसी और प्रकारके मनुष्योंका एक समूह उसके गाँवमेंसे होकर किसी दूसरी और किसी विशेष स्थानको जो कुछ अंतरसे है डाकाडालने गया है तो

इस अवस्थामें गिवशकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफाके पिछले भागमें किया है।

टीप—(१) प्रे० म० म० अ० या म० दौ० (२) अदम दस्तान्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है।

(नोट—संग्रह बगालका कानून) न० ३ सन् १८२१ ई० ऐक्ट न० १७ सन् १८६२ ई० के द्वारा मिटा (मसूख) दिया गया है।

१—किसी इकरारनामे (प्रतिज्ञापत्र) में, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमें रहता हो और उसके अपसरके यहां आजानुसार भेजा जाताहो, कोई झूठी लिखावट (इवारत) बनाई जाय तो यह दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा १४२)

२—एक मनुष्यने पोलीसमें भरती होनेके अभिप्रायसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसा समाचार दिया कि जिसको यह झूठ जानता था तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध दफा १७७ या १८८ या उद्योग दफा ४१५ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके नहीं किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ९७)

३—जिस रोजनामचे (रोजनिधि) का लिखना और अपसरके यहां भेजना किसी सरकारी नौकर पर-सरकारी आजानुसार अवश्यहो, उसमें उसको झूठ इवारतका लिखना अपराध दफा १७७ दंडसंग्रह हिन्दमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा १४४)

४—२२ नवम्बर सन् १८८० ई० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसीलदार या अपने अपसरको अपने अधिकारकी धरतीका झूठा नकशा भेजदिया और फिर ५ दिसम्बर सन् १८९० ई० को एक झूठावयान उसी प्रकारका मालकी तहकीकातमें प्रिन्सिपल असिस्टेन्ट कलक्टरके सामने किया—अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७७ के अपराधका दंड दिया गया—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि जब कि अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा ४३ के अभिप्रायानुसार सूचना देना कानूनानुसार अवश्य न था तो उसका दंड अयोग्य है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ४८४)

(नोट—इस नजीरसे मदरास हाईकोर्टकी नजीर जिल्द ४ सफा १४४ की रह की गई)

५—ऐक्ट न० ५ सन् १८६१ ई० (ऐक्ट पोलीस) के अनुसार प्रत्येक पोलीसके अहलकारको उचित है कि वह अपने ऊपरके अपसरको ऐसे बलवाके होनेकी सूचना कि जो-सर्वसाधारणकी कुशलतासे सम्बन्ध रखता हो देवे और अपने रोजनामचेमें उसे लिखे जिसका रखना उसको उपरोक्त ऐक्टकी दफा ४४ के अनुसार उचित है—ऐसे समाचारके देनेमें भूल करना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७७ के अपराधमें गिना जायगा। (चीफ़ी रिपोर्टर जिल्द २१ सफा ३०)

६—अपीलकी याददास्तमें झूठावयान करना कोई अपराध, दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १७ के अनुसार नहीं है, क्योंकि उपरोक्त याददास्तपर कानूनानुसार तस्दीक का लिखा जाना अवश्य नहीं है। (पञ्जाब रिफ़ाई न० १७ सन् १८७९ ई० फौजदारी)

(१७८) जो कोई मनुष्य सच सच वयान करनेके लिये शपथ करने या सच

शपथ करनेसे नहीं करना जब कोई सरकारी नौकर शपथ करनेकी कानूनानुसार आज्ञा दे, } बोलनेकी प्रतिज्ञा करनेसे उस अवस्थामे नहीं करे जब कि कोई ऐसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आज्ञा दे जो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी है तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) वह अदालत जिसमें अपराध कियागया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो०

(२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी लेनी चाहिये ।

(१७९) कोई मनुष्य जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकरसे सच

किसी सरकारी नौकरको, जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है } सच कहना उचित हो, किसी ऐसे प्रश्नका उत्तर देनेसे नहीं करे जो वह सरकारी नौकर अपने कानूनानुसार अधिकारके वर्तनेमें उस कामके मध्ये उससे पूछे, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

१—दफा १६५ कानून शहादत (गवाह) ऐक्ट नं० १ सन् १८७२ ई० के अनुसार हाकिमको किसी गवाहसे मुकद्दमेके असम्बन्धी प्रश्नको पूछनेका अधिकार है, जब कि वह घटना सम्बन्धी गवाही प्राप्त करनेके अभिप्रायसे पूछे; परंतु यदि वह इस विचारसे प्रश्न पूछे कि गवाहके मध्ये फौजदारीकी कार्रवाई की जावे, तो गवाह पर अवश्य नहीं है कि उसका उत्तर देवे और उपरोक्त गवाह ऐसे प्रश्नका उत्तर न देनेकी अवस्थामे दफा १७९ दंडसंग्रह हिंदके अपराधका अपराधी नहीं हो सकता । (इ० लॉ० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १८५)

(१८०) जब कोई मनुष्य अपने किये हुए किसी वयान पर उस अवस्थामे दस्त-

खत करनेसे नहीं करे, जब कि कोई सरकारी नौकर, जो उस करनेसे नहीं करना, }-मनुष्यको उसके उस वयान पर दस्तखत करनेके लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी होवे, उसको उस वयानपर दस्तखत करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेगे)

टीप—(१) वह अदालत जहां अपराध किया गया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो०
(२) पोलीस विना वारंट न पकड़ेगी (३) समन (४) काबिल जमानत है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

मालगी तहकीकातके समय अपराधीने अपने बयान पर दस्तखत करनेमें नाई की तो वह उसे अपराधमें दण्डित न होगा जिसका दंड हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९० के अनुसार होसकता है ।
(४० ला० रि० ब्रह्म जिल्द १० सफा १५)

२—समन पानेकी रसीदपर दस्तखत करनेसे नाई करना, कोई अपराध दंडसंग्रह हिंदकी दफा १७३ व १८० में लिखा हुआ नहीं हो सकता (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८)

(१८१) कोई मनुष्य, जिसको शपथ या सच कहनेकी प्रतिज्ञा करनेके अनुसार

सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे, जो शपथ करानेका अधिकार रखता है, शपथ करकेमी झूठ बयान करना, किसी ऐसे सरकारी नौकर या किसी ऐसे दूसरे मनुष्यके सामने जिसको कानूनानुसार ऐसा शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधिकार है किसी काममें सच बयान करना कानूनानुसार अवश्य हो, उस सरकारी नौकर या उस दूसरे मनुष्यसे जिसका ऊपर बयान हुआ है, उस कामके मध्ये कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसको वह झूठा जानता हो या झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस विना वारंट नहीं पकड़ सकती (३) वारंट अपराधीके नाम (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

१—इस मुकद्दमेमें तीन मनुष्योंकी तजवीज जिनमेंसे एक वकील या एक संग की गई और उन्हें दंडसंग्रह हिंदकी दफा १८१ के अनुसार इस जडपर दिया गया कि उन लोगोंने एक तहकीकातमें जो वकीलकी चाल चलनेके मध्ये ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी, सच कहनेकी प्रतिज्ञाकर झूठ कहा तजवीज हुई कि वकीलको दंड देना अयोग्य था क्योंकि उसका बयान सच कहनेकी प्रतिज्ञा करार नहीं लेना चाहिये था—यह भी तजवीज हुई कि जो तहकीकात ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार की गई वह अदालती कार्यवाहीमें गिनना चाहिये इसलिये गवाहोंने जो झूठे बयान किये उनके मध्ये उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफा १९३ के अनुसार अलग अलग अपराधका ठहराना चाहिये । (३० ला० रि० मद्रास जिल्द ६ सफा २५२)

२—इस मुकद्दमेमें अपराधीने दंडकी आज्ञासे अपसन्न होकर अपील दायर की, और अपीलको याददाश्तमें उसने यह झूठा बयान लिखाया कि दंड देनेवाले मजिस्ट्रेटने उसके गवाहोंको बुलानेसे नहीं की—जिस मजिस्ट्रेटके सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीलान्तको दरख्वास्तके उपरोक्त

वयान् पर सच कहनेकी प्रतिशानुसार तसदीक करनेको कहा, और अपीलान्ते भी उसकी कार्रवाईकी तजवीज हुई कि अपीलान्ते कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रह की दफा १८१ या १८२ में लिखे हुए अनुसार नहीं किया । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १२ सफा ४५१-)

(१८२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको कोई ऐसा समाचार दे जिसे वह

झूठा समाचार-इस झूठी जानता या झूठ निश्चय करता हो, और उसका यह अभि-
अभिप्रायसे देना कि कोई प्राय होने या इस कामके होनेका सम्भव उसकी जानकारीमें
सरकारी नौकर अपना हो कि वह उस उपरोक्त समाचारके द्वारा किसी सरकारी
कानूनानुसार अधिकार हो कि वह उस उपरोक्त समाचारके द्वारा किसी सरकारी
काममें लावेऔर उससे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचे, नौरकसे,—

(अ) कोई ऐसा काम करावे या काम करनेमें चूका करावे जिसका करना या चूकी करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये था, यदि उन घटनाओंका सच्चा वृत्तांत, कि जिनके मध्ये वह समाचार दिया गया है, उसे ज्ञात होजाता, या—

(ब) ऐसे सरकारी नौकरके उचित अधिकारोंका वर्ताव किसी मनुष्यको हानि या रंज पहुँचानेके अभिप्रायसे, कराये—

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने एक मजिस्ट्रेटको यह समाचार दिया कि रमाशंकर, जो अहलकार पोलीस है और उस मजिस्ट्रेटके अधीन है, अपने काममें असावधानी और कुचालका अपराधी है यह जानकर कि वह समाचार झूठा है और यह जानकर कि उस समाचारके कारणसे संभव है कि उपरोक्त मजिस्ट्रेट रमाशंकरको नौकरीसे निकला देगा ऐसी अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधक अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें कियागया है ।

(ख)—शिवशंकरने यह बात जानकर कि यह समाचार झूठा है और इससे रमाशंकरके घरकी तलाशी होना तथा उसे कष्ट पहुँचना अति सम्भवित है, किसी सरकारी नौकरको समाचार दिया कि रमाशंकरने एक गुप्त घरमें चोरीका नमक रक्खा है, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) यदि शिवशंकर किसी पोलीसके अहलकारको यह झूठा समाचार दे कि एक विशेष गाँवके पडोसमें उसपर आक्रमण और जोरी (सरका बिलजत्र) हुई और आक्रमण करनेवालोंमेंसे किसीका नाम न ले, परंतु वह जानता है कि इस समाचारके अनुसार सम्भव है कि पोलीस

तहकीकात करके गोंववालोंकी तलाशी लेगी और उनमेंसे किसी २ को कष्ट पहुँचिगा, तो ऐसी अवस्थामे शिवर्षाकर उस अपराधका करनेवाला ठहराया जावेगा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप—(१) म० अ० या म० दो० या प्रे० म० (२) पोलीस विना वारंट नहीं पकड सकती (३) समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१—अपराधी जो बयान अपनी सफाई (बचत) में लिखवावे वह हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा १८२ के अभिप्रायानुसार “ समाचार कि जो सरकारी नौकरको दियागया ” न समझा जावेगा (पश्चिमोत्तर देवा रिपोर्ट जिल्द २ सफा १२८)

२—दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ उस अवस्थामे लागू (सम्बन्ध) न होगी जब कि वह सरकारी नौकर कि जिसे झूठी समाचार दियागया है, उपरोक्त समाचार किसी दूसरे अपसरके नाम केवल भेज देनेका अधिकारी हो और जो उचित अधिकार उसको प्राप्त है उसके बत्तनेसे किसी ऐसे मनुष्यको तत्कालही क्लेश या हानि नहीं पहुँच सकती है जिसके विरुद्ध वह सूचना दीगई हो (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ४ सफा २४१)

३—मुहतभिम जगल अर्थात् जगलका अपसर एक ऐसा सरकारी नौकर है जिसको झूठा समाचार देना इन दफाके अनुसार दंड योग्य है चाहे वह समाचार स्वयही कोई मनुष्य देवे चाहे उन प्रभोंके उत्तर द्वारा उस समाचारको प्रगट करे कि जो उस अपसरने उससे किये हों (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १२४)

४—अर्हीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलसकती, अपने आपको ज्ञात बनाकर सेनामें नौकर होगया, हाईकोर्टकी तजवीज यह हुई कि वह इसी दफाके अनुसार अपराधी है न कि हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार (पंजाब रिकार्ड फौजदारी न० १४ सन्-१८८० ई०)

५—जब कोई मनुष्य किसी विशेष रीति पर इस बातकी फरियाद प्रेश करे कि किसी दूसरे मनुष्यने अपराध किया है—और फरियाद (इस्तगासा) (अभियोग) दायर करनेवालेका अभिप्राय उस मनुष्यको हानि पहुँचानेका हो तो वह हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २११ के अपराधका अपराधी होगा न कि दफा १८२ के अपराधका (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफा १८४)

६—जिलेके कलक्टर साहबको झूठी सूचना इस बातकी दीगई कि कुछ जमींदारोंने बलपूर्वक सरकारी धरतीमे अधिकार करलिया है इस अभिप्रायसे कि उन जमींदारोंको कष्ट होवे और सरकारी नौकरोंका समय व्यर्थ व्यतीत होवे—तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा १८२ का अपराध उस मनुष्यने नहीं किया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा ४९८)

७—(क) ने दु ख पहुँचानेके अभिप्रायसे पोलीसको यह सूचना दी कि (ख) ने उसके घरसे माल चुराया था, इसलिये पोलीसने (ख) के घरकी तलाशी ली, और उपरोक्त सूचना झूठ प्रमाणित

हुई—तजवीज हुई कि (क) ने (ख) के विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई की थी इसलिये वह दफा २११ के अपराधका अपराधी हुवा था न कि दफा १८२ के अपराधका । (पंजाब रिकार्ड नं०-१६ सन् १८७० ई०)

८—हिन्दुस्तानके दण्डसंग्रहकी दफा २११ के अपराधमे दफा १८२ का अपराध गिना जायगा इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि उन दफोंमेंसे किसी दफाके अनुसार वर्त्ताव करे, यद्यपि उक्त अभियोगोमे जो बहुतही गुरुतर (सगीन, भारी) है दफा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा १८४)

९—बलदेवने बस्तीपूर पोलीसमे प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया और फिर वही फरियाद (इस्तगासा) मजिस्ट्रेटके सामने दायर की—जो तहकीकात होनेके उपरान्त झूठी प्रमाणित हुई और अपराधी छोड दिया गया और बलदेवको दफा १८२ के अपराधमे दंड हुवा, तजवीज हुई कि बलदेवके मध्ये दण्डकी आज्ञा जो दफा १८२ के अपराधमे हुई है अनुचित है क्योंकि उपरोक्त दफाका सम्बन्ध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था बलदेवकी तजवीज दफा २११ के अपराधमें होनी चाहिये थी । (वीकली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अगस्त सन् १८८२ ई० सफा १७८)

(१८३) यदि कोई मनुष्य किसी मालके लिये जानेमें, जो किसी सरकारी नौकरके

किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार मालके लिये जानेमें सामना करना।	}	उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो किसी प्रकारके रोक-टोक करे यह जानकर या यह निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह-ऐसाही सरकारी नौकर है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद-छः महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।
--	---	---

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन जारी होगा (४) काबिल जमानत (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है ।

१—एक मनुष्यको दफा १८३ के अनुसार इस बातपर दंड दिया गया कि उसने सरकारी नौकरको किसी मालकी कुर्की करनेमें रोका—यह अपराध ४ फरवरी सन् १८८३ ई० को किया गया, परन्तु वारंटके वापसी की तारीख, कि जिसके अधिकारसे सरकारी नौकर सब कार्रवाई की बंदी थी या उसके एक दिन पहिले की थी, तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीका दंड अयोग्य है, क्योंकि जिस तारीखको रोक टोक की गई उस तारीखको कुर्की करनेकी कानूनानुसार आज्ञा न थी और उस समय वारंटकी अवधि बीत चुकी थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा १८)

२-जय कोई विलिफ (अमीन) कुर्की करनेवाला अफसर किसी डिगरीके इजरायमे मोई माल कुर्क करे और वह मनुष्य कि जिसका माल है केवल यह करे कि जबतक विलिफ उपरोक्त मालके मध्ये यह न लिखले कि वह उसका माल है तबतक वह (मालका स्वामी) विलिफको उपरोक्त मालके ले जानेसे रोकेगा-हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि इस प्रकार जयानी यवान दंड-सग्रहहिदकी दफा १८३ के अपराधकी सीमा तक नहीं पहुँचता (इ० ल० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा ५६४)

(१८४) जो कोई मनुष्य, किसी मालके नीलाममे जो किसी सरकारी नौकरके किसी मालके नीलामम जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार-अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढाया गया हो रोक टोक करना. कानूनानुसार-अधिकारके अनुसार नीलामपर चढाया गया हो जान नबूझकर रोक टोक करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानका दंड जो पँचसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रेसीडसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अब्जल या दर्जा दोयम (२) पोलीस विना चारट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) अपराध जमानतके योग्य है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरी दरकार है ।

--- (१८५) जो कोई मनुष्य किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके कोई माल जो सरकारी नौकरके अधिकारानुसार नीलाम पर चढाया गया हो कानूनविरुद्ध मोल लेना या उसके लिये बोली बोलना. अधिकारानुसार आज्ञा से होताहो, किसी मनुष्यके लिये (चाहे वह स्वयही हो या कोई दूसरा,) कोई माल मोलले या उसके लिये बोली बोले यह जानकर कि उस मनुष्यको उस उपरोक्त मालके मोल लेनेका कानूनानुसार अधिकार नहीं है, या उस मालपर बोली बोले और उन नियमोंके पूरे करनेका अभिप्राय न हो जो उस बोली बोलनेसे उसपर ठहरेगे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानका दंड जो दोसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना चारट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता (६) मजूरी दरकार है ।

जय कोई मजिस्ट्रेट किसी मालको नीलाम कर रहा है और यदि कोई मनुष्य ऐसे नीलाममें बोली बोले और उसके नियमोंको पूरा न करसके तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नौकरके उचित अधिकारका अपमान करनेका अपराधी दंडसग्रहहिदकी दफा १८५ के अनुसार होगा ।

(१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगता-सरकारी नौकरीका काम करनेमें सरकारी नौकरका रोक टोक करना } नेमे जानबूझकर रोकेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पॉलीस विना वारंट नहीं पकड़ सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

(१) झूठा समाचार प्रसिद्ध करना और मनुष्योंको अपने बच्चोंको टीका लगाने वाले सरकारी नौकरके हाथ टीका लगवानेसे रोकना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का कोई अपराध नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा ९३)

(२) किसी सरकारी नौकरकी उचित चौकसीसे किसी मनुष्यका भागजाना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा १३४) व गडीके स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी गडी किरायारपर देनेसे नाही करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ९ सफा १६५) व किसी सरकारी क्लर्कसे विना रुपया दिये रसीद ले लेना (पश्चिमोत्तर देग हाईकोर्ट रिपोर्ट सन् १८६३ ई० सफा ६३) और किसी सरकारी नौकरके साथ अपने खेतकी माप करानेके लिये जानेसे नाही करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ५१) दफा १८५ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार अपराधमें नहीं है ।

(३) साहब जज जिलाने किमी अभियोगमें जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी (मुद्दाअल्लेह) का घर ढूँढवा करके कुछ माल अदालतमें लानेकी आज्ञा दी, और इस आज्ञाको पूरा करनेके लिये एक मनुष्यको नियत किया—वह मनुष्य घर पर गया, परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीने अपने घरके किवाड़ भीतरसे बंद करलिये और स्वयंभी भीतर होरहा—बहुतसे मनुष्य वहा इकट्ठा होगये बलपूर्वक घरका ढूँढना भी असम्भव था—इस घटनापर प्रतिवादीपर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८६ का अपराध लगाया गया और इसी दफाके अनुसार उसे दंड दिया गया—हाईकोर्टकी रायमें इस घटनाके अनुसार कोई अपराध दंडसंग्रहहिंदके अनुसार नहीं उत्पन्न हो सकता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफा २२१)

(४) जिस मनुष्यको, कलक्टर दफा ६९ एकट कार्रकारी बगालके अनुसार जमींदार व कार्रकारीकी फसलका बटवारा करनेके लिये नियतकरे वह दफा १८६ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर नहीं है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१८)

(५) नाजिरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारंट उसकी कार्रवाईके लिये किसी चपरासीको दे दे—जिस चपरासीको समर्पित उपरोक्त वारंट किया जावे वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१ जिमन ४ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर समझा जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७५९)

(६) अपराधीका लडका धरसे निकल मागा और एक पोलीसकी चौकीपर जो थानेके निकट थी मिला और चौकीदारके साथ थानेपर भेजदिया गया—राहमें चौकीदारको अपराधी मिला और उसने अपना लडका चौकीदारसे मांगा परंतु चौकीदारने न दिया, और जब चौकीदार उसको थानेके भीतर लेजाने लगा तब अपराधी उसको छीन ले गया और चौकीदारको भी मला घुरा कहा—तजवीज हुई कि अपराधीने वास्तवमें ही दफा १८६ का अपराध किया (वीली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफा १७०)

(१८७) जब कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकारी - किसी सरकारी नौकरको सहायता देनेसे चूकना, जब कि सहायता देना कानूनानुसार अवश्य हो } कामके करनेमें सहायता देना या पहुँचाना कानूनानुसार अवश्य हो, जानबूझकर ऐसी सहायता देनेमें चूक करे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे—

और यदि ऐसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मागी हो जो ऐसी सहायता मागनेका कानूनानुसार अधिकारी है, करने कार्रवाई किसी हुकमनामेके जिसे किसी कोर्टे आफ जस्टिससे उचित रीतिपर जारी किया हो, या किसी अपराधके होनेको रोक्ने या किसी बंलवा या लडाईको दबा देनेके लिये या किसी ऐसे मनुष्यको पकडनेके लिये जिसपर कोई अपराध लगाया गया हो, या जो किसी अपराधका या उचित चौकसीसे भाग जानेका अपराधी ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

१—मजिस्ट्रेटने जमींदारको यह आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनके भीतर चोरीका पता लगावो और पोलीसको सहायता दो—तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी, इसलिये जमींदार दंडसमर्थ हिन्दुस्थानकी दफा १८७ व १८८ के अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०१)

२—ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अनुसार किसी मालगुजार (जमींदार) पर अहलकार पोलीसको भरे हुए मनुष्यकी लाश गडानेमें सहायता देना उचित होवे ! (मध्यप्रदेश इ० ला० रि० जिल्द ६ सफा ५ फौजदारी)

(१८८) जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझकर कि मुञ्जको, किसी सरकारी नौकरकी न मानना किसी आज्ञा जो किसी सरकारी नौकरने कानूनानुसार प्र गट की हो. आज्ञानुसार जो कानूनानुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रसिद्ध करनेका अधिकारी है, कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तुके मध्य जो मेरे अधिकार अथवा प्रबन्धमे है कोई मुख्य प्रबन्ध करनेकी आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा, तो-

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे उन मनुष्यको जो किसी नीतिपूर्वक (जायज) काममें लगे हुए हैं रोकटोक या क्लेश या हानि या रोकटोक, क्लेश या हानिका डर पहुंचे या पहुंचानेवाला हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे, और,

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे मनुष्यके प्राण या आरोग्यता या कुशलताको हानि पहुंचे या पहुंचानेकी ओर झुकती हो या बलवा या लडाई (हंगामा) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी ओर झुके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे,

स्पष्टीकरण—यह अवश्य नहीं है कि अपराधीका अभिप्राय हानि पहुंचानेतेही हो या वह यह जानताही हो कि उस आज्ञाभंगसे हानि उत्पन्न होगी, वरन इतनाही बहुत है कि वह उस आज्ञाको जानता हो जिसको वह भंग करता है और यह कि उसका न मानना हानि उत्पन्न करता है या उससे हानि उत्पन्न होनेका भय है.

उदाहरण ।

कोई आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जो कानूनानुसार ऐसी आज्ञाके प्रसिद्ध करनेका अधिकारी है इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई गई कि कोई मजहबी (मतका) जमाव किसी विशेष गलीसे होकर न निकले यदि शिवशंकर जान बूझकर इस आज्ञाको न माने और इसके कारणसे बलवेका भय उत्पन्न करे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(टीप)—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकडसकती (३) समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है । (६) मंजूरी दरकार है ।

(इस दफा १८८ को मजमूआजाबता फौजदारीकी दफा १३३ से १४४ तकके साथ पटना चाहिये) ।

१—उमरा १ बलिया सुरानेके अपराधमे दखित हुवा, मूलाने चोरीकी बलिया अपराधी न० १ से मोल ली, परन्तु उसको डिप्टी कमिश्नरने यह आज्ञा दी कि बलिया मोल लेनेकी सूचना थानेमें दे देना, परन्तु मूलाने ऐसी सूचना नहीं दी, इसलिये उसे दंडसंग्रह हिदकी दफा १८८ के अपराधमें दंड दिया गया हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि मूलाने उपरोक्त दफामें लिखा हुवा अपराध नहीं किया, क्योंकि जो आज्ञा डिप्टी कमिश्नरने दी उसके देनेका अधिकार कानूनानुसार उन्हें न था (पञ्जाब रिकार्ड न० १७ सन् १८६९ ई०)

२—यादि ऐसी आज्ञा दी है कि जिसके देनेका अधिकार उस सरकारी नौकरको नहीं है कि जिसने आज्ञा दी है तो उसका न मानना इस दफा १८८ के अनुसार अपराध होगा जैसे—

(१) किसी मजिस्ट्रेटको अधिकार नहीं है कि किसी मनुष्यके माल नीलाम किये जानेकी आज्ञा दे ।

(२) किसी नबरदार व जमींदारको किसी मुकद्दमेका पता लगाने और पोलीसको सहायता देनेकी आज्ञादे (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०१)

(३) यह आज्ञा दे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोललेवे थानेमे उसकी सूचना दे (पञ्जाब रिकार्ड न० १० फौजदारी) या,

(४) यह कि कोई मनुष्य अपने घरसे गावके नबरदार या पोलीसको बिना सूचना दिये न जावे (पञ्जाब रिकार्ड न० १२ सन् १८६८ ई० फौजदारी) या,

(५) यह कि कर्माट लोग गोशतको बेचनेके लिये खुला न रखे (पञ्जाब रिकार्ड न० १३ सन् १८७२ ई०)

(६) और न लफ्टनन्टगवर्नरको यह आज्ञा देनेका अधिकार है कि किसी सब्कके किसी विशेष भागपर गाडिया न चलाई जावे (पञ्जाब रिकार्ड न० ८ सन् १८७३ ई०)

३—मजिस्ट्रेटने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्ध की कि—“चौपायोके स्वामी उनकी उचित रक्षा करें, यदि वह आज्ञामुद्द करेंगे तो उन्हें कानूनानुसार दंड दिया जावेगा—” और कुछ मनुष्योंको दंडसंग्रह हिदकी दफा १८८ के अनुसार आज्ञाभंगके अपराधमे दंड भी दिया—तजवीज हुई कि दफा ६२ जान्ता फौजदारीके अनुसार मजिस्ट्रेटको ऐसी सर्व साधारण आज्ञाके देनेका अधिकार न था, इस लिये अपराधियोंको दफा १८८ के अनुसार दंड देना कानूनविरुद्ध था (बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४५)

४—मजिस्ट्रेटको दफा ६२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० व दफा १४४ ऐक्ट ११० सन् १८८२ ई० के अनुसार अधिकार है कि किसी विशेष मनुष्यको विशेष स्थानपर विशेष दिनके लिये जानेको वर्जित करदे यदि उसको दृढ विश्वास हो जावे कि ऐसी आज्ञासे बलवे या हंगामेका होना अवश्यही रुक जावेगा (बगाल ला रिपोर्ट जिल्द १० सफा ४३४)

(१८९) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको या उस मनुष्यको जिसके मध्ये सरकारी नौकरको हानि पहुँचानेकी धमकी देना, वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे मनुष्यसे अभिप्राय है, इसलिये हानि पहुँचानेको कि जिससे उस सरकारी नौकरको किसी ऐसे कामके करने या न करने या देरीसे करनेके लिये कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नौकरसे है धमकावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो साल तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट नहीं गिर-पतार कर सकती (३) समस्त अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं हो सकता ।

-१—साहय जजकी तजवीज इस बातमें अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दोंके दरियाफ्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि जिनको अपराधीने वास्तवमें कहा कि जिस समय उसने सरकारी नौकरको धमकी दी थी वरन इसके विरुद्ध इस बातकी आवश्यकता थी कि अपराधीके यथार्थ २ शब्द अदालतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालतको उस बातकी खोजका अवसर मिलता कि यथार्थमेंही अपराधीने सरकारी नौकरको दुःख पहुँचानेकी धमकी दी या नहीं । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ३८०)

(१९०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे हानि पहुँचानेकी धमकी दे-हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर-से रक्षा मांगनेसे रुक जाय, } दे कि वह किसी हानिसे रक्षा किये जानेके लिये किसी ऐसे सरकारी नौकरके यहां कानूनानुसार प्रार्थनापत्र (दरख्वास्त) न देवे या देनेसे रुक रहे, जो उस सरकारी नौकरके कारण ऐसी रक्षा करने या करानेका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

अध्याय ग्यारहवाँ ११.



झूठी गवाही और सर्व साधारण न्यायके विरुद्ध अपराधोंके बयानमें ।

(१९१) कोई मनुष्य जिसपर कानूनानुसार, शपथके अनुसार या कानूनकी किसी झूठी गवाही देना. } विशेष आशासे सच २ बयान करना या कानूनके अनुसार किसी कामके मध्ये कुछ बयान करना अवश्य हो, कोई ऐसा बयान करे जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता हो चाहै झूठा निश्चय करना हो या जिसको वह सच्चा न निश्चय करता हो तो कहा जायगा कि उसने झूठी गवाही दी.

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक बयान इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा, चाहे वह जवानसे किया जाय या और प्रकार पर,

स्पष्टीकरण—२ कोई झूठा बयान जो तसदीक (निश्चय) करनेवाला मनुष्य अपनी, जानकारी (दानिस्त) के मध्ये करे, इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा और जैसे कि कोई मनुष्य यह बयान करनेसे कि मैं अमुक (फलानी) बात जानता हूँ, जिसको वह नहीं जानता है झूठी गवाही देनेका अपराधी है वैसेही वह मनुष्य भी झूठी गवाही देनेका अपराधी होसकता है जो बयान करे कि मैं अमुक बातको निश्चय करता हूँ जिसे वह निश्चय न करता हो।

उदाहरण ।

(क)—यदि शिवशकर, एक उचित दावेके अनुमोदन (ताईद) में जो रमाशकर एक हजार रुपयेके मध्ये उमाशकरपर रखता हो मुकद्दमेकी पेशीके समय झूठी शपथ करे कि भेरे सामने उमाशकरने रमाशकरके दावेके उचित होनेको स्वीकार किया है तो ऐसी अवस्थामें शिवशकरने झूठी गवाही दी ।

(ख)—शिवशकर कि जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ बयान करना अवश्य है यह बयान करे कि मैं निश्चय करता हू कि अमुक (फलाने) दस्तखत रमाशकरके हाथके लिखे हुए हैं जब कि वह उस दस्तखतको रमाशकरके हाथके लिखे हुए निश्चय नहीं करता है तो इन अवस्थामें शिवशकरने वह बयान किया जिसको वह झूठा जानता है और इस लिये उसने झूठी गवाही दी ।

(ग)—शिवशकर जो रमाशकरकी लिखावटकी बनावट पहिचानता है यह बयान करे कि मैं जानता हू कि अमुक दस्तखत रमाशकरके हाथके लिखे हुए हैं शुद्धभावसे गेनाही जानता है तो इस

अवस्थामें शिवगंकरका बयान केवल अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये है और वह उसकी जानकारीके मध्ये सच्चा है और इसलिये शिवगंकरने झूठी गवाही नहीं दी, चाहे वह दस्तावेज रमागंकरके हाथके लिखे न हो ।

(घ)—शिवगंकर जिसपर एक गपथके अनुसार सच २ बयान करना उचित है, यह बयान करे कि मैं जानता हूँ कि रमागंकर अमुक दिन अमुक स्थानपर उपस्थित था, वद्यपि वह इस कामके मध्ये कुछ न जानता हो, तो शिवगंकरने झूठी गवाही दी, चाहे रमागंकर उस दिन उस स्थानपर उपस्थित था या न था ।

(च)—शिवगंकर उत्था करनेवाला या अनुवादक (सुतरजिम) है जिसपर गपथके अनुसार अवश्य है कि किसी बयान या लिखतम (लेख दस्तावेज) का जवानी या लिखा हुआ सच्चा अनुवाद करे और वह यदि जवानी या लिखा हुआ झूठ अनुवाद (तर्जुमा) करे या उसकी तसदीक करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो शिवगंकरने झूठी गवाही दी ।

१—कैदीने एक पहिले मुकद्दमेमें जो बयान मजिस्ट्रेटके सामने किया था उसके विन्द्व दूसरा बयान सेठान जजके सामने किया, इसलिये उसपर मजिस्ट्रेट या सेठान जजके सामने झूठी गवाही देनेका अपराध प्रामाणिक हुआ—तजवीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा सही थी और जो गवाही सेठान जजने लीथी मजिस्ट्रेटके सामने झूठी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी (बंगाल ला रिपोर्ट सफा ५२१)

२—जो मनुष्य दफा ११८ व १७९ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० के अनुसार पुलीसके प्रश्नका उत्तर देनेके लिये जो सूचनाके मध्ये हो बुलाये जावे उनपर झूठी गवाही देनेका अग्गव प्रमाणित नहीं होसकता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा १२१)

३—साहब मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे (सीयम) ने जो बयान दफा १२४ मजनुआजाब्ला-फौजदारीके अनुसार लिखे हो, तो उपरोक्त मजिस्ट्रेटकी ऐसे बयान लेनेका अविचार न होनेके कारण उन बयान देनेवाले पर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १९१ व १९३ का अरराव प्रमाणित नहीं होसकता (इ० ला० रि० बंबई जिल्द ११ सफा ५०२)

४—जानचूसकर झूठी गवाही देना उस अवस्थामें भी अपराध होसकता है कि जब गवाहसे शपथ या प्रतिज्ञा न कराई जाय (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३५५)

(१९२) जो कोई मनुष्य कोई मूरत (अवस्था) उत्पन्न करे या किसी किताब या झूठी गवाही बनाना, } सरिरतेके कागजमें कोई झूठी लिखावट बनावे या कोई दस्तावेज जिसमें कोई झूठा बयान लिखा हो बनावे इस अभिप्रायसे कि वह मूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान अदालतकी किसी कार्यवाईमें या किसी कार्यवाई में जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके मापने या किसी सालस (प्रतिद्वदी) के सामने होरही हो प्रमाण (सबूत) की भाँति पेश होसके और इस अभिप्रायसे कि वह मूरत या झूठी लिखावट

या झूठा वयान जो इस प्रकार प्रमाणके कारणों पेश होसके किसी ऐसे मनुष्यको जो उस कार्रवाईमें प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के मध्ये राय लगाएगा किसी कामके मध्ये जो उस कार्रवाईके फलके लिये आवश्यक झूठी रायके पहुँचानेका कारण होसके तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने झूठी गवाही बनाई ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, रमाशंकरकी किसी सदूकमें इस अभिप्रायसे कुछ गहना रखते कि वह गहना उस सदूकसे निकले, और यह सूत्र रमाशंकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित कराये तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

(ख) शिवशंकर अपनी दूकानके वही खातेमें इस अभिप्रायसे कोई झूठी लिखावट बनाये कि वह उसको किसी अदालतमें प्रमाणकी भौति पक्षपातीमें काम लाए तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

(ग)—शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरका विचार सयुक्त अपराधका अपराधी ठहराये इस प्रकार एक चिठी लिखे कि उसमें रमाशंकरके लिखनेमें अपना लिखना मिलावे और वह चिठी उस विचार सयुक्त अपराधके किसी साक्षीके नाम जानी जाय और उस चिठीको ऐसे स्थान पर रखे जहाँ वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अवश्यही खोज करलेगे । तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

१—जब तारीख दस्तावेज कि जो दूसरी प्रकारपर रजिस्ट्रीके लिये पेश नहीं होसकती थी रजिस्ट्री करा पानेके अभिप्रायमें बदली गई तो वह जालका अपराध नहीं है जबतक कि कोई प्रमाण इस बातका न हो कि उपरोक्त काम बद दिया नतीसे या छत्रछिद्रकी राहसे दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ४६४जिम्न २ के अभिप्रायानुसार किया गया, परन्तु गवाहीका अपराध दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १९२ के अभिप्रायानुसार है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९२)

२—अपराधीने जो एक बकील था मुसिफ जिलाकी अदालतमें एक वकालतनामा पेश किया जिसपर एक दीवानीके मुकद्दममें प्रतिवादी (मुद्दाआखलेह) के दस्तखत थे और जिसके द्वारा अपराधीको प्रतिवादीकी ओरसे पैरवी करनेकी आज्ञा दी गई—वकालतनामामें यह झूठ लिखा था कि वह उस गँवके अधिकारीके सामने लिखा गया है और उस पर अधिकारीके दस्तखत भी पाये जाते थे—अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा १९३ के अपराधमें दंड दिया गया—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि ऐसा मुकद्दमा इस दफाके अभिप्रायमें नहीं आता है और इसलिये अपराधी दंडके अयोग्य है (मद्रास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ३७३)

३—किसी अपराधीका अपनी सफाईके लिये झूठी गवाही बनाना दंडसग्रह हिन्दुस्थानके दफा १९२ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा (पंजाब रिकार्ड न० १० सन् १८८० ई०)

(१९३) जो कोई मनुष्य अदालती कार्रवाईकी किसी अवस्था (हालत) में झूठी गवाहीका दंड } जानबूझकर झूठी गवाही दे या इस अभिप्रायसे झूठी गवाही बनाये कि वह अदालतको किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें काममें लाई जाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा—

और जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी और अवस्थामें झूठी गवाही दे या बनावे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—१ जो कोई अभियोग किसी कोर्ट मारशलमें उपस्थित हो उसकी जांच और तजवीज अदालतकी एक कार्रवाई है ।

स्पष्टीकरण—२ किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरकी कार्रवाईसे पहले जिस जांच (तहकीकात) के मध्ये कानूनानुसार आज्ञा हो वह जांच अदालती कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशकर किसी जांचमें जो मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे होरही हो कि रमाशंकर विचार (तजवीज) के लिये सेवानमें सिपुदं किया जाय या नहीं अपयसे कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच (तहकीकात) अदालतकी कार्रवाई की एक अवस्था है इसलिये शिवशकरने झूठी गवाही दी ।

स्पष्टीकरण—३ कोई जांच जिसके लिये कानूनके अनुसार किसी कोर्टे आफ जस्टिसकी ओरसे अनुरोध हो और जो किसी कोर्टे आफ जस्टिसकी आज्ञाके अनुसार वर्त्तावमें आवे अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जांच किसी कोर्टे आफ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशकर एक जांचमें किसी अहलकारके सामने जो किसी कोर्टे आफ जस्टिसकी ओरसे किसी खेतकी सीमा दरियापत करनेके लिये नियत हुआ हो अपयके अनुसार कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, तो शिवशकरने झूठी गवाही दी ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है (६) मजूरी दरकार है ।

१-अपराधी दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही बनानेके अपराधमे व दफा ४१४ दंडसग्रह हिदके अनुसार चोरीका माल छिपानेके अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग २ दंड पासकता है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९)

२-(क) ने (ख) को बहँकाया कि वह स्टाम्पका कागज (ग) के नामसे लेवे-इस लिये स्टाम्प-बेचनेवालेने स्टाम्पके कागज पर (ग) के नाम कागजका बेचना लिखा और यह कार्र-वाई (क) ने इस अभिप्रायसेकी कि उपरोक्त कागजको अदालत दीवानीमें (ग) के विरुद्ध किसी मुकद्दमेमे काम लावे, तजवीज हुई कि अपराध झूठी गवाही बनानेका उमपर प्रमाणित हुआ (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफा १०५)

३-दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार उस मनुष्यको जिसका बयान पोलीसकी तहकी-कातके समयमें अध्याय १४ जाब्ता फौजदारीके अनुसार हुवा हो, अवश्य है कि सच २ उत्तर देवे, यदि वह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दंडसग्रह हिदकी दफा १९३ के अनुसार झूठी-गवाही देनेका अपराधी है (इ० ला० रि० बवई जिल्द ८ सफा २१६)

४-दंडसग्रह हिदकी दफा १९३ के अपराधमे इस बातके बयान करनेकी आवश्यकता नहीं है कि शपथके अनुसार दिये हुए दो बयानोंमेंसे कौन बयान झूठा है यही बात बहुत है कि अपराधीने शपथके अनुसार एक समयमें एक बयान और दूसरे समयमें दूसरा झूठा बयान किया (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७)

५-दंडसग्रह हिदकी दफा १८१ व १९३ के अहकामोंका झूठी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं है जो दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार किये जाय, पोलीसके अहलकारको जो बयान दफा १६१ जाब्ता फौजदारीके अनुसार लिखे दस्तखत उन मनुष्योंके कराना कि जिनके सामने बयान लिखा गया हो कानूनविरुद्ध नहीं है परन्तु अनावश्यक है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा ११)

६-हाईकोर्टको ऐसे हुक्मकी सूरतमे दस्तान्दाजी करनेका अधिकार है जो किसी अदालतने दफा ४०६ जाब्ता फौजदारीके अनुसार प्रचारित किया हो और इस कामकी भी पूरी तजवीज करनेका अधिकार है कि उस अख्तियार तमीजीका निफाज (योग्य अधिकारोका वर्ताव) जो उस दफाके अनुसार किया गया है, उचित रीतिपर हुवा है या नहीं (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३२९)

७-झूठी गवाही देनेके मुकद्दमोंमे ऐसे बयानके प्रमाणित करनेके लिये, कि जिसके मध्ये झूठ होना कहा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत है-दंड देना अदालतकी इच्छापर है (बीक्री रिपोर्ट जिल्द १४ सफा ५३)

८-जो गवाह दूसरेके नामसे झूठा बयान देवे उसपर हिदुस्थानके दंडसग्रहकी दफा १९३ का अपराध ठहराया जावेगा न कि दंडसग्रह हिदकी दफा ४१५ व ४१९ के अनुसार (बवई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५८९)

९-जब कोई मनुष्य किसी मुकद्दमें बयान लिखकर पेश करे और कानूनानुसार उक्त मनुष्यको सच २ बयान करना उचित हो और यदि वह उस लिखावटो बयानमें ऐसा लिखावे

जिसे वह झूठा जानता या झूठ निश्चय करता हो या सच न निश्चय करता हो तो वह दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९१ के अनुसार अपराधी गिना जायगा । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६२६)

१०—सेशन जजको झूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मजिस्ट्रेटके सामने हुवा हो अधिकार किसी मनुष्यको फौजदारी सिपुर्द करनेका नहीं है परन्तु वह उस मनुष्यको जो स्वयं उसीको अदालतमें झूठी गवाही दे सिपुर्द फौजदारी करसकता है (बगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ३५)

११—कैदीकी तजवीजमें जो ज्ञातघातका अपराधी था एक गवाहने शपथ पर-सेशन जजके सामने वयान किया कि उपरोक्त अपराधको एक दूसरे मनुष्यने किया है और उसी गवाहने मजिस्ट्रेटके सामने कैदीको उस अपराधका अराधी ठहराया था तजवीज हुई कि गवाह दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराधी था न कि दफा १९४ का ।

१२—जिन सूत्रोंमें झूठी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके लिये अदालती आज्ञाकी आवश्यकता है उनमें यदि मुकद्दमा बिना उपरोक्त आज्ञाके कायम किया जावे और अपराधीको दंड हो जावे तो दंडकी आज्ञा रद्द होनी चाहिये । (बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २६)

१३—जब किसी मनुष्यका विचार (तजवीज) इस अपराध पर होवे कि उसने शपथ दिलीये जाने पर भी झूठी गवाही दी तो इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधीको शपथ दी गई (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ९२)

१४—दफा ३१८ जान्ता फौजदारीके अनुसार जो तहकीकात की जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १९३ के लिये एक अदालती कार्यवाई है । (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १०४)

१५—जब कोई असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिडीका पता लगानेके लिये कि जिसमें कुछ मनुष्योंपर वधका अपराध लगाया गया था, कोई तहकीकात करे तो वह कार्यवाई अदालती नहीं है (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ५ सफा ७२)

१६—अपराधीने समन तामीलकी कैफियत शपथके अनुसार झूठी लिखी तजवीज हुई कि, वह दफा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी था न कि दफा १८१ के अनुसार (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ८ सफा २७)

१७—कुछ मनुष्योंको एक ही अदालती कार्यवाईमें झूठी गवाही देनेके मध्ये एक साथ तजवीज करना कानूनविरुद्ध है । (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ११ सफा ४२)

१८—इस अभिप्रायसे झूठे हिसाबका बनाना कि वह अपसर जगलके सामने जिसकी तहकीकात करनेका अधिकार न था पेश किया जावे, दण्डसंग्रह हिंदकी दफा १९३ का अपराध न ठहराया गया । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १२ सफा १)

१९—झूठी गवाही देना उस अदालतके अपमानमें गिना जायगा कि जिसमें वह दी जावे इस लिये वह अदालत दफा ४७३ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० (जान्ता फौजदारी) के अनुसार स्वयं अपराधका विचार नहीं करसकती (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १० सफा ७३)

२०—अपराधीने रेलकी सुराई हुई पटरिया अपने शत्रुके घरमे इस अभिप्रायसे छिपा दी कि वह चोरीके अपराधमे दंड पावे तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटका अपराधीको दो अपराधोंमे अलग २ दंडित करना अर्थात् एक झूठी गवाहीका बनाना इस अभिप्रायसे कि वह अदालती कार्रवाईमें काम आसके दफा १९३ दंडसंग्रहाहिकके अनुसार और दूसरे जानबूझकर चोरीका माल छिपा-
नेमें सहायता करना दफा ४१४ दंडसंग्रहाहिकके अनुसार बहुत उचित था (इ० ला० रि० इलाहा-
बाद जिल्द १ सफा-३७६)

२१—अपराधी झूठी गवाही देनेपर इसलिये अपराधी ठहराया गया कि उसने एक प्रश्नमें जो दफा १९ ऐक्ट ९ सन् १८६९ ई० कानून इन-कमटैक्सके अनुसार तहसीलदारके सामने पेश हुआ था और जिसपर तस्दीककी इजाजत लिली हुई थी जानबूझकर झूठा दयान किया था तजवीज हुई कि तहसीलदारको उपरोक्त प्रश्नके सुननेका अधिकार न था इसलिये उस मनुष्यसे कोई अपराध नहीं हुआ । (रिपोर्ट हाईकोर्ट मद्रास जिल्द ५ सफा ३२६)

(१९४) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिप्रायसे या
वध दंडके योग्य अ-
पराध प्रमाणित करानेके
अभिप्रायसे झूठी गवाही
देना या बनाना, } इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण
किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये जिसके
वदलेमे ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन्
१८७० ई० देखो) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधना दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त
मनुष्यको देश निकाला या कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होस-
कती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और—

यदि कोई निरपराधी मनुष्य उस झूठी गवाहीके कारणसे अपराधी प्रमाणित हो जावे और
यदि निरपराधी मनुष्य } वधका दंड पा जावे तो उस मनुष्यको जिसने ऐसी झूठी गवाही दी
उसके कारणसे अपराधी } हो, वधका दंड दिया जावेगा या वह दंड जो इस दफामे ऊपर लिख
प्रमाणित होजावे और } आये हैं । (दफा ४० को देखो)
वधका दंड पाजावे, }

(१९५) शुद्ध किया गया दफा १२९ ऐक्ट ९ सन् १८९० ई० रेलवे कानूनके
देना निकाले या दंड
कैदके योग्य अपराध प्र-
माणित करानेके अभि-
प्रायसे झूठी गवाही देना
या बनाना } अनुसार—जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये इस अभिप्रा-
यसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उस झूठी
गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित
कराये जिसके वदलेमे ब्रिटिश इंडियाके कानूनद्वारा (दफा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई०
को) या इंग्लिस्तानके कानूनद्वारा वधना दंड तो नहीं ठहराया गया परन्तु देश निकालेका
दंड या कैद जिसकी मीआद सात वर्ष या अधिक है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको

वह दंड दिया जावेगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराधका अपराधी प्रमाणित होजावे । (देखो दफा ४०)

उदाहरण ।

शिवगकर किसी कोर्टऑफ़जस्टिसमें इस अभिप्रायसे झूठी गवाही दे कि उसके द्वारा रमाशंकरको डकैतीका अपराधी प्रमाणित कराये तो जो कि डकैतीके लिये देश निकाले या कठिन कैदका दंड नियत है जिसकी मीआद दस वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके, इस लिये शिवगकर उस देश निकाले या उस कठिन कैदका जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, योग्य है ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

१—जब कोई मनुष्य अपना घर स्वयही जला दे और दूसरे मनुष्यपर अपराध लगावे तो उसको अपराधमें दंडसंग्रहहिन्दकी दफा २११ के अनुसार दंड होना चाहिये न कि दफा १९५ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा २६५)

२—एक मनुष्य दंडसंग्रह हिन्दकी सफा १९५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी ठहराया गया कि उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित करानेके लिये झूठी गवाही बनाई थी अपराधीने इस उक्त कामको एक अत्यतही प्रगटरीतिपर किया था और उससे उपरोक्त मनुष्यको दंड होजानेका मय न था और न यह बात प्रमाणित हुई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी ठहरानेके लिये कोई बल किया था तजवीज हुई कि अपराधीको ऐसी अवस्थामे दंड नहीं होसकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट-पश्चिमोत्तर देश जिल्द-५ सफा १८८)

(१९६) जो कोई मनुष्य किसी प्रमाणके कारणकी जिसे वह जानता हो कि झूठी जानी हुई वजह सबूत (प्रमाण)के कारणको काममें लाना, } झूठ या बनाया हुआ है सब्बे या यथार्थ प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के समान काममें लाये या काममें लानेका उद्योग करे तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानने-उसने झूठी गवाही दी या बनाई ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुकद्दमेकी हैसियतसे जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधी एक दीवानी मुकद्दमे में ऐसी दस्तावेजको जिसे वह जानता जानता था सच्ची दस्तावेजके समान काममें लाया था तजवीज हुई कि यह अपराध दंडसंग्रह हिन्द की दफा ४७१ के अनुसार है इसलिये अपराधी पर दफा ४७१ का ही अपराध ठहरना चाहिये या न कि दफा १९६ का (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७१७)

२—जब कोई मनुष्य अदालतमें झूठी गवाही वकील द्वारा पेश करे और आप गैरहाजिर रहे तो वह दंडसंग्रहहिन्दकी दफा १९६ के अनुसार दंडयोग्य है । रिसाला मोरली साहब जिल्द १ सफा १०४)

३—एक मनुष्य (ल) ने दस्तावेजके अनुसार नालिख दायर की और तहकीकातके समय एक चिट्ठी अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिप्रायसे पेश की, कि जो इस कामके अभिप्रायके लिये बनाई गई थी कि (ल) को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले—(ल) को दंडसंग्रहाहिककी दफा १९६ के अनुसार दंड दिया गया तजवीज हुई कि यदि चिट्ठी रजिष्टरके सामने पेश करनेके लिये बनाई गई थी तो कोई उग्र दंडकी तजवीजके मध्ये नहीं है। (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ७ सफा २८९)

(१९७) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सार्टीफिकेट जारी करे या उसपर झूठा सार्टीफिकेट जारी करना या उसपर दस्तखत करना, दस्तखत करे जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तखत किया जाना कानूनानुसार अवश्य है या जो किसी ऐसे काम वाकई (यथार्थ) से सम्बन्धित हो जिसके प्रमाणके कारण की माति वह सार्टीफिकेट कानूनानुसार ले लिये जानेके योग्य है और यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस सार्टीफिकेटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी है, तो उस मनुष्यको उसीप्रकारका दंड दिया जायगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी।

१—यदि कोई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीलके मध्ये झूठी कैफियत बयान करे और इसप्रकार जानबूझकर नाजिरसे झूठी इवारत दफा ४६ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार एक झूठ बातके लिखवानेका कारण हो तो वह चपरासी दंडसंग्रहाहिककी दफा १९७ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा। (बीड्डी रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३७)

२—अपराधीने जो अदालत मतालया खफीफाके दफ्तरमें नकलनवीस था किसी एक दस्तावेजकी नकल जो किसी मिसलके साथ अदालतमें दाखिल हुई थी, इसप्रकार पर गलत बनाई कि उसमें एक ऐसा नाम बढादिया जो वास्तवमें न था और जब कानूनके अनुसार उस नकलकी तस्दीक होगई तब उसके साथल (जिसने उसके लेनेको दरखास्त दी थी) को दे दी गई जो कदाचित् अपराधीसे विरुद्धता रखता था, इसके पश्चात् वह नकल एक मुकद्दमेमें उस मनुष्यके मुकाबिले काममें लाई गई कि जिसका नाम छलसे उसमें बढा दिया गया था और उस समय छल पकडा गया—मजिस्ट्रेटने अपराधीको दफा १६७ के अपराधका अपराधी ठहराकर सौ रुपया जुर्माना किया—चीफक्वोटसे तजवीज हुई कि दफा १६७ का सम्बन्ध मुकद्दमेसे न था क्योंकि यह बात प्रमाणित न थी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता था या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचायेगा वरन अपराधीने झूठा सार्टीफिकेट जारी करने या उसपर दस्तखत करनेका अपराध दफा १९७ के अनुसार किया था और यह भी तजवीज हुई कि दस्तावेजकी नकल करना “दस्तावेज बनाने या अनुवाद करने ” में नहीं गिना जायगा। (पजाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७९ ई०)

(१९८) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे साटीफिकेटको सबे साटीफिकेटके किसी साटीफिकेटको समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उस साटीफिकेटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी हुई है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

(१९९) जो कोई मनुष्य किसी बयानमें जो उसने दिया था जिसपर उसने झूठा बयान करना किसी इजहारमें, जो कानूनानुसार प्रमाणके कारणकी भांति लिये जानेके योग्य हो दस्तखत किये हों और जिस बयानको किसी घटना (वाकिआ) के प्रमाणके कारण (वजह) सबूत की भांति ले लेना किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी सरकारी नौकर या किसी और मनुष्यपर कानूनानुसार उचित या उसके लिये कानूनानुसार अवश्य हो उस अभिप्रायके किसी आवश्यकताके काम (अम्र अहम) के मध्ये जिसके लिये वह बयान दिया गया था काममें लाया गया है कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसका झूठा होना था तो वह जानता था निश्चय करता हो या जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो उस मनुष्यको उसीप्रकार दंडदिया जायगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

१—ऐक्ट काश्तकारी बंगालमें अधिकार किसी कार्रवाईका नहीं है कि जिसके अनुसार कोई मनुष्य मूल कारण बतलानेके लिये बुलाया जावे कि वह दस्तावेजात व कागजात ऐसी जाय दादके सिपुर्द क्यों न करदे कि जिसका कोई सर्वसाधारण (आ) प्रवचकर्ता (मुहत्तमिम) नियत कियागया है, यदि ऐसी कार्रवाईमें जो कोई मनुष्य झूठी गवाही देवे उसपर दंडसंग्रहीदकी दफा १९३ या १९९ के अनुसार अपराध न प्रमाणित होगा (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ७२४)

(२००) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे बयानको सबे बयानकी भांति झूठ जान हुए किसी काममें लावे या लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उसमें कोई बयानको सबेकी भांति आवश्यकताकी बात झूठी है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक ऐसा बयान जो केवल किसी कानूनकी विरुद्धताके कारण ले लिये जानेके योग्य न हो दफा १९९ और २०० के अभिप्रायमें गिनाजायगा ।

(नोट) (इस दफा तककी टीप अर्थात् अदालतसेशन आदि तथा जमानत आदिका व्यौर दफा १९६ के अनुसार समझना चाहिये)

(२०१) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण अपराधीको अपराध-से बचानेके हेतु प्रमाणको छुपाना अथवा झूठा समाचार देना, रखकर कि कोई अपराध हुआ है उस अपराधके होनेके किसी प्रमाणको इस अभिप्रायसे छुपावे कि अपराधीको उचित दंडसे बचावे या इसी अभिप्रायसे उस अपराधके मध्ये कुछ समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो तो यदि उस यदि बंधके दंड अपराधके बदलेमें जिसको वह जानता या निश्चय करता है योग्य हो, बंधका दंड ठहराया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद सात वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा,—

यदि देश निकालेके दंडके योग्य हो, और यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा,—

और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसका मीआद यदि कैदका दंड दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारका कैदका दंड वर्षसे कम हो, दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है और जिसका मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदका एक चौथाईतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । (दफा ४० को देखो)

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने उमाशंकरको मारडाला है लग छुपानेमें इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी सहायता करे कि रमाशंकरको दंडसे बचाए तो शिवशंकर सात वर्षके लिये दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदके योग्य है और जुर्मानेके भी योग्य है ।

टीप—(१) अदालत सेसन (२) पोलीस दस्तान्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं (५) गजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ उन प्रमाण छुपानेवाले मनुष्योंसे सम्बन्ध रखती है जो स्वयं अपराधी नहीं । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७१४)

२—दंडसंग्रह हिंदकी दफा २०१ के अनुसार अपराधीको दंड देनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि प्रमाण छुपानेके जिस अपराधमें दंड दिया गया वह वास्तवमें सचमुचही किया गया था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २७९)

३-जो मनुष्य अपराध होनेमें असल मनुष्यके समान सम्बन्ध रखता हो वह उपरोक्त अपराधके प्रमाण छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७४९)

४-यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने किये हुए अपराधके प्रमाणके कारणको छुपावे तो उसको दण्डसंग्रहहिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दंड नहीं हो सकता (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ८ सफा १२६)

५-पहिले इसके कि अपराधी दंडसंग्रहहिन्दकी दफा २०१ का अपराधी ठहराया जावे, प्रमाणित होना इस बातका आवश्यक है कि वह अपराध जिसके प्रमाणके कारणके छुपानेका दोष लगाया गया है वास्तवमें हुआ था और यह कि अपराधी उस वृत्तांतको जानता था या उसको ऐसी जानकारी हुई थी कि जो इस अपराधके होनेको निश्चय करनेके लिये बहुत थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६१९)

६-कैदी ज्ञातघातके अपराधके समय उपस्थित था परन्तु उसको पहिलेसे यह जानकारी न थी कि उपरोक्त अपराध होनेवाला था उसने डरके कारणसे केवल उस अपराधके होनेको रोकनेमें ही यत्न नहीं किया बरन लडाके छुपानेमें भी घातकोके साथ रहा । तजवीज हुई कि कैदी ज्ञातघातमें सहायता करनेका अपराधी न था बरन अपराधके प्रमाणके कारणको छुपानेका अपराधी था (बील्ली रि० जि० ६ दफा १६०)

७-एक स्त्री अपने लडके समेत अपने स्वामीके घरसे निकल गई और फिर खोज करनेके पश्चात् अपने एक रिस्तेदारके घरमें मिली परन्तु उस लडकेका पता न लगा, इसलिये उस स्त्रीपर लडकेके मार डालनेका अपराध लगाया गया और उसने उस लडकेके मध्ये तीन अलग २ वयान किये, पहिले यह कि, वह उस लडकेको अपने स्वामीके यहा छोडगई थी, दूसरे यह कि एक मनुष्य रकील नामक उससे वह लडका उसके बापके यहां पहुँचानेको ले गया था तीसरे यह कि एक मनुष्य हिदायतउल्लानामकने उस लडकेको नदीमें बहादिया था-सेशन जजने इस तीसरे वयानको सही समझकर उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारणके छुपानेका अपराधी निश्चय किया तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २०१ उस अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कोई मनुष्य जो अपराधी ठहराया गया हो अपनेको बचाभेके लिये दूसरेको अपराधी ठहराये (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा १८९)

(२०२) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जान बूझकर चूक करे जिसपर समाचार देना अवश्य है, रखकर कि कोई अपराध हुआ, जानबूझकर उस अपराधके मध्ये किसी ऐसे समाचारके देनेमें चूककरे जिसका देना कानूना-नुसार उसपर अवश्य है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । (दफा ४० देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पौलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) समन (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—किसी मनुष्यपर दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०२ के अनुसार अपराध लगानेके पहिले निम्नलिखित बातोंका प्रमाण होना आवश्यक है (१) यह कि अपराधीको अपराधके होनेकी जानकारी थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता या (२) यह कि इसने जान बूझकर उपरोक्त अपराधकी सूचना नहीं की (३) यह कि अपराधीको उपरोक्त सूचनाका देना कानूनानुसार अवश्य था । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ३१)

(२०३) शुद्ध हुई दफा ६ ऐक्ट ३ सन् १८९३ ई० के अनुसार—जो कोई किसी अपराधके मध्ये } मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर झूठा समाचार देना. } कि कोई अपराध हुआ है उस अपराधके मध्ये कोई समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । (दफा ४० को देखो)

स्पष्टीकरण—दफा २०१ और २०२ में और इस दफामे “ अपराध ” के शब्दमें प्रत्येक काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके किसी बाहरी स्थानमे हुआ हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफाओं अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य हो ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पौलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०३ का अपराध प्रमाणित करनेमें केवल यही बात काफी नहीं है कि अपराधी अपराधके होनेका निश्चय करता था, वरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि वास्तवमेही अपराध हुआ था और अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (वील्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ६६)

(२०४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेजको छुपाए या नष्ट कर डाले जिसको प्रमाणके कारणकी भाति किसी दस्तावेजको पेश किये जानेसे रोकनेके लिये उसे नष्ट करना, वह किसी कोर्टआफजस्टिसके इजलासमे या किसी कार्रवाईमें जो कानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरिके अधिकारसे हो रही हो प्रमाणोंकी भाति पर पेश करनेके लिये कानूनानुसार विवश हो सके या उस सब दस्तावेज या उसके किसी भागको मिटाडाले या ऐसा कर दे कि पढी न जाय इस अभिप्रायसे कि उस कोर्ट या उस

उक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेजका प्रमाणके कारणकी भांति पेश होना या काममें आना रुकजावे या इसके पश्चात् ऊपर लिखे हुए अभिप्रायको दस्तावेजके पेश करनेके लिये कानूनानुसार आज्ञा या हिदायत् हो चुकी हो, उपरोक्त कामोंमेंसे किसी कामका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलीस, दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—बादी (मुद्दई) ने नालिशमें जो रजामदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थी दस्तावेजको जो पत्रके यहां थी छीन लिया और वह उसको लेकर चलागया और उसको पेश करनेसे रुककार किया—तजवीज हुई कि वास्तवमें अपराध हुआ परंतु वह चोरीका अपराध न था वरन दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०४ का अपराध था ॥ (इ० छ० रि० मदरास जिल्द ३ सफा २६१)

(२०५) जो कोई मनुष्य झूठमूठ कोई और मनुष्य बनकर उस बनी हुई सूत्रमें किसी मुकदमेमें किसी काम या अमल्दरामदके अभिप्रायसे झूठमूठ कोई और मनुष्य बनाया, कोई प्रतिज्ञा (इकरार) या बयान करे या कोई इकबाल दावा दाखिल करे या कोई आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी कराए या हाजिरजामिन या मालजामिन होजाए या दीवानी या फौजदारीके किसी मुकदमेमें कोई और काम करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत अंशेन या प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०५ का अपराध हो सकता है जब कि कोई मनुष्य अपनी कसित सूत्र बनावे । (इंडियन ज्यूरीष्ट सफा १२२)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफा २०५ का अपराध उस अवस्थामें प्रमाणित होगा कि जब अपराधीने उस मनुष्यके नाम और वल्ल आदिका धारण किया हो जिसके बननेका दोष उसपर लगाया गया हो, इसलिये दूसरे मनुष्यके नामसे कोई सवाल देना और जबतक उससे पूछा न जावे तब तक अपना नाम प्रगट न करना उपरोक्त अपराधके प्रमाणित करनेके लिये काफी नहीं है ।

(२०६) जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस छलछिद्रसे उठा ले जाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इस अभि- प्रायसे कि जव्ती अथवा इजरायडिगरीमे उसका कुर्क किया जाना रुक जाय } मालमें हो इस अभिप्रायसे दूर करे या छिपाये या किसीके नाम कर दे या किसी मनुष्यके सिपुर्दे कर दे कि उस आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्टआफजस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमका ओरसे हुई हो या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञाका होना सम्भव है वह माल या अधिकार जो उस मालमें है, जव्ती या जुर्मानेके बदलेमें या उस डिगरी या आज्ञाके पूरे होनेमें जो दीवानीके किसी मुकद्दमेमें किसी कोर्टआफजस्टिसने जारी की हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भव है लिया न जावे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—जो मनुष्य छलसे किसी जायदादको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायसे कि वह इजराय डिगरीमें नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि हिदुस्थानके दंडस-ग्रहकी दफा २०६ का अपराध उसे लगाकर उसे दण्डित करे, यत्रपि उस अपराधकी फैसल दफा ४५ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार होसकता है। (बगल ला रिपोर्ट जिल्द २ सफा ४)

२—दण्डसग्रह हिदकी दफा २०६ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि जायदाद छल छिद्र द्वारा इस अभिप्रायसे अलग करदी गई थी कि वह जव्त न होसके या डिगरी या जुर्मानेके बदले जव्त होनेसे बच जावे (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६५) .

(२०७) जो कोई मनुष्य किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो जव्तीकी भौति या किसी डिगरीके मध्ये कि- सी मालका कुर्क किया जाना रोकनेके लिये छलसे उसका दावा करना } छलसे स्वीकार करे या अपनी सिपुर्देगीमें ले या उसका दावा करे यह जानकर कि उस माल या अधिकारमे उसका कुछ अधिकार या उचित दावा नहीं है या किसी माल या उस अधिकारके किसी सत्वके मध्ये जो उस मालमें है कोई धोखा देवे इस अभिप्रायसे कि उसके कारण वह माल या अधिकार जो उस मालमें है ऐसी आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्ट आफजस्टिस या किसी और अधिकारी हाकिमका ओरसे हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उस आज्ञाका होना सम्भव है जव्ती या जुर्मानेके बदलेमें या किसी ऐसी

डिगरी या हुक्मकी तामीलमें जो किसी कोर्टआफजस्टिसकी ओरसे दीवानीके किसी मुकद्दमेमें जारी हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भवित है, लिया न जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दौ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२०८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावामे ऐसे रूपयेके लिये जो पटाने अनुचित रूपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना, योग्य न हो या उस रूपयेसे जो उस मनुष्यके पटाने योग्य है अधिक हो, या किसी माल या अधिकारके लिये जो उस मालमे हो जिसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छलसे अपने ऊपर डिगरी या हुक्मजारी कराए या जारी होनेसे या किसी डिगरी या हुक्मको उसकी कार्रवाई हो चुकनेके पश्चात् अपने ऊपर या किसी ऐसी वस्तुके लिये जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई हो चुकी हो छलसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर, रमाशंकरपर दावा करे और रमाशंकर यह जानकर कि मुझपर शिवशंकरका डिगरी घाना अति संभवित है उमाशंकरके दावामे जिसका उसपर कुछ उचित दावा नहीं है इस अभिप्रायसे अपने ऊपर छल द्वारा अधिक तादादके मध्य फैसला होने दे कि उमाशंकर अपने लिये चाहें उसीके लिये रमाशंकरके मालके जरनीलाममेंसे जो शिवशंकरकी डिगरीके अनुसार नीलाम हो हिस्सा पावे तो रमाशंकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२०९) जो कोई मनुष्य छलसे या बद दियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि कोर्ट आफ जस्टिसमें पहुँचाने या कष्ट देनेके अभिप्रायसे किसी कोर्टआफजस्टिसमें कुछ बददियानतीसे झूठा दावा करना, दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) प्रारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जब कोई मनुष्य ऐसी डिगरीको जारी करानेके लिये दरखास्त देवे कि जिनका रुपया पट चुका है तो उसके कामसे दंडसग्रह हिंदकी दफा २१० का सम्बन्ध है न कि दफा २०९ का—दफा २०९ उन झूठे और छली दावियोंके सम्बन्ध रखती है जो कोर्ट आफ जस्टिसमें किये जाय और उस अदालत टीबानीके साथ सम्बन्ध रखती है जिसमें आरम्भकीही नालिग दायर की गई हो (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

(२१०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे रुपयेके मध्ये जो उचित नहीं है या अनुचित रुपयेके लिये छल्ले डिगरी प्राप्त करना, } जो उचितसे अधिक है या किसी ऐसे माल या अधिकारके मध्ये जो उस मालमें हो और जिसका वह अधिनारा नहीं है कोई डिगरी या हुक्म छल्ले प्राप्त करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी कार्रवाई हो चुकनेके पश्चात् किसी मनुष्य पर जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके लिये जारी कराए जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई हो चुकी हो या छल्ले इस प्रकारका कोई काम अपने नामसे होने दे या उसके करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारकी कैदफा टड दिया जायेगा जिसकी मीआद दो वर्ष हो सकती है या जुर्मानेका टड या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—फरियाद करनेवाले (मुस्तगीस) ने कहा कि तीन मनुष्योंने मेरे हाथ और टोंग पकड़कर धरतीपर गिरा दिया और धूषा, पत्थर और जूते मेरे छातीपर मारे उनमेसे एकने दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे (फरियादी) चुमोदे तजवीज हुई कि एमे मुकदमेमें दस्तखरदारीकी इजाजत देना न चाहिये थी । (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३७८)

२—यदि कोई मनुष्य ऐसी डिगरीके जारी करानेकी दरखास्त करे जिसका रुपया पट चुका हो तो दण्ड-सग्रहहिन्दकी दफा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७)

३—एक डिगरीदारने अपनी डिगरी इजराय की एक दरखास्त दी यह दरखास्त इस लिये खारिज की गई कि डिगरीका रुपया पट गया था—मदयूनको दफा २१० के अनुसार डिगरीदारपर मुकदमा चलानेकी आज्ञा हुई—तजवीज हुई कि डिगरी इजरा नहीं होने पाई थी इसलिये दफा २१० के अनुसार कोई अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द २३ सफा ९७१)

(२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर हानि पहुँचानेके अ- फौजदारीमे नालिश दायर करे या कराये या किसी मनुष्य पर मिप्रायसे झूठ मूठ अपरा- किसी अपराध होनेके मध्ये झूठ मूठ दोष लगाए यह जानकर कि ध लगाना, न्यायानुसार या कानूनानुसार उस मनुष्यपर उस नालिश या दा- वेकी कुछ अब नहीं है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमे से किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे और यदि वह फौजदारीकी नालिश किसी ऐसे अपराधके झूठे दावेसे दायर कीजाए जिसके बदलेमे दंड वध या देश निकाला या सात वर्ष या अधिक मीआदकी कैद ठहराई गई है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध कायम करनेके लिये केवल झूठा दोष ही लगाना बढुत है, चाहे नालिश न की जाय (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४९७)

२—डिप्टी मजिस्ट्रेटको ऐसी आज्ञाके मध्ये दलील करनेका अधिकार नहीं है जो उसके अपसरने दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिश करनेकी मजूरी दी हो वह मजूरी चाहे सही दी गई हो चाहे गलत, परन्तु अपराधी दलील कर सकता है (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ८६९)

३—पहिले इसके कि तजवीज किसी मनुष्यकी दफा २११ दंडसंग्रह हिन्दके अपराधकी होवे उसको मुकद्दमेकी असलियत (यथार्थता) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जब कि वह मनुष्य उससे लाभ उठानेकी प्रार्थना करे, और यह अवसर न पोलीसके सामने बरन मजिस्ट्रेटके सामने मिलना चाहिये । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९७)

४—बिना गवाहोंका बयान सुने कि जिनको अपराधी पेज किया चाहता है दंडसंग्रह हिन्दकी दफा २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारीकी नालिशकी आज्ञा देना अनुचित है (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५८४)

५—अपराधके विचारके लिये यह बात अवश्य है कि झूठका अपराध उस अदालत या हाकिमके सामने जिसको जाच करने तथा दौरा सिपुर्द करनेका अधिकार प्राप्त है कायम किया जावे (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६६२)

६—अकस्ट्रया आसिस्टन्ट कमिश्नरको पोलीसकी रिपोर्टके आनेपर रिपोर्टरके मजमूनसे अपराधीको सूचना कर देनी थी और उसको अपने मुकद्दमेके प्रमाण (सबूत) के लिये अवसर

देना चाहिये था नव मुकद्दमोंको फैसल करेना उचित था । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८७)

७—जब कोई मनुष्य विशेष करके इस बातकी नालिश करे कि दूसरे मनुष्यने कोई अपराध किया है और उपरोक्त मनुष्य ऐसा काम ऐसे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे करे तो वह दफा २११ दंडसंग्रहहिंदके अपराधका अपराधी होगा । (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफा १८४)

८—यदि दोष कुभावासे न लगायाजावे वरन केवल बेपरवाहीसे लगाया जावे तो दोष लगाने वाला दंडके योग्य नहीं है चाहे उसका वर्त्ताव ऐसा समाचार पानेपर हुवा हो जो किसी बुद्धिमान् मनुष्यके माननेके लिये पूरा न था (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द २ सफा १०)

९—एक पोलीसके अहलकारने यह रिपोर्ट की कि अमुक मनुष्यने अमुक अपराध किया था और फिर अपने अपसरकी आजानुसार जो उसकी रिपोर्टसे हुई उस मनुष्यपर झूठा अपराध लगाया तजवीज हुई कि उपरोक्त अपसर दंडसंग्रहहिंदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी हुआ था और उसका यह कहना कि उसने अपने अपसरकी आजानुसार वर्त्ताव किया था उसको कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता था (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४५)

१०—यदि कोई मनुष्य अपना घर स्वयही जलावे और दूसरेपर उसका दोष लगावे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफाके अनुसार दंडके योग्य है दफा १९५ के अनुसार नहीं । (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६५)

११—एक मनुष्यने पोलीसमें यह झूठी फरियाद की कि अमुक मनुष्य उसके लडकेके मार डालनेका कारण हुवा था तजवीज हुई कि फरियादीके कामसे दफा २११ का सम्बन्ध था न कि दफा १८२ का (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ६७)

१२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ केवल उन्ही लोगोंसे सम्बन्ध नहीं रखती जो सरकारी नौकर नहीं है वरन पोलीसके अपसरसे भी सम्बन्ध रखती है जो किसीको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर झूठा अपराध लगावे । (वीङ्गी रिपोर्टर ११ सफा २)

१३—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध दफा १८२ के अपराधमें गिना जायगा इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि चाहे जिस दफाके अनुसार वर्त्ताव करे परतु भारी मुकद्दमोंमें दफा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा १३४)

१४—हिन्दुस्थानकी दंडसंग्रहकी दफा २११ के अपराधके अपराधीने सेगनजजके सामने बयान किया कि जो नालिश उसने की थी वह झूठी थी और बिना सोचे समझे उसने कर दी थी, सेगनजजने उस बयानको अपराधकी स्वीकारता समझकर अपराधीको ८ महीनेकी कठिन कैदके दंडकी आज्ञा दी परतु उसका उम्र दफा २३७ जान्ता फौजदारी (पेक्ट १० सन् १८७२ ई०) के अनुसार नहीं लिखा गया था और न उसको फर्द करारदादशुर्म (अपराधके मान लैनेकी स्वीकारता) सुनाई और समझाई गई—तजवीज हुई कि दंडकी आज्ञा अनुचित थी क्योंकि मिस्त्रसे यह बात प्रमाणित नहीं होती थी कि अपराधीने एक काम जो दफा २११ दंडसंग्रह हिंदकी अपराधमें अत्यंत आवश्यक

है मान लिया था अर्थात् दूसरेको हानि पहुँचानेका अभिप्राय और यह बयान उसका कि उसने बिना सोचे समझे नालिश कर दी थी अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक नहीं पहुँचता था । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ९६)

१५—ज्वाइंट मजिस्ट्रेटके सामने एक सवाल इस प्रकारका दिया गया कि पोलिसने इस तहकीकातके मध्ये जिसकी हिदायत उसको सायलकी दरखास्तपर हुई थी झूठी रिपोर्ट की थी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेटने पोलिसकी रिपोर्ट सुननेके पश्चात् वह सवाल अस्वीकार कर दिया और यह आजाकी कि सायलपर झूठा दोष लगानेके अपराधमे दंडसंग्रहकी दफा २११ के अनुसार मुकद्दमां कायम किया जावे तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको अपराधकी तहकीकातकी जाच करनेके पहिले दफा ४७६ जान्ता फौजदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाहिये थी । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३१५)

१६—जब कोई मनुष्य कुछ फरियाद करे और वह पोलिसकी रायमे झूठी ठहरे तो मजिस्ट्रेटको उचित नहीं है कि केवल पोलिसकीही रिपोर्टपर निश्चयकर एक साधारण तौरपर ग्रीभतासे कार्रवाई करे वरन् उसको दफा २११ के अनुसार बर्ताव करना चाहिये । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५७५)

१७—कैदीको जिसके मध्ये झूठी नालिश करनेके अपराधमें जिमन २ दफा २११ दंडसंग्रह हिदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुई उसे कैदका दंड जुमाने समेत होना चाहिये न कि केवल जुमानेहीका दंड हो । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ३४)

१८—बसूल हुए रुपयोंके मध्ये स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करना कानूनानुसार कोई अपराध नहीं है इसलिये नाहीं करनेवालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करनेके मध्ये झूठी नालिश करना भी कोई अपराध दंड योग्य नहीं है । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा ९२)

१९—यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिशको झूठी या बेजड (अमूलक) समझे तो उसे समन या वारंट जारी करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक नालिश करनेवालेका बयान लेना उसे अवश्यही उचित है । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा २७२)

२०—अपराधीने एक मनुष्यपर झूठी नालिश दफा ३२४ दंडसंग्रहहिदके अनुसार दायर की और इसी अदालतसे उसको दफा २११ दंडसंग्रहहिदके अपराधमे दंड हुआ तजवीज हुई कि उपरोक्त अदालतको अपराधीकी तजवीज करनेका अधिकार न था । (पंजाब रिकार्ड नं० ३ सन् १८७७ ई०)

२१—अपराधीने केवल सहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपराधीपर आक्रमण करके उसका दाँत तोड़डाला था और केवल सहायने उस अपराधसे छूटकर अपराधीपर दफा २११ के अपराध की नालिश की और अपराधीको अदालत सेगनसे दंड मिला हाईकोर्टसे सेगन जजकी इस इबारतसे कि “ यद्यपि केवल सहायने स्वयं अपराधीपर आक्रमण करके उसका दाँत नहीं तोड़ा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोको वहाँकाया था और उन्होने यह काम किया था ” तजवीज हुई कि केवल सहायक उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहाँ-

पर उपस्थित था इस कारण कानूनानुसार इस अपराधका करनेवाला हुवा इसलिये अपराधीने जो उसपर नालिख की थी, वह दफा २११ के अभिप्रायसे झूठी न थी इसलिये अपराधीके दंडकी आज्ञा रद्द की गई । वीज़ी नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८३ ई० सफा ३९)

(२१२) शुद्ध हुआ दफा ७ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार—जिस अपराधीको आश्रय } अवस्थामें कि कोई अपराध हुआ हो तो जो कोई मनुष्य इस देना. } अभिप्रायसे किसी मनुष्यको आश्रय दे या छिपाये जिसका अपराधी होना वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उस अपराधीको उचित दंडसे बचाए,—

(तो यदि उस अपराधके बदलेमें बंधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यको यदि बंध दंडके } दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा योग्य हो } जिसकी मीमाद पाच वर्षतक होसकती है और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकाले या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया यदि देश निकाला } हो जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको या कैदके दंड योग्य हो. } दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीमाद एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीमाद उस कैदकी बडीसे बडी मीमादकी एक चौथाईतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(१) शब्द “ अपराध ” में इस दफामे प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुआ हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थानमें निम्नलिखित दफो अर्थात् दफा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, व ४६० मेंसे किसी दफाके अनुसार दंड योग्य होवे और ऐसा प्रत्येक काम इस दफाके अभिप्रायोंके लिये दंड योग्य समझा जायगा इसप्रकारपर कि मानों अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त कामका अपराधी हुआ था ।

दृष्ट ।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थामे सम्बन्ध न रखेगी कि जब आश्रय देना छुपाना अपराधीके शौहर (स्वामी) या उसकी स्त्रीसे हुवा हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने डाका डाला है, जानबूझकर रमाशंकरको उचित दंडसे बचानेके लिये छिपाए तो इस अवस्थामे जो कि रमाशंकर देश निकालेके दंड योग्य है इसलिये शिवशंकर दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेजान, या प्रे० म० या० अ० (२) पोलीस दस्तन्दोजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है.

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१२ के अपराधकी तजवीजको कायम रखनेके अभि-
प्रायसे इस बातकी आवश्यकता है कि गवाही इन बातोंकी होनी चाहिये । (१) कोई अपराध किया गया । (२) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह छिपाया गया । (इ० ल० रि० जिल्ड १२ सफा ४३२)

(२१३) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपावे या किसी मनुष्यको किसी अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना. } अपराधके उचित दंडसे बचावे या किसी मनुष्यको उचित दंड दिलानेका उपाय न करनेके बदले अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये कुछ इनाम या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार करे या प्राप्त करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर राजी हो तो,—

यदि उस अपराधके बदलेमे वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको यदि वध दंडके योग्य हो. } दोनों प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि उस अपराधके बदलेमे देश निकालेका दंड या ऐसी कैद ठहराई गई है जिसकी यदि देश निकाले अथवा कैदके दंड योग्य हो. } मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि

उस अपराधके बदलेमे ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे (देखो दफा ४०)

टीप—(१) अदालत सेगन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२१४) जो कोई मनुष्य कोई अपराध छिपाने या किसी मनुष्यको किसी अपराधकी दंडसे बचानेके बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेर देनी. धके उचित दंडसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित दंड करानेसे रुके रहनेके बदलेमें किसी मनुष्यको कुछ इनाम दे या पहुँचाये या देने या पहुँचानेको कहे या देने या पहुँचानेपर राजी होवे या किसी मनुष्यको कोई माल फेरे या फिराये, या फेरने या फिरानेको कहे या फिराने पर राजी हो, तो:—

यदि उस अपराधके लिये वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों धके अपराधके लिये दण्ड योग्य होवे. प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानके भी योग्य होगा, और.—

यदि उस अपराधके लिये देश निकाले या ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जो दश वर्षतक होसकती है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानके भी योग्य होगा । और यदि उस अपराधके लिये ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा है और उसकी मीआद उस कैदकी बडीसे बडी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है उस अपराधके लिये निश्चित की गई है या जुर्मानका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (दफा ४० को देखो)

छूट ।

दफा २१३ व २१४ की आज्ञाएँ (अहकाम) किसी ऐसी अवस्था (सूत्र) से

सम्बन्ध नहीं रखती, जिसमें अपराधके मध्ये कानूनानुसार राजीनामा होसकता हो (दफा ६ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० को देखो)

(नोट) टीप दफा २१३ के अनुसार समझना चाहिये ।

१-हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २१४ के अनुसार जो मुकद्दमा तसफियाके लोयक न हो वह तसफियाकी रूसे खारिज होजाय तो वह तसफिया नई नालिख करनेको नहीं रोक सकता (३० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ६४)

२-जानबूझकर मारी दुःख पहुँचानेके मुकद्दमेमे, दंडसंग्रहहिदकी दफा २१४ के अभिप्रायानुसार राजीनामा नहीं हो सकता, राजीनामा उन फौजदारीके मुकद्दमोंमे होसकता है जिनमें नियतका लिहाज (अभिप्रायका विचार) न हो और जिनके मध्ये नालिख फौजदारीके स्थानपर नालिख दीवानी होसके (३० ला० रि० बंबई जिल्द १ सफा १४७)

३-अपराधीने सामीनाथ पिह्लेको इसलिये दश रुपये देने कहे कि वह कोलण्डावेल्लूके विरुद्ध जिसपर रातके समय संध लगानेका अपराध लगाया गया था गवाही न देवे—परन्तु सामीनाथ पिह्लेने कोलण्डावेल्लूके विरुद्ध गवाही दी लेकिन वह अपराधसे छोड दियागया । अपराधीपर दंडसंग्रह हिदकी दफा २१४ का अपराध लगाया गया परन्तु छोड दियागया, तजवीज हुई कि, अपराधीको छोडदेना उचित था । (३० ला० रि० मद्रास जिल्द १४ सफा ४००)

४-आक्रमण (हमले) के अभियोगमें राजीनामा होसकता है । (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १६)

५-उस स्त्रीके स्वामीने जिसके साथ व्यभिचार (जिना) हुआ था मुकद्दमेकी पैरवीसे नाही की इस कारण अपराधी छोड दिया गया, इसलिये हाईकोर्टने भी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया । (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द ५ सफा २७)

(११५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी ऐसे स्थावरधन (मालमनकूला) चोरीका माल आदि फिरसे पानेमे सहायता करनेके लिये कुछ इनाम लेना, का जो इस संग्रहके अनुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अपराधके द्वारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे पानेमें सहायता करनेके मिस या कारणसे कुछ इनाम ले या लेनेपर राजी हो या लेना स्वीकार करे तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपराधीके पकडवाने और उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करानेके लिये अपनी सामर्थ्य भर सब यत्नोंको काममें लाये, उसको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२१६) जब कमी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुवा ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो चौकसीसे भागा हो या जिसके पकड़नेकी आज्ञा हो चुकी हो } हो या जिसपर उस अपराधका दोष लगाया गया हो उस अपराधके लिये उचित चौकसी (हिरासत) में होकर उस चौकसीसे भाग जाए, या जब कमी कोई सरकारी नौकर अपने ओहदेका नीतिपूर्वक अधिकार वर्तनेमें किसी अपराधके लिये किसी विशेष मनुष्यको पकड़े जानेकी आज्ञा दे तो जो कोई मनुष्य उस भाग जाने या उस पकड़ने (गिरफ्तारी) की आज्ञाको जानकर उस मनुष्यको न पकड़े जानेके अभिप्रायसे आश्रय दे या छुपावे तो उपरोक्त मनुष्यको नीचे लिखे हुए नियमके अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्,—

यदि उस अपराधके बदलेमें जिसके लिये वह मनुष्य चौकसीमें था या जिसके लिये यदि अपराध बंधके } उसके पकड़े जानेकी आज्ञा टीगर्ड है बंधका दंड नियत (मुकर्रर) दंड योग्य हो. } है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और:—

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका दंड या दश वर्षकी कैद नियत यदि देश निकालेके } हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड या कैदके योग्य हो } दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक हो सकती है जुर्मानेसहित या बिना जुर्मानेकी दी जावेगी और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड नियत है जो एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है, या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे । (देखो दफा ४०)

“अपराध” के शब्दमें इस दफामें प्रत्येक ऐसा काम या चूक कामभी शामिल है, जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इण्डियाके बाहर किसी ऐसे मनुष्यके मध्ये बयान किया गया है जो ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामें अपराध करनेकी भांति दण्ड योग्य होता और जिसके लिये उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोंके अपराधियोंके पकड़नेके कानूनानुसार या भागे हुए अपराधियोंके ऐक्ट सन् १८८१ ई० के अनुसार या और प्रकार पर ब्रिटिश इण्डियाके भीतर पकड़ा जाना या चौकसीमें रखा जाना उचित

है और ऐसा हर काम या चूक काम इस दफाके अभिप्रायोके लिये इस प्रकार पर दण्ड योग्य समझा जावेगा कि मानो वह अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इण्डियाके भीतर उपरोक्त काम या चूक कामका अपराधी हुआ ।

(दफा २३ ऐक्ट नं० १० सन् १८८६ ई० को देखो)

छूट ।

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थासे सम्बन्ध न रखेगी जहा आश्रय देना या छुपाना उस मनुष्यके शौहर (पति) या स्त्रीसे हो, जिसके पकड़े जानेका अभिप्राय है ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२१६) (अ) बढ़ाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार जो डाकूओंको आश्रय } कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके जाननेका कारण देनेके बदलेमें दण्ड, } रखकर कि कोई मनुष्य बलपूर्वक चोरी या डकैती करनेवाले है या हालमें उन्होंने बलपूर्वक चोरी या डकैती की है, उन सबको या उनमेंसे किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे आश्रय दे कि वैसी बलपूर्वक चोरी या डकैतीका होना सहज हो जावे या वह मनुष्य या उनमेंसे कोई मनुष्य दण्डसे बचजावे, तो उसको कठिन कैदका दण्ड जिसकी मीमांसा सात वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस दफाके अभिप्रायोके लिये यह बात विचारके योग्य नहीं है—कि ब्रिटिश इण्डियाके भीतर या बाहर बलपूर्वक चोरी या डकैतीके करनेकी इच्छा की गई है या नहीं, या इस प्रकारकी घटना हुई है या नहीं ।

छूट ।

यह आज्ञा उस अपराधसे सम्बन्ध न रखेगी कि जिसमें अपराधीके स्वामी (पति) या स्त्रीकी ओरसे आश्रय दिया जावे ।

(२१६) (ब) बढ़ाया गया दफा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार दफा २१२ दफा २१२ व २१६ } व २१६ व २१६ (अ) में शब्द “ आश्रय ” में किसी मनुष्यका व २१६ (अ) में आश्र- } आश्रय देना या उसको खानेपीनेकी वस्तु या रुपया या वस्त्र या युद्धका यका लक्षण, } सामान पहुचाना या बोझा ढोनेका यत्न कर देना या किसी मनुष्यको किसी प्रकारकी गिरफ्तारीसे निकल मागनेसे सहायता देना गिना जायगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

(२१७) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूनकी किसी आज्ञा सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालको जन्तीसे बचानेके अभिप्रायसे नीतिपूर्वक आज्ञाको न मानना. को जो उम ओहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसको उस सरकारी नौकरके कारणसे चलना चाहिये जानबूझकर भंग करे इस अभिप्रायसे या इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको नीतिपूर्वकके दण्डसे बचाए या वह मनुष्य जितने दंडके योग्य है उससे कम दंड दिलाए या किसी मालकी जन्ती या किसी खर्चसे जिसका वह कानूनानुसार अधिकारी है, बचाए तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिमकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—दंडसंग्रह हिदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध प्रमाणित होनेके लिये केवल इतनाही बहुत है कि अपराधी मनुष्य अर्थात् सरकारी नौकरने किसी कानूनी आज्ञाको अगधीके बचानेके लिये भग किया यह आवश्यकता नहीं कि यह प्रमाणित कियाजावे कि वह मनुष्य जिसके बचानेके लिये आज्ञाभग की गई वास्तवमे कानूनानुसार दंड पानेके योग्य था या नहीं—(इ० ला० रि० कन्कन्ता जिल्द ३ सफा ४१२)

२—अपराधी पर दंडसंग्रह हिदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध लगाया गया परन्तु स्पष्ट २ यह नहीं ठारियाप्त किया गया कि यह कौनसी कानूनी आज्ञा थी जिसको अपराधीने भग किया था और किस प्रकार भग की थी तजवीज हुई कि जब किसी अपराधीको ऐसे अपराधके मध्ये दंडकी आज्ञा हुई हो जो स्पष्ट लेख (गैरमुद्देन इयारत) में बयान की गई हो तो मुकद्दमेकी पैरवी मुद्देकी ओरसे अपीलमे उरी अर्थके मीमावड (महदूद) रहना चाहिये जिसमे उपरोक्त अपराध तजवीजके ममय समझा गया हो (इ० ला० रि० बवई जिल्द २ सफा १४२)

(२१८) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकरी सरकारी नौकर जो होनेके कारणसे किसी सरिश्तेके कागज या किसी और लिखतमका बनाना उसका कर्तव्य कर्म हो और वह उस सरिश्तेके किसी मनुष्यको दंडसे या मालको जन्तीसे बचानेके अभिप्रायसे गलत लिखतम या मिसल जानता हो इस अभिप्रायसे इस बातके होनेको सम्भवित जान कर कि उसके कारण सर्वसाधारणको या किसी मनुष्यको हानि

पहुँचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको उचित दण्डसे बचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मालको जब्ती या किसी और खर्चसे जिसका-वह माल कानूनानुसार उचित है बचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद-का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका-दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—सरकारी नौकरको जिसकी सिपुदंगीमे कुछ दस्तावेजें थी, उपरोक्त दस्तावेजोंके पेग करनेको कहा गया परन्तु उसने पेग नहीं किया, बरन् उसी प्रकारकी दस्तावेजे इस अभिप्रायसे बनाकर, पेग की कि जिससे वह दण्डसे बचजावे—तजवीज हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजे सरिअतेके कागज या लिखतम न थी जिनके तैयार करनेका अपराध लगाया था इसलिये अपराधीको दफा २१८ के अभिप्रायानुसार दण्ड नहीं होसकता और न उपरोक्त दस्तावेजे जाली (फल्पित) प्रमाणित होती हैं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थी जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के भी अभिप्रायानुसार दण्ड नहीं होसकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ दफा ५५३)

२—जब कोई पोलीसका अपसर असावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहकीकात मीकेके मध्ये झूठी रिपोर्ट करे तो उसको दफा २९ ऐक्ट ५ सन् १८६१ ई० के अनुसार दण्ड होसकता है यदि उसके कामको दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २१८ के अपराधमे लानेके लिये यथोचित प्रमाण न हो (बीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १७)

(२१९) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदालतकी कार्रवाईकी किसी

सरकारी नौकर जो अदालतकी कार्रवाईमे झूठी तौरसे ऐसी आज्ञा दे, या ऐसी कैफियत आदि बनावे जिसे वह कानूनविरुद्ध जानता हो,	}	अवस्थामे कुप्रयोजनसे या ईर्ष्यासे कोई कैफियत तय्यार करे या कोई आज्ञा दे या कोई तजवीज या फैसला करे जिसका कानून-विरुद्ध होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दिये जावेगे ।
--	---	---

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस, दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२०) यदि कोई मनुष्य जो किसी ऐसे ओहदेपर है जिसके आज्ञानुसार उसको उस अधिकारी मनुष्यकी तजवीज मुकद्दमा या कैदके लिये सिपुर्द करना यह जान बूझकर कि मैं कानूनविरुद्ध करता हूँ तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे।

टीप— (१) अदालत सेवान (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—एक कैदीको जो तजवीजके लिये भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्ट्रेटने छोड़दिया और सब इन्स्पेक्टरने उसको उसी अपराधके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालन करदिया। डिप्टी मजिस्ट्रेटने दूसरी गिरफ्तारीको कानूनविरुद्ध समझा और इसलिये उपरोक्त सब इन्स्पेक्टर पर अनुचिन कैद (हंस बेजा) में रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुर्माना किया तजवीज हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटकी आज्ञा बहुत ठीक थी। (बीक्री रिपोर्टर जिल्ड १९ सफा २६)

(२२१) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारों जिस सरकारी नौकर पर किसीका पकडना कानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकडनेमें जानबूझकर चूक करना, नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका गिरफ्तार करना या कैदमे रखना कानूनानुसार अवश्य है जिसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया है या जो किसी अपराधके मध्ये गिरफ्तार किये जानेके योग्य है उस मनुष्यके गिरफ्तार करनेमे जानबूझकर चूक करे या जानबूझकर उस मनुष्यको उस कैदसे भाग जाने दे या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुमार दंड दिया जावेगा अर्थात्,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी कैद जिसका मीआद सात वर्षतक होसकती है और दंड, वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष छगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य था जिसके बदलेमे षका दंड ठहराया गया है या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसका मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेके सहित या बिना जुर्माने, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया

जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकालेका दण्ड या ऐसी कैदका दण्ड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है, या—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्माने सहित या बिना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यपर जो कैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराध का दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें दश वर्षसे कम मीआदके कैदका दण्ड ठहराया गया है । (देखो दफा ४०)

(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राचीनामा नहीं होसकता ।

१—यदि कोई चौकीदार किसी शातघातके अपराधीको अपने मौजेके बाहर किसी विशेष मनुष्यके कहनेपर गिरफ्तार करनेसे नहीं करे तो वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २२१ के अमिप्रायानुसार (हस्वमग्राय) दण्ड योग्य नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६०)

(२२२) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौ-

<p>किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जानबूझकर किसी ऐसे मनुष्यकी गिरफ्तारीमें चूक करना जिसके मध्ये कोर्टआफजस्टिसने दण्डकी आज्ञा की हो और उस सरकारी नौकरको भी जिसका गिरफ्तार करना कानूनानुसार अवश्य हो.</p>	<p>करारी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका पकडना या कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है, जिसको किसी कोर्ट आफ जस्टिसने दण्डकी आज्ञा दी हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो उस मनुष्यके पकडनेमें जान बूझकर चूक करे या उस मनुष्यको जानबूझकर कैदसे भाग जाने दे या उस कैदसे भाग जाने या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर उस मनुष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दण्ड दिया जावेगा, अर्थात्,—</p>
---	--

देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैद जिसकी मीआद चौदह

दण्ड

वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या बिना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यके मध्ये जो कैदमें था या जिसका पकडा जाना उचित था

वधक दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, या;—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या बिना जुर्मानेके, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका

पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसके दंडकी आज्ञा या उस दंडकी आज्ञाके तबादिलेके अनुसार जन्म भरके देश निकाले या कैदकी अवस्थामे जन्मभरकी दंड सेवा या दशवर्ष अथवा अधिक मीआदके देश निकालेका दंड या कैदकी अवस्थामे दंड सेवा या कैदके योग्य हो, या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेसहित या बिना जुर्माने या दोनों दंड, यदि वह मनुष्य जो कैदमें था या जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दंड आज्ञाके अनुसार ऐसी कैदके योग्य हो जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमे रक्खा गया हो । (दफा ४० को देखो) (दफा ८ ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० को भी देखो)

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुकद्दमेकी छोटाई बडाईके अनुसार जमानत होसकती है और नहीं भी होसकती (५) राजीनामा नहीं होसकता ।

(२२३) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर उसकी सरकारी नौकरी सरकारी नौकर असा- करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका कैदमे रखना कानूनानुसार बघानीसे कैदसे भाग उचित है उसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया हो या जो जाने दे, किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ हो या जो कानूनानुसार चौकसीमे रक्खा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यको कैदसे भाग जाने दे तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—वाजिदहुसेन कानूनानुसार पोलीसके सिपुर्द चौकसीमे किया गया अशरफ अली को उचित था कि वह उस समयतक वाजिदहुसेनको चौकसीमे रखता जबतक कि वह कानूनानुसार छूट न जाता—इसलिये अशरफ अलीको जिसने वाजिदहुसेन को चौकसीमें रखनेकी असावधानीकी दफा २२३ के अपराधमे नीतिपूर्वक दंडदिया गया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२९)

२—दंडसग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२३ का केवल ऐसे मुकद्दमोंसे सम्बन्ध है जिनमें कि वह मनुष्य जिसको भाग जाने दिया हो चौकसी (हिरासत) मे किसी अपराधके मध्ये हो या सिपुर्द किया गया हो न कि उन मुकद्दमोंसे सम्बन्ध है जिनमे कि ऐसे मनुष्यकी केवल गिरफ्तारी दीवानीके हुकमनामेके अनुसार की गई हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३९०)

(२२४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर लगाया कोई मनुष्य जो अपनी } गया हो या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो चुका हो अपने उचित गिरफ्तारीमें सा } नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे मना या रोक टोक करे } या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह कानूनानुसार बंदी है भाग जाए या भाग जानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमादा दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । (देखो दफा ४०)

स्पष्टीकरण—इस दफाका दंड उस दण्डके अतिरिक्त है जिसका वह मनुष्य जो गिरफ्तार किये जानेको हो या जो चौकसीमें बन्दी हो, उस अपराधके बदलेमें दण्ड योग्य हो, जिसका दोष उसपर लगाया गया या जिसका वह अपराधी प्रमाणित हो ।

द्विप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तदाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होमकती है (५) रानीनामा नहीं है ।

१—एक मनुष्य जब कि उसको मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसं लिये जाते थे कि उससे नेक चाल चलनकी जमानत ली जावे, चौकसीसे भाग गया तजवीज हुई कि वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ या २२५ के अपराधका अपराधी न था, क्योंकि वह किसी अपराधके मध्ये चौकसीमें न रक्खा गया था । (इ० लॉ० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३३१)

२—अपराधी चोरीमें पकड़ा जाकर देहाती मजिस्ट्रेटके सिपुर्द हुआ जिसने उसको देहाती नौकरोंकी चौकसीमें थाने पुलीसको भेज दिया, अपराधी रास्तेमें भाग गया, उसकी तजवीज दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२४ के अपराधमें हुई । (इ० लॉ० रि० मदरास जिल्द १० सफा ४८०)

३—जिस मनुष्यको गांवके चौकीदारने चोर समझकर पकड़ा हो और उसकी हाजिरीकी पोलीसमें आवश्यकता हो और वह उस चौकीदारकी चौकसीमें भाग जावे तो हिन्दुस्थानके दंड संग्रहकी दफा २२४ के अपराधका अपराधी नहीं है । (इ० लॉ० रि० मदरास जिल्द ५ सफा २२)

(२२५) जो कोई मनुष्य, किसी अपराधके मध्ये किसी दूसरे मनुष्यके नीति किसी दूसरे मनुष्य- } पूर्वक पकड़े जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे की उचित गिरफ्तारीमें } या कानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें सामना या रोक टोक } उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य कानूनानुसार बंदी है करना, } छुड़ा जाए या छुड़ा लेजानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों-

मेंसे किसी प्रकारके अपराधका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे, या,—

यदि वह मनुष्य जो पकड़े जानेको हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकड़े जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकाले, या कैदका दंड ठहरा हुआ है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या—

यदि उस मनुष्यपर जो पकड़े जानेको हो या छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकड़े जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें वधका दण्ड ठहरा हुआ है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या,—

यदि वह मनुष्य, जो पकड़े जानेको हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी दबाजा या उस दबाजा (सजाका हुकम) के तत्रादिलेके अनुसार देश निकाले या दशवर्ष अथवा इससे अधिक मीआदके देश निकाले या कैदकी अवस्थामें सेवादंड या कैदके योग्य हो तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, या,—

यदि वह मनुष्य, जो पकड़े जानेको हो या छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो उसके मध्ये वधदंडकी आज्ञा होचुकी हो तो उसको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेजिन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० मुकद्दमेके अनुसार (२) पोलिस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम चारट जारी होगा (४) जमानत होसकनी है और नहीं भी होसकती, इसका होना न होना मुकद्दमेकी छोटदंड बडाई पर निर्भर है (५) राजी-नामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि चौकसी जिससे अपराधी छुड़ा लिया जावे पोलिसकीही चौकसी हो, इतनाही प्रमाण बहुत है कि ऐसी चौकसी हो जो कानूनानुसार उचित हो इसलिये किधी मनुष्यकी साधारण चौकसीसे छुड़ा लेजाना जिसने चोरको चोरी करनेमें पकड़ा है एक अपराध है । इंडियन ला रिपोर्ट मद्रास जिल्द ११ सफा ४४१-)

२—इसके पहिले कि जब किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित किया जावे इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि वह मनुष्य, जिसके बचानेका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, बचाए जानेके समय उचित चौकसीमें था । वील्ली रिपोर्ट जिल्द २१ दफा २२)

(२२६ *) (अ +) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी-

ऐसी अवस्थामें सरकारी नौकरकी ओरसे पकड़े जाने की चूक या भाग जाने देना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा नहो, } नौकरके ओहदेसे कानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी ऐसी अवस्थामें पकड़ने या कैदमें रखनेका अधिकारी है, जिसके मध्ये दफा २२१ या दफा २२२ या दफा २२३ या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कोई आज्ञा नहीं लिखी तो ऐसे मनुष्यको गिरफ्तार करनेमें चूककरे या उसको कैदसे भाग जानेदे तो उसको निम्न लिखित दंड दिया जायगा ।

(क) यदि उपरोक्त नौकर जानबूझकर उस कामको करे तो उसको दोनों प्रकारों-मेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(ख) यदि उससे वह काम असावधानीसे होजाए तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दोवर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

* दफा २ (१४) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो ।

+ इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बंध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दण्ड योग्य हैं (दफा १३ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

(२२५) - (ब)—जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी अवस्थामें जिनके

ऐसी अवस्थामें नीति-पूर्वक पकड़े जानेमें सामना या रोक टोक करना या भागजाना या छुड़ा लेना जिनके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

मध्ये दफा २२४ या दफा २२५ में या किसी और समयके प्रचलित कानूनमें कुछ आज्ञा नहीं लिखी अपने या किसी और मनुष्यके नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें सामना या कानून विरुद्ध रोक टोक करे या उस चौकसीसे भाग जावे या भाग जानका उद्योग करे जिसमें वह नीतिपूर्वक बर्दा हो या किसी और मनुष्यको छुड़ा ले या छुड़ा लेनेका उद्योग करे जिसमें वह मनुष्य नीतिपूर्वक बर्दा

हो तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद छः महानितक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीपे—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२६) यदि कोई मनुष्य जिसको कानूनानुसार देश निकालेका दण्ड होचुका-

अनुचित रीतिसे देश निकालनेसे छूट आना,

हो वह जब कि अपनी ठहराई हुई मीमाद भुगत जानेसे पहिले या अपना दण्ड माफ किये जानेके बिना छूट आवेगा तो

उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और इस देश निकालेके दण्डको वर्त्तवमें लानेसे पहिले कठिन कैदके योग्य होगा जिसकी मीमाद तीन वर्षसे अधिक न हो ।

टीपे—(१) अदालत सेवान (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२७) कोई मनुष्य, जिसने दण्ड माफ होनेके लिये कोई नियम स्वीकार किये

दण्डकी माफीके नि-शर्तका तोडना,

हो जानबूझकर किसी नियमके विरुद्ध करे जिसपर वह माफी स्वीकार कीगई है तो उसको वही दण्ड दिया जावेगा जिसकी

आज्ञा उसके मध्ये पहले हो चुकी हो यदि उसने उस दण्डका कोई भाग भुगता न हो और यदि वह उस दण्डका कोई भाग (जुज) भुगतचुका हो तो उपरोक्त दण्डके उतनेही भागका दण्ड दिया जावेगा जो उसने नहीं भुगता ।

टीपे—(१) वह अदालत जिसने असली अपराधीकी तजवीज की हो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२२८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करे या जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना या विघ्न डालना जब कि वह अदालतकी किसी कार्रवाई की किसी अवस्थामे इजलास कर रहा हो, } किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका विघ्नकारक (हारिज) हो जब कि वह सरकारी नौकर अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामे इजलास कर रहा हो तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो (१०००) २० तक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टी—(१) वह अदालत जिसमे अपराध किया गया (२) पोलीस दस्तन्दजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने जानबूझकर मुसिफ देहीको मजिस्ट्रेटी अधिकारकी कार्रवाई करनेमे भला बुरा कहा, मजिस्ट्रेट दर्जा दायम ने अपराधी पर दफा २२८ का अपराध पोलीसकी रिपोर्टपर कायम करके उसपर अपराध प्रमाणित किया—तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज ठीक थी और दफा ४८० व ४८४ मजमूआ जाबता फौजदारीका देही मुसिफोसे सम्बन्ध नहीं है (इ० ल० रि० मद्रास जिल्द १५ सफा १३१)

२—पहिले इसके कि अपराधीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित कियाजाय, इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधी रज पहुँचानेका अभिप्राय रखता था । (वीक्री रिपोटर जिल्द ३५ सफा ६२)

३—प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा २२८ के अपराधमें न गिना जायगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द ४ सफा ७)

(२२९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बन जानेसे या किसी और प्रकारसे जान ज्यूरी या असेमर बनाना, } वूझकर यह बात कराये या जानबूझकर यह बात होने दे कि उसका नाम उन लोगोंकी फिहरिस्तमें लिखा हो जो ज्यूरी बनानेकी योग्यता रखते है या वह ज्यूरी हो या उससे ज्यूरी या असेसरकी भांति पर शपथ लिया जावे किसी ऐसे मुकदमेमें जिसमे वह जानता है कि वह कानूनानुसार ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमे लिखे जाने या ज्यूरी बनाये जाने या शपथ लिये जानेका अधिकारी नहीं है या यह जानकर कि वह कानूनविरुद्ध ऐसी ज्यूरीकी फिहरिस्तमे लिखा गया या ज्यूरी बनाया गया है या उससे शपथ लीगई है, जानबूझकर ऐसे ज्यूरीमें या ऐसे असेसरका काम दे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

(१) प्र० म० या म० अ० । और सब कार्रवाई दफा २२८ के अनुसार होसकती है । --

अध्याय बारहवाँ १२.



सिक्को और गवर्नमेण्टके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधांके विषयमें ।

(२३०) * शुद्ध हुआ दफा १ एक्ट ६ सन् १८९६ ई० । सिक्का वह धातु है

सिक्का, } जो कि मौजूद होनेके समय द्रव्यकी भाँति काममें आवे और किसी
सरकार अथवा उस समयके राजाकी आज्ञासे इस प्रकार प्रचलित

होनेके अभिप्रायसे मुहर किया गया और जारी किया गया हो ।

श्रीमती महारानीका सिक्का वह धातु है जो श्रीमती महारानी या गवर्नमेंट हिट या किसी प्रेजीडसीकी गवर्नमेण्ट या किमी और गवर्नमेण्टकी जो श्रीमती महारानीकी राज्यमें हो, आज्ञानुसार द्रव्यकी भाँति प्रचलित होनेके लिये ठप्पा किया और जारी किया गया हो—और वह धातु जो इस प्रकारपर ठप्पा किया और जारी किया गया हो इस अव्यायके अभिप्रायके लिये श्रीमती महारानीका सिक्का ठहरेगा यह समचित मानकर कि इस कामके लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो ।

उदाहरण ।

(क) कौडियां सिक्का नहीं हैं ।

(ख) बिना ठप्पा किये हुए तांबेके टुकड़े सिक्का नहीं हैं चाहे वह द्रव्यकी भाँति काममें आते हों ।

(ग) तमगे सिक्का नहीं हैं क्योंकि वे द्रव्यकी भाँति काम आनेके अभिप्रायसे नहीं बनाये जाते ।

(घ) सिक्का जो कम्पनीका रुपया कहलाता है श्रीमती महारानीका सिक्का है ।

(च) फर्रुखावादी रुपया जो गवर्नमेंट हिन्दकी आज्ञानुसार पहले रुपयाकी भाँति प्रचलित था श्रीमती महारानीका सिक्का है परंतु अब ऊपर लिखे अनुसार उनका चलन नहीं रहा है ।

(२३१) जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा, अथवा खोटा सिक्का बनानेके

खोटा सिक्का बनाना. } कामोंमेंसे जानबूझकर कोई काम करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों
प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीमाद

सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—यह मनुष्य इस अपराधका अपराधी होगा जो घोखा देनेके अभिप्रायसे या इस जानकारीसे कि उसके द्वारा घोखेका चल जाना सम्भव है किसी असली सिक्केको ऐसा कर दे कि वह किसी और सिक्केके समान जानपड़े ।

टीप—(१) अदालतवेगन (२) पोलीस दस्त-दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम चारट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई सिक्केके बदले बाजारमें मालमिलना सम्भव हो तो कहाजायगा कि वह सिक्का नकद है, अकबर बादशाहके समयका सिक्का बनाना दफा २३० व २३१ के अपराधमें न गिना जायगा क्योंकि वह सिक्का सर्व साधारणके काममें नहीं आता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ११ सफा १७२)

(२३२) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा श्रीमती महारानीका } बनानेके कामोंमेंसे कोई काम जानबूझकर करेगा तो उपरोक्त खोटा सिक्का बनाना. } मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकीभी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३१ के अनुसार है ।

१—इस दफाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस अभिप्रायका होना कि जो सिक्का खोटा बनाया गया वह श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आवेगा या यह जानकर कि उस सिक्केका श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आनेका सम्भव है, अवश्य है जानकारी या अभिप्राय उपरोक्त सिक्केके खोटेपन परही निर्भर हैं, सिवाय उन अवस्थाओंके कि जो भली भाँतिसे उसको रद करती हो—परंतु जब कि ऐसी घोखेबाजी केवल नुमायश (शोभा) के लिये ही की गई हो और जब कि ऐसा घोखा अनुचित लाभ या हानिके लिये किया गया हो, तो इन दोनों अवस्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो घोखा केवल नुमायशके लिये किया गया हो उनमें अपराध नहीं होसकता । (पंजाब रिकार्ड न० २६ सन् १८६८ ई०)

(२३३) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे खोटा सिक्का बनानेके } या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे लिये औजार बनाना या } या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस चैचना. } अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें आए या यह जाकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालतसेशन या म० अ०—आर सब शेष बातें दफा २३१ के अनुसार हैं ।

(२३४) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औजार बनाए या उसकी मरम्मत करे या

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अ- थवा बेचना	}	उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रा- यसे कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये काममे लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके निमित्त काममे आनेके अभिप्रायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।
---	---	--

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३५) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान अपने पास रखता हो, इस अमि-

औजार या सामानको खोटा सिक्का बनानेके अभिप्रायसे अपने पास रखना,	}	प्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममे लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका उस प्रयोजन के लिये काममें लाए जानेका अभिप्राय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा—और यदि सिक्का जो खोटा बनाए जानेको है श्रीमती महारानीका सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।
--	---	---

टी०—(१) अदालतसेशन या प्रे० स० या म० अ० यदि सिक्का महारानीका है तो अदा-

लतसेशन (२) पोलीस दस्तन्नाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम चारट जारी होगा (४)
 प्रमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२३६) कोई मनुष्य जो ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर हो ब्रिटिश इण्डियाकी

हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटा सिक्का बनानेके लिये स- हायता देना,	}	सीमासे बाहर खोटा सिक्का बनानेमे सहायता करे तो उपरोक्त मनु- ष्यको उसी प्रकार दण्ड दिया जावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश इण्डियाकी सीमाके भीतर उस खोटे सिक्केके बनानेमें सहायता की ।
---	---	--

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझते ।

(२३७) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश इण्डियाके भीतर लाए या खांटे सिक्केको भीतर } उससे बाहर लेजाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख-
लाना या बाहर लेजाना. } कर कि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जायगा जिसका मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० वा म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(२३८) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको जानता या निश्चय करनेका श्रीमती महारानीके } कारण रहता हो कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है
खोटे सिक्केको भीतर } ब्रिटिश इण्डियाके भीतर लाये या उससे बाहर ले जायं, तो उप-
लाना या बाहर लेजाना. } रोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३९) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने अधिकारमें लेते समय } अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो उस सिक्केको छलसे या छल
जिस सिक्केको जानागया } किये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी
हो कि यह खोटा है उसे } मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त
किसी दूसरेके सिपुर्द } मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जा-
करना. } यगा जिसका मीआद पाच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

१—(क) और (ख) दोनों मनुष्योंको साथही दफा २३९ के अपराधमें दण्ड हुवा, (क) ने कहा कि मैंने सिक्का (ख) से पाया है और उपरोक्त सिक्का कुछ मनुष्योंको (ख) के ही कहनेसे दिया—तजवीज हुई कि (क) के वयानोका (ख) से सम्बन्ध है जब वह अपराधी मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकही मामलेसे हो करे तो एक मनुष्यका वयान दूसरे मनुष्यके मुकाबिले काममें आसकता है चाहे उससे वह स्वयंही फैसला हो और उससे उसके मध्ये दूसरा अपराध कायम होता हो । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफा २३३)

२—दफा २३९ का सिक्का बनाने वालेसे सम्बन्ध नहीं है बरन दूसरे मनुष्यसे सम्बन्ध है, जो कोई खोटा सिक्का लेकर या प्राप्त करके किसीको सिपुर्द करे । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देस जिल्द ३ सफा १५०)

(२४०) कोई मनुष्य जिसके पास कोई ऐसा खोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है और जिसको उसने अधिकारमे लेते समय श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का जाना हो उस सिक्केको छलसे या छलके लिये जानैके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा जिसका मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४१) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको वह खोटा जानता हो, खरे सिक्केकी भांति देना किसी मनुष्यको कोई देना सिक्का जिसको देनेवालेने अपने पास आनेके समय खोटा न जाना हो परन्तु उसको अधिकारमें लेते समय खोटा न जाना हो, खरे सिक्केके समान किसी दूसरे मनुष्यको देवे या उसके देनेका उद्योग करे या उसको उसके लेनेके लिये फुसलावे तो उसको दोनो प्रकारोंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा या उस जुर्मानेका दंड जो उस खोटे सिक्केने दश गुणेतक हो दिया जायगा या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी सराफने कम्पनीके खोटे रुपये अपने साष्ठी रमाशकरको चलानेके लिये दिये और रमाशकरने वे रुपये उमाशकरको बेचे और उमाशकरने यह जानबूझकर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर उमाशकरने वे रुपये हरशंकरको जिन्सके बदले दिये और हरशंकरने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेनेसे पीछे हरशंकरने जान लिया कि ये रुपये खोटे हैं परतु फिर भी खरेकी भांति कहीं चला दिये तो यहाँ हरशंकर इसी दफाके अनुसार दण्ड योग्य होगा परतु रमाशकर और उमाशकर दफा २६९ या २४० के अनुसार जैसी अवस्था होगी दंड पावेंगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीके पास एक खोटा सिक्का था उसने वह सिक्का अपने दोस्तको इस अभिप्रायसे दिया कि पोलीसको वह सिक्का अपराधीके अधिकारमे न मिलसके—तजवीज हुई कि कैदीने कोई अपराध नहीं किया था क्योंकि उसने वह सिक्का खरे सिक्केके समान नहीं दिया था और किन्तुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २४१ का अपराध केवल उसी अवस्थामे उत्पन्न होता है कि जब कोई खोटा सिक्का खरे सिक्काके समान दिया जावे । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देग जिन्द ४ सफा ६२)

(२४२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे खोटा उस मनुष्यका खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसको छेते समय खोटा जाना हो, सिक्का अपने पास रखता हो और उसको उस सिक्केके छेते समय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसको मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है ।

(२४३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे कोई उस मनुष्यका श्रीमती खोटा सिक्का अपने पास रखता हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का हो और उसको छेते समय यह जानकारी थी कि वह सिक्का खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार है ।

(२४४) जो कोई मनुष्य किसी टकसालमें जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर जो मनुष्य टकसालमें नौकर होकर कोई सिक्का कानूनानुसार ठहराई तौल या घातुसे दूसरी तौल या ढगका बनावे, नियत कीगई है नौकर हो, और वह मनुष्य कोई काम करे या किसी ऐसे काममें चूक करे जिसका करना उसपर कानूनानुसार अवश्य है इस अभिप्रायसे कि कोई सिक्का जो उस टकसालसे निकले उस तौल या ढगसे जो कानूनानुसार ठहरा हुआ है दूसरी तौल या ढगका हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा. २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४५) जो कोई मनुष्य किसी टकसालसे जो ब्रिटिश इण्डियामें उचित रीतिपर अनुचित रीतिसे किसी टकसालसे सिक्का बनाने का कोई औजार लेजाना, नियत की गई हो, सिक्का बनानेका कोई औजार या सामान बिना उचित अधिकारके निकाळ लेजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४६) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर छल या बददियान-
छल या बददियान-
तीने किसी सिक्केकी तौल
घटना या उसका ढंग
बदलना

करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम होजावे, या उस सिक्केका ढग बदलजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—जो मनुष्य किसी सिक्केमेंसे ग्योद कोई भाग निकाले ले और गटेमें कोई और वस्तु रख दे तो उसने उस सिक्केके टगको बदल दिया ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४७) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर छल या बददियान-
छल या बददियान-
तीसे श्रीमती महारानीके
सिक्केकी तौल घटना या
उसका ढग बदलना.

तीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम होजावे या उसका ढग बदल जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४८) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिमसे उम सिक्केकी
किसी सिक्केकी सूरत-
को इस अभिप्रायसे बद-
लना कि वह किसी और
प्रकारके सिक्केकी भाति
चलजाय.

सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भातिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकनी है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४९) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे
श्रीमती महारानीके
सिक्केकी सूरतको इस
अभिप्रायसे बदलना कि
वह किसी और प्रकारके
सिक्केकी भाति बनजाय.

जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भातिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२९०) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये दफा २४६ या अधिकारमे लेते समय जिस सिक्केके मध्ये जाना गया हो कि यह बदला हुआ है, उसे किसी और के सिपुर्दकरना, २४८ में बयान किया हुआ अपराध होचुका है और जिस समय यह वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानबूझकर कि वही अपराध उसके मध्ये होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए किसी दूसरे मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद पाच वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२९१) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये वह अपराध अधिकारमे लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुआ है उसे किसी औरके सिपुर्द करनी, होचुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ मे किया गया है और जिसने उस सिक्केको अधिकारमे लेते समय जान लिया हो कि उस सिक्केके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छलका काम किया जाय किसी दूसरे मनुष्यको दे देवे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार समझो ।

(२९२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे, कोई उस मनुष्यका बदले हुए सिक्केको पास रखना जिसने उस अधिकारमे लेते समय जाना हो कि यह बदला हुआ है, ऐसा सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध हो चुका है जिसका बयान दफा २४६ या २४८ मे किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमे लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए, उस मनुष्यका श्रीम-
 -ती महारानीके सिक्केको
 - पास रखना जिसने उस-
 -को अधिकारमे लेते समय
 बदला हुआ जाना हो, } कोई सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद पाच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५४) जो कोई मनुष्य कोई सिक्का जिसके मध्ये वह जानता है कि कोई ऐसे सिक्केको खरे सिक्केकी भाति किसी और को देना जिसको देनेवा-
 -लेने पहिले अधिकारमें
 -लेते समय बदला हुआ न
 जानाहो, } ऐसा वर्त्ताव, जिसका बयान दफा २४६ या २४७ या २४८ या २४९ में हुवा है हो चुका है, परतु जिसके मध्ये अपने अधिकारमें लते समय वह नहीं जानता था कि वह वर्त्ताव हो चुका है खरे सिक्केकी भातिसे या-जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भाति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको इस बातके फुसलानेका उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिक्केको खरे सिक्केकी भातिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भातिसे अपने अधिकारमे ले तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो उस बदले हुए अथवा बदलनेका उद्योग किये हुए सिक्केके मोलके दशगुनेतकहो सकेगा किया जायगा ।

टीप—दफा २४१ के अनुसार जानो ।

(२५५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्पको जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनीके गवर्नमेंटका खोटा-
 -स्टाम्प बनाना, } निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा या जानबूझकर खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करेगा तो उसको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला कहलावेगा जो एक प्रकारके सबे स्टाम्पको और प्रकारके सच्चे स्टाम्पकी सुरतका कर देनेसे खोटा करे ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२९६) जो कोई मनुष्य कोई औजार या सामान इस अभिप्रायसे अपने गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनानेके अभिप्राय से कोई औजार या सामान पास रखना, अधिकारमें रखता हो कि वह किसी ऐसे खोटे स्टाम्पके काममें आवे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि यह किसी ऐसे खोटे स्टाम्प बनानेके काम आनेके अभिप्रायसे है, जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२९७) जो कोई मनुष्य कोई औजार बनाए या उसके बनानेके कामोंमेंसे कोई गवर्नमेंट स्टाम्पको खोटा करनेके अभिप्रायसे औजारका बनाना या बेचना, काम करे या उस औजारको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाम्पके बनानेमें काम आवे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख कर कि यह ऐसा खोटा स्टाम्प बनानेमें काम आनेके अभिप्रायसे है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२९८) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प बेचे या बेचनेके वास्ते रखे—यह गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना, जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(२९९) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखना, ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया है अपने पास रखता हो इस अभिप्रायसे कि उस स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी भाँतिसे काममें

लाए या अपने अधिकारसे अलग करे या इस अभिप्रायसे कि वह असली स्टापकी भांति काममें लाया जाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीमादा सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेमन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तावेजकी कर सकती है (३) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२६०) जो कोई मनुष्य सच्चे स्टापकी भांतिसे कोई स्टाप काममें लाए यह जान सच्चे स्टापकी भांति काममें लाना गवर्नमेंटके किसी स्टापका जो जान लिया हो कि झूठा है, कर कि वह स्टाप किसी ऐसे स्टापसे झूठा बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीमादा सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जायेंगे ।

टीप—दफा २५९ के अनुसार है । -

(२६१) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, किसी वस्तुसे जिसपर कोई ऐसा स्टाप लगा हो जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई लेख या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये वह स्टाप काममें लाया गया था या किसी लेख या दस्तावेजसे कोई स्टाप जो इस लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया गया हो इस अभिप्रायसे र करे कि वह स्टाप किसी और लेख या दस्तावेजके लिये काममें लाया जाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमादा तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—२५९ के अनुसार है ।

(२६२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए, काममें लाए हुए गवर्नमेंट स्टापको जानबूझकर काममें लाना, कोई स्टाप जो गवर्नमेंटसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो किसी, प्रयोजनसे काममें लाए यह जानकर कि वह पहले काममें आचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमादा दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) अमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२६३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेण्टकी हानि कराए उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टॉप काममें आ- चुका है, किसी स्टॉपपरसे जो गवर्नमेण्टकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई ऐसा चिह्न छील डाले या दूर करे जो इस बातके प्रगट करनेके लिये उस स्टॉपपर लगाया गया या छापा गया हो कि वह स्टॉप काममें आचुका है या ऐसा स्टॉप कि जिसको वह जानता हो कि काममें आचुका है और जिसपरसे वह चिह्न छीला गया या दूर किया गया हो जानबूझकर अपने पास रखे, या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकनी है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

टीप—दफा २५९ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२६३) (अ) बढ़ाया गया दफा २ ऐक्ट ३ सन् १८९९ ई० के अनुसार (१) जाली स्टॉपकी मनाही, जो कोई मनुष्य (अ) कोई जाली स्टॉप बनाए या जानबूझकर चलाए या उसका कारवार करे या बेचे या जानबूझकर कोई जाली स्टॉप किसी ढाक सवन्धी अभिप्रायसे काममें लाए या—

(ब) बिना उचित उज्रके कोई जाली स्टॉप अपने अधिकारमें रखे या,—

(ज) कोई ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जाली स्टॉप तैयार करनेके लिये बनाए, या बिना उचित उज्रके अपने अधिकारमें रखे उसको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो दोसौ रुपयेतक होसकता है ।

(२) उचित है कि ऐसा स्टॉप-या ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औजार या सामान जो किसी मनुष्यके अधिकारमें किसी जाली स्टॉपकी तैयारीके अभिप्रायसे पाया जावे वह गिरफ्तार कर लिया जाए और वह सामान आदि जप्त कर लिया जाए ।

(३) इस दफामे शब्द “ जालीस्टॉप ” से प्रत्येक ऐसे स्टॉपका अभिप्राय है जिससे यह गलत बात प्रगट होती हो कि उसको गवर्नमेण्टने महसूख ढाकके कोई नियम प्रगट करनेके अभिप्रायसे जारी किया है या ऐसे स्टॉपकी कोई नकल या सूरत शकलसे, अभिप्राय है जिस गवर्नमेण्टके ऊपरके अभिप्रायसे जारी किया हो चाहे वह कागजपर हो चाहे और मांति पर—

(४) " गवर्नमेंट ' के शब्दमें इस दफा में और इसके अतिरिक्त दफा २२९ से लेकर दफा २६३ में दोनों दफा मिलाकर, जब कि उसमें किसी ऐसे सबधी स्टाम्पके साथ काममें लाया जावे जो किसी डाक सबधी नियमके प्रगट करनेके लिये जारी किया गया हो, विना लिहाज किसी मजमून दफा ७ में लिखे हुएके वह मनुष्य या वे मनुष्य टाखिल समझे जावेगे जो कानूनकारक गवर्नमेंटका प्रवध करनेके लिये हिन्दुस्थानके किसी भागमें और श्रीमती महारानीके राज्यके किसी भागमें या किसी दूसरे देशमें नीतिपूर्वक अधिकारी हो ।

टीप—दफा २६२ के अनुसार है ।

अध्याय तेरहवाँ १३.

नाप तोल सम्बंधी अपराधोंके विषयमें

(२६४) जो कोई मनुष्य तौलनेके किसी औजारको जिसे वह झूठा जानता हो तौलनेके झूठे औ- } छलसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमें किसी
जारको छलछिद्रतं काम- } प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक
में लाना. } होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१) तौलके झूठे औजारको छलसे काममें लानेका अपराध अपराधीकी वदनियतीपर निर्भर है इसलिये जब मुकद्दमेमें ऐसी नियतके मध्ये कोई गवाही न थी तो हार्डकोर्टसे जुर्मानेकी वापसीकी आज्ञा हुई । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफा ६०)

(२६५) जो कोई मनुष्य किसी झूठे बॉटको या तौल या लम्बाई नापनेके झूठे पैमा-
झूठे वाट या पैमा- } नेको छलसे काममें लाए या किसी बॉट या तौल या लम्बाई
नेको छलसे काममें लाना. } नापनेके किसी पैमानेको किसी और बॉट या पैमानेकी मॉति से, जो
उससे दूसरा हो छलसे काममें लाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी
कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों
दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार जानो ।

(२६६) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बॉट या तौल या लम्बाई झूठे वाटों या पैमानों- } जॉचनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास रखता
का अपने पास रखना । } हो और उसका यह अभिप्राय हो कि वह छलसे काममें लाया जावे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो ।

१—नियत किये हुए नाप तौलसे बढ़कर नाप तौलको अपने पास रखनाही कोई अपराध नहीं है, अपराधीके छल छिद्रके अभिप्रायको प्रमाणित करना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १८१)

(२६७) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औजार या कोई बॉट या तौल या लम्बाई झूठे बॉट या पैमाने } नापनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो इस अभिप्रायसे बनाना बेचना । } बनाए या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे कि वह सच्चेके माँतिसे काममें लाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी माँतिसे उसका काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २६४ के अनुसार समझो ।

अध्याय चौदहवाँ १४.



सब सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जिता और सज्जनता और सुशीलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधीके विषयमें ।

(२६८) वह मनुष्य सब साधारण मनुष्यको कष्ट देनेका अपराधी होगा । जो कोई

सब सम्बन्धी कष्टके } ऐसा काम करे या किसी ऐसी अनुचित चूकका अपराधी हो जो
कारणका काम, } सर्व साधारणको या मुख्यकर उन मनुष्योंको जो उसके पास समीप में रहते या किसी धरती अथवा घरपर अधिकार रखते हों कोई हानि या विपत्ति या

केश पहुंचाए या जो उन मनुष्योंको जिन्हें किसी सर्व साधारण अधिकारके काममें लानेकी आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुंचाए या रोक टोक करे।

कोई काम सर्व साधारणके कष्टका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उनमें कुछ आराम या लाभ देख पड़ता हो।

१—कुछ मनुष्य कि जिन्होंने वासका बाव एक घटने बटनेवाली नदीके आरपार बाबा था उस नदीसे नावें भी जाती थी, यद्यपि उन्होंने ऐसे बाधमें एक तग गस्ता नावके आने जानेके लिये छोट दिया था जो नावके आनेके समयके सिवाय बंद रहता था—सब डचीजनल अपसरकी दरखास्तसे उसपर दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानका अपराध लगाया गया—तजवीज हुई कि—यह बात सदेरकी है कि दफा २८३ का मुकदमेमें मन्व है परतु उन्होंने दफा २६८ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराध किया और वह दफा २९० के अनुसार दण्ड योग्य है। (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६)

२—एक गावके कुछ मुसलमानोंने मुहर्रमके दिनमें उस धरतीपर जो गावके समीप थी एक पिडल कायम की और भी वहापर मजहबी चिह्न अर्थात् एक बट रक्खी, साहब मजिस्ट्रेटने हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणित की कि उनका यह काम उस गावके सर्व साधारण हिन्दुओंके दुःख पहुँचानेके अभिप्रायमें कि जिनके मंदिर उस धरतीके निकटही थे किया गया है तजवीज हुई कि अपराधकी तजवीज अयोग्य थी (३० ला० रि० मद्रास जिल्द ७ सफा ५९०)

३—जो मनुष्य जानबूझकर चौपायेको किसी सर्व साधारण मार्गमें इस प्रकारसे काटे कि मार्ग चलनेवालोंको काटना सुनाई और दिखाई दे वह मनुष्य दफा २९० हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराधी होगा परतु जब कि कुछ मुसलमानोंने मजहबी वस्तुओंके अभिप्रायमें दो गायोंको सर्गोदयसे पहिले किसी विशेष घरमें जो सर्व साधारण मार्गसे कुछ २ दिखाई देता था, काटा और दो गायोंमें एकका काटा जाना केवल एक हिंदूने देखा तजवीज हुई कि ऐसा काम किया जाना सर्व साधारणकी कष्ट पहुँचानेकी मीमातक नहीं पहुँचना जैसा कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २६८ में कहा गया है। (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा ४४)

४—एक अपराधीने अपने बरामदेमें गोशत जो मटमानोंके लिये पकनेवाला था उसको उन मनुष्योंकी दिखावटमें जो सड़कके ऊपरसे जा रहे थे जिनमें कुछ जैनी थे जिनका मंदिर समीपही था कटवाया—तजवीज हुई कि कोई अपराध उस मनुष्यपर प्रमाणित नहीं होता। (३० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफा ४३७)

५—जब किसी नदी या खाड़ीमें कि जहासे नाव या जहाजका आना जाना होता है किसी रोक टोकके मध्ये किसीपर कोई अपराध लगाया जावे तो उसमें ऐसी गवाहीके होनेकी आवश्यकता

है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि वहांसे नाव या जहाजके आने जानेमें कोई रोक या किसी मनुष्यके आने जानेमें किसी प्रकारकी हानि या क्लेश पहुँचता है । बिना इस बातके प्रमाणित हुए दफा २६८ का अपराध किसीपर कायम नहीं होसकता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ६६५)

(२६९) जो कोई मनुष्य कानूनविरुद्ध या असावधानीसे कोई ऐसा काम करे असावधानीसे वह कि जिसको वह जानता है अथवा जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कृतम करना जिससे कि किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो, जिससे प्राणोंको हानि पहुंच सकती है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है, या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—(क) यह जानकर कि मुझे हैजा हुआ है एक रेलगाडीके दर्जेमें बैठ गया और अपनी बीमारीकी दशाकी सूचना रेलवे कम्पनीके नौकरोंसे न की—(म) ने (क) की दशा जानकर (क) का टिकट मोल लिया और वह (क) के साथ रवाना हुआ—तजवीज हुई कि (क) को दफा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्ड दिया जाना उचित हुवा क्योंकि वह जानता था कि इस बीमारीसे घातक बीमारीके फैलनेका भय है और (म) को अपराधमें सहायता करनेके अपराधमें दण्ड दिया जाना उचित हुवा (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ७ सफा २७६)

२—कोई रडी, जब कि उसे गमीका रोग हो गया हो और उसीके द्वारा उपरोक्त रोग उस मनुष्यको ही जावे जिसने उसके साथ प्रसंग किया है, दफा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्डके योग्य नहीं हो सकती परंतु उसपर धोखा देनेकी नाखिज दफा ४१७ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार होसकती है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ६९)

(२७०) जो कोई मनुष्य दुर्भावसे ऐसा काम करे जो ऐसा है और जिसको दुर्भावसे उस कामका करना कि जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो, वह जानता है या जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना संभवित है जिससे प्राणोंको हानि पहुंचे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि दो वर्षतक होसकती है—या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(२७१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसे कायदेकी आज्ञाको मंग करे किसी कारन्टाइनकी } जो हिन्दुस्थानकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटने किसी आज्ञाको न मानना. } जहाजको कारन्टाइनकी अवस्थामे रखनेके लिये या उन जहाजोंके बीचमें आने जानेके प्रवचके लिये कि जो कारन्टाइनकी अवस्थामें है और नदी अथवा समुद्रके किनारे अथवा और जहाजोंके या ऐसे स्थानमें आनेजानेके प्रवचके लिये कि जहां कोई छूनेसे फैलनेवाला रोग फैला हुआ है और २ स्थानोमे जारी और प्रसिद्ध किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

(ऐक्ट न० १ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या दो० (२) पोलिस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही है।

(२७२) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके किसी पदार्थमें इस प्रकारसे मिलावट किसी वेचनेवाले } करे कि वह पदार्थ खाने या पीनेमे हानिकारक होजाए, इस अमि- खाने पीनेके पदार्थमें मि- } प्रायसे कि उस पदार्थको खाने या पीनेके पदार्थकी भाँति वेच या लवट करना. } इस जानकारीसे कि खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे उस पदार्थका विक्रजाना सम्भवित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद १०००) एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

(अदालतको अधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पातेही दफा २७२ या २७३ या २७४ या २७५ के अनुसार यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुआ है नष्ट कर दिया जावे) (ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो।)

(२७३) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे किसी ऐसे पदार्थको खाने या पीनेके हानि- } बच या वेचनेके निमित्त बाहर रखे या वेचनेके लिये निकाले जो कारक पदार्थको वेचना. } हानिकारक बना दिया गया हो या ऐसी अवस्थामें हो कि खाने या पीनेके योग्य न हो, यह जानकर या इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त

पदार्थ खाने या पीनेके लिये हानिकारक है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार जाननी ।

१—अपराधीने कुछ आटा फी रुपया सत्रह सेरके भावसे बेचा, यद्यपि थन्डे आटेका मात्र पन्द्रह सेर था—डाक्टरने बयान किया कि वह आटा पुराना और रोग मिला हुआ था और यदि खाया जाता तो रोग होनेका भय था—अपराधीने आटा लेनेवालेसे आटा बेचनेके समय कह दिया था कि वह आटा बुरा होनेके कारण सस्ता बेचा गया था तजवीज हुई कि इस अपराधमें दफा २७३ दंडसंग्रहहिन्दके अनुसार दण्ड देना अनुचित हुआ । (पञ्जाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७३ ई०)

(२७४) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिमें इस प्रकारसे औषधियोंमें मिलावट } मिलावट करे कि उसके द्वारा उस बनी हुई या बिना बनी हुई करना. } औषधिका गुण कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको हानिकारक बना दे, इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेका सम्भव जानकर कि वह किसी रोगमें देनेके लिये इस प्रकारसे बिक जावे या काममें आवे कि मानों उसमें मिलावट नहीं हुई तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक होसकती है, या दोनो दण्ड दिये जावेगें ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है ।

(२७५) जो कोई मनुष्य यह जानकर कि किसी बनी हुई या बिना बनी औषधिमें मिलावट कीहुई औ- } इस प्रकारपर मिलावट कीगई है कि उसके कारणसे उसका गुण षधियोंको बेचना. } कम होगया या अमल बदल गया या वह हानिकारक बना दीगई है, उसको बेचे या बेचनेके लिये सामने रखे या बेचनेके लिये निकाले या औषधालय (दवा-खाना) से रोगके ऊपर देनेके लिये ऐसी औषधिका माँतिसे जिसमें मिलावट नहीं कीगई, बाँटे; या किसी मनुष्यसे जो उस मिलावटसे जानकार न हो रोगके ऊपर उसका वर्ताव करावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है ।

(अदालतोंको अधिकार है कि दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अपराधका प्रमाण पाते ही यह आज्ञा दे कि वह सामान या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये वह अपराध हुआ, नष्टकर दिया जावे। (ऐक्ट न० १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो)

(२७६) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिको किसी

किसी औषधिको } और बनी हुई या बिना बनी हुई औषधिको भातिसे जानबूझकर
किसी बनी हुई या बिना } बेचे या बेचनेके लिये सामने रखे या बेचनेके लिये निकाले या
बनी औषधिकी भांतिसे } औषधालयसे रोगके ऊपर देनेके लिये बाटे तो उपरोक्त मनुष्यको
बेचना. }
दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छ. महीनतक
होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये
जावेगे।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है।

(२७७) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुओं, नदी अथवा कुडके पानीको

किसी सर्वसम्बन्धी कुओं } जानबूझकर खराब या गदला करे इस प्रकारपर कि उसको ऐसा
या कुड दत्यादिके पानी- } कर दे कि जिस अभिप्रायके लिये वह काममें आता है जैसा था
को विगाडना. } वैसा उसके योग्य न रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे
किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन महीनेतक होसकती है या
जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम
समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—शब्द कुआ नदी अथवा कुण्ड दफा २७७ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानमें सर्व सम्बन्धी नदी न
गिनी जायगी, इसलिये मछलिये पकडनेके अभिप्रायसे डालियाँका नदीमें डालना इस दफाके अनुसार
अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८३)

२—शब्द “सर्व सबधी कुड” में सदैव बहनेवाली पानीकी धार जो किसी नदी में बहती हो
न गिनी जायगी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२९)

(२७८) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको जानबूझकर विगाड दे इस
हवाको आरोग्यताके } प्रकारपर कि वह उन मनुष्योंकी आरोग्यताके लिये हानिकारक हो
लिये हानिकारक कर- } जो विशेषकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोबार करते हों
देना. } या किसी सर्वसम्बन्धी मार्गसे होकर आवाजाही रखते हों तो उस
मनुष्यको जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है।

टीप—दफा २७७ के अनुसार है।

(२७९) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमें ऐसी लापरवाही अथवा असा-

किसी सर्व सम्बन्धी } वधानीसे कोई गाडी चलावे या सवार होकर निकले कि उससे
मार्गमें लापरवाहीसे गाडी } मनुष्यके प्राणकी हानि हो अथवा किसी दूसरे मनुष्यको चोट या
चलाना या सवार होकर } हानि पहुंचना अति संभवित हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रका-
निकलना. }
रोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक हो
सकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड
दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम
समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि लापरवाहीसे गाडी हांकनेमें वह गाडी किसी दूसरी गाडीसे भिड जावे और उस
दूसरी गाडीको हानि पहुँचे तो गाडी हांकनेवाला न कि उसका मालिक दफा २७९ दंडसंग्रह हिन्दुस्था-
नके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द १४ सफा ३२)

(२८०) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाजको इस प्रकार पर लापरवाही या

लापरवाहीसे नाव या } असावधानीसे चलाए कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो या
जहाज चलाना. } किसी और मनुष्यको चोट या हानि पहुंचना अति संभवित हो तो
उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद
छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या
दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है
(३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२८१) जो कोई मनुष्य कोई झूठा प्रकाश (रोशनी) या झूठा चिह्न या पानी

झूठी रोशनी या झूठा } पर तैरनेवाला चिह्न दिखलाए, इस अभिप्रायसे या इस बातका
चिह्न या पानी पर तैरने } होना संभवित जानकर कि उस दिखानेके कारणसे किसी चलाने
वाला चिह्न दिखाना. }
वालेको मार्ग भुला दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया
जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये
जावेगे ।

टीप—(१) सेवान (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट
जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(२८२) जो कोई मनुष्य पानीके मार्गसे किसी मनुष्यको किसी नावमे जब कि पानीके मार्ग पहुँचाना किसी मनुष्यका माडेके लिये किसी ऐसी नावसे जो अति बोझित या जोखिम की हो वह नाव ऐसी अवस्थामे हो या इतनी लदी हो कि उसमें उस मनुष्यके प्राणोका भय हो, जानबूझकर या असावधानी करके माडेपर लेजावे या लिवा लेजावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २८० के अनुसार है ।

१—कुछ मनुष्यको अपराधी एक नदीसे नावपर पार उतारता था नाव बोझिल होनेके कारण बैठ गई कि जिससे वह मनुष्य डूब गये—तजवीज हुई कि अपराधीके मध्ये जातवत् घातके अपराधका प्रमाण जो जातघातकी सीमातक न पहुँचे नहीं होसकता था, क्योंकि यह बात प्रगट नहीं होती थी कि उसने कोई काम यह जानकर किया था कि इस कामसे दफा २९९ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावको माडेपर ले जानेके लिये दफा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य होसकता है । (वीली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ३)

२—जो मछाह टूटी नाव किरायेपर चलावे और उससे मुसाफिरोंको अपने प्राणोका अदेगा हो तो उस मछाहपर दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न कि अपराध दफा २१६ का । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १३७)

(२८३) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी मालके मध्ये जो उसके जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गपर किसी मनुष्यको हानि या रोकटोक पहुँचाए तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा जिसका तादाद दोसौ रुपयेतक होसकती है ।

टीप—दफा २८० के अनुसार है ।

१—किसी शहरके मार्गके निकट मछलीका जाल फैलाना दफा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अभिप्रायानुसार अपराध नहीं है जबतक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि इस कामसे किसी विनोप मनुष्य या समूहको रोक पहुँचाई गई । (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २३५)

(२८४) जो कोई मनुष्य किसी विपैले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या किसी विपैले पदार्थके असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणको हानि हो या मध्ये असावधानी करना, किसी और मनुष्यको चोट पहुँचानेका सम्भव हो या किसी विपैले

पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानीसे ऐसी चौकसीमें चूककरे जो उस अदेशके मिटानेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस विषैले पदार्थसे है काफी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २७५ के अनुसार है ।

(२८५) जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेवाले पदार्थसे कोई काम, ऐसी अग्नि अथवा जलने वाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना, लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी और मनुष्यको दुःख पहुँचना सम्भवित हो या किसी आग या किसी जलनेवाले पदार्थके मध्ये जो उसके निकट हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस दुःखके दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस आग या जलनेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २७९ के अनुसार है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २८५ में आये हुए शब्द “दुःख” का सम्बंध केवल मनुष्यके शरीरसेही नहीं बरन् मालसे भी है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा ६७)

(२८६) जो कोई मनुष्य मकसे उड़जानेवाले किसी पदार्थसे कोई काम ऐसी लापर-मकसे उड़जानेवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना, वाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो या जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुँचनेका सम्भव हो या मकसे उड़नेवाले किसी पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस भयको दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस मकसे उड़जानेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २७९ के अनुसार है ।

१—अपराधी अपने खेतकी फसल रातके समय देखने भालनेको गया था सबेरे एक भरी हुई बंदूक लिये हुए अपने घरको लौटा और उसने अपने घरके द्वारपर ताला लगा हुआ देखकर वह भरी हुई बंदूक जिसका घोड़ा टोपीपर गिरा हुआ था एक चारपाई पर रख दी जो द्वारपर पडी

हुई थी, और आप थोड़ी देरके लिये अपने पड़ोसीके घर चला गया यकायक वह बंदूक छूट गई और अपराधीके एक पड़ोसीका लडका जो चार वर्षका था इससे मरगया, इस कारण अपराधीपर दफा २८६ का अपराध ठहराया गया और हाईकोर्टसे दंडकी आज्ञा कानूनविद्वद् ठहराई गई ।
(६० ल० रि० मद्रास जिल्द ८ सफा ४२१)

(२८७) जो कोई मनुष्य किसी कलसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानी

किसी कलके मध्ये } के साथ करे कि जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे
जो अपराधीके पास हो } किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुंचना समवित हो अथवा
या उसकी सिपुर्दगीमें हो } किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुर्दगीमें
असावधानी करना. }
हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस मयके दूर
करनेमें जिसके पहुंचनेका समव मनुष्यके प्राणको उस कलसे है काफी हो तो उपरोक्त मनु-
ष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छ. महीने
तक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा दोनोही दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है ।

(२८८) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरा देने या उसके बनानेमें जानबूझकर

किसी मकानके गिराने } या असावधानीके साथ उन मकानकी चौकसी करनेमें चूक करे
अथवा उसके बनानेके } जो उस घरसे कि जिसके पहुंचनेका समव मनुष्यके प्राणको उस
मध्ये असावधानी करना. } मकान या उसके किसी भागके गिरनेसे है, काफी हो, तो उपरोक्त
मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः
महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकना है अथवा दोनों
ही दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार जानो ।

(२८९) जो कोई मनुष्य किसी पशुके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या

किसी पशुके मध्ये } असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूक करे जो मनुष्यके प्राण-
असावधानी करना. } के मय अथवा भारी दुःखके घरको रोकनेके लिये जिसके पहुंचनेका
संभव उस पशुसे है काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका
दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक
हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २७१ के अनुसार है ।

१—यदि जानवरका चचल तथा बदलगाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स्वामी असावधानीके अपराधका अपराधी होगा । (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५१)

२—जब किसी बोडे, टडू, वैल अथवा कुत्तेसे कोई हानि पहुँचे और यह प्रमाणित न हो कि वह जानवर चचल था या यह कि उसकी चञ्चलतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके स्वामीपर कोई अपराध प्रमाणित नहीं होसकता अतिरिक्त उस अवस्थामे कि उसने यथोचित चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य ऐसे जानवरसे रखते है न रखी हो ।- (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द १९ सफा १)

(२९०) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःखदायी काम जो इस सग्रहके अनुसार सर्व दुःखदायी काम } और किसी भाति दण्डके योग्य नहीं है करेगा उसको दण्ड जुर्मानेक
का दंड. } जो दोसरी रूपयेतक होसकेगा किया जायगा ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—तजवीज चौदह मनुष्योकी जिनपर पृथक् २ अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० व २९१ के अभिप्रायानुसार ठहराये गये थे वर्त्तवमे आये । तजवीज हुई कि उपरोक्त कानूनविरुद्धता अपराधियोकी हकतलफीका कारण है, इसलिये तजवीज सजा मसूख हुई । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा २०)

२—सर्व दुःखदायी कामके दण्डमे जुर्माना किया गया हो और यदि वह जुर्माना न अदा किया जावे तो उसके बदलेमे कठिन कैदके दण्डकी आज्ञा नहीं होसकती ।- (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा ५७)

३—किसी कुँएका, जो सरकारी धरतीमे हो और सर्व सम्बन्धी मार्गसे आठ गजके अंतरपर बना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९० का अपराध नहीं है । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ६ सफा २८०)

४—कुछ मनुष्योने बांसका बाध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपर नाव अथवा जहाजके निकल जाने योग्य बनाया था यद्यपि उन्होने ऐसे बाधमे एक छोटा रास्ता नावोके निकल जानेके योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त बंद रहता था सब डिवीजनल ऑफसरकी दरखास्तके अनुसार उन मनुष्योपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २८३-का अपराध रोके (मुजाहिमत) करनेका लगाया गया—तजवीज हुई कि इस बातमें सदेह है कि दफा २८३ का मुकद्दमेसे सम्बंध है परंतु उन्होने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २६८ का अपराध किया है और वह दफा २९० के अनुसार दण्डके योग्य है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६)

५—एक किरायेदार मनुष्यने अपना घर कायदेके विरुद्ध जुवा खेलनेके लिये जुवारियोको इदिया था और उसके कारणसे सर्व सम्बन्धियोको हानि पहुँचती थी उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसं-

ग्रहकी दफा २९० का अपराध प्रमाणित किया गया—यह बात मात्तम होती है कि अपराधीने उम श्रको जुवा खेलनेके लिये नहीं ठहराया था—तजवीज हुई कि अपराधका दण्ड टीक २ था । (२० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३६४)

६—किमी नदी या खाडीसे जहाज या नावका ज्ञाना जाना सर्व मन्थवी दुःखदायी काममें नहीं गिना जायगा परतु यह बात अवश्य है कि जहाज या नावके चलनेमें अथवा कोई भय या दुःख किसी मनुष्यके किसी सर्व सम्बन्धी मार्गमें नाव या जहाजके चलनेके समय न पहुँचाया जावे । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ६६५)

७—वे मनुष्य जो सर्व सम्बन्धी मार्गमें बैठकर गावसे आने जानेवालोंको पत्ता खेलनेके लिये बँटकावे और उनसे रुपया जीते वह इस दफा २९० हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अपराधी है । (कार्रवाई मदरास हाईकोर्ट २८ जनवरी सन् १८८७ ई०)

(२९१) यदि कोई मनुष्य किसी सर्व दुःखदायी कामको करे अथवा उसे किसी सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञा पाकर उसे करते रहना, करता रहे जिसको किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आँसे उस सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा उसे न करते रहनेकी आज्ञा होचुकी हो जो ऐसी आज्ञाके देनेका उचिन अधिकार रखता हो, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २८० के अनुसार है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९१ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि अपराधीके नाम असालतन एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुवा था कि जिसके द्वारा उमको उठी सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ९९)

(२९२) जो कोई मनुष्य अश्लील पुस्तक अथवा संग्रह [रिंसाळा] अथवा अश्लील (फहारा) लिखावट (तहरीर) अथवा सादा चित्र अथवा रगदार अथवा पुस्तकोका बेचना आदि, मूर्ति अथवा प्रतिमा बेचे या वाटे या बेचने या माडेपर चलानेके लिये दूसरे देशसे लाए या छापे या जानवूझकर सर्वसाधारणको दिखलाए या ऐसा करनेका उद्योग करे या ऐसा करनेको स्वयं कहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

श्रुट । --

यह दफा किसी ऐसे चित्रसे सवन्ध न रखेगी जो किसी मंदिरके ऊपर या भीतर या प्रतिमा निकालनेके रथपर हो अथवा किसी मजहब या मत सवन्धी कामके लिये रखी गई हो

या काममे आती हो चाहे वह मूर्ति कटकर वनी हो चाहे खुदकर और चाहे रंग-दार हो चाहे और प्रकारकी ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दार्जी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९२ व दफा २९४ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये वह अवश्य है कि उन चित्रों और शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवश्य है जिनका अश्लील होना वर्णन किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १ सफा ३५६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार जिस पुस्तकमे थोड़ी भी अश्लील इबारत हो वह अश्लील है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८३७)

(नोट) अदालतीकी अधिकार है कि दफा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेपर वह यह आज्ञा दें कि वह पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुआ है नष्ट कर दिये जावे । ऐक्ट न १० सन् १८८२ ई० की दफा ५२१)

(२९३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसी अश्लील पुस्तक या कोई और पदार्थ अश्लील पुस्तकको } वैसा कि पिछली दफामे वर्णन किया गया है वेचने या बां-
वेचने या दिखानेके लिये } टने उसे सर्व साधारणको दिखलानेके लिये अपने पास रखता-
पास रखना. } हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २९२ के अनुसार समझो ।

(२९४) तबदील हुवा दफा ३ ऐक्ट ३ सन् १८९९ ई० के अनुसार जो कोई अश्लील काम और गीत. } मनुष्य इस प्रकारसे कि औरोंको रज्ज पहंचे—

(अ) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें कोई अश्लील काम करे ।

(ब) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें या उसके निकट कोई अश्लील गीत गावे अथवा कोई अश्लील शेर (छन्द चौपाई) पढे अथवा अश्लील बातें बके तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा २९२ के अनुसार समझो ।

१-—अपराधीके ऊपर लावनी गानेका अपराध जो सदैव अश्लील नहीं हुआ करती परतु बहुधा हुवा करती है लगायागया और मजिस्ट्रेटने उसे हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९४ के अनुसार अश्लील गीत गानेका अपराधी ठहराया परतु जो कि गवाही इस बातकी कि जो लावनी अपराधीने गाई थी वह अश्लील थी मौजूद न थी इस कारण वह दण्डकी आज्ञा से वरी किया गया । (रिपोर्ट बम्बई हाईकोर्ट जिल्द ४ सफा २५)

(२९४) * (अ) जो मनुष्य कोई दफ्तर या घर ऐसी चिन्ही डालनेके अभिप्रायसे चिन्ही डालनेका दफ्तर रखे जिसकी आज्ञा सरकारसे नहीं है उसको दोनो प्रकारोंमेंसे रखना, किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीआद छ-महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जाँयगे ।

जो मनुष्य किसी घटना या इतिहासके होनेपर जो निस्वत या ताल्लुक किसी टिकट अथवा कुरअ अथवा नम्बर या हिन्दसा (अक) आदिसे ऐसी चिन्ही डालनेमें रखता हो किसी मनुष्यके लाभके लिये कुल रुपया चुकाने या कोई सामान सिपुर्द करने अथवा किसी कामके बत्तावमें जाने अथवा किसी कामके करने देनेके लिये कोई यत्न प्रगट करे उसको जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा दिया जायगा ।

टीप—(१) दफा २९० के अनुसार है ।

१—शुवा खेल्ना कानूनानुसार मुफत्सिलातमें मना नहीं है जो रुपया इस प्रकारका शुवा खेल्नेके लिये उधार दिया जावे वह नालिशासे बसूल होसकता है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफा ३०१)

२—शब्द “ चिन्ही डालने ” मुन्दर्जेफिकरा (टुकडा) २ दफा २७४ (अ) हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहसे अभिप्राय प्रत्येक चिन्ही डालनेका है जिसकी आज्ञा गवर्नमेंटने न दी हो और उसमें चिन्ही अन्ये दशकी भी सयुक्त हैं और शब्द “ प्रगट करनेवाले ” मुन्दर्जे फिकरे मजकूरमें दोनो वह मनुष्य जो दरखास्त करता है और मालिक अखवार भी जो दरखास्त इस्तिहारको छापता है शामिल है । मालिक अखवार बंबई जिसने एक इस्तिहार अपने अखवारमें माल सम्बन्धी व वजन चिन्ही डालनेका मुश्तहर (प्रगट) किया था वह हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९४ की मन्शासे दण्ड योग्य ठहराया गया । (अगरेजी इन्डियन एरिपोर्ट सिलसिला बम्बई जिल्द १० सफा ९७)

* ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९६ को देखो ।

(इस सग्रहके अत्याय ४२५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस दफाके अनुसार दण्ड योग्य हैं ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफा १३ को देखो)

अध्याय पन्द्रहवाँ १५.



उन अपराधोंके विषयमें जो मतसे सम्बन्ध रखते हैं ।

(२९५) जो कोई मनुष्य किसी पूजाके स्थानको अथवा किसी पदार्थको जिसको किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दाके अभिप्रायसे पूजाके किसी स्थानको हानि पहुँचाना अथवा अपवित्र करेगा, किसी सम्प्रदायके मनुष्य पूज्य मानते हो तोडे फोडे अथवा हानि पहुँचाए अथवा अपवित्र करे जिसके द्वारा मनुष्योंके किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे अथवा उस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि मनुष्योंका कोई सम्प्रदाय उस तोड फोड या हानि पहुँचाने अथवा अपवित्र करनेको अपने मतकी एक प्रकारसे निन्दा समझेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा । जिसकी भीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दगी करसकती है (३) अपराधीके नाम सम्मन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—एक हिन्दूने एक स्त्रीके साथ एक मुसलमान फकीरकी कबरके हातेके भीतर व्यभिचार किया हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहको दफा २९५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ तजवीज हुई कि इस बातका प्रमाण न होनेकी अवस्थामे कि उपरोक्त स्थान पूजाके लिये काममे लाया जाता था अथवा किसी और दूसरी रीतिपर पाक या अपराधीकी तजवीज अनुचित है वरन उसका दण्ड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९७ के अनुसार होना ठीक है । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १० सफा १२६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ मे लिखे हुए शब्द “पदार्थ” से जानदार पदार्थका अभिप्राय नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफा १५०)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ मे लिखे हुए शब्द “ पदार्थ ” मे जानकर पदार्थ न गिने जायेंगे, कोई सांड जो किसी हिन्दूकी श्राद्धमे स्वाधीन कर दिया जावे, इस दफामे लिखे हुए शब्द पदार्थसे सम्बन्ध न रखेगा—और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छियाकर गोइत और चमडेके लालचसे मार डाले तो उन्होने दफा २९५ का कोई अपराध नहीं किया और सांड स्थावर-धन (जायदाद मनकूला) दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायमे नहीं है । (इ० ला० रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७५२ मवर्दले २७ मार्च व १५ अप्रैल सन् १८९० ई०) ;

(२९६) जो कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छापूर्वक किसी समाजको दुःख पहुँ-
 किसी मत सम्बन्धी } चाए, जो अपने मतकी पूजा अथवा मतकी रीतियोंको पूरा करनेमें
 समाजको छेड़ना. } उचित रीतिसे तत्पर हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे
 किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद एक वर्षतक होसकती है या
 जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २९५ के अनुसार है ।

१—मुसलमानोंकी एक सर्व सवधी मसजिदमें कुछ खेफी मतके मुसलमान जिनकी रीति-
 के अनुसार शब्द “ आमीन ” धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज पढते थे, वहा पर एक और मुसल-
 मान दूसरे मतका मसजिदमें आया और नमाज पढतेमें अपनी रीतिके अनुसार शब्द “ आमीन ”
 बड़ी जोरसे कहा । इस कामके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी
 प्रमाणित हुआ । इजलास कामिलसे दुकम हुआ कि मुकद्दमेकी तजवीज दुबारा कीजावे और नीचे
 लिखी हुई बातोंपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह (समाज) मतकी पूजाके लिये उचित
 रीतिपर इकट्ठा हुआ था या नहीं और वास्तवमें ऐसे गिरोहको अपराधीने हानि पहुँचाई या नहीं
 और अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेका था या नहीं । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७
 सफा ४६१)

(२९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका दिल दुखाए अथवा किसी मनुष्यके
 कबरस्थान आदिमें } मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको
 मदखलत वेजा करना. } सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिल
 दुखेगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजाके स्थान अथवा कबर-
 स्थान अथवा ऐसे स्थानमें जो मृतक क्रियाओंको करनेके लिये अथवा मरे हुएको
 गाढनेके लिये ठहराया गया हो, मदखलत वेजा करे अथवा किसी मृत मनुष्यके
 शव (लाश) की अप्रतिष्ठा करे अथवा उन मनुष्योंको हानि पहुँचावे जो मृतक
 क्रिया करनेको इकट्ठा हुए हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी
 कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका
 दण्ड अथवा दोनोही दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २९५ के अनुसार है ।

१—धरतीके एक टुकड़ेमें (क) (ख) (ग) (घ) आपसमें साझी थे जिसमें वे
 अपने मृतकोंको गाढ करते थे । (क) और (ख) ने (घ) के नातेदारोंकी कबरोंके निकट एक
 गटा खोदा परन्तु किसी कबरको कुछ हानि-न पहुँचाई—तजवीज हुई कि (क) और (ख) के मध्ये
 हिन्दुस्थानके दडसग्रहकी दफा २९७ के अनुसार दण्ड देना अनुचित था । (इ० ला० रि० मद्रास
 जिल्द ३ सफा १७८)

(२९८) जो कोई मनुष्य सोच विचारकर मतके विषयमें किसी मनुष्यका अन्तः-
 किसी मनुष्यके अन्तः-
 करणको मतके विषयमें
 जानबूझकर दुःख देनेके
 अभिप्रायसे कुछ कहना
 इत्यादि। } करण दुखानेके अभिप्रायसे कोई बात कहे अथवा कोई शब्द
 निकाले जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस मनुष्यके सामने
 कोई काम करे अथवा उसकी दृष्टिके सामने कोई पदार्थ रखे तो
 उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड
 दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा
 जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती
 (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय सोलहवाँ १६.

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके शरीरमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके प्राणोंमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

(२९९) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे अथवा शरीरको ऐसा
 शतवत्घात (कतल) } दुःख पहुंचानेके अभिप्रायसे जिससे मृत्युका होना अति संभवित है
 इसान मुस्तलजिम सजा, } अथवा यह जानकर कि कदाचित् उस कामके करनेसे वह मृत्युका
 कारण होगा, कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न करे तो वह ज्ञातवत् घातका अपराध करने-
 वाला कहलावेगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी गढेके ऊपर कुछ लकड़ियाँ और घास फूस इस अभिप्रायसे पाट दे
 कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीमें कि उसके द्वारा मृत्यु होगा सम्भवित है
 और रमाशंकर उसको ठोसधरती जानकर उसपर चले और उसमें गिरकर मर जाये तो शिवशंकर
 ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी होगा ।

(ख) शिवशंकर यह जानता हो कि रमाशंकर किसी झाड़ीके पीछे है और उमाशंकर
 यह न जानता हो और शिवशंकर रमाशंकरको उस झाड़ीपर बन्दूक चलानेके लिये बहँकावे इस
 अभिप्रायसे अथवा इस बातके होनेको सम्भव जानकर कि वह बहँकाना रमाशंकरकी मृत्युका

कारण होगा—उमाशकर बंदूक चलावे और रमाशकरको मार डाले तो इस अवस्थामे सम्भव है कि उमाशकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवशकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हुआ।

(ग) शिवशकर किसी चिटियाको मारन अथवा चुरानेके अभिप्रायसे चिटियापर बंदूक चलावे और रमाशकरको जो किसी झाडीके पीछे हो मारे और शिवशकरको यह न ज्ञात हो कि रमाशकर वहा है तो इस अवस्थामे शिवशकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी न होगा यद्यपि वह एक अनुचित काम करता था। क्योंकि उसने रमाशकरको मार डालनेके अभिप्रायसे बंदूक नहीं छोडी थी और न उसका यह अभिप्राय था कि ऐसे कामके करनेसे मृत्यु कीजावे जिससे वह जानता था कि मृत्यु होनेका भय है।

स्पष्टीकरण—१ जब कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको जो किसी रोग अथवा शारीरिक (जिस्मानी) निर्बलतामे फँसा हो, शारीरिक दुःख पहुँचाए और उसके द्वारा उसकी मृत्यु शीघ्रही हो जावे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मृत्युका कारण समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई हो तो जो मनुष्य उस दुःखको पहुँचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा जब कि उचित यत्नो और सावधानीके साथ औपधि करनेसे उसकी मृत्यु एकसकती हो।

स्पष्टीकरण—३ किसी बालकका मारना उसकी माताके गर्भमें ज्ञातवत् घात न गिना जायगा परन्तु किसी ऐसे जाँबित बालकका मारना कि जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत् घात हो सकेगा चाहे उस बालकने श्वास भी न ली हो और उमका जन्म भी न होचुका हो।

१—अपराधी एक मनुष्यके मारनेका कारण इस प्रकार पर हुआ कि उसने उसके पहलूमें एक पतला बांस मारा जो मोटाईमें एक इंचसे अधिक न था और उसकी चोटसे उस मनुष्यकी तिल्ली फट गई जिसमें कोई रोग था, अपराधी भारीचोट (जररवादीद) पहुँचानेका अपराधी प्रमाणित हुआ (वील्ली रिपोर्टर बिल्द २ सफा ३८)

२—अपराधियोंने एक चौरपर उसके पकड़े जानेके पश्चात् आक्रमण (हमला) किया और किसी २ ने उसे लात और घूँसे मारा और दो मनुष्योंने एक छोटे पीढेसे उसको दो एक चोटें लगाई और उसकी नाक तोड़ डाली। वह चौर दो घंटेके पश्चात् मरगया—सेवान जजने अपनी तजवीजमे लिखा कि वह पीढा भारी न था और डाक्टरकी गवाहीसे जान पडा कि उस चौरकी मृत्यु किसी चोटके कारण न हुई थी बरन बराबर कई एक चोटोंके लगानेसे हुई थी जो इस योग्य न थी कि मृत्युका कारण हों। तजवीज हुई कि प्रतिवादी (मुद्दाअखलेहुम) केवल भारी चोट पहुँचानेके अपराधी होगये थे क्योंकि उनके कामसे यह न प्रगट होता था कि उनका अभिप्राय ऐसी चोटके पहुँचानेका था कि जिससे मृत्युका होना सम्भव हो और न यह प्रगट होता

था कि उनको यह जानकारी थी कि वे अपने कामोमें कदाचित् मृत्युके कारण होंगे । (वीली रिपोर्टर-जिल्द ५ सफा ४१)

३—एक सपेरेने इस बातको जानकरभी कि उसने अपने सापका दाँत न तोड़ा था उस सापको एक तमाशा देखनेवालेके शिरपर रखदिया जिसको उसने काट खाया और वह तमाशा देखनेवाला मरगया । इसलिये वह सपेरा जातघातके अपराधका अपराधी हुआ और उसके मध्ये-दफा ३०४ व-३०४ (अ) के अनुसार इस बातपर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया था कि उस कामसे मृत्युके होनेका सम्भव था । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

४—अपराधीने अपनी स्त्रीको धरतीपर गिराकर अपना घुटना उसकी छातीपर रख दिया और दो तीन घुसे ऐसे जोरसे उसके शिरपर मारे कि उसके दिमागसे रक्त बहने लगा और वह तत्कालही अथवा थोड़ी देरके पश्चात् मरगई—तजवीज हुई कि अपराधी की इच्छा उसे मार डालनेकी न थी और जो शारीरिक चोट उसको पहुँचाई गई थी वह साधारण रीतिपर मृत्यु होनेके योग्य थी इसलिये अपराधी जातघातकी मृत्यु (कृतल अल्द) का अपराधी न हुआ था वरन् जातघातका अपराधी हुआ था जो जातघातकी सीमातक न पहुँचता था । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा ३४२)

(३००) उन अवस्थाओके अतिरिक्त जो नीचे मुस्तसना (छूट) की जाती हैं

जातघात. } जातघातघात जातघात होगा ।

पहिले—यदि वह काम जिसके कारणसे मृत्यु हुई हो इस अभिप्रायसे किया गया कि मृत्युका कारण हो, अथवा—

दूसरे—यदि काम ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेके अभिप्रायसे किया गया हो जिससे अपराधीकी जानकारीमें उस चोट पाए हुए मनुष्यका मरजाना सम्भवित है अथवा—

तीसरे—यदि काम किसी मनुष्यको कोई शारीरिक दुःखके पहुँचानेके अभिप्रायसे किया गया हो और वह शारीरिक दुःख जिसके पहुँचानेका अभिप्राय किया गया हो ऐसा हो कि प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफी हो, अथवा—

चौथे—यदि वह मनुष्य जिसने उस कामको किया है यह जानता हो कि वह काम ऐसा भारी जोखिमका है कि उससे मृत्यु अथवा शरीरका ऐसा दुःख होना अति सम्भवित है कि जिससे मृत्युके होनेका भय है और उस कामके करनेमें मृत्युका भय अथवा उपरोक्त दुःख (जरर) का भय उत्पन्न करना बिल्कुल बिना कारण हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकरने रमाशकरको मारडालनेके अधिप्रायसे उसपर बन्दूक चलाई और रमाशकरकी उससे मृत्यु हुई तो शिवशकरने जातघातका अपराध किया ।

(ख) शिवशकर यह बात जानबूझकर कि रमाशकर किसी ऐसे रोगमें फँसा है जिसके कारण और एकही घूँसे उसकी मृत्युका होजाना सम्भव है, उसको शारीरिक चोट पहुँचानेके अभिप्रायसे मारे और रमाशकर उस घूँसेके कारण मर जावे तो ऐसी अवस्थामे शिवशकर जातघातका अपराधी होगा, चाहे ऐसा घूँसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यकी मृत्युके लिये काफी न होता परन्तु यदि शिवशकर यह न जानकर कि रमाशकर किसी बीमारीमें फँसा हुआ है उसको एक ऐसा घूँसा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी नहीं है तो इस अवस्थामे शिवशकर, चाहे उसका अभिप्राय शारीरिक चोटके पहुँचानेका हो, जातघातका अपराधी नहीं परन्तु नियम (गर्त) यह है कि जब उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्युका कारण होती ।

(ग) शिवशकर तलवार या लठसे रमाशकरको जानबूझकर ऐसी चोट पहुँचाकर जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफी हो और रमाशकर उस चोटके कारणसे मर जावे तो इस अवस्थामे शिवशकर जातघातका अपराधी होगा चाहे रमाशकरको मार डालना उसके अभिप्रायमे न हो ।

(घ) शिवशकरने बिना कारण मनुष्योंकी भीड़में भरी हुई तोप चलादी और उसमेंसे एक मनुष्य मरगया तो इस अवस्थामे शिवशकर जातघातका अपराधी हुआ यद्यपि उसने पहिले किसी विशेष मनुष्यको मारडालनेका मनोरथ न किया हो ।

छूट १.

ज्ञातघात उस अवस्थामे ज्ञातघात न होगा जब कि अपराधीने किसी बड़े ज्ञातघात किसी } और तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामके कारण अपने आपमें न रह-
अवस्थामें ज्ञातघात न } कर उस मनुष्यको, जिसने वह क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न
होगा. } किया हो, मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात्से किसी
दूसरे मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ हो—

परन्तु ऊपर लिखी हुई छूट नीचे लिखे नियमोंके आधीन रहेगी,—

पहिले—यह कि, अपराधीने स्वयं उस तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामको न चाहा हो अथवा जानबूझकर इस अभिप्रायसे उस क्रोध दिलानेवाले कारणको न दूदा हो कि उसे किसी मनुष्यके मार डालने अथवा उसको हानि पहुँचानेका कारण होजावे ।

दूसरे—यह कि, वह तत्काल क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामसे न हुआ हो जो कानूनके वर्तनी करनेमे किया गया है अथवा जिसको किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके अधिकारके उचित वर्तनीमें किया हो ।

तीसरे—यह कि, वह क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामके कारणसे न दिलाया गया हो जो निज रक्षाका अधिकार कानूनानुसार वर्तनेमे किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—यह बात कि उस क्रोध दिलानेका कारण ऐसा बडा और एकाएकी (तात्कालिक) था या नहीं कि जिससे अपराधका ज्ञातघातकी सीमातक पहुचना रुकजावे, एक अन्न (काम) जांच करनेके योग्य है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकरने क्रोधकी अवस्थामे, जिसके दिलनेका कारण रमाशकरने उत्पन्न किया जानबूझकर रमाशंकरके बालक हरशकरको मारडाला—तो यह ज्ञातघातका अपराध हुआ; क्योंकि बालकने क्रोध नहीं दिलाया था और न उस बालककी मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थामे किसी कामके करनेसे अकस्मात् अथवा दैवगतिसे हुई ।

(ख) शिवशकरने रमाशंकरको अचानक और भारी क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया रमाशंकरने उस क्रोधके होतेही शिवशंकरपर पिस्तौल चलाया—परन्तु उसकी इच्छा उमाशंकरके मारडालनेकी, जो उसके समीपही खडा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी और न वह यह जानता था कि उमाशंकरका माराजाना सम्भव है—रमाशंकरने उमाशंकरको मार डाला तो इस अवस्थामे रमाशंकरने ज्ञातघातका अपराध नहीं किया वरन् केवल ज्ञातघातका किया ।

(ग) शिवशंकर कि जो नाजिरका पियादा है कानूनानुसार रमाशंकरको पकडे और रमाशंकर पकडनेके कारण यकायक क्रोधमें आकर शिवशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है क्योंकि वह क्रोध एक ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नौकरकी ओरसे उसके अधिकारके वर्तनेमे किया गया था ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाहकी रीति (तौर) पर उपस्थित (हाजिर) हो और रमाशंकर यह कहे कि मैं शिवशंकरकी गवाहकी एक शब्दपर भी विश्वास नहीं करता और शिवशंकरने झूठी शपथ (हलफ दरोगी) की है—और शिवशंकर इन बातोंसे यकायक क्रोधमें आजावे और रमाशंकरको मार डाले तो यह ज्ञातघात है ।

(च) शिवशंकर रमाशंकरकी नाक मरोडनेका उद्योग करे और रमाशंकर निज रक्षाका अधिकार वर्तनेमे शिवशंकरको इसलिये पकडले कि उसको इस कामके करनेसे रोके और शिवशंकर इस कारणसे यकायक भारी क्रोधमें आकर रमाशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है ।

क्योंकि वह क्रोध ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो निज रक्षाके अधिकारके वर्तनेमें किया गयाथा ।

(छ) शिवशकर रमाशकरको मारे और रमाशकर उस क्रोध दिला देनेके कारणसे अचानक क्रोधमें भर जावे और उमाशकर जो समीपही खडा हो इम इच्छासे कि इस क्रोधमें शिवशकरको रमाशकरसे मरवा डालनेका सुयोग मिल जाये रमाशकरके हाथमें एक छुरी देदे और रमाशकर उस छुरीसे शिवशकरको मारडाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि रमाशकर केवल ज्ञातवत्घातका अपराधी हो परन्तु उमाशकर ज्ञातघातका अपराधी होगा ।

छूट २.

ज्ञातवत् घात ज्ञातघात न होगा, यदि अपराधी शुद्धभावसे अपने तन अथवा धनके मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वर्तनेमें उस अधिकारसे बढजावे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है । और उस हानिसे, जो उस रक्षाके लिये अवश्य है, अधिक हानि पहुँचानेका पहिलेसे कोई शोच या विचार न करके उस मनुष्यको मारडाले जिसके रोकमें वह उस निज रक्षाके अधिकारको वर्तताहै ।

उदाहरण ।

शिवशकर रमाशकरको कोड़े मारनेका उद्योग करे इम प्रकारपरं कि, रमाशकरको भारी दुःख (जररशादीद) पहुँचे, और रमाशकर तमचा निकालले और शिवशकर उस उद्योगसे न रुके तब रमाशकर शुद्धभावसे यह समझ कर कि वह अपनेको किसी और यत्नसे कोड़े खानेसे नहीं बचा सकता शिवशकरको तमचा मारकर मारडाले तो रमाशकर ज्ञातघातका अपराधी नहीं हुआ बरन् केवल ज्ञातवत्घातका हुआ ।

छूट ३.

ज्ञातवत्घात ज्ञातघात न होगा यदि अपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा किसी ऐसी सरकारी नौकरकी सहायता कर रहा हो, जो सर्व सबधी न्यायके प्रचलित करनेका बर्ताव कर रहाहो उन अधिकारोंसे जो उसको कानूनानुसार प्राप्त है बढजाए और किसी ऐसे कामके करनेसे मृत्युका कारण हो जिसको वह शुद्धभावसे उचित और अपनी सरकारी नौकरकीका काम यथोचितके भुगतानेके लिये अवश्य समझता हो और उस मनुष्यसे जो मरा है कुछ शत्रुता न रखताहो ।

छूट ४.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामे ज्ञातघात न गिना जायगा जब कि वह एकाएकी अगडा होकर लडाईमें क्रोधकी अधिकताके कारण बिना पहिलेसे विचार किये होजाय और अपराधीने कोई अनुचित लाम न उटायो हो, अथवा निर्दयीनसे अथवा असाधारण रीतिसे कुछ काम न किया हो ।

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थाओंमें इस बातके विचारनेकी आवश्यकता नहीं है कि वह क्रोध किस ओरवालेने दिलाया अथवा पहिले किसने आक्रमण (हमला) किया ।

छूट ५.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामे ज्ञातघात न होगा जब कि यह मनुष्य जो मारा गया है अठारह वर्षसे अधिक अवस्थाका हो और वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए अथवा मारे जानेकी जोखिम उठाए ।

उदाहरण ।

शिवगकर रमाशकरको जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम है, बहकाकर उसके हाथ जानबूझकर आत्महत्या (खुदकुशी) करावे, तो इस अवस्थामें रमाशकर न्यून अवस्था होनेके कारण अपनी मृत्युके राज्ये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य न था. इस कारण शिवगकरने ज्ञातघातमें सहायता की ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३०० की छूट ५ का, ऐसे झगडेके मुकद्दमेसे सम्बन्ध नहीं है जो कि मुकद्दमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो । (६० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३१-)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०० का “ क्रोधदिलाना ” उस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे अपराधी अपने अधिकारसे बाहर होजावे और इस बातकी जाच करनेमें कि वह क्रोध उपरोक्त प्रकारका था या नहीं अपराधीकी उस दिली हालत (अन्तःकरणकी अवस्था) पर विचार करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलानेके समयमें हो । (६० ला० रि० मद्रास जिल्द २ सफा १२२)

३—झगडेके समयका बयान किसी-मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नहीं तो प्रमाण (सबूत) में वह बयान सुननेके योग्य न होगा । (६० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा २११)

४—अपराधी पर उसकी स्त्रीके वधका अपराध लगाया—गावाहीसे यह प्रमाणित हुआ कि अपराधीके जीमे इस बातका पूरा सन्देह उत्पन्न होगया था कि उसकी स्त्री किसी दूसरे मनुष्यसे फँसी हुई है—एक रातको उसकी स्त्री यह जानकर कि उसका स्वामी सोया हुआ है चोरीसे उसके पाससे उठकर चली गई, अपराधीभी एक कुल्हाडी लेकर उसके पीछे २ गया । उसने अपनी स्त्रीको उसके आशानाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर वातचीत करते पाया यह देखकर तत्काल उसने उस स्त्रीको जानसे मारडाला—तजवीज हाईकोर्टकी यह हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया है क्योंकि इस घटनासे “भारी और एकाएक क्रोध” का पहुँच ११ हस्वमग,य दफा ३०० छूट न० १ से प्रगट नहीं होता है कि जिससे ज्ञातघातका अपराध बदल कर ज्ञातवत्घातका होजावे । (६० ला० रि० जिल्द ८ खलाहाबाद सफा ६२२)

५—दो कैदियोंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एक लीके साथ उस मारे गए हुए मनुष्यको व्यभिचार करते देखकर उसको उसी समय और उसी स्थान पर मार डाला था—तजवीज हुई कि एकाएक क्रोध हो आनेके कारण जातघात कम होकर जातवत्घात होगया था जो जातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द १ सफा ७)

६—जब अपराधीने यह समझकर कि अमुक (फला) मनुष्य उसकी लीके साथ आधनाई रखता था उस मनुष्यको मार डालनेका भय डिल्लया और फिर उसको मार डाला तो तजवीज हुई कि अपराधीने जातघातका अपराध किया था और उसका काम दफा ३०० की छूट १ में नहीं गिना जासकता। (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द १ सफा ४६)

७—तीन भाइयोंने एक मनुष्यको अपनी वहिनके साथ लेंटा हुआ देखकर उसको मार डाला तजवीज हुई कि उनका काम दफा ३०० की छूट १ में गिना जायगा। (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ३८)

८—यदि कोई अठारह वर्षस अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुसक (नामर्द) करे और नपुसक किये जानेमें वह मरजावे तो नपुसक करनेवाला जातघातका अपराधी नहीं बरन् जातवत्घातका है (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७)

९—यदि कुछ मनुष्य लठवद इकट्ठे होवे और उनका अगुवा एक ऐमा मनुष्य हो कि जिसके यहा बंदूक हो और यह वृत्तान्त वह सब मनुष्य जानते हो और उनका अभिप्राय किसी मनुष्यका घन बलपूर्वक ले जानेका हो। तो यदि उन मनुष्योंमेंसे कोई मनुष्य बंदूक उठाकर उस मनुष्यको मार डाले जो उचित रीतिपर अपने मालके ले जानेमें रोक टोक कर रहा हो तो ऐसी अवस्थामें कुल मनुष्य हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १४९ के अनुसार जातघातके अपराधी गिने जासकते हैं। (कल्कत्ता ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४९)

१०—बधके अभियोगमें जजको फौसीका दण्ड देनेमें कुछ आगापीछा न करना चाहिये जब कि साक्षी (शहादत) पर विश्वास कर लिया जावे और उससे अपराध प्रमाणित समझा जावे। (वीह्नी रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६४)

(३०१) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा काम करनेसे जिससे उसकी यह इच्छा हो जिस मनुष्यके मारनेका अभिप्राय था उसके अतिरिक्त किसी औरको मारनेसे जातवत्घातका अपराध होना, अथवा जिससे इस कामका समझ उसकी जानकारीमें हो कि वह मृत्युका कारण होगा किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युका कारण हो कर ज्ञातवत्घातका अपराध करे जिसकी मृत्युके कारण होनेकी न तो उसने इच्छा की न उस कामका समझ उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण हो तो यह ज्ञातवत्घातका अपराध जिसका वह अपराधी हुआ है उसी प्रकारका है जो उस अवस्थामें होता जब कि अपराधी उस मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ होता जिसकी मृत्यु उसकी इच्छामें थी अथवा उस कामका समझ उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण होगा।

१—किसी मनुष्यने अपनी आशनाके स्वामीको मारनेके अभिप्रायसे अंधेरी रातमें घात लगाई और मूलसे किसी राहगीरको मार दिया तो ऐसी अवस्थामें उसे ज्ञातघातके अपराधमें फौसीका दण्ड दिया गया । (देखो मोरले साहबकी डायजेस्ट जिल्द ३ सफा १२५)

(३०२) जो कोई मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हो उसको बधका दण्ड
दण्ड ज्ञातघात. } अथवा देश निकालेका दण्ड दिया जायगा और वह शुभानिके
भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम चारट जारी होगा (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई मनुष्य जो किसी दूसरे देशमें रहता हो ब्रिटिश इंडियामेंसे किसी मनुष्यको भगा ले जाए और दूसरे देशमें उसको मारडाले तो ब्रिटिश इंडियामें उसकी तजवीज केवल भगा ले जानेके अपराधके मध्ये होसकती है । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा ३९)

२—जब कभी कोई गर्भिणी स्त्री ज्ञातघातका अपराध करे तों उसको बधका दण्ड न देना चाहिये । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा १५)

३—केवल इस बातसे कि बध किये मनुष्यकी लाश नहीं मिली कोई कारण अपराधीको ज्ञातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३८३)

४—अपराधीपर जो गांजाका पीनेवाला था ज्ञातघातका अपराध अपनी स्त्री व छोटे बच्चेके मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि मैंने अपनी स्त्रीको मारडाला है इस कारण कि वह मुझसे झगडा करती थी और दूसरे गांवमें चलनेके लिये मना करती थी जहां मैंने अपनी दरिद्रता (गरीबी) के कारण जानेका निश्चय किया था साहब जजने इस बयानसे अपराधीपर ज्ञातघातका अपराध निश्चय किया और उसे फौसीका सजाकी आज्ञा बमजरी हाईकोर्टके दी तजवीज हुई कि अपराधीका बयान ज्ञातघातके अपराधीकी सीमातक नहीं है उसने एकाएकी क्रोधके आजानेका बयान किया—इस बातकी जांच करनी चाहिये—और यह भी तजवीज हुई कि गांजापीनेके कारण अपराधीकी दशा एक रोगीकीसी होगई थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका फल जानने योग्य न रहा था—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ८४ उससे सम्बन्ध नहीं है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १४ सफा ५६४)

(३०३) जो कोई मनुष्य जिसके मध्ये जन्मभरके लिये देश निकालेके दण्डकी
दण्ड उस ज्ञातघातका } आज्ञा होचुकी हो ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको बध का
जो कोई जन्म मीमादी } दण्ड दिया जावेगा ।
बैधुजा कर डाले.

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

नोट—प्रत्येक मनुष्यको, चाहे वह प्रेसीडसी बाहरके भीतर रहता हो अथवा बाहर, जो अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०२ व ३०३ व ३०८ के अनुसार किमी मनुष्य द्वारा होनेका वृत्तान्त उसे ज्ञात होजावे, उचित है कि ऐसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी सूचना सबसे निकटके मजिस्ट्रेट अथवा अपसर पोलीसको दे दे । (दफा ४४ मजम्मा जाब्हा फौजदारीको देखो)

(३०४) जो कोई मनुष्य ऐसे ज्ञातवत्घातका अपराधी हो जो ज्ञातघातका सीमा-दंडज्ञातवत्घातका जो } तक न पहुचता हो तो उस मनुष्यको जन्ममरके देश निकालेका ज्ञातघातक न पहुचे. } दंड दिया जायगा अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा परन्तु नियम यह है कि वह काम जिससे मृत्यु हुई मृत्युका कारण होनेका इच्छासे या ऐसी शारीरिक चोटका कारण होनेका इच्छासे किया गया हो कि जिससे मृत्युके होनेका सम्व है; अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्ष-तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे परन्तु नियम यह है कि उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया गया हो कि उससे मृत्युका होना सम्व है परन्तु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐसी शारीरिक चोट पहुचे कि जिससे मृत्युका होना सम्व है ।

- टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

१—एक छोटेसे झगडेमें अपराधीने मारे गए हुए मनुष्यकी पीठमें ऐसे जोरसे बक्का मारा कि वह मंडकपर जो दाई हाथ नीचे थी गिरपडा और उससे ऐसी चोट पहुँची कि वह पाचवें दिन मरगया तजवीज दुर्द कि अपराध ज्ञातवत्घातका है ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता (३० ला० रि० मद्रास जिल्द २ सफा २२४)

२—हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ शब्द (अ) ऐसे मुकद्दमसे सम्बन्धित नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी मनुष्यकी ओरसे कोई अपराध किया जावे (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफा ७६४)

३—हाकिम अदालतको ज्ञातवत्घातके अपराधमें केवल इसही बातपर मरौसा न करना चाहिये कि मारा गया हुआ मनुष्य तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था, वरन् उसको इस बातपरभी विचार करना चाहिये कि अपराधी इस बातसे जानकार था या नहीं कि उस मारे गए हुए मनुष्यको उपरोक्त रोग है और उसको चोट पहुँचानेसे बीमारीके कारण उसके प्राण निकल जानेका मय है अथवा नहीं । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८१५)

४—जय किसीकी मौने जानबूझकर अपने लडकेको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि वह छोड-नेके कारण मृत्युको प्राप्त हो और वह लडका छोडनेके कारण मरजावे तो उसको केवल दफा ३०४

अनुसार दण्ड दिया जासकता है न कि दफा ३१७ व ३०४ दोनोकेही अनुसार । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

५—एक सपेरेने सर्व साधारणके सामने एक विषैले सौंपका तमाशा किया जिसके विषैले दौंत उसकी जानकारीमे नही निकाले गये थे परन्तु किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेकी इच्छा विना उसने सौंपको तमाशा देखनेवाले एक मनुष्यके शिरपर बिठा दिया उस मनुष्यने सौंपके हटानेका यत्न किया सौंपने उसको काट खाया और वह मरगया—तजवीज हुई कि सपेरेके ज्ञातघातका अपराध ज्ञातघातकी सीमातक नही पहुँचता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३५१)

६—शामको (म) ने एक कारीगर (न) को अपनी स्त्रीके साथ व्यभिचार करते हुए देखा और सुबहको जब बदनचलनीके कारण उसके हृदयमे क्रोध आया तब वह (न) के निकट आया और एक हथियारसं उसको उसी स्थानपर मारडाला तजवीज हुई कि वह क्रोध उचित रीतिपर था जिसके कारण वह अपने आपसे वाहर होगया और ज्ञातघातका अपराध घटकर ज्ञातवत् घातका हो गया । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ३ सफा ३३)

७—(न) रेलवे कम्पनीका नौकर था उसके सिपुर्द चकरांक चलानेका काम कुलियोके द्वारा था, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ किया और इस कारण चक्कर उससे छूट गया । उसके आज्ञा देनेके अनुसार कुलियोमेस एक कुलीने चक्करके टहरा देनेका यत्न किया और वह उसकामके करनेमे मरगया—तजवीज हुई कि (न) का काम असावधानीके कारण दफा ३०४ (अ) के अभिप्रायानुसार हुआ जिससे उस कुलीकी मृत्यु हुई । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २४८)

८—एक कविराजने बवाधीरके मस्ते काटनेमे साधारण चाकसे एक मनुष्यपर डाकटरी वर्त्ताव किया परन्तु वह मनुष्य मरगया—तजवीज हुई कि अपराधी चीड़ फाड़के काममे अशिक्षित था और उसको इस काममे मछी प्रकारसे जानकारी न थी इस लिये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ (अ) के अनुसार यथोचित दण्डकी आज्ञा हुई थी । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५६६)

९—एक बुढ़ी स्त्रीने जिसकी अवस्था ७० वर्ष की थी अठारह वर्षके लडकेको इस प्रकार मारा कि उस मारसे वह मरगया—असिस्टन्ट कमिश्नरकी यह राय थी कि उस स्त्रीने लडकेको शिक्षा देनेके अभिप्रायसे मारा था—जैसा कि बहुधा माँ बाप अपने नालायक लडकोके साथ किया करते हैं—तजवीज हाईकोर्टे यह हुई कि असिस्टन्ट कमिश्नरको मुकद्दमेके निवटानेका अधिकार न था उसका काम अदालत सेगनमे अपराधीको दफा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार सिपुर्द करनेका है (चीफ़ी रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

(३०४) (अ) यदि कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफलतके कामसे असावधानी करनेसे } किसी मनुष्यको ऐसी मृत्युका कारण हो जो ज्ञातवत् घातकी मृत्युका कारण होना, } सीमातक न पहुँचे तो उसको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड उसकी आदतक होगा जो दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगें ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीम दत्तन्दाजी करमकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(इन सभहके अध्याय ४ व ५ व २३ उन अराधोसे सम्बन्ध रखते है जा उस उपरोक्त दफाके अनुसार दण्डके योग्य हैं)

१—अपराधियोने एक चोरको इतना मारा कि वह मर गया—उसकी लाश पर मारके १४१ चिह्न थे—उसकी कई पसलियांभी टूट गई थीं—तजवीज हार्डवोर्टकी यह हुई कि ऐसे मुकदमेमें दफा ३०४ (अ) का सम्बन्ध नहीं है बरन् अपराधीको दफा ३०४ के अनुसार दण्ड होना चाहिये (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द ५ सफा २३५)

२—सरकारी घाटका एक ठेकेदार जिसका काम मुसाफरोंको नदीमें आरपार करनेका था एक टूटी फूटी नावसे काम निकालता था नाव टूटी फूटी होनेके कारण, जब नि वह नदीमें पार होरही थी डूब गई और कुछ मनुष्य जो उसमें सवार थे डूबकर मर गये । तजवीज हुई कि ठेकेदार घाट दफा ३०४ (अ) के अपराधका अपराधी है । (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द १६ सफा ४७२)

३—अपराधीको दफा ३०४ (अ) के अनुसार कैदका दण्ड दिया जाकर जुर्मानेका भी दण्ड दिया गया और वह जुर्मानेका रुपया मारे गए हुए मनुष्यकी विधवा स्त्रीको दिलाया गया, तजवीज हुई कि यह रुपया विधवाको दिया जाना अनुचित है । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १२ सफा ३५२)

(३०५) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम हो अथवा कोई दूध अथवा सिडीका आत्महत्यामें सहायता करना. सिडी अथवा त्रेहोरा, अथवा जन्ममूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उसे आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको बचका दंड अथवा जन्मभरके देश निकालेका दंड अथवा ऐसी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दस वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

(३०६) यदि कोई मनुष्य आत्मघातका अपराध करे और जो कोई मनुष्य उस आत्महत्यामें सहायता करना. आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उनको दोनो प्रकारोमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद दस वर्षसे अधिक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

१—कुछ अपराधियोंमेंसे एक अपराधीने सतीकी चिता जलानेमें सहायता की और दूसरे अपराधीने उस स्त्रीको जो चितासे आग जलनेके पश्चात् उठ गई थी फिर चिता पर बिठलानेका यत्न किया इसलिये पहिला मनुष्य ज्ञातघातके अपराधका अपराधी समझा गया और दूसरा मनुष्य आत्मघात करनेमें सहायक प्रमाणित हुआ (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफा १७४)

(३०७) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारी और ऐसी

ज्ञातघातका उद्योग, } अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण होता तो ज्ञातघातका अपराधी होता, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे

किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुंचे तो अपराधी जन्मभरके देश निकालेके दंडके अथवा उस दंडके योग्य होगा जिसका वर्णन इस दफामें पहिले किया गया है ।

जिस अवस्थामें कि कोई मनुष्य जो उपरोक्त दफाके अनुसार जन्मभरके देश निकालेके दंडको भुगत रहा हो उस अवस्थामें यदि किसी मनुष्यको चोट पहुंचावे तो उसको वधका दंड हो सकता है ।

(यह नीचेका टुकड़ा दफा ११ ऐक्ट न० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढ़ाया गया है)
टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर उमाशंकरको मारडालनेकी इच्छासे ऐसी अवस्थामें उसपर बंदूक चलाए कि यदि उससे मृत्यु होती तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होता तो शिवशंकर इस दफाके अनुसार दण्डके योग्य है ।

(ख) शिवशंकर किसी छोटे बच्चेको मारडालनेके अभिप्रायसे उसको किसी उजाड़ स्थानमें डाल दे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है । चाहे उस लड़केकी मृत्यु न हुई हो ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे एक बंदूक मोल ले और उसको मरे तो अभी शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है फिर शिवशंकर रमाशंकरपर बंदूक चलाए तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है और यदि उस बंदूक के चलानेसे रमाशंकर घायल होजावे तो शिवशंकर उस दण्डके योग्य होगा जो इस दफाके निचले टुकड़ेमें ठहराया गया है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरको विषसे मार डालनेकी इच्छा करके विष मोल ले और उसको उस खानेमें मिला दे जो शिवशंकरकी सिपुर्दगीमें रहता हो तो अभी शिवशंकरने उस अपराधको नहीं किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है फिर शिवशंकर उस खानेको रमाशंकरके पास

धरे अथवा रमाशकरके नौकरोंको देदे कि वह उसको रमाशकरके आगे रख दें तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इन दफामें किया गया है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यके गिरमे तीन लाठियों उसके मारखालनेके अभिप्रायसे मारी, वह मनुष्य बेहोश होकर धरतीमें गिरपड़ा, अपराधीने यह निश्चय करके कि वह मरगाया, उस-श्रौपट्टेमें जिसमें वह पड़ा हुआ था, इस अभिप्रायसे आग लगादी कि जिससे अपराध होनेका प्रमाण न मिल सके । डाक्टरकी गवाहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने जो चोट मारी थी वह मृत्युका कारण न थी और न वह मृत्युका कारण हुई यथार्थमें मृत्यु जलादेनेके कारण ही हुई । तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधी दफा ३०७ के अनुसार जातघातका अपराधी है पारसन्स साहब जस्टिसकी यह राय थी कि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार जातघातके अपराधका अपराधी है (३० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा १९४)

(३०८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारीसे अथवा जातवत् घातके अप- } ऐसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण धका उद्योग. } हो तो वह उस जातवत्घातके अपराधका अपराधी हो जो जात-घातकी सीमाको नहीं पहुचता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेगे ।

और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुचे तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

शिवशकरने एकाएकी किसी भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण रमाशकरके ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई जब कि कदाचित् रमाशकरकी मृत्यु होजाती तो शिवशकर उस जातवत्घातके अपराधका अपराधी गिना जाता जो कि जातघातके तुल्य नहीं है तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेधन (२) पोलीस दस्तदाजी करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३०९) जो कोई मनुष्य आत्मघातके अपराधका उद्योग करे और कोई ऐसा आत्मघात करनेका } काम करे जो उपरोक्त अपराधके किये जानेकी ओर झुकता उद्योग. } हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो-दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—एक लो कुएमे गिरकर आत्मघात करनेके अभिप्रायसे कुएके समीपतक दौड़ी गई और वहां वह पकड़ ली गई उसको आत्मघात करनेके उद्योगमे दफा ३०९ के अनुसार दण्ड दिया गया तबवीज हुई कि अपराधिनीका दंड अनुचित है । (इ० ला० रि० मद्रास-जिब्द ८ सफा ५०)

(३१०) जिस मनुष्यने इस ऐक्टके जारी होनेके पीछे किसी समय, किसी और ठग, } मनुष्य अथवा और मनुष्योके साथ स्वभाविक (आदतन) इस } अभिप्रायसे मिलाप रक्खा हो कि ज्ञातघातके द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत बलपूर्वक चोरी (सरका बिलजब्र) अथवा बालकोकी चोरीका अपराध करे वह ठग कहलाया जावेगा ।

(३११) जो कोई मनुष्य ठग हो उसको जन्मभरके देश-निकालेका दंड दिया-
दंड, } जावेगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३०२ के अनुसार है ।

गर्भ गिराने; बिना उत्पन्न हुए बच्चोंको हानि पहुंचाने; बच्चोंको बाहर डाल देने और पैदायश छुपानेके विषयमें ।

(३१२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी स्त्रीके गर्भ गिरानेका कारण हो तो गर्भ गिराना, } यदि वह गर्भपात शुद्धभावसे उस स्त्रीका जीव बचानेके लिये न } किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावंगे और यदि उस स्त्रीके पेटके बच्चे जान पडगई हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस दफाके अभिप्रायमें गिनी जायगी ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—प्रत्येक स्त्री हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१२ के अभिप्रायानुसार तत्काल ही जब कि वह गर्भिणी हो जावे वच्चा उत्पन्न करनेवाली समझी जायगी। (६० ला० रि० मद्रास जिल्ड ९ सफा ३६९)

(३१३) जो कोई मनुष्य स्त्रीकी प्रसन्नता बिना उस अपराधका अपराधी हो बिना स्त्रीकी प्रसन्नताके } जिसका वर्णन इसके पहिलेकी पिछली दफामें किया गया है, चाहे गर्भ गिराना. } उस स्त्रीके पेटके वच्चेमें जाँव पड़गया हो अथवा नहीं, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जायगा जिसका मीआद दश वर्षतक होमकर्ता है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेजन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकनी (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमाना नहीं हो सकनी (५) राजीनामा नहीं है।

(३१४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे कोई ऐसा काम मृत्यु जो किसी ऐसे कामके कारण हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया जाय } करे जो उस स्त्रीका मृत्युका कारण हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

और यदि वह काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया जाय तो या तो—उस जन्मभरके - यदि काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया गयाहो. } दण्ड निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा वह दण्ड दिया जावेगा जिसका वर्णन पहिले किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके लिये अपराधीको यह जाननेका आवश्यकता नहीं है कि उस कामसे मृत्युके होनेका समावना है।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है।

१—अपराधीने एक स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे उनको दवा दी और वह स्त्री उसके खानेसे मर गई परन्तु यह बात न प्रमाणित हुई कि अपराधी इस बातको जानता था कि इस दवासे मृत्युके हो जानेका भय है। हाईकोर्टने अपराधीको जातघातके अपराधसे बरी किया परन्तु हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१४ के अपराधमें उसको दण्ड दिया। (बीबी रिपोर्ट्स जिल्ड १० सफा ५९)

(३१५) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेके उत्पन्न होनेसे पहिले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उसके कारणसे उस बच्चेको जीवित उत्पन्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्पन्न होनेके पीछे उसकी मृत्युका कारण हो और यथार्थमें ही उसके ऐसे कामके द्वारा वह बच्चा जीवित उत्पन्न होनेसे रुक जावे अथवा उत्पन्न होनेके पीछे मरजावे तो यदि वह काम माँका प्राण बचानेकी इच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

(३१६) जो कोई मनुष्य ऐसी अवस्थामे कोई काम करे कि यदि उसके द्वारा मृत्यु हो जाती तो वह ज्ञातवत्घातका अपराधी होता और उस कामके द्वारा किसी जीवित बच्चेकी मृत्यु करे जो अभीतक उत्पन्न नहीं हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

उदाहरण ।

गिबशकर यह जानकर कि इस कामके करनेसे किसी गर्भवती स्त्रीकी मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम करे कि कदाचित् उससे उस स्त्रीकी मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवत्घातके समान गिना जाता, उस कामसे उस स्त्रीको दुःख तो हुआ परंतु मरी नहीं हा उसके गर्भमें जो बालक था और उसमें जीव पड गया था वह उस दुःखके कारण मर गया तो गिबशकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

(३१७) जो कोई मनुष्य किसी बारह वर्षसे न्यून आयुवाले लड़केका बाप अथवा मां बाप अथवा किसी रक्षक मनुष्यका बारह वर्षसे न्यून आयुके बच्चेको डालदेना अथवा छोड देना, मां अथवा रक्षक होकर उस लड़केको किसी स्थानमे इस अभिप्रायसे डाल दे अथवा छोड दे कि उसका सन्नध छूट जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

स्पष्टीकरण—इस दफासं यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाल देनेसे वह

लडका मर जावे तो अपराधीका विचार ज्ञातघात अथवा ज्ञातवर्तघातके अपराधमे जैसी कि अवस्था होवे न किया जावे ।

टीप—दफा ३१३ के अनुसार है ।

१—अपराधिनीने अपने बच्चेको इस अभिप्रायसे छोड़ दिया कि उसका इस प्रकारसे छोड़ा जाना मृत्युका कारण होगा और बच्चा भी उसी प्रकारसे छोड़े जानेके कारण मर गया तजवीज हुई कि उस लीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित करना चाहिये था न कि दफा ३०४ व ३१७ के अनुसार । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३४९)

२—एक लीके उस समय बच्चा उत्पन्न हुआ जब वह अपने मायकेमें रहती थी और उस समय उसका पति कश्मीरमें था—उपरोक्त लीकी मां उस बच्चेको उस लीके पतिकी बाहिनके यहाँ ले गई और वह बच्चा नगा उसकी गोदमें रख दिया और कहा कि यह तेरे भाईका लडका है उस लीकी मा चली आई और वह बच्चा कुछ घटोके पीछे मर गया तजवीज हुई कि उस लीकी माने कोई अपराध दफा ३१७ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार नहीं किया और न उस लीने ही उस अपराधके करनेसे सहायता की । (पञ्जाब रिकार्ड न० ३३ सन् १८७२ ई०)

-- (३१८) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेको लाशको गुप्त रूप गाढ करके अथवा और किसी बालककी लाश } किसी भाति अलग करके उसका उत्पन्न होना जानवृत्तकर छुपा-
को चुपकेसे अलग करके } वेगा अथवा छुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह बालक उत्पन्न
उसकी पैदायशको छुपाना } होनेसे पहिले मरा हो चाहे पीछे—उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी
प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका
दण्ड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेवान या ग्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस इन्स्पेक्टर
कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजी-
नामा नहीं है ।

१—किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१८ के अनुसार उस अवस्थामे अप-
राध नहीं ठहराया जा सकता जब कि उसने चार महीनेके पुतलेको छिपाया हो (रिपोर्ट हाईकोर्ट
मदरास एडकस जिल्द ४ सफा ६३)

दुःख (जररके) वयानमें ।

(३१९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको शारीरिक पीडा अथवा शारीरिक रो-
दुःख । } अथवा शारीरिक निर्वलता पहुँचावे तो कहा जायगा कि उसने
दुःख पहुँचाया ।

भारी दुःख. } (३२०) नीचे लिखे प्रकारोंका दुःख भारी दुःख कहलावेगा

पहिले—किसीको हिजडा बना देना—

दूसरे—किसी एक आंखको सदैवके लिये फोड़ देना—

तीसरे—किसी एक कानकी श्रवणशक्तिको सदैवके लिये रहित कर देना—

चौथे—किसी अङ्ग अथवा जोड़को नष्ट कर देना—

पांचवें—किसी अंग अथवा जोड़को सदैवके लिये तोड़ डालना अथवा निर्वल
कर देना—

छठवें—शिर अथवा चेहरेको सदैवके लिये कुरूप कर देना—

सातवें—किसी हड्डी अथवा दातका तोड़ डाला जाना अथवा उखाड़
डाला जाना—

आठवें—कोई दुःख जो जीवको जोखिममे डाले अथवा उस मनुष्यको जिसको दुःख
दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीडा सहावे अथवा उसको अपने साधारण उच्च-
मके करनेके अयोग्य कर दे ।

(३२१) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कोई काम करे कि उसके द्वारा किसी
जानबूझकर दुःख पहुँचावे } मनुष्यको दुःख पहुँचाए अथवा इस कामके होनेको सम्भावित
जाना. } जानकर कि उस कामके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट पहुँचा-
वेगा और उसके द्वारा वह किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुँचावे तो कहा जायगा कि
उसने जानबूझकर दुःख पहुँचाया ।

(३२२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर दुःख (जरर) पहुँचावे तो यदि वह दुःख
जानबूझकर भारी } जिसका पहुँचाना उसकी इच्छामे हो अथवा जिसको वह
दुःख पहुँचाना. } जानता हो कि उससे उसके पहुँचानेका समभव है भारी दुःख
(जरर शरीर) हो और जो दुःख (जरर) उसने पहुँचाया है वह भारी दुःख है तो कहा
जायगा कि उसने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया ।

स्पष्टीकरण—यह बात कि एक मनुष्यने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया, न
कही जायगी सिवाय इसके कि वह भारी दुःख पहुँचाये और उसकी यह भी इच्छा हो अथवा
इस कामके होनेका समभव उसकी जानकारीमे हो कि उस कामके द्वारा भारी दुःख (जर-

रशदीद) पहुचंगा परन्तु यह वह इच्छा करके अथवा इस कामके होनेका सम्भव जानकर कि वह एक प्रकारका भारी दुःख पहुचावेगा वास्तवमे किसी और प्रकारका भारी दुःख पहुचाए तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने जानबूझकर भारी दुःख पहुचाया ।

उदाहरण ।

शिवशंकर इस अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि रमाशंकरक चेहरेको सदैवके लिये कुत्प करदे रमाशंकरके एक चोट लगाए जो रमाशंकरके चेहरेको सदैवके लिये तो कुत्प न करे परन्तु उसके कारणसे बीस दिन तक रमाशंकरको कठिन शारीरिक पीडासे फेसाया रखे तो शिवशंकरने जानबूझकर भारी दुःख पहुचाया ।

१—(क) ने (ख) और (ग) को आशदी कि तुम (घ) को बलपूर्वक पकड ले जाकर उसपर आक्रमण करो—इसपर (घ) इतना मारा गया और उमे दुःख पहुचाया गया कि निचके कारण वह मर गया—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि (क) जान बूझकर भारी दुःख पहुचानेके अपराधकी सहायताका अपराधी है । (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ६१)

(३२३) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अनिरिक्त जिसके मध्ये ठफा ३३४ में जानबूझकर दुःख पहुचावे— } आज्ञा है जानबूझकर दुःख पहुचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों चानेका दंड । } प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है ।

१—अपराधीने, कि जिसे उसकी छानि भारी क्रोध दिलाया, दोनो हाथोसे बल पूर्वक पृथ्वीपर उस स्त्रीको गिरा दिया, और जब वह नीचे गिरगई तब उसको कई एक थप्पड मारे इन दुःखसे स्त्री मर गई—डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी लासपर कोई भारी मारके चिह्न न थे, परन्तु उसकी तिल्ली बढी हुई थी और उसकी मृत्यु तिल्ली फटनेके कारण हुई ऐसी अवस्थामें अपराधी केवल दुःख पहुचानेका अपराधी ठहराया गया न कि जातवत्घातका । (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ९७)

२—जब किसी मनुष्यकी तजवीज जब मुजरिमानाके मध्ये की जावे और वह उस अपराधसे छूट जावे तो फिर उसपर उसी कानके मध्ये दुःख (जरर खफीक) पहुचानेका अपराध नहीं ठहगाय जा सकता । (वीङ्गी रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३)

३—अपराधीके पला झलनेवाले मनुष्यकी तिहाल (तिहली) मे कोई रोग था और अपराधी इस बातको न जानता था—अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्तीके कारण दो एक बार मारा और जो चोट कि उसको पहुँची वह उसकी मृत्युका कारण हुई—यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी नहीं तजवीज हुई कि अपराधी हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२३ के अनुसार दुःख (जर) पहुँचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ५२२)

४—एक ओर चिरजी और दूसरी ओर इन्दर और बच्चामे लडाई हुई चिरजीने इन्दरको गाली दी इसलिये इन्दरने उसको एक छडी मारी और बच्चाने चिरजीके शिरमे कुल्हाडी मार कर उसको गिरा दिया इसके अतिरिक्त चिरजीके शरीरमे औरभी दो चोटें कुल्हाडीकी थीं—चिरजी शिरकी चोटके कारण मरगया—सेशन जजने इन्दर और बच्चाको दफा ३०४ का अपराधी ठहराया और फिर उन्हें दश वर्षकी कठिन कैदका दंड दिया गया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि इन्दरका काम बच्चाके कामसे अलग था इसलिये मुकद्दमा हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३८ में दाखिल था—इसलिये इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनेके कठिन कैदका दंड देना चाहिये । (वीकली नोटिस इलाहाबाद क्रिताव माह फरवरी सन् १८८२ ई० सफा २३)

(३२४) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३४ में जोखिम हथियारों } आज्ञा है तौर अथवा गोली त्यादि छोडने अथवा भोंकने अथवा अथवा उपायो द्वारा जा- } काटनेके किसी हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा जिसको नबूझकर दुःख पहुंचाना. } हथियारकी मांति काममे लाए तो उसके कारणसे मृत्युका होना अति समबित्त है अथवा आग अथवा किसी गर्म किये हुए पदार्थके द्वारा अथवा विष अथवा शरीरको गलित करनेवाले पदार्थ द्वारा, अथवा भ्रूसे उड़जानेवाले किसी पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने अथवा निकालने अथवा रुधिरमें पहुंचानेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो, अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर दुःख पहुंचाये तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीमाद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा अन्वल अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा हो सकता है जब कि उस अदालतसे आज्ञा लीजाय कि जिसके सामने मुकद्दमा पेश है ।

१—जब कुछ मनुष्य मिलकर किसी मनुष्य पर आक्रमण (हमला) करे और फल यह हो कि उस मनुष्यका हाथ टूट जाए तो भारी दुःख (जरशादीद) के पहुँचानेका अपराध समझा जायगा न कि आक्रमणका । (वीकली रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १२)

२-किसी कानूनविद्द जमावको जिसके दूसरी साक्षी भारी दुःख (जररशदीद) के अपराधी हुए हों बलवा के अपराध और जररशदीदके अपराधमें अलग २ दंड नहीं दिया जा सकता (२० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

३-भारी दुःख (जररशदीद) अपराधमें केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये बरन् कैद जुर्माना दोनो होना चाहिये ।

४-जिस मनुष्यपर जररशदीदका अपराध ठहराया जावे वह तजवीजके लिये सेवानमें सिपुर्द होना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बर्द जिल्द १ सफा १०१)

(३२५) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३५ में जानबूझकर भारी } आज्ञा है जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचावे तो उस मनु-
दुःख (जररशदीद) } ष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा
पहुँचानेका दंड. } जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१-अपराधीने एक लीके शिर और कन्धेको जिसकी गोदमें बच्चा या दुःख पहुँचाया जिसकी चोटसे बच्चा मरगया-तजवीज हुई कि वह मनुष्य भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६२३)

२-(ब) ने जानबूझकर (न) को जो तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था इस निश्चयसे कि उसको जररशदीद पहुँचे दुःख (जरर) पहुँचाया परतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था-(न) उस दुःखके कारण मरगया-तजवीज हुई कि विचार अपराधीका जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके अपराधमें होना चाहिये । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७६६)

३-एक मनुष्यने एक टुकड़ा ईटका एक मनुष्यको मारा जो उसकी तिल्लीपर लगा और जिसके कारण वह मरगया-यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज हुई कि अपराध जानबूझकर दुःख पहुँचानेका है । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५९७)

४-जब कोई मनुष्य दूसरेको एक ऐसा धूँसा जो मृत्युका कारण हो बिना इच्छा मृत्युके मारे वह जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७७६)

५-किसी कानूनविद्वद् जमावको जिसके कुछ साक्षियोंने भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाया हो-कानूनानुसार बलबके अपराध और जररगदीदके अपराधमें दंड नहीं होसकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा १२१)

६-तीन मनुष्योंको, जो अपराधी बलवा करनेके थे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १४७ के अनुसार और उपरोक्त बलवाके समय भारी दुःख (जररशदीद पहुँचानेके हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३२५ के अनुसार ठहराए गए थे-छः, २ महीनेका दण्ड दफा १४७ में और तीन तीन महीनेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमें हुआ पियरम साहब चीफ जस्टिस और स्टेट साहब व टरल साहबने तजवीज की कि मिसलकी गवाहियोंसे जान पडता था कि तीनों अपराधियोंने अलग २ कामोका अपराध किया था जिनसे अलग २ भारी दुःख (जररगदीद) पहुँचानेका अपराध विना सम्बंध बलबके अपराधके उत्पन्न हुआ था इसलिये दफा १४७ व ३२५ के अपराधमें अलग २ दण्ड दिया जाना अनुचित न था । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७५७)

(३२६) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा ३३६ में

जोखिम हथियारों अथवा उपायोंके द्वारा जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाना, } आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोकने या काटनेके हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा, जिसको हथियारकी भांति काममें लाए तो उसके कारणसे मृत्युके होनेकी सम्भावना हो अथवा आग या किसी गर्म किये हुये पदार्थके द्वारा अथवा विष या शरीरको गलित करनेवाले पदार्थके द्वारा अथवा भक्से उड जानेवाले पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने या रुधिरमें पहुँचाने या निगलनेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर भारी दुःख (जरर शदीद) पहुँचाए तो उस मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमांदा दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१-प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने दफा ३२६ के अपराधमें अपराधीको दो वर्षकी कठिन कैदका दण्ड दिया-लोकल गवर्नमेंटने दण्डको मुनासिब न समझकर हाईकोर्टसे दुबारा तजवीज होनेका विचार किया तजवीज हुई कि दफा ३२६ के अपराधमें जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा १० वर्षकी कठिन कैद या जुर्मानेका दण्ड नियत है-प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटको चाहिये या कि अपराधीको तजवीजके लिये हाईकोर्टके सिफुर्द करते । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ५८)

(३२७) जो कोई मनुष्य, जानबूझकर इस अभिप्रायसे दुःख पहुंचाए कि उस

दबाकर कोई माल लेनेके लिये (मालका इस्तेहसाल विलजज) अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख (जरर) पहुंचाना.

दुःख सहनेवाले मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखताहो, किसी माल अथवा किफालतुलमाल को दबाकर प्राप्त करे अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो, कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनविरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होजाना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दामी कर सकती है (३) अपराधोंके नाम चारट जारी होगा (४) विला जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यको एक काटेदार पेडकी डालीसे इस इच्छासे कोड़े मारे कि उससे कोई धन बलपूर्वक ले—मजिस्ट्रेटने दफा ३२३ के दुःख (जरर खफीफ) का अपराध और दफा ३८४ के अन्यायपूर्वक धन लेने (इस्तेहसालविलजज) का अपराध उसपर प्रमाणित किया, चरफि उस पर हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३२७ के अनुसार अभियोगका विचार करना चाहिये था । (बीक्री रि० जिल्द १८ सफा ८)

(३२८) जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका विष अथवा कोई अचेत करनेवाली

दुःख (जरर) आदि पहुंचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली औषधि खिलाना.

अथवा नशा खानेवाली अथवा आरोग्यतामें हानि पहुंचानेवाली औषधि अथवा दूसरा पदार्थ इम अभिप्रायसे, किसी मनुष्यको खिलाए अथवा खिलवाए कि, उस मनुष्यको दुःख (जरर)

पहुंचे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधको करे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधका होना उससे सहल होजावे अथवा यह जानकर कि उससे दुःख पहुंचनेका समभव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड किया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दामी कर सकती है (३) अपराधोंके नाम चारट जारी होगा (४) विला जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपने ताडीके बत्तनोंमें शूहडका दूध यह जानकर रखदिया कि यदि उसको कोई मनुष्य पीजावेगा तो उसको दुःख पहुंचेगा—और अभिप्राय उसका यह था कि उसके द्वारा वह

उस चोरको पकड़ पावे जो चुराकर उन बर्तनोंसे ताड़ी लेजाया करता था—कुछ सिगहियोंने यह दूष मिली ताड़ी एक मनुष्यसे मोल लेकर पीली और उससे उनको हानि पहुँची—हाईकोर्टकी तजवीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३२८ के अनुसार उचित रीति पर दण्ड दिया गया है और दफा ८१ का ऐसे अभियोगसे सम्बन्ध नहीं है । रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई त्रिल्द ५ चफा ५९)

(३२९) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस अभिप्रायसे भारी दुःख (जररशदीद)

धनको दबाकर लेने अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाना, पढ़ुंचाए कि दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे संबन्ध रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालको दबाकर प्राप्त करे अथवा इस अभिप्रायसे कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो दुःख सहनेवाले मनुष्यसे स्वार्थ रखता है कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो कानूनके विरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये काले पार्नाका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

धीप-(१) अदास्त सेजन (२) पेलीस दस्तन्दाजी करनकती है (३) अजराधीके नाम चारंट जारी होगा (४) जमानन नहीं हो सकती (५) राजीनामा नहीं है ।

(३३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये दुःख पहुँचावे कि, दुःख सहने दबाकर इकरार के- राने अथवा दबाकर किसी धनके लंडाने र विवश करनेके लिये जन बूझकर दुःख पहुँचाना, वालने अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो दबाकर कोई ऐसा इकरार अथवा, मुखविराी (समाचारका देना) कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन संबन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इस लिये कि, दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो दबाकर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई दाय अथवा तगादा जुर्माना अथवा मुखविराी जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका दण्ड उन्को दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० का

उदाहरण ।

(क १३) जो ओइदेंदर पेलीस है, समाजकरको इसलिये दुःख देवे कि वह (समा- जंकर) यह दण्ड उन्को कोई अजराध किया है—तो विवशकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका

(र) शिवशकर कि, जो एक ओहदेदार पोलीस है, रमाशाकरको यह बात दवाकर पूछनेके लिये दुःख दे कि, चोरीका अमुक माल कहा रक्ता है तो शिवशकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

(ग) शिवशकर, कि जो एक ओहदेदार माल है, रमाशाकरको इस कारण दुःख दे कि उससे दवाकर मालगुजारीकी बाकीका वाजिबी रुपया वसूल करे तो शिवशकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशकर, कि जो एक जमीदार है किसी काश्तकारको लगानका रुपया देनेपर शिवशकरनेके लिये दुःख पहुँचावे, तो शिवशकर इस दफाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपनी स्त्रीको इस बातपर दवाकर शिवशकरनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाया कि वह उसके घर चले—वह हिन्दुस्थानके दबसग्रहकी दफा ३३० के अनुसार दोषी प्रमाणित हुआ तजवीज हाईकोर्ट हुई कि तजवीज अनुचित थी । (६० ला० रि० मद्रास जिल्द ११ सफा २५७)

(३३१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये भारी दुःख (जररगदीद) पहुँचाए दवाकर इकरार करने अथवा कुछ माल फेर लेनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररगदीद) पहुँचाना, कि दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो, दवाकर कोई ऐसा इकरार अथवा मुखबिरी कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवालेसे अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रखता हो उससे दवा कर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई तगादा चुकावे अथवा दवाकर ऐसी मुखबिरी करानेमे जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम हो, विवश करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं हो सकत ।

(३३२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका जो सरकारी नौकर है और जब कि वह

सरकारी नौकरको, उसके काम करनेमें डराकर न करनेके अभिप्रायसे जानबूझकर दुःख पहुँचाना, अपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए या इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसकी सरकारी नौकरीके कारण उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए जानबूझकर दुःख पहुँचाए या किसी कामके कारण, जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३३३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जो सरकारी नौकर हो और वह अपनी

सरकारी नौकरको, अपने ओहदेका काम सुयतानेमें डराकर न करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाना, सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेका काम कर रहा हो जान बूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए वा जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाए, अथवा किसी कामके कारण जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदे के उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जान बूझकर भारी दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३३१ के अनुसार है ।

(३३४) जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेके कारण जान-

क्रोध दिलानेपर जान-बूझकर किसीको दुःख पहुँचावे तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त, किसीके कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे मनुष्यको दुःख पहुँचाना, कि जिसके कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे मनुष्यको दुःख पहुँचाना उसकी इच्छामे न हो अथवा ऐसे दुःख पहुँचानेकी होनहारीकी वह न जानतः

हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेरो किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीआद एक मर्दानातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पाचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा होउकता है ।

१—क्रोध दिलानेके कारण, उस मनुष्यको दुःख पहुँचाना जिसने क्रोध उत्पन्न कराया दफा ३३४ के अनुसार दंड योग्य है न कि दफा ३२४ के अनुसार । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफा १७)

(३३५) जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेवाले कामके क्रोध दिलानेपर जा कारण जानबूझकर किसीको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचावे नष्टकर भारी दुःख तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त कि जिससे वह क्रोध पहुँचा, (जररशदीद) पहुँचाना, किसी दूसरे मनुष्यको भारी दुःख पहुँचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे भारी दुःख (जररशदीद) के पहुँचानेकी होनहारीको वह न जानता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद चार वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—पिछली दोनों दफाये उन्हीं नियमोके आधीन है, जिनके आधीन ३०० की पहिली छूट है ।

टीप—(१) अदालत ध्यान या प्रे० म० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा, अदालतकी आज्ञा लिये जाने पर होसकता है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यका जश्न कि वह रातके समय अपराधीके कमरेमे उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेके अभिप्रायसे घुसता था, एक घातक हथियारकी चोटसे माग् डाला तजवीज हुई कि अपराधीने भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेका अपराध किया कि जो एकाएकी और भारी क्रोधके कारण किया गया था । (वील्ली रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ५५)

(३३६) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निबडकपने अथवा असाधधानीसे करे कि उस कामका दण्ड जो प्राण अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामे विघ्न टाळे, उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम पहुँचे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद तीन महानैतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो अटार्ड सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो मल्लाह ऐसी नाव चलावे जो नदीमें चलने योग्य न हो और उसके कारण मुसाफिरीके प्राणकी जोखिम हो तो उसपर दफा २८२ हि० दं० के अपराधको ठहराना चाहिये न कि दफा ३३६ के अपराधको । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई १ सर्फी १३७)

(३३७) जो कोई मनुष्य काम ऐसे निघडकपने अथवा असावधानीके साथ ऐसे कामसे भारी करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक दुःख (जररशदीद) पहुंचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले, कुशलताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको दुःख (जरर) पहुंचाए तो उस मनुष्यको, दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महोनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—दफा २५५ के अनुसार है ।

(३३८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निघडकपने अथवा असावधानीके साथ ऐसे कामसे दुःख पहुंचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले, कुशलताको जोखिम हो किसी मनुष्यको भारी दुःख (जररशदीद) पहुंचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ३३५ के अनुसार है ।

१—अपराधीको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेके अपराधमें दफा ३३८ हि० दं० के अनुसार दण्ड दिया गया—गवाहीसे यह जान पडा कि अपराधी गाडीमें सवार होकर अपने घरको झुहरी सडकोमें होकर रातके ७ आठ बजे जा रहा था गाडी साधारण चालसे सडके बीचो बीच जाती थी, रात अंधेरी थी और गाडीमें लेम्प न थी परन्तु कोचवान और साईंस सडक पर आने जानेवाले मनुष्योंको सावधान करनेके अभिप्रायसे चिल्लाते थे, इतनेमें अपराधीकी गाडीने एक मनुष्यसे टकर खाई जो एक बुढ़ा और बहरा आदमी था, वह मनुष्य गिरपडा और उसके ऊपरसे गाडी चली गई और इस कारण उसके प्राण निकल गए—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अदालतको इस बातका फैसला करना था कि गवाही इस प्रकारकी है अथवा नहीं कि जिससे उस मनुष्यका मरना ऐसे कामसे पाया जावे कि जो अपराधीके निघडकपने अथवा असावधानीसे हुवा हो, परन्तु इस मुकदमेमें ऐसी गवाही नहीं है इसलिये अपराधी छोडा गया (मदराम हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सर्फी ३१ अपील)

अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) और अनीतिवन्धन (हक्सवेजा) के विषयमें ।

(३३९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जानबूझकर इसप्रकार रोकेंगा कि अनीतिरोक (मुजा- } जिससे वह मनुष्य ऐसी दिशाकी ओर जानेसे रुकारहे कि जिसमें हिमतवेजा.) } वह जानेका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यकी अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) की ।

छूट ।

रोकना किसी ऐसे निजके रास्तेका, चाहे थलका हो चाहे जलका, जिसके मध्ये कोई मनुष्य शुद्धभावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अधिकार रखता है, इस दफाके अभिप्रायके अनुसार अपराध नहीं है ।

उदाहरण ।

शिवगकरने एक रास्तेको, जिनमे रमागकरके चलनेका अधिकार है रोक, और शिवगकर शुद्धभावके साथ यह निश्चय नहीं करता या कि वह उस रास्तेके रोकनेका अधिकारी है इस कारण रमागकर उस रास्तेमें चलने फिरनेसे रोकजावे—तो ऐसी अवस्थामें शिवगकरने रमागकरकी अनीति रोक की ।

१—जब कोई पोलीसका ओहदेदार किसी एक मनुष्यको उसके घर न जाने दे जबतक कि वह जमानत न दाखिल करे तो यदि वह ओहदेदार शुद्धभावसे इस कार्यवाईको न करे तो कहा जायगा कि उसने इस दफाके अनुसार अनीति रोकका अपराध किया (वीही रिपोर्टर् जिल्द १० सफा २०)

(३४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी इस प्रकार पर अनीतिरोक करे कि उस अनीतिवधन (हक्स- } मनुष्यको किसी मुख्य नियम की हुई सीमाके बाहर जानेसे वेजा.) } रोकें तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उसके मध्ये अनीति वधन (हक्सवेजा) किया ।

उदाहरण ।

(क) शिवगकर रमागकरको दीवार खिंचे हुए किसी घरके भीतर करके ताला लगा दे इससे रमागकर उन घरकी दीवारके बाहर किमी आगे जानेमें रुक जाए तो कहा जायगा कि शिवगकरने रमागकरको अनीतिवधन में रक्खा ।

(ख) यदि शिवगकर किसी घरके द्वारपर गोली मारनेके हथियार लिये हुए मनुष्यको विठा देवे और शिवगकरसे कहे कि जो तु घरके बाहर निकलनेका यत्न करेगा तो वे मनुष्य तुझे गोली मारेगा—तो इस अवस्थामें शिवगकरने रमागकरको अनीतिवधनमें रक्खा ।

१—किसी मुकद्दमेमें अप्पर पोलीसको दफा १५२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० जान्ता फौजदारीके अनुसार किसी मनुष्यको एक घटा भी रोक रखनेका अधिकार नहीं है, सिवाय उस अवस्थामे कि जब मुकद्दमेमें कोई उचित कारण हो। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ८८)

२—किसी मनुष्यको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विरुद्ध किसी मुख्य स्थानपर रोक रखना अथवा किसी मुख्य रास्तेसे जानेपर विवश करना अनीतिबन्धनमें गिना जायगा। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मद्रास जिल्द २ सफा ३९६)

३—क्रीना अर्थात् डाह अपराध "अनीतिबन्धन" के लिये जिसका लक्षण दफा ३४० हि० द० में कहा गया है, आवश्यकीय जुज (टुकड़ा) नहीं है—अपराधका होना उस समय कहा जावेगा कि जब कोई मनुष्य इस प्रकारपर अनुचित रीतिसे रोका जावे कि जिससे वह एक नियत की हुई सीमाके बाहर न जासके—और किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकजाना उस अवस्थामें कहा जावेगा कि जब वह जानबूझकर इस प्रकारसे रोका जावे कि जिससे वह किसी ऐसी ओर जानेसे रुका रहै कि जिधर जानेका वह अधिकार रखता है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १३ सफा २७७)

(३४१) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी अनीति रोक करे तो उसको साधा-अनीतिरोकका दण्ड, } रण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीभाद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम सेशन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

१—एक मनुष्यने ले जानेके लिये कुछ माल गाडीपर रखवा—अपराधीने बैलैनों लुएसे खोलकर मालको गाडीसे सडकपर गिरा दिया तब वह मनुष्य मालको छोडकर चलागया तजवीज हुई कि अपराध दफा ३४१ का नहीं होसकता परंतु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ हि० द० गिना जायगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ५५)

२—अपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाडी समेत एक मुख्य दिशाकी ओर जानेसे रोका और उसपर एक झूठा दोष लगाकर उससे कुछ रुपया अनुचित रीतिपर लिया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीने अनीतिरोकका अपराध किया न कि चोरीका। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ३५)

(३४२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रखे तो उसको दोनों अनीतिबन्धनका दण्ड, } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीभाद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो १००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—(१) प्रे० म० या न० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।-

१—यदि कोई अप्तर पोलीस किसी मनुष्यको स्वयं पकडनेके बदले किसी विना नौकर-सरकारको उसको पकडने आंर अपनी चौकसोमें रखनेकी आज्ञा द दे तो वह अम्सरही उस बातका-जिम्मेदार है क्योंकि जो मनुष्य उसकी आज्ञानुसार पकडा जावे वह कानूनानुसार उसीकी चौकसीमें-समझा जावेगा । (बीड़ी रिपोर्टर जिल्द ७ पन्ना ४)

२—फरियादी (मुत्तगीत) ने अन्तर्धीनर अनीतिरोक और अनीतिवधनके मध्य अदालतमें नाकिया की—जवाब यह था कि फरियादीने अपराधीनर आरुमण (हन्ला) किया और उस कारणसे वह पकडा गया—और जनरल पेलेस इन्स्पेक्टरने नहीं छोडा तबतक अनीतिवधनमें रहा, साहब मजिस्ट्रेटने ४ महीना दंड दिया—जवाब हुआ कि अपराधका विचार अनुचित था, जो कि अपराधीको मुकदमेकी दना देकर इस दानका दंड सदेह होगया था कि जो कपडा फरियादीक यहा है वह चोरीका साठे, इसलिये उसके मध्ये फरियादीसे पूछना उसका उचित काम था जिनके उत्तरसे उसका सदेह दूर होता—और उसने ऐसे उत्तर पाये कि जो माननेके योग्य न थे । (इ० ला० रि० बंबई जिल्द १२ पन्ना ३७७)

(३४३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिन अथवा अधिक दिनतक—
—तीन या अधिक दिन— } अनीतिवधनमें रखे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी तक अनीतिवधन. } प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३४४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दस दिन अथवा अधिक दिनतक अनीतिवधन अथवा अधिक } अथवा अधिक } अनीतिवधनमें रखे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी दिन तक अनीतिवधन } प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालतेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो मनुष्य अनीतिवधनका अपराधी दफा ३४४ के अनुसार ठहराया जावे उसको केवल जुर्मानेकाही दंड न होना चाहिये, बरन् कैद भी होना चाहिये । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ पन्ना ३९)

(३४५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिवधनमे रखे यह जानकर उस मनुष्यको अनीतिवधनमें रखना जिसके झुटकारेकी आज्ञा हो चुकी है, कि उस मनुष्यको छोड देनेके लिये कानूनानुसार आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी होचुका है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और यह उस कैदकी मीआदके अतिरिक्त होगी जिसका वह इस संग्रहकी किसी और दफाके अनुसार योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेजान या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तावेज नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३४६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका इस प्रकारसे अनीतिवधनमे रखे कि गुप्त अनीतिवधन, जिस से यह इच्छा प्रगट हो कि उस मनुष्यका अनीतिवधनमें रक्खा जाना किसी मनुष्यको जो अनीतिवधनमे रखे गए मनुष्यसे अभिप्राय रखता हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न मालूम होसके अथवा वह कि उस अनीतिवधनका स्थान ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकरको जिसका वर्णन इस दफामे पहिले किया गया ज्ञात या सूचित न हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको किसी और दण्डके सिवाय जिसका वह उस अनीतिवधनके बदलेमे योग्य हो दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है ।

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है ।

१—किसी मनुष्यको दफा ३४६ के अपराधका अपराधी प्रमाणित करनेमें इस बातका जानना आवश्यकीय है कि अनीतिवधन उस प्रकारका था जिससे यह इच्छा प्रगट होती है कि अनीतिवधनमें रक्खा हुआ मनुष्य प्रगट न किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफा २२१)

(३४७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिवधनमे रखे कि अनीतिवधनमे रखे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिवधनमे रखे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालको दवाकर लेवे अथवा अनीतिवधनमे रखे हुए मनुष्यको या किसी और मनुष्यको जो अनीतिवधनमे रखे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है, कोई ऐसा काम करनेपर जो कानूनविरुद्ध है अथवा ऐसी मुखबिरी करनेपर जिससे किसी अपराधका होना सहल हो जावे, विवश करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी

कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३४४ के अनुसार है ।

१—जब किसी मनुष्यपर हि० द० की दफा ३४७ का अपराध लगाया जावे और फरियादी (मुस्तगीस) तथा उसके गवाहोंका बयान अपराधीके सामने लिखा जाकर मुकद्दमा गवाहोंके बयानोंकी सफाईके लिये रुकजाय और उस दूसरी तारीखपर फरियादी न आवे तो मुकद्दमा उसके न आनेपर डिसमिस नहीं होसकता । (वील्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा २७)

(३४८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिवन्धनमे रखे कि दवाकर इकरार कराने अथवा मालके फेर देनेपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिवन्धन, उस अनीतिवन्धनमे रखे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिवन्धनमे रखे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है बलपूर्वक दवाकर कोई ऐसा स्वीकार या मुखबिरी कराए जो किसी अपराध अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधके पता लगानेकी ओर झुकता हो अथवा इसलिये कि अनीतिवन्धनमे रखे हुए मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो अनीतिवन्धनमे रखे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किरायातुलमालके लौटाने या लौटवानेके लिये या किसी दावे या तगादेके चुकाने अथवा ऐसी मुखबिरी करनेके लिये जो किसी माल अथवा किरायातुलमालके लौटाये जानेकी ओर झुकती हो, विवश करे तो उपरोक्त मनुष्यको दानो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेगन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सक्ती है (३) अपराधीके नाम समन जारी हांगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—चोरने जब वह पोलीसकी चौकसीमें था कुछ माल चोरीका फरियादी (मुस्तगीस) को लौटा दिया—इसलिये उपरोक्त फरियादीका विचार दफा ३४८ के अनुसार हुआ परन्तु वह इस बात पर छोट दियागया कि उपरोक्त चोर कानूनानुसार पकडा गया था इसलिये उसका चांकीसीमें रहना अनुचित न था ।

अनीतिबल (जब मुजरिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें ।

(३४९) जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको चलायमान करे अथवा उसकी

बल (जत्र)

} चलायमानता (हरकत) को बदले अथवा उसकी चलायमानताको
ठहरावे अथवा - किसी पदार्थको ऐसा चलायमान करे या उसकी

चलायमानताको बदले या उसकी चलायमानताको ठहरावे कि जिससे वह पदार्थ उस दूसरे मनुष्यके शरीरके किसी भागसे छू जाय अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जिसको वह दूसरा मनुष्य पहिने हुए अथवा लिये हुए हो अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जो ऐसे स्थानमे हो कि जिसके कारण उस छूनेसे उस दूसरे मनुष्यको त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर बल किया परन्तु नियम यह है कि वह मनुष्य जो चलायमानताके करने या चलायमानताको बदलने या चलायमानताके ठहरानेका कारण हो नीचे लिखे हुए तीन प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार पर उस चलायमानताके करने या बदलने या ठहरानेका कारण हो ।

पहिले—स्वयं अपनेही शारीरिक बलसे,

दूसरे—किसी पदार्थको इस प्रकारपर रखनेसे कि वह चाल अथवा चालका बदलाव अथवा चालकी रुकावट किसी और कागके बिना हुए उस मनुष्यकी ओरने अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी ओरसे होवे ।

तीसरे—किसी पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको बदलकर अथवा उसकी चलायमानताको ठहराकर ।

(३५०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये किसी मनुष्यपर उसकी अनीतिबल (जब मुजरिमाना) प्रसन्नताके बिना जानबूझकर बल (जत्र) करे अथवा इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जान कर कि ऐसा बल (जत्र) करनेसे वह उस मनुष्यको जिस पर बल किया गया है हानि या हर या दुःख पहुँचाएगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर अनीति बल (जत्र मुजरिमाना) किया ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी नावपर जो नदीमे रस्सोसे बँधी है बैठा है, यदि रमाशंकर रस्सोको खोल दे और इस प्रकार जानबूझकर नावको धारमे बहावे तो इस अवस्थामे रमाशंकर जानबूझकर शिवशंकरकी चलायमानताका कारण हुआ और उसने यह काम पदार्थको इस प्रकार

रखनेसे किया कि बिना किये किसी और कामके किसी मनुष्यकी ओरसे चाल उत्पन्न होगई तो इसलिये रमाशंकरने, शिवशंकरपर जानबूझकर बल किया और यदि उसने किसी अपराधके करनेके लिये या इस इच्छासे या यह काम अतिसम्भवित जानकर कि वह बलकरके शिवशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाये, शिवशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया तो कहा जायगा कि रमाशंकरने शिवशंकर पर अनीतिबल (जत्रसुजरिमाना) किया ।

(ख) रमाशंकर चरट गाडीपर सवार है, शिवशंकरने रमाशंकरके घोडोंको चातुकमारकर भगाया तो यहा शिवशंकरने घोडोंसे उनकी चाल बदलकर रमाशंकरकी चालको बदला और इसलिये शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया, यदि शिवशंकरने यह काम रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवितजानकर किया हो कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचे, तो कहा जावेगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल (जत्र सुजरिमाना) किया ।

(ग) ईश्वरीप्रसाद पालकीमें चढा जाता है, रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादको लूटनेके अभिप्रायसे पालकीका डबा पकडकर पालकीको रोक लिया, तो इस अवस्थामें रामप्रसाद, ईश्वरीप्रसादकी चाल रोकनेका कारण हुआ और यह उसने स्वयं अपने शारीरिक बलसे किया, इसलिये रामप्रसादने ईश्वरी प्रसादपर बल किया और जो कि रामप्रसादने अपराध करनेके अभिप्रायसे बिना प्रसन्नता ईश्वरीप्रसादके जानबूझकर ऐसा किया तो रामप्रसादने ईश्वरीप्रसाद पर अनीतिबल किया ।

(घ) यदि शिवशंकर गलीमें रमाशंकरको जानबूझकर धक्का लगाए तो इस अवस्थामें शिवशंकरने अपने शरीरको अपनेही बलसे ऐसा चलायमान किया कि वह रमाशंकरसे छूगया इसलिये शिवशंकरने जानबूझकर रमाशंकरपर बल किया और यदि शिवशंकरने बिना प्रसन्नता रमाशंकरके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए, ऐसा किया तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया ।

(च) शिवशंकर एक पत्थर इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर फेंके कि वह रमाशंकरके शरीरसे अथवा रमाशंकरके कपडेसे अथवा किसी वस्तुसे जो रमाशंकर लिये हुए है, लगजावे अथवा यह कि वह पत्थर पानीमें लगाकर रमाशंकरके कपडोपर अथवा किसी वस्तुपर जो रमाशंकरपर लिये हुए हैं छींटे बाले तो इस अवस्थामें यदि उस पत्थरका फेंकना ऐसा फल उत्पन्न करे जिसके कारण कोई पदार्थ रमाशंकरसे अथवा रमाशंकरके कपडोंसे लगजाने, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया ।

(छ) शिवशंकर जानबूझकर किसी स्त्रीका घुंवट खोले तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जानबूझकर उस स्त्रीपर बल किया और यदि उसने उस स्त्रीकी बिना प्रसन्नता, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया, कि उसके द्वारा वह उस स्त्रीको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो कहा जायगा कि शिवशंकरने उस स्त्रीपर अतिबल किया ।

(ज) रमाशंकर नहीं रहा हो और शिवशंकर हौजमे ऐसा पानी जिसको वह खौलता हुआ जानता हो डाल दे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने स्वयं अपने शारीरिक बलसे खौलते हुए पानीको इस प्रकारसे जानबूझकर चालदी कि वह पानी रमाशंकरके शरीरसे छू गया अथवा दूसरे पानीसे छूगया जो पानी ऐसे स्थानपर है कि उसका छूना रमाशंकरकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचावेगा इसलिये शिवशंकरने रमाशंकर पर जानबूझकर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नता इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल किया ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके रमाशंकरपर एक कुत्ता ललकार दे तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया ।

नीचे लिखी हुई बातें जो कानून इंगलिस्तानके अनुसार आक्रमण (हमला) के अपराधमें गिनी जाती हैं वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अनीतिबलमें गिनी जाती हैं ।

“गुरुको अपनी शिष्या लडकी की अनुचित स्वतंत्रताको लेना, बिना उसकी प्रसन्नताके चाहे वह नहीं न करती हो, किसी डाक्टरका बिना आवश्यकता रोगी खीका वल्ल हटाकर उसे नंगा कराना. इस मिथसे कि बिना वल्ल खोले उसके रोगका वर्त्ताव नहीं जाना जा सकता; किसी अपसरका कगाल खानेमें किसी कंगालके बाल बलपूर्वक तथा बिना प्रसन्नता उसके कटवाना, किसी मनुष्यके मुँहपर थूकना, किसी घोड़ेको जिसपर कोई मनुष्य सवार है मारकर उस मनुष्यको नीचे गिरा देना, कोधकी अवस्थामें बदला लेनेके अभिप्रायसे अथवा जत्रुतासे किसी मनुष्यके शरीर अथवा वल्लको छूना अथवा पकड़ लेना,” परन्तु छोटे आक्रमणमें दफा ९५ हि० दं० का सम्बन्ध रहेगा ।

(३९१) जो कोई मनुष्य कोई सूरतबनाए अथवा कोई तैयारी करे इस अभिप्रायसे आक्रमण (हमला) } अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस सूरत बनाने अथवा तैयारी करनेसे कोई मनुष्य जो उस स्थानपर उपस्थितहो यह समझे कि सूरत बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनीतिबल करनेको हो—तो कहा जायगा कि उसने आक्रमण (हमला) किया ।

स्पष्टीकरण—केवल शब्दोंका कहनाही आक्रमण (हमला) की सीमा तक नहीं पहुँचता परन्तु सम्भव है कि उन शब्दोंसे, जिनका कोई मनुष्य वर्त्ताव करे, उस मनुष्यकी सूरत बनानेका अथवा तैयारी करनेके मध्ये ऐसा अभिप्राय प्रगट हो कि वह सूरत बनाना अथवा तैयारी करना आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुँच जावे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिव्यम्भित जानकर रमाशंकरपर बूझा उठाये कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह उसको मारने वाला है तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ख) शिवशंकर किसी कटहे कुत्तेकी भँवरकली खोलना आरम्भ करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात समझित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह रमाशंकर पर शीघ्रही उस कुत्तेकी दौड़ाने वाला है—तो शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ग) शिवशंकर एक लकड़ी उठाकर रमाशंकरसे कहे कि मैं तुझको मारूँगा, इस सूत्रमें यद्यपि यह शब्द जिनका उच्चारण शिवशंकरने किया किसी दशांश आक्रमण (हमला) की सीमाको नहीं पहुँच सकते—और भी केवल यह सूत्र बनाना बिना किसी और बातके हुए आक्रमण (हमला) की सीमाको न पहुँचेगा, तथापि वह सूत्रका बनाना जिसका अभिप्राय शब्दोंसे प्रगट किया गया, आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुँच सकता है ।

(३९२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल दंड अनीति बलका सिवाय इसके कि जो भ्रष्टीक्रोध दिलाए जानेके कारण किया जाय (जत्र मुर्जरिमाना) करे, सिवाय इसके कि जत्र उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलाए जानेका कारण उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमांसा तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो १००) २० तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

स्पष्टीकरण—भारी और एकाएकी क्रोधका कारण होनेसे, इस दफाके अनुसार अपराधके दण्डमें कमी न होगी, कदाचित् ऐसे क्रोधको अपराधीने कोई अपराध करनेके वहानेसे स्वयं आपही दूँडा हो अथवा जानबूझकर कराया हो, या—

यदि वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ जो कानूनानुसार किया गया हो अथवा जो किसी सरकारी नौकरने अपनी सरकारी नौकरीके अधिकारोके उचित वर्तानमें किया हो, या—

यदि उपरोक्त क्रोध किसी ऐसे कामसे दिलाया गया हो जो निजरक्षाके अधिकारको कानूनानुसार वर्तनेमें किया गया हो—

यह बात देखना कि क्रोध ऐसा मार्ग और एकाएकी था, जो दंड घटानेके लिये काफी हो विचारके आधीन होगा ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

१—जो मनुष्य, आक्रमण (हमला) दफा ३५२ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अपराधसे जाच होनेके पश्चात् छोड दिया जावे तो फिर उसका विचार उसी कामके मध्ये दफा ३२३ के अपराधमें नहीं होसकता । (बंगाल ला रिपोर्टे जिल्द ७ सफा २५)

२—जो आक्रमण (हमला) का अपराध भारी दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किया जावे उसमें राजीनामा नहीं होसकता । (रिपोर्टे हार्डकोर्टे पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०२)

(३५३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर जो सरकारी नौकर है, जब कि वह

किसी सरकारी नौकर-
को अपने ओहदेका काम
करनेसे डराकर रोक रख-
नेके लिये अनीतिबल्लको
काममे लाना, } अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, आक्रमण (हमला)
अथवा अनीतिबल्ल (जबरमुजारीमाना) करे अथवा इस अभि-
प्रायसे कि उस सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम
भुगतानेसे रोके या डराए, आक्रमण अथवा अनीतिबल्ल करे;

अथवा किसी कामके कारण जो उस सरकारी नौकरने अपने ओहदेका काम भुगतानेमे उचित रीतिपर किया हो या करनेका उद्योग किया हो आक्रमण अथवा अनीतिबल्ल करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० स० या० स० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—म्यूनिसिपल इन्स्पेक्टर दफा ४१ म्यूनिसिपलिटि जिल्डेके अनुमार सरकारी नौकर है । (इ० ल्या० रि० मदरास जिल्द १३ सफा १३१)

२—एक पोलीस स्टेशनके अपसरने दूसरे पोलीस स्टेशनके अपसरको लिखा कि वह अपनी सीमामे एक घरकी तलाशी कराए—दूसरे अपसरने उस लिखनेके अनुसार घरका तलाशके लिये अपने दोहरे साथी साथ निश्चत कर दिये—परंतु उनको दफा ३७९ जाव्ता फौजदारीके अनुसार कोई आज्ञापत्र लिखकर न दिया—अपराधियोने उस तलाशीमे रोकटोककी—तजवीज हुई कि अपराधियोपर दफा ३४३ व ३५३ हि० दं० का अपराध नहीं ठहराया जासकता । (रिपोर्टे हार्डकोर्टे पश्चिमोत्तर देश जिल्द ७ सफा २०९)

(३९४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीपर आक्रमण (हमला) या अनीतिवच (जन्म-
 किची स्त्री की लज्जा) मुजरिमाना) करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित
 विगाडनेके अभिप्रायसे जानकर कि उसके द्वारा उसकी लज्जा विगडंगी तो उपरोक्त
 आक्रमण (हमला) अ- मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया
 यवा अनीतिवच करना, जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड
 दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ३५३ के अनुसार है ।

(३९५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर आक्राम अथवा अनीतिवच
 भारी क्रोधके अति- करे यह इच्छा करके कि उसके द्वारा उस मनुष्यकी अप्रतिष्ठा
 रिक्त और प्रकार पर करे, सिवाय इसके कि उस मनुष्यकी ओसे कोई भारी और
 किसी मनुष्यको बद्ध करके अभिप्रायसे उक्त एकाएकी क्रोध दिलानेका कारण प्रगट हुआ हो, तो उपरोक्त
 पर आक्रमण (हमला) मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया
 अथवा अनीतिवच करना जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका
 दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

—टी— (१) प्र० म० या न० अ० या म० दो० (२) पेशीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती
 (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजनाना है ।

(३९६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर किसी ऐसी वस्तुके छीन लेनेके उद्यो-
 कुछ वस्तु जिसे कोई गमें आक्रमण अथवा अनीतिवच करे जिसको वह मनुष्य उस
 मनुष्य लिये जाता हो, समय पहिने या लिये हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे
 उसके छीन लेने का उद्य- किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद
 ग करनेमें आक्रमण अ दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो
 यवा अनीतिवच (जन्म- दण्ड दिये जावेंगे ।
 जरिमाना) करना, दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप— (१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम
 वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजनाना नहीं है ।

(३९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिवचनमें रखनेके उद्योगमें उस
 अनीतिवचनमें उद्यो पर आक्रमण अथवा अनीतिवच करे तो उस मनुष्यको
 गमें आक्रमण अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा
 अनीति वच (जन्म मुज- जिसकी मीमाद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका
 रिमाना) करना, दण्ड जो एक हजार वर्षतक हो हो सकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अस्तधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३९८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे मारी और-एकाएकी क्रोंके मारी क्रोधपर आक्रमण अथवा अनीतिबल करना, कारण, कि जो उस मनुष्यने दिखाया हो, आक्रमण अथवा अनीतिबल करे, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक हो हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेगें ।

स्पष्टीकरण—यह पिछली दफा उसी स्पष्टीकरणके आधीन है जिसके आधीन दफा ३९२ है ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

मनुष्यको ले भागने, भगा ले जाने; गुलाम बनाने और बेगार करानेके विषयमें ।

(३९९) मनुष्यको ले भागना दो प्रकारका है—ब्रिटिश इंडियामेसे मनुष्यको ले मनुष्यको ले भागना, } भागना और किसी रक्षककी उचित रक्षामेसे ले भागना—

(३६०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको विना प्रसन्नता उस मनुष्यके अथवा ब्रिटिश इंडियामे मनु- } किसी और मनुष्यके जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रसन्नता ष्यको ले भागना, } प्रगट करनेका कानूनानुसार अधिकारी है, ब्रिटिश इंडियामे सीमाके बाहर ले जाए, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेसे ले भागा ।

(३६१) जो कोई मनुष्य किसी बालक लडकेको, जिसकी अवस्था १४ रक्षककी उचित रक्षा- } वर्षसे नीची और लडकीको, जिसकी अवस्था १६ वर्षसे नीची से मनुष्यको ले भागना, } हो अथवा किसी मनुष्यको, जिसकी बुद्धि विगड गई हो (अर्थात् जो सिडी हो,) ऐसे न्यून अवस्थाके बालकके या उस मनुष्यके, कि जो सिडी हो, उचित रक्षककी रक्षामेसे विना प्रसन्नता उस रक्षकके ले जाए अथवा फुसला ले जाए तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य उस बालक अथवा उस मनुष्यको उचित रक्षामेसे ले भागा ।

स्पष्टीकरण—इस दफामें “उचित रक्षक” का शब्द प्रत्येक किसी मनुष्यको शामिल है जिसके सिपुर्द उचित रीतिपर ऐसे बालक या दूसरे मनुष्यकी चौकसी या रक्षाका भार हो ।

छूट ।

यह दफा किसी ऐसे मनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रखेगी जो अपनेको शुद्धभावसे किसी कमअसल (हाराम) बालकका बाप निश्चय करता हो अथवा जो शुद्धभावसे अपनेको ऐसे बच्चेकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो, सिवाय उस भरतके कि जब ऐसा काम लुचपन अथवा अनुचित अमिप्रायके लिये किया जावे ।

१—दशवर्षमें नीची अवस्थाका बच्चा रक्षकके आधीन रहता है—जो मनुष्य ऐसे बच्चेको विना प्रसन्नता उसके रक्षकके ले जाए वह अपने कामके फलका उत्तरदाता है—दफा ३६१ (हि० ट०) के अपराधमें यह उत्तर माननेके योग्य न होगा कि अराधीने इस बातकी खोज नहीं की कि उपरोक्त बच्चेका कोई रक्षक है अथवा नहीं । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्ड ३ सफा १७८)

२—कमअसल बच्चेकी मा उसके लडकपनके समय तक उसका रक्षक है—इसलिये यदि ऐसी मा मर्ते समय अपना बच्चा किसी मनुष्यको सौंप जाय और यदि ऐसा मनुष्य उपरोक्त बच्चेकी रक्षाका भार स्वीकार करले तो कहा जावेगा कि उस मनुष्यकी “उचित रक्षा” में वह बच्चा है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्ड ८ सफा ९७१)

३—१५ वर्षकी अवस्थावाली किसी हिन्दू लडकीका पति अपनी लीका उचित रक्षक होगा; यदि नावालिंगका बाप उस लडकीको विना प्रसन्नता उसके स्वामीके यहासे लेजावे तो ऐसा लेजाना भगा लेजानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे बापकी कोई अनुचित इच्छा ऐसे काममें न हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्ड १७ सफा २९८)

(३६२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे जानेके लिये बलपूर्वक मनुष्यको भगा ले जाना, } विवश करे अथवा धोका देनेके यत्नोद्वारा बंधावे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यको भगा ले गया ।

(३६३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ब्रिटिश इन्डियामेंसे अथवा किसी रक्षक-मनुष्यको ले मागने- } की उचित रक्षासे ले मागे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे का दण्ड, } किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्र० स० या स० अ० या स० दो० (२) पोलीस दस्त-न्दाजी करसकती है (३) अराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई नाबालिग बच्चा अपने पड़ोसीके घर जाता हो और उस समय उसको कोई मनुष्य भगा ले जाए तो कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बच्चेको उसके उचित रक्षककी चौकसीसे भगाले गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफा ७)

२—नाबालिगकी गवाही यदि मानने योग्य हो तो वह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणके लिये काफी है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ९८)

३—उचित रक्षाका अभिप्राय उस मनुष्यकी रक्षासे भी है जिसकी सिपुर्दगीमे नाबालिग उचित रीतिपर छोड़ दिया गया हो । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा २८६)

४—अपराधीको एक नौ वर्षकी लड़की और एक बकरी उसके वच्चे समेत और कुछ आद्य इस अभिप्रायसे मिला कि वह उनको उस लड़कीके बापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था पहुँचादे; परंतु वह उनको अपने घर ले गया जो चालीस मीलकी दूरीपर था, और वहाँ पर पकड़ा गया, दफा ३६३ के अपराधमे अदालत सेशनने उसको ४ वर्ष की कठिन कैदका दण्ड दिया—हार्दकोर्टसे तजवीज हुई कि—जो कि अपराधी उस लड़कीको उसके रक्षकोंके इच्छाके विरुद्ध उनकी उचित चौकसीसे बाहर ले गया था इसलिये वह दफा ३६३ के अपराधका अपराधी अवश्यही हुवा परंतु जो कि अपराधीके काममें कोई अधिकता नहीं माई जाती इसलिये दण्डकी आज्ञा बहुत कठिन है—आज्ञा हुई कि अपराधी अठारह महीन कठिन कैदमें रहे । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह मई सन् १८८४ ईस्वी सफा १०६)

५—एक हिन्दू छाने अपने स्वामीके घरका छोड़ दिया, वह अपने साथ अपनी छोटी लड़कीको लेकर (अ) के घरमे गई और उसी दिन उस लड़कीका व्याह (ब) के साथ जो (अ) का भाई था, बिना प्रसन्नता उसके बापके कर दिया—तजवीज हुई कि (अ) का दण्ड भगा ले जानेमें सहायता करनेके अपराधमे दफा ३६३ व १०९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार उचित रीतिपर किया गया । (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९६९)

(३६४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ले वध (कतल) करनेके } जावे कि वह मनुष्य मार डाला जावे अथवा ऐसी अवस्थामें रक्खा
अभिप्रायसे मनुष्यको ले } जावे कि वह मारे जानेकी जोखिममें पड़े तो उपरोक्त मनुष्यको
भगाना या भगा ले जाना } जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा कठिन

कैदका दण्ड जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको ब्रिटिश इंडियामेंस ले भागे, और उसकी यह इच्छा हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि रमाशंकर किसी देवताके सामने बलिदानमें चढ़ाया जावे—तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफामे वर्णन किया आ है ।

(ख) शिवशकर रमाशकरको उसके घरसे इसलिये बलपूर्वक ले जाए अथवा फुसला ले जाए कि रमाशकर मार डाला जावे—तो शिवशकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफामें वर्णन किया है ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पंजीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३६५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ले मागे अथवा भगा ले जाए इस अभि-

किसी मनुष्यको छुपा छुपी और अनीतिरीतिसे बधनेमे रखनेके अभिप्रा- यसे ले भागना या भगा लेजाना	}	प्रायसे कि वह मनुष्य छुपा छुपी और अनीति रीतिपर रोकमें रक्खा जाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा ।
--	---	---

टीप—दफा ३६३ के अनुसार है ।

(३६६) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको ले मागे अथवा भगा ले जाए इस अभिप्राय-

किसी स्त्रीको व्याह आदिपर विवश करनेके लिये ले भागना या भगा ले जाना.	}	से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह अपनी इच्छाके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विवाह करनेके लिये विवश कीजावे अथवा उसकी यह इच्छा हो कि वह व्यभिचार करनेके लिये विवश कीजावे या फुसलाई जावे अथवा इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह व्यभिचारके लिये विवश की जावेगी अथवा फुसलाई जावेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रका- रकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा ।
--	---	--

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है ।

१—धीरसिंहकी दो लिये (न) और (म) था, (न) के गर्भसे उसकी दो लडकिया हुईं—
धीरसिंह अपनी स्त्री (म) को साथ लेकर किसी व्याहमें एक गावपर चला गया और अपनी दूसरी
स्त्री (न) को अपनी दोनों लडकियो समेत घरमें छोड़ गया—धीरसिंहके चले जानेपर (न) ने उन
दोनों लडकियोंको अपने बहनोई (क) के घर भेज दिया और तीन मनुष्योंकी सहायतासे वहाँ
लडकीका व्याह (ख) के साथ कर दिया—तजवीज हुई कि शब्द “स्त्री” मुन्दरजा दफा ३६६ में
कोई नावालिग लडकी भी शामिल है यह भी तजवीज हुई कि (न) की प्रसन्नता होनेपर भी भगा
ले जानेका अपराध दफा ३६१ व ३६६ के अनुसार हुआ, क्योंकि धीरसिंहकी कुछ दिनोंकी गैर-
होजिरीमें भी वह उसके ही अधिकारमें बनी रही और वहाँ उसका उचित रक्षक था और (न)
उसकी रक्षक न थी । (पंजाब रिकार्ड न० ८ सन् १८७८ ई०)

२—वादीने अपराधी पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३६६ के अनुसार अपनी छीके मध्ये अपराध ठहराया—डिग्री मजिस्ट्रेटने दफा ४९८ के अनुसार तजवीज करके अपराधीको एक महीनेकी कठिन कैदका दंड दिया—तजवीज हुई कि डिग्री मजिस्ट्रेटको दफा ४९८ के अनुसार दण्ड देनेका अधिकार न था क्योंकि मजमूआजान्वा फौजदारीकी दफा १९९ के अनुसार पतिकी ओरसे कोई नालिहा नहीं हुई तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि, कानूनका यह अभिप्राय है कि कोई मजिस्ट्रेट अपनीही ओरसे ऐसे अपराधकी जांच न करे जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हों जब तक कि पति अथवा कोई दूसरा मनुष्य ऐसे अपराधकी जांचकी इच्छा न प्रगट करे परन्तु जब पति स्वयही फरियादी हो और वह फरियाद दफा ३६६ के अनुसार पेश करता है तो अपराधीका दण्ड ४९८ के अनुसार उचित है, यदि गवाही छोटे अपराधके लिये पूर्ण और बड़े अपराधके लिये अपूर्ण हो । (इ० री० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३८३)

(३६७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा लेजावे कि किसी मनुष्यको भारी दुःख(जररशदीद)पहुँचाने अथवा गुलाम बनानेके लिये ले भागना अथवा भगा ले जाना, वह भारी दुःख (जररशदीद) उठाए, अथवा वह गुलाम बनाया जावे अथवा उससे कोई मनुष्य स्वभाव विरुद्ध प्रसंग करके आनंद उठाए, अथवा इसलिये कि वह मनुष्य ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह भारी दुःख (जररशदीद) उठाने, या गुलाम बनाए जाने या किसी मनुष्यकी स्वभावविरुद्ध कामातुरता सहनेकी जोखिममें पड़े या इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह वर्त्ताव उस मनुष्यको सहने पड़ेंगे अथवा वह ऐसी अवस्थामें रक्खा जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है ।

(३६८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ले भागा है ले भागे हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर छिपाए अथवा अनीतिबधनमें रखे, तो उपरोक्त छिपाना या बंधनमें रखना मनुष्यको उसी प्रकार पर दण्ड दिया जावेगा कि मानों वह स्वयही उस मनुष्यको उसी इच्छा या जानकारी या उसी अभिप्रायसे जिससे उसने उस मनुष्यको छुपाया या अनीतिबधनमें रक्खा है ले भागा अथवा भगा लेगाया ।

टीप—दफा ३६४ के अनुसार है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३६८ उस मनुष्यसे सम्बन्ध रखती है जो किसी ऐसे मनुष्यके छुपानेमें सहायता करे, जिसको कोई लेभागा हो या भगा लाया हो इसका सम्बन्ध स्वय-ले भागनेवाले या भगा लेजानेवाले मनुष्यसे नहीं है । (वी० री० जि० ६ स १७)

२--दफा ३६८ का अपराध ठहरानेके लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य जिसको कोई लेमागा या भगा ले गया हो, इस अभिप्रायसे छुपा रक्खा जावे कि उसको कोई देख न ले और उपरोक्त मनुष्यके मध्ये केवल झूठाही समाचार देना काफी नहीं है। (पजाव रिकार्ड न० १० सन् १८७४ ई०)

(३६९) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेको, जिसकी अवस्था दशवर्षसे कम हो इस दशवर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको उसके शरीरपरसे कुछ माल चुरा लेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना, अभिप्रायसे ले भागे अथवा भगा लेजाए कि अभिप्रायसे उसको शरीरपरसे कुछ वस्तु उतार ले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा।

टीप—दफा ३६३के अनुसार है।

जिस मनुष्यको, गहना आदि अभिप्रायसे चुरानेके बच्चा ले भागनेके अपराधमें दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, उसको चोरिके अपराधमें अलग दण्ड नहीं होसकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मद्रास जिल्द ७ सफा ३७५)

(३७०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अन्य देशसे गुलामकी रीतिपर लाए किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना, अथवा अन्य देशमें ले जाए अथवा दूसरे स्थानमें पहुँचाए अथवा मोल ले अथवा बेचे अथवा अपने अधिकारसे अलग करे अथवा किसी मनुष्यको, उसकी इच्छाके विरुद्ध गुलामकी रीतिपर स्वीकार करे अथवा अधिकारमें ले अथवा रोक रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजनामा नहीं है।

१—शिवशकरने एक लडकीको जिसकी अवस्था ११ वर्षकी थी अपने अधिकारमें लाकर एक मनुष्यके हाथ, कीमत लेकर इस अभिप्रायसे बेच डाला कि वह उससे अपना व्याह करे तजवीज हुई कि शिवशकरने जो लडकी बेची वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७० के अनुसार गुलाम बनाकर बेचनेमें नहीं गिनी जासकती। (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द २ सफा ७२४)

२—(स) ने (अ) के हाथ एक लडकी (ब) को जो तेरह वर्षकी थी बेचकर उससे अपना अधिकार अलग कर लिया—दस्तावेजमें जिसमें उपरोक्त मामला लिखा गया था (ब) लडकी गुलामी लिखी गयी जिसको (स) ने (प) से मोल लिया था, तजवीज हुई कि (अ) (ब) को गुलामकी रीति पर मोल लेनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७० के अनुसार है। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ७ सफा १७०)

(३७१) जो कोई मनुष्य गुलामोंको व्यवहारके लिये अन्य देशसे इस देशमें लावे स्वभावने ही गुलामोंको अथवा अन्य देशमें ले जावे अथवा दूसरे स्थानमें पहुँचावे अथवा मीका व्यवहार करना, मोल ले अथवा बेचे अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३७२) जो कोई मनुष्य किसी नावालिग (बालक) को, जिसकी अवस्था सोलह बेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी नावालिग को बेचना या किराये पर देना, वर्षसे कम हो बेचे अथवा किराये पर भेजे अथवा किसी और रीतिपर अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह नावालिग बेश्यापन या किसी अनुचित काम या लुचपनके लिये काममें लाया जाए अथवा यह जानकर कि उस नावालिगके ऐसे काममें लगाए जाने या उससे ऐसा काम लिये जानेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ का अपराध ठहरानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि लड़की इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे लड़कीपरके कुल अधिकार किसी मनुष्यके नाम कर दिये जावे । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द २ सफा २१४)

२—कुछ मनुष्योंने एक नीच जातकी लड़कीको ऊँची जातके एक मनुष्यको दिलाकर झूठ-मूठ निश्चय कराया कि वह लड़की भी ऊँची जातकी है वह उसको मोल लेकर उससे अपना व्याह करे—तजवीज हुई कि अब उपरोक्त लड़की व्याह करनेके लिये बेची गई तो यद्यपि उसका व्याह बालक के अनुसार ठीक नहीं है तथापि अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ व ३७३ के अनुसार दण्ड नहीं पा सकते । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ६९५)

३—अपराधीने अपनी लड़कीको जिसकी अवस्था पांच छः वर्षकी थी, मन्दिरकी नौकरीमें बतौर नाचनेवाली लड़काके भेट की—गवाहोंसे पाया गया कि, नाचनेवाली लड़कियाँ जो मन्दिरसे सम्बन्ध रखती हैं वे सब बेश्यापनके कामोंको करती हैं, तजवीज हुई कि यह सन् व्रत, हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफा ३७२ के अपराधमें दण्ड देनेके लिये काफी है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफा ७३७)

४-एक मन्दिरकी नाचनेवाली स्त्रीने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारीसे यह बात कही कि एक छोटी लडकी, जिसको उसने मूठ मूठ अपनी बेटों प्रसिद्ध की उसकी "कोटू" मीरास पर नियत की जावे-अधिकारीने आशा दी कि वह लडकी दूसरी नाचनेवाली लडकियोंके समान तनखाह पर नियत कीजावे-वह मन्दिरके लिये नियत कीगई, यद्यपि "बुद्ध" बांधनेकी रीति नहीं कीगई (इस रीतिके पश्चात् लडकीका व्याह किसीके साथ नहीं होसकता) तजवीज हुई कि गवाहीसे पाया जाता है कि दफा ३७२ का अपराध नाचनेवाली स्त्री, अधिकारी और लडकीके माँ बापकी ओरसे हुआ। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफा ४१)

५-अपराधीने अपनी एक नाबालिग लडकीका व्याह मन्दिरके देवतासे करदिया-चलनके अनुसार उस व्याहका यह फल होता है कि ऐसी लडकी किसी दूसरे मनुष्यसे उचित व्याह नहीं करसकी परन्तु जिस मनुष्यसे चाहे उससे प्रसंग करा सकती है और उसके लडके उस लडकीके बापके धनके अधिकारी होते हैं तजवीज हुई कि अपराधीने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७२ के अनुसार अपराध किया। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफा ७५)

(३७३) जो कोई मनुष्य किसी बालकको जिसकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो
 वेश्यापन इत्यादिकामों के लिये किसी बालकको मोल ले अथवा किराए पर ले अथवा किसी और प्रकारपर अपने अधिकारमें लाए इस अभिप्रायसे कि, वह बालक वेश्यापनके मोल लेना या अधिकारमें लाना, काम अथवा किसी अनुचित काम अथवा लुचपनेके काममें सम्मया जावे अथवा काममें लाया जावे अथवा यह जानकर कि, उस बालकके ऐसे काममें लगाए जान अथवा ऐसा काम लिया जानेका सम्भव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मनेके भी योग्य होगा।

टीप-दफा ३७२ के अनुसार है।

(३७४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध अनीति रीतिसे अनीति विगार } दवाकर काम करानेपर विवश करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मनेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तान्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम चारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है।

बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमें ।

(३७५) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूटके, किसी स्त्रीके साथ नीचे लिखे-
बलपूर्वक व्यभिचार. } पांच प्रकारोंमेंके किसी प्रकार भोग करेगा तो कहा जायगा कि उस-
मनुष्यने "बलपूर्वक व्यभिचार" किया ।

पहिले—स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध,

दूसरे—स्त्रीकी बिना सम्मति,

तीसरे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह सम्मति मृत्यु अथवा दुःखका डर दिखा-
कर प्राप्त की गई हो,

चौथे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि पुरुष यह जानता हो कि वह उस स्त्रीका
पति नहीं है और यह कि स्त्रीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण प्रगट की गई हो कि वह निश्चय
करती थी कि यह पुरुष वही पुरुष है कि जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर हुआ
है अथवा जिसके साथ वह अपना उचित व्याह होना निश्चय करती है ।

पाँचवें—स्त्रीकी सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जब कि उसकी अव-
स्था बारहवर्षसे कम हो ।

स्पष्टीकरण—उस सम्भोगमें जो बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधके लिये अवश्य है
प्रवेशका होजानाही काफी समझा जायगा ।

छूट ।

किसी पुरुषका अपनीही स्त्रीके साथ भोग करना, जब कि उस स्त्रीकी अवस्था बारह
वर्षसे कम न हो, बलपूर्वक व्यभिचार नहीं है ।

(३७६) जो कोई मनुष्य बलपूर्वक व्यभिचार करनेका अपराधी हो, उसको जन्म
बलपूर्वक व्यभिचारका } भरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंसे किसी-
दण्ड. } प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमांसा दश वर्षतक
हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

यदि किसी पुरुषपर उसीकी स्त्रीके साथ बलपूर्वक व्यभिचारका अपराध लगाया जावे तो नीचे
लिखी कार्रवाई होगी,

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस विना वारण्ट अपराधीको न पकड़ सकेगी (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

यदि कोई दूसरी स्त्री हो तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी ।

(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१ दलपूर्वक व्यभिचारके अपराधमे कानूनानुसार पांचवर्षका दण्ड नियत है इसलिये वह सात वर्षका दण्ड कालेयानीके साथ दफा ५९ हि० द० के अनुसार नहीं बढ़ा जासकता । (बंगाल एग्जिक्टिफ कोड १ सफा ५)

स्वभावविरुद्ध अपराधोके वयानमे ।

(३७७) जो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशुसे जानबूझकर स्वभावविरुद्ध अपराध, } प्रकृतिकी रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा, उस मनुष्यको जन्म-मरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुमानिके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—जो सम्भोग कि इस दफामे वर्णन किये हुए अपराधके लिये अवश्य है, उसमे प्रवेशका होना काफी समझा जायगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीको स्वभावविरुद्ध अपराध करनेके विषयमें दण्ड दियागया परन्तु मुकदमेकी मिसलमें इन बातोंका बयान न था कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान और किस मनुष्यके साथ किया था और न यह बातें साबितही हुई थीं, अपराधीके विरुद्ध जो साबित हुआ, उससे केवल इतना जाना गया कि वह स्त्रियोंके कपड़े पहिना करता था और उसके शरीर पर ऐसे चिह्न थे, जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अपराधका करना पाया जाता था—तबहीज हुई कि ऐसे सबूत पर अपराधीको दण्ड नहीं दिया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २०४)

अध्याय सत्रहवाँ १७

(धन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें)

सरका अर्थात् चोरीका बयान * ।

(३७८) जो कोई मनुष्य अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मनुष्यके अधिकार-चोरी. } मेंसे उसका बिना प्रसन्नताके लेनेकी इच्छासे, ऐसे लेनेके लिये उस धनको हटावे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने चोरीका अपराध किया ।

स्पष्टीकरण—१ कोई वस्तु जबतक कि वह धरतीसे लगी हुई हो स्थावर धन नहीं है, इसलिये उसके मध्ये चोरी न होसकेगी, परन्तु जिस समय वह धरतीसे अलग कर दीजावे उस समय वह वस्तु चुरानेके योग्य होजावेगी ।

स्पष्टीकरण—२ जिस कामके द्वारा कोई वस्तु जुदा की जाए, यदि उसी कामसे वह वस्तु हटाई जाए तो वह चोरी गिनी जासकेगी ।

स्पष्टीकरण—३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है कि वह किसी वस्तुके हटानेका कारण हुआ जब कि वह वास्तवमें उस वस्तुको हटाता है; उसी प्रकार उस अवस्थामें भी ऐसाही कहा जावेगा, जब कि वह किसी रोकको जिसके द्वारा वह वस्तु हटनेसे रुक जाय, हटावे अथवा उभरोक्त वस्तुको किसी और वस्तुसे अलग करदे ।

स्पष्टीकरण—४ जो कोई मनुष्य किसी यत्नसे किसी पशुके हटाए जानेका कारण हो, उसके मध्ये कहा जावेगा कि उसने उस पशुको हटा दिया, और भी उस वस्तुको हटाया, जिसे उस पशुने ऐसे हटाए जानेके कारणसे हटाया ।

स्पष्टीकरण—५ वह प्रसन्नता कि जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है शब्दोंके द्वारा होसकती है अथवा अर्थोंके द्वारा—और वह चाहे अधिकारी मनुष्यकी ओरसे दी गई हो, अथवा ऐसे मनुष्यकी ओरसे जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे इसके मध्ये आज्ञा प्राप्त हो ।

* सब मनुष्योको उचित है कि वे उन अपराधोका समाचार दें जो तहत दफा ३८२ के दण्ड योग्य हैं । (देखो दफा ४४ पैक्ट १० सन् १८८२ ई०)

उदाहरण ।

(क) शिवशकर रमाशंकरकी पृथ्वीमेंसे एक पैद इत अभिप्रायसे काटे कि उसको रमाशंकर के अधिकारमेंसे रमाशंकरकी विना प्रसन्नता अधर्मसे लेले तो इस अवस्थामे शिवशंकरने जिस समय पैदको इस अभिप्रायसे ले जानेके लिये जुदा किया उसही समय वह चोरीका अपराधी हुआ ।

(ख) शिवशंकर कुत्तेके कुसलानेकी वस्तु अपने जेबमें रखे और इस प्रकारसे रमाशंकर के कुत्तेको अपने पीछे लगा लेवे तो इस अवस्थामे यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि वह अधर्मसे रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी विना प्रसन्नताके उसका कुत्ता लेले तो जिसही समय कि रमाशंकरके कुत्तेने शिवशंकरके पीछे चलना आरम्भ किया उमही समय शिवशंकर चोरी का अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकरको एक बैल जिसपर खजानेका सन्दूक लदा हुआ हो मिलजाए और वह उस बैलको इस अभिप्रायसे एक मुख्य दिशाको हॉक लेजाए कि अवर्मसे खजाना लेले तो जिसही समय कि बैल हटाया गया उसही समय शिवशंकर खजानेकी चोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर जो रमाशंकरका नौकर है और जिसकी सिपुर्दगीमें रमाशंकरके चादी या मुल्यमैके वर्तन रमाशंकरकी आंसे रखे गये हैं विना प्रसन्नता रमाशंकरके उन वर्तनोंको अवर्मसे लेकर भाग जाए तो शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(च) हरिशंकर देशाटकके लिये तैयार होकर अपने चादी व मुल्यमैके वर्तनोंकी अपने झोटा आने तक उमाशंकरको कि वह गोदामका मालिक है, सौंप दे और उमाशंकर उन वर्तनों को मुनारके पास ले जाकर बेच डाले तो इस अवस्थामें जो कि वे वर्तन हरिशंकरके अधिकारमें न थे इस लिये वे हरिशंकरके अधिकारमेंसे नहीं लिये जासकते थे और उमाशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ, परन्तु सम्भव है कि वह घरोंहरके अनीति व्यय (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे ।

(छ) लक्ष्मीशंकर गिरिजाशंकरकी अगूठी किसी मेजपर रखी हुई उस घरमें पावे जहा गिरिजाशंकर रहता हो, तो इस अवस्थामे अगूठी गिरिजाशंकरके अधिकारमें है और यदि लक्ष्मीशंकर उसको अधर्मसे उठा ले जाए तो लक्ष्मीशंकर चोरीका अपराधी होगा ।

(ज) शिवशंकर एक अगूठी जो किसीके अधिकारमें न हो सर्व सम्बन्धी मार्गमें पडी पावे तो उसके लेनेसे शिवशंकर चोरीका अपराधी न होगा यद्यपि सम्भव है कि वह धनके अनीति व्यय (तसर्क मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे ।

(झ) शिवशंकर उमाशंकरकी अगूठी उसके घरमें मेजपर पडी हुई देखे और शिवशंकर तलाशी होने तथा पास निरुक्त आनेके डरसे उसी समय उस अगूठीके अनीति व्यय करनेका साहस न पाकर उसको ऐसे स्थानमें छिपाए जहासे मिलजाना उसका उमाशंकरके ध्यानमें बिल्कुल न आसके इस अभिप्रायसे कि जब अगूठीका खोजाना उमाशंकरकी बादसे जाता रहे तब शिवशंकर उस अगूठी को उस छुपे हुए स्थानमें निकालकर बेच डाले तो इस अवस्थामे शिवशंकर पहिली बार अगूठीके हटातेही चोरीका अपराधी हुआ ।

(ट) शिवशकर अपनी घड़ीकी चाल ठीक कर देनेके लिये उसको रमाशकर घड़ीसाजको दे और रमाशकर उसको अपनी दूकानपर ले जाए, और शिवशकर, जिसको रमाशकर घड़ी साजका कोई ऋण देना नहीं है जिसके बदलेमे घड़ीसाज उस घड़ीको जमानतकी रीतिपर उचित तौरसे रोक रख सकता हो, रमाशकरकी दूकानमें खुलाखुली चला जाए और रमाशकरके हाथसे वह घड़ी छीन लेकर चल दे तो इस अवस्थामे यद्यपि सम्भव है कि शिवशकर मदाखलतवेजा मुजरिमाना आर हमलका अपराधी हो परन्तु चोरीका अपराधी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अधर्मई नहीं किया ।

(ठ) यदि शिवशकरको घड़ीकी मरम्मत करनेके मध्ये रमाशकरका कुछ रुपया देना हो और रमाशकर उस ऋणकी जमानतके तौर पर घड़ीको उचित रीतिसे रोक रखे और शिवशकर रमाशकरके अधिकारमेसे उस घड़ीको इस अभिप्रायसे ले ले कि वह शिवशकरसे उस मालकी छीनकर ऋणकी जमानतको भेट दे तो शिवशकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उन घड़ीको अधर्मसे लेता है ।

(ड) फिर, यदि शिवशकर अपनी घड़ी रमाशकरके यहां रहन करे और बिना उस रुपयेके अदा किये जो उसने रमाशकरसे घड़ी पर ऋण लिया है, घड़ीको रमाशकरके अधिकारमेसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले तो यद्यपि घड़ी शिवशकरका माल है परन्तु तो भी शिवशकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उसको अधर्मसे लेता है ।

(ढ) शिवशकर इस अभिप्रायसे रमाशकरकी कोई वस्तु उसके अधिकारमेसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले कि जबतक रमाशकरसे, उसके वापिस करनेके इनामके तौरपर कुछ रुपया न प्राप्त करे उपरोक्त वस्तुको वह अपने पास रखे तो इस अवस्थामे जो कि शिवशकर अधर्मसे लेता है, इसलिये शिवशकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(ण) शिवशकर जो रमाशकरके साथ मित्रताका व्यवहार रखता है रमाशकरकी गैरहाजिरीमें उसके पुस्तकालयमे जाए और उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीति पर कोई पुस्तक केवल पढ़नेके लिये ले जाए और उसका लौटाना शिवशकरकी इच्छामे हो तो इस अवस्थामे सम्भव है कि शिवशकरने यह समझा हो कि उसको रमाशकरकी ओरसे रमाशकरकी पुस्तक पढ़नेकी अप्रगट आज्ञा है, परन्तु यदि शिवशकरकी यह इच्छा थी तो शिवशकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ ।

(त) शिवशकर रमाशकरकी स्त्रीसे खैरात मांगे और वह शिवशकरको रुपया खाना और वस्त्र दे जिसको शिवशकर जानता हो कि वह उसके पतिकका धन है तो इस अवस्थामे सम्भव है कि शिवशकर यह समझता हो कि रमाशकरकी स्त्री ऐसी खैरात देनेकी अधिकारिणी है—अतएव यदि शिवशकरका यही विचार था तो शिवशकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ ।

(थ) शिवशकर रमाशकरकी स्त्रीका यार है वह शिवशकरको मूल्यवान् पदार्थ दे, जिसको शिवशकर जानता हो कि उसके पति रमाशकरका है और वह ऐसा पदार्थ है कि रमाशकरकी ओरसे वह उसके देनेकी अधिकारिणी नहीं है वस यदि शिवशकर अधर्मसे यह पदार्थ ले ले तो चोरीका अपराधी हुआ ।

(६) शिवशंकर रमाशंकरके मालको अपना माल समझकर शुद्धभावसे उसके अधिकारसे लेले तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अवधमें नहीं लेता है इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है।

१—लकड़ीपर इन्स्पेक्टर जनरलका अधिकार सरकारी अधिकारके तौरपर है और उसके अधिकारसे लकड़ीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसन्नतासे अलग की जाय हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ३७८ के अनुसार चोरीमें दाखिल है यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता बिना अधिकार व कल्पित हो। (२० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफा ६१०)

२—यदि किसी मनुष्यकी सिपुर्दागीसे कोई धन उसकी इच्छाके विरुद्ध जिसको प्रगट अधिकार अथवा कुछ अधिकार उपरोक्त धनके मध्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए, तो चोरीका अपराध ठहराना काफी है। (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १३५)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखे हुए “वस्तु” शब्दमें जानदार पदार्थ नहीं गिने जायेंगे। कोई साड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड़ दिया जावे, उस दफाके अभिप्रायानुसार “वस्तु” नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुगाकर गोशत और चमड़ेके लालचसे मारवाले तो कोई अपराध दफा १९५ का नहीं किया गया और साड स्थावर धन दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ की मुसदके भीतर नहीं है। (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२)

४—अपराधीने जो महकमे डाकखानेमें सरकारी नौकर था, जब कि चिट्ठियोंके वाटनेमें सहाय-त्वा दे रहा था दो चिट्ठियोंको इस अभिप्रायसे छुपा दिया कि उनको डिलेवरीवाले चपरासीको दे देगा और उसके साथ कुछ रुपयोंमें हिस्सा लगावेगा जो उनके मध्ये चुकाने योग्य है, उसपर ऐक्ट डाक-खाना हिन्दकी दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गया—तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी इच्छा उस चिट्ठीपानेवालेकी चिट्ठियोंके रोकनेकी न थी, इसलिये वह इस दफा ४८ के अनुसार चिट्ठी छुगानेका अपराधी नहीं था वह चिट्ठियोंके चुराने और अनैतित्वय (तस-कफवेना) करनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था। (३० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा २२९)

५—अपराधी अपने वापसे लडाईकर, अपने घरानेकी जायदादका एक भाग लेकर, बिना अपने चापकी आज्ञाके जो उस जायदादका प्रवचक था, चला गया तो ऐसी अवस्थामें अपराधीने चोरीका अपराध किया। (सी. पी. ला. रि. जिल्द ४ सफा १७४)

(३७९) जो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनो प्रकारकी चोरीका दंड } रोमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम गारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—विना गवर्नमेंटकी आज्ञाके ऐसे स्थानसे नमकका लेना जहाँसे मनाही हो चोरीका अपराध है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफा २२८)

२—किसी गढेसे अनुचित रीतिपर मछलीवा लेना चोरी नहीं है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफा ३९०)

३—जब कि अपराधी एक तालाबमें, जो कि शहरके भीतर था और जिसके आसपास घेरा खिचा हुआ था और जिसमें शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीका अधिकार था, विना आज्ञा म्यूनिसिपल कमेटीके मछली मारते हुए पकड़ा गया तो अपराधीपर चोरीका अपराध ठहराया जा सकता है । (इ० ला० रि० बम्बई १० सफा १९३)

४—अपराधियोपर मछली मारनेका अपराध एक तालाबसे जो वादीके अधिकारमें था लगाया गया । वह दफा ३७९ व ४४७ के अपराधी ठहराए गए—तजवीज की गई कि वह तालाब चारों ओरसे विना घेरेका था और एक नहरके पानीसे भरा रहता था जो एक बहती हुई नदीसे मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमें आजाती थी और तालाब में मछलियां पाली और रक्खी नहीं जाती थीं और यह मछलियां उस समय मारी गई थीं कि जब पानी बढ़ा और तालाब नदीसे मिला हुआ था इसलिये मछलियां उससे अपने आपही निकल पड़ीं—तजवीज हुई कि मछलियां स्वयं स्वाधीन थीं और उनपर वादीका अधिकार भी न था, इसलिये अपराधियोने कोई अपराध नहीं किया । यदि मछलियां अपनी स्वाधीनतासे रहित बीजातीं और स्वामोकी आज्ञासे मारे जानेके योग्य होतीं और ऐसी अवस्थामें वह मारी जातीं तो अपराधी दंड योग्य होते । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४०२)

५—यदि हिन्दूजातकी स्त्री अपना स्त्रीधन अपने पतिके अधिकारसे विना उसकी प्रसन्नताके अलग करे तो वह चोरीका अपराधिनी नहीं ठहराई जा सकती और जो मनुष्य ऐसे धनके हटानेमें उस स्त्रीका साह्य हो वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफा ११)

६—चोरीके अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना आवश्यकीय है कि उपरोक्त माल, लेनेके समय वादीकेही अधिकारमें था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफा ८०)

७—मुसलमान जातकी व्याही हुई स्त्री उम धनके मध्ये जो मुहम्मदी (मुसलमानी) शरह (शास्त्र) के अनुसार उसके ही पतिका धन समझा जाता है, चोरी अथवा चोरीमें सहायता करनेके अपराधियो ठहराई जा सकती है । (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ९)

८—अपराधियोने सरकारी पेड काटकर बेच डाले—तजवीज हुई कि उनको चोरी और दुःख पहुँचाने (जररसानी) का अपराधी ठहराकर दण्ड दिया जाना कानूनविरुद्ध न था । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई—जिल्द २ सफा ३९२)

(३८०) जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें, जो मनुष्यके चोरी किसी घर अथवा } रहनेके स्थानकी भौति अथवा माल असवाव रखनेके लिये तम्बू अथवा नावमें. } काममें आता हो चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलिस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

(३८१) कोई मनुष्य जो गुमास्ता अथवा नौकर हो या गुमास्ता अथवा नौकर जब कोई गुमास्ता अ- } के कामपर तैनात हो किसी मालके मध्ये, जो उसके स्वामी अथवा यवा नौकर अपने स्वामीके } कामपर लगाने वालेके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे तो पाससे कोई वस्तु चुरावे } -उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

(वेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दी० (२) पोलिस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

१—जो मालाह कि नौकरीपर रक्खा जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८१ में लिखे हुए गुमास्ते अथवा नौकर शब्दमें न गिना जावेगा और यदि वह नावपर चोरी करे तो उसको दफा ३८० के अनुसार दंड दिया जावेगा। (वी० रि० जिल्द ८ सफा ३२७)

२—सिविल स्टेशन राजकोटका इलाका ब्रिटिश इंडियाका हिस्सा नहीं है, इसलिये चोरीका अपराध ब्रिटिश इंडियामें नहीं हुवा—पस अदालत सेशन थानाको अधिकार नहीं था कि वह अपराधीका विचार हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८१ के अनुसार करे—परन्तु हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१० के अनुसार चोरीका माल बददियानतीसे रखनेके अपराधमें ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार वह विचार कर सकता था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा ८६)

(३८२) जो कोई मनुष्य चोरीके अपराधके लिये अथवा उस चोरीके पश्चात् अपने चोरीका अपराध कर- } माग जानेके लिये अथवा उस मालके वचा रखनेके लिये जो नेके अभिप्रायसे वध करने } चोरीके द्वारा लिया जावे, अथवा दुःख अथवा रोक कर- अथवा भारी दुःख गृहचा } नेका, अथवा चतुः अथवा दुःख अथवा रोकका डर दिखा- नेकी तैयारी करनेके प- } नेका तैयारी करके चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको श्चात् चोरी करना. } कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दशवर्षतक हो सकती है और वह—जुर्मानेके भी योग्य होगा।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर उस मालके मन्थे, जो रमाशंकरके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे और जिस समय कि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके बख्तके नीचे एक भरा हुआ तमचा हो, जो उसने इसलिये ले रक्खा हो कि, यदि रमाशंकर रोक टोक करे तो उसको दुःख (जरर) पहुँचाए, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुवा जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशंकर अपने कुछ साधियोंको अपने आसपास इसलिये खडा करके रमाशंकरकी जेब काटे कि यदि रमाशंकर इस वृत्तान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा शिवशंकरके पकड़नेका उद्योग करे तो वे रमाशंकरको रोके तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत, नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—यदि चोरीका अपराध करते समय वास्तवमें किसीको दुःख (जरर) पहुँचाया जाय तो उपरोक्त अपराधका दंड बल सहित चोरीके अपराधमें दिया जायगा । (बीह्ली रिपोर्टर् जिल्द ६ सफा ८५)

दवाकर लेनेके विषयमें ।

(३८३) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यकी दवाकर लेना (इस्तेह) अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी हानिका डर दिखाए और उसके माल त्रिलनत्र) द्वारा उस मनुष्यको जिसको इसप्रकार डर दिया गया है, इस बातके लिये धमकी दे कि वह कोई माल अथवा किफालतुलमाल अथवा कोई दस्तखत की हुई या मुहर की हुई वस्तु जो किफालतुलमाल बनसकती है, किसी मनुष्यको देदे—तो उपरोक्त मनुष्य दवाकर लेनेवाला कहलावेगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि तू मुझको रुपया दे नहीं तो मैं एक बात जो तेरी प्रातिघामें बड़ा लगाएगी प्रसिद्ध कर दूँगा और इसप्रकारसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये धमकी दे तो शिवशंकर दवाकर लेनेका अपराधी होगा ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं तेरे वस्त्रको अनीतिबन्धनमें रक्खूँगा नहीं तो एक रक्कर दस्तखत करके उसको मेरे सिपुर्द कर जिसमें तेरी ओरसे मुझको रुपयेकी अमुक तादाद देनेका वादा हो, और रमाशंकर दस्तखत करके वह रक्का शिवशंकरको दे दे तो शिवशंकर दवाकर लेनेका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशकर रमाशकरको यह धमकी दे कि मैं लहबंद-आटमी भेजकर तेरा खेत जुतावा खूंगा नहीं तू एक तमस्तुक दस्तखत करके हरगकरको दे जिसके अनुसार हरशकरको किसी विशेष पैदावारका देना और पैदावार न देने पर जुमानिका देना रमाशकर पर उचित ही—और उसके द्वारा शिवगकर रमाशकरसे उस तमस्तुक पर दस्तखत कराकर ले ले, नो शिवगकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवगकरने रमाशकरको भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचानेका डर बताकर उसको कोरे कागजपर दस्तखत या मोहर करने और शिवशकरको दे देनेके लिये अधमसे बमकाया—रमाशकरने उस कागजपर दस्तखत करके शिवशकरको दे दिया तो, जो कि इस अवस्थामे बृह कागज कि, जिसपर इस प्रकार दस्तखत किया गया किफालतुलमाल बन सक्ता है—दोखिये शिवगकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(३८४) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करे उस मनुष्यको दोनों प्रकार—
 दबाकर लेनेका दण्ड } रोमसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद
 } तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड
 दिये जावेगे।

टीप—(१) अदालत सेजन प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीम दस्तन्दार्जी नहीं करसक्ती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१—केवल यह बात कि, दबाकर लेनेका अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३८४ के अनुसार, गावके चौकीदारके मामले हुआ, चौकीदारको उपरोक्त अपराधम सहायता करनेका दोषी नहीं ठहरा सकती। (इ० ल० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७२८)

२—इस मुकद्दमेमें अपराधीने मुकद्दमा फौजदारी टायर करनेकी धमकी देकर कुछ रुपया दबाकर लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने दबाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मुकद्दमा जिकके चक्रानेकी उसने धमकी दी सच हो अथवा झूठ। (वी० रि० जिल्द ७ सफा २८)

(३८५) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेका दबाकर लेनेके लिये } डर दिखाए अथवा ऐसा डर दिखानेका उद्योग करे, उस मनुष्यको
 } किसी मनुष्यको हानि पहुँ- } दोनो—प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा
 } चानेका डर दिखाना. } जिसको मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुमानेका दण्ड
 या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

टीप—दफा ३८४ के अनुसार है।

(३८६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यके अथवा किसी दूसरे किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर वताकर दवाकर लेनेका अथवा भारी दुःखका डर वताकर दवाकर लेना, अपराधी होगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) पोलीस दस्ताग्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(३८७) जो कोई मनुष्य दवाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दवाकर लेनेके लिये दुःख (जरशदीद) का डर दिखावेगा अथवा दिखानेका उद्योग करेगा—चाहे वह डर उसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा भारी दुःखका हो चाहे किसी दूसरे की,—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३८५ के अनुसार है ।

१—किसी मनुष्यसे बलपूर्वक रुपया लेनेके लिये आत्महत्या (खुदकुशी) के उद्योगकी इच्छा प्रगट करना एक अपराध दफा ३८७ के अनुसार है । (इंडियन जूरिस्ट न्यूसेरीज सफा ४२३)

(३८८) जो कोई मनुष्य दवाकर लेनेका अपराध किसी मनुष्यको इस बातका ऐसे अपराधमें फंसानेकी धमकी देकर कि जिसके लिये मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दंड नियत है दवाकर लेना, डर दिखाकर करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वष अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दश वर्षतककी कैद है, अथवा इस बातकी तुहमत लगानेका डर दिखाए कि उस मनुष्यने अथवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा अपराध करनेके लिये बहकाया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध ऐसा हो जिसका दण्ड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड दिया जासकता है । (दफा ४० को देखो)

टीप— दफा ३८६ के अनुसार है ।

(इच्छाके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

(३८९) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करनेके लिये किसी मनुष्यको दबाकर लेनेके अभिप्रा- इस बातका डर दिखाये अथवा दिखानेका उद्योग करे कि यसे किसी मनुष्यको अप- में तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके राध लगानेकी तुहमतका करनेका अथवा करनेका उद्योग करनेका तुहमत लगाऊंगा, कि डर दिखाना. जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दशवर्षतककी कैद है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । और यदि वह अपराध ऐसा हो कि उसका दण्ड दफा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा । (दफा ४० को देखो)

टीप—दफा ३८६ के अनुसार है ।

जोरी अर्थात् बलसहित चोरी (सरका बिलजत्र) व डकैतीके बयानमें । *

(३९०) प्रत्येक बलसहित चोरीमें या तो चोरी होती है या दबाकर लेना बलसहित चोरी. } होता है ।

जोरी; उस अवस्थामे जोरी (सरका बिलजत्र) होगी कि जब चोरी करनेके लिये किञ्च अवस्थामे चोरी अथवा चोरी करनेमे, अथवा उस मालके लेजाने या लेजानेका बलसहित चोरी (जोरी) यत्न करनेमे जो चोरीसे प्राप्त कियागया हो, अपराधी उस कही जावेगी. अभिप्रायसे जानबूझकर, किसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा दुःख अथवा अनीति रोक (मुजाहिमतवेजा) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग करे अथवा तत्कालही मृत्यु होने अथवा तत्काल दुःख (जरर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाये अथवा डर दिखानेका उद्योग करे ।

दबाकर लेना, उन अवस्थामें जोरी कहलावेगा कि जब अपराधी दबाकर लेते किञ्च अवस्थामे, दबाकर समय उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया लेना (इस्तेहसाल बिलजत्र) गया और उस मनुष्यको, स्वयं उसी मनुष्यका या किसी दूसरे बलसहित चोरी (जोरी) मनुष्यका, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख (जरर) कहलावेगा. पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाकर

* सब लोगोंको उचित है कि वे दफा ३९३ से लगाकर दफा ३९९ तकके अपराधोंकी सूचना दें । ऐक्ट नं० १० सन् १८८४ ई० की दफा ४४ को देखो ।

दवाकर ले, और इस प्रकार डर दिखानेसे उस मनुष्यको कि जिस डर दिखाया गया, बलपूर्वक प्राप्त कीहुई वस्तु उसी समय और उसी स्थानपर दे देनेको धमका दे-

स्पष्टीकरण—यदि अपराधी इतना निकट हो कि जिससे वह उस दूसरे मनुष्यको तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर काफी तौरसे दिखासके, तो कहा जावेगा कि अपराधी उपस्थित है ।

उदाहरण ।

(क) रमाशंकर शिवशंकरको दवा बैठे और शिवशंकरके कपड़ोंसेसे उसका रण्पा और गहन विना प्रसन्नता उसके बलपूर्वक ले ले, तो इस अवस्थामे रमाशंकरने चोरी की है और जो कि उस चोरीके लिये रमाशंकरने शिवशंकरके मध्ये जातवृद्धकर अनीति रोक (मुजाहिमत वेजा) की, इस लिये वह बल सहित चोरी अर्थात् जोरीका अपराधी हुआ ।

(ख) शिवशंकर सर्व संबंधी मार्गपर रमाशंकरसे मिला और रमाशंकरको तमंचा दिखाकर उसकी बसनी माँगी और रमाशंकरने उसके कारण अपनी बसनी विवद्व होंकर छोड़ दी, इस अवस्थामे जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको तत्काल दुःख (जरर) पहुँचानेका डर दिखाकर उससे बसनी दवाकर लेली, और दवाकर लेनेके समय रमाशंकरके निकट उपस्थित था, इसलिये शिवशंकर जोरीका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकर सर्वसाधारण सड़कपर रमाशंकर तथा उसके बालकने मिला, और शिवशंकरने लडकेको पकड़कर रमाशंकरको धमकाया कि यदि तू अपनी बसनी मुझे न दे देगा तो मैं तेरे लडकेको उँचाई परसे गिरा दूँगा, और रमाशंकरने उस कारणसे अपनी बसनी छोड़ दी—तो इस अवस्थामे शिवशंकरने रमाशंकरको इस बातका डर दिखाकर कि बच्चेको जो वहा उपस्थित है तत्काल दुःख पहुँचाएगा, रमाशंकरने दवाकर बसनी लेली, इसलिये शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरसे कुछ माल यह कहकर लेवे कि तेरा लडका हमारे गिरोहके वशमे है, यदि तू हमको दशहजार रुपया न भेज देगा तो वह मारडाला जावेगा, तो यह दवाकर लेना (इस्तेहसालविलज्ज) है, और उसके बदलेमे दवाकर लेनेकाही दंड दिया जायगा परंतु वह बल सहित चोरी नहीं है, सिवाय इसके कि रमाशंकरको लडकेके तत्काल मारडालनेका डर वतलाया जावे ।

१—यदि गहनके छीन लेनेमे किसीको दुःख पहुँचे तो उस घटनाका असाध बलसहित चोरी (जोरी) का अपराध-गिना जायगा—इसलिये जब एक मनुष्यने नय निकालनेमें लीके नथनोको शायल किया, यहा तक कि उनसे खून बहने लगा तो वह बल सहित चोरीका अपराधी हुआ । (वीली रिपोर्टर जिब्द ५ सफा ९५)

२—कुछ मनुष्योंने एक नावको यह कहकर रोक लिया कि मजिस्ट्रेट रामपुर बलियाको उसको आवश्यक्ता थी और फिर उसको छूट लिया और मजिस्ट्रेटने कुछ सामान न किया,

तजवीज हुई कि वे बल सहित चोरी (सरका बिलजत्र) के अपराधी हुए थे क्योंकि चोरीका अपराध उस समय हुआ था कि जब मछ्राहोको अनीतिरोकका मय था । (वीकी रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ३९)-

(३९१) जब पांच अथवा अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करें अथवा करनेका डकैती. } उद्योग करे अथवा जब कि उन मनुष्योंको कुलसख्या जो जोरी अथवा जोरी का उद्योग मिलकर करते हो उन मनुष्योंकी सख्यासमेत जो वहां उपस्थित हो और उसके करने अथवा उद्योगमे सहायता करते हो, पांच अथवा पांचसे अधिक हों तो प्रत्येक मनुष्य जोरी करनेवाला अथवा उद्योग करनेवाला अथवा उसमें सहायता करनेवाला "डकैती" करनेका अपराधी कहलावेगा ।

१—जब हिन्दू लोगोने मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे दूर कर दिया—उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनीतिग्राम (नाजायज फायदा) अथवा पशुओंके स्वामीको अनीतिग्रामि (मुकसान नाजायज) पहुँचाएँ, वरन् उनकी यह इच्छा थी कि वे पशुवध करनेसे बचजाएँ—तो तजवीज हुई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराधमे विचार नहीं होसकता वरन् केवल बलवाका होसकता है । (६० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३५ सफा २२)

(३९२) जो कोई मनुष्य जोरीका अपराध करे, उसको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा—और यदि वह जोरी सर्वसाधारण मार्गपर सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके मध्यमे काजावे तो कैदकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है ।

टीप—(१) अदालत सेग्रन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजो करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

वैतके दण्डके लिये (ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

१—जिस मनुष्यपर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जावे वह चोट पहुँचाने (जररखानी) का अपराधी नहीं ठहराया जासकता क्योंकि चोट पहुँचाना जोरीका एक भाग है । (वीकी रिपोर्टर जिल्द १ सफा ६५)

(३९३) जो कोई मनुष्य जोरीके अपराधका उद्योग करे उस मनुष्यको कठिन कैदका जोरीके उद्योगका दण्ड } दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

(३९४) यदि कोई मनुष्य जोरी करे अथवा जोरीके उद्योगमे किसी मनुष्यको जोरी करनेमे जानबूझ- } जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको तथा किसी कर दुःख (जरर) पहुँ- } दूसरे मनुष्यको जो उस जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें चाना. } साक्षी हो जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो ।)

१—दफा ३०७ व ३९४ के दण्डोमे जन्मभरके देशनिकालेका दंड अथवा दशवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया जावेगा १४ वर्षके लिये कालेपानीका दंड नहीं होसकता । (चीफ़ी रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४१)

(३९९) जो कोई मनुष्य डकैती करेगा, उसको जन्मभरके लिये देशनिकालेका डकैती करनेका दण्ड. } दण्ड अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

१—जब बहुतेसे हिन्दुओने मिलकर मजहबी जोशके कारण कुछ मुसलमानोपर आक्रमण कर के सर्व साधारण सडकर उनसे पशुओको छीन लिया तो तजवीज हुई कि हिन्दूलोग हिन्दुस्थानके दंड-संग्रहकी दफा ३९५ के अनुसार डकैतीके अपराधी है न कि केवल बलवाके । (इ० लो० रि० इत्या-हावाद जिल्द १५ सफा २९९)

(३९६) उन-पाच अथवा अधिक मनुष्योमेंसे जो मिलकर डकैती करे, कोई एक डकैतीके साथ ज्ञात. } मनुष्य उस डकैतीके करनेमें ज्ञातघातको करे, तो उनमेंसे प्रत्येक घात. } मनुष्यको वधका दंड अथवा जन्मभरके देशनिकालेका या कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—जब डकैती करते समय कोई मनुष्य जानसे साराजाघे, तो यह बात विचारने योग्य न होगी कि वह डकैत, कि निसपर इस दफाके अनुसार अपराध लगाया गया उस घरके भीतर था अथवा बाहर, जहां डकैती हुई थी अथवा यह कि उस वधका किशानना घरके भीतर या बाहर

केवल उस सीमातक था कि जहाँतक ढाका ढाल गया । (३० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ८६)

(३९७) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको काममें लाए अथवा किसी मनुष्यको भारी दुःख (जरर-शदीद) पहुँचाए अथवा किसी मनुष्यके बंध करने या भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगा ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

चोरी करते समय मृत्युकारी हथियारको काममें लानेसे चोरी जोरी होजाती है और वह अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३९७ के अनुसार दंड योग्य होगा चाहे उन चोरोंकी सख्या ५ हो अथवा कम । (वीज़ी रिपोर्टर जिल्द २ सफा ४९)

(३९८) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके उद्योगके समय अपराधी किसी मृत्युकारक मृत्युकारी हथियार बाध कर जोरी अथवा डकैतीका उद्योग, हथियारको लिये हो तो वह कैद जिसका दंड उस अपराधीको दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगी ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

(३९९) जो कोई मनुष्य डकैती करनेके लिये कोई तैयारी करे उसको कठिन कैदका डकैती करनेके लिये दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद दश वर्षतक होसकती है और वह तैयारी करना, जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

(४००) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत ऐसे डकैतोंके झुण्डमें साझी मनुष्योंके झुण्डमें साझी होगा जो परस्पर डकैती करनेके लिये मेल होनेका दंड, रखते हों तो, उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकाले अथवा कठिन कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी भीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—इस दफा ४०० के अनुसार अपराध ठहरानेके लिये इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि अमुक समयपर डाकुर्वाँका झुंड कि जिन्होंने डकैती करनेके अभिप्रायसे परस्पर मेल कर लिया था, उपस्थित था और अपराधी उस झुंडमें साझी था । (वीज़ी रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २३)

(४०१) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐकटके प्रचलित होनेके उपरांत इधर उधर इधर उधर फिरनेवाले } फिरनेवाले मनुष्योके झुण्डमें अथवा किसी और झुण्डमें-साजी होगा चोरोके झुण्डमें साजी } जो चोरी अथवा जोरोके लिये परस्पर मेल रखते हों, परन्तु जो ठगों होनेका दंड. } अथवा डाकुओंका झुण्ड न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९२ के अनुसार है ।

(४०२) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐकटके प्रचलित होनेके पश्चात् उन पाच डकैती करनेके लिये } अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे होगा, जो डकैती करनेके लिये इकट्ठा हुए इकट्ठा होना. } हों,—तो उस मनुष्यको कठिन कैदका दंड दिया जावेगा, जिसका मीमाद सात वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ३९५ के अनुसार है ।

१—इस बातका प्रमाणित होजाना, कि अपराधी डाकुओंके गिरोहमेंसे एक मनुष्य था और उस गिरोहके अभिप्रायसे जानकार रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का अपराध ठहरानेके लिये काफी है (वी० रि० जिल्द ७ सफा ९७)

मालके तसर्स्फ वेजा मुजरिमाना (अधर्मसे धनके अनीति व्यय करने) के वर्णनमें ।

(४०३) जो कोई मनुष्य अधर्मसे, किसी स्थावर धनको अपने अनीति व्यय अधर्मसे धनका अनीति } (तसर्स्फवेजा) में अथवा अपने कामने लेआये, उसका दोनों व्यय (वद दियान्तसे) प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद मालका तसर्स्फ वेजा } दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर, रमाशकरके अधिकारमेंसे रमाशकरका माल ले और शुद्धभावसे—उसके लिये समय यह निश्चय करता हो कि वह माल मेरा है तो इस अवस्थामें शिवशकरने चोरी नहीं की, परंतु यदि शिवशकर अपनी भूल जान लेनेके पश्चात् उस मालको अधर्मसे व्ययकर डाले तो वह उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशकर जो रमाशकरसे मित्रताका व्यवहार रखता है, रमाशकरके पुस्तकालयमे उसकी गैरहाजिरीमें जाए और बिना स्पष्ट आज्ञा रमाशकरके एक पुस्तक लेजाए, तो इस अवस्थामे यदि शिवशकरको यह निश्चय था कि पटनेके लिये पुस्तक लेनेकी मुझको रमाशकरकी स्पष्ट आज्ञा प्राप्त है तो शिवशकर चोरीका अपराधी नहीं है परन्तु यदि शिवशकर इसके पश्चात् अपने कामके लिये उस पुस्तकको बेच डाले तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(ग) यदि शिवशकर व रमाशकर सझे किसी घोंडेके मालिक हों और शिवशकर घोंडेको रमाशकरके पाससे अपने काममें लेनेके लिये ले जावे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशकर उस घोंडेको काममें लेनेका अधिकारी है, इसलिये वह अधर्मसे उसको अनीतिव्ययमें नहीं लाता, परन्तु यदि शिवशकर घोंडेको बेच डाले और उसकी कीमतका सब-सपया अपने काममें ले आये, तो वह उस अपराधको अपराधी-है जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

स्पष्टीकरण—१ अनीतिव्यय (तसर्स्फवेजा) जो केवल कुछ समयके लिये अधर्मसे किया जाय, वह भी इस दफाके अनुसार अनीतिव्यय गिना जायगा ।

उदाहरण ।

शिवशकरने एक गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोट जो रमाशकरका माल था और जिसकी पीठपर किसीकी इबारत बिना नामके लिखी थी, पाया, शिवशकरने यह बात जानबूझकर कि यह नोट रमाशकरका है, उसको किसी साहूकारके यहाँ इस अभिप्रायसे गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको रमाशकरको फेर दूंगा, तो शिवशकरने इस दफाके अनुसार अपराध किया ।

स्पष्टीकरण—२ जो मनुष्य कोई माल जो किसी मनुष्यके अधिकारमे न हो पाये और उस मालको उसके मालिककी ओरसे प्रवन्ध करने अथवा उसके मालिकको लौटा देनेके लिये अपनी सिपुर्दगीमें लाए तो उपरोक्त मनुष्य उस मालको अधर्मसे अपनी सिपुर्दगी अथवा अनीतिव्यय (तसर्स्फवेजा) मे नहीं लाता, और न अपराधका अपराधी है—परन्तु वह मनुष्य उस अपराधका जिसका लक्षण ऊपर कहा गया है अपराधी होगा—यदि वह उस मालको अपने कामके लिये अनीतिव्यय (तसर्स्फवेजा) मे लाए जब कि वह उसके मालिकको जानता हो अथवा उसके जान लेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पहिले कि, वह मालिकके दूढ़ने और उसको सूचित करनेके उचित उपाय काममें ला चुका हो और एक उचित समय तक उस मालको अपनी सिपुर्दगीमें रक्खा हो जिससे कि मालिकको उसके दावा करनेका अवसर मिलता ।

यह बात कि ऐसी अवस्थामे कौनसे उपाय वास्तवमे उचित हैं और कौनसा तमय वास्तवमे उचित है, निर्णय करनेके योग्य होगी ।

यह अवश्य नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि-उस मालका कौन मालिक है अथवा यह कि अमुक मनुष्य उसका मालिक है—वरन् इतनाही बहुत है कि मालको अपने व्ययमें

लाते समय वह यह निश्चय न करता हो कि यह उसका अपना माल है अथवा शुद्धभावसे यह निश्चय न करे कि उसका असल मालिक नहीं मिल सकता ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर सब्बकर एक रुपया पाये और उसको यह जानकारी न हो कि यह किसका माल है, और शिवशंकर उस रुपयेको उठा ले तो इस अवस्थामे शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला नहीं हुआ, जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ख) शिवशंकर सब्बकर एक चिड़ी पाए और उसमें एक महाजनी हुडी हो और लिफाफे तथा चिड़ीकी लिखावटसे शिवशंकर जानले कि वह हुडी असुक्त मनुष्यकी है फिर शिवशंकर उसको अपने व्ययमे लाए, तो शिवशंकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) शिवशंकर एक रुक्ता पाए, जिसका रुपया धनीको मिल सकता हो, परन्तु उसे यह निश्चय न होवे कि इसका खोनेवाला कौन है—तथापि जिस मनुष्यने रुक्ता लिखा हो उसका नाम निकल आवे और शिवशंकर यह जानले कि इसका लिखनेवाला इसके मालिकका पता बतला सकेगा परन्तु फिरभी उसके ढूँढनेका कुछ उपाय किये बिना उस रुक्तेको अपने काममे ले आवे तो वह इस दफाके अनुसार अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके पाससे उसकी बसनी जिसमे रुपये हों गिरते देखे और शिवशंकर रमाशंकरको फेर देनेके अभिप्रायसे बसनीको उठा ले और उस बसनीको अपने कामके लिये व्ययमें लावे तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(च) शिवशंकर एक बसनी जिसमें रुपये हों पाये, यह न जानकरके कि वह किसका धन है, परन्तु पीछेसे जान लेवे कि वह रमाशंकरका धन है, और फिर उस बसनीको अपने काममे व्यय कर डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

(छ) शिवशंकर एक बड़े मोलकी अगूठी पाए, यह न जान करके कि वह किसका धन है और फिर उसके मालिकके ढूँढनेका कोई यत्नकरके उसको तत्काल बेच डाले तो शिवशंकर एक अपराधका करनेवाला हुआ जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जो साड किसी मूर्ति या देवताके लिये छोडा जावे और स्वाधीनतापूर्वके फिरने दिया जावे वह इसलिये मिल्कियत (धन) से खारिज नहीं है कि उस मन्दिरको जहां कि देवता अथवा मूर्तिकी पूजा होती है कुल अधिकार और जिम्मेदारियां उसके सम्बन्धमे प्राप्त हैं । (इंडियन लॉ रिपोर्ट मद्रास जिल्द ११ सफा १४५)

२—एक मनुष्यको इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने हिन्दु-स्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४११ के अनुसार यह अपराध किया था कि उसने अघर्मसे एक साड-को यह जानबूझकर लिया कि उसके मध्ये तसर्स्फवेजा मुजरिमाना (अनीति व्यय) किया गया है। तजवीज हुई कि तसर्स्फवेजा (अनीति व्यय) करते समय वह साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभि-प्राथानुसार “वस्तु (माल)” में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि पहले तो उसका कोई मालिकही नहीं रहा और दूसरे यह कि असली मालिकने अपने कुल अधिकार मिल्कायतके छोड़ दिये इसलिये ऐसे साडकी चोरी नहीं की जासकती है, और इसलिये अपराधी छोड़ा गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफा ५१)

३—एक सरकारी नौकर था, जिसका यह काम था कि रुपया लेकर उसको खजानेमें रसीद लेनेके बाद जमाकरदे—उसने स्वीकार किया कि मैंने कई महीने तक रुपयेकी दो रकमें अपने यहां रखी, जब मुझे पकड़ जानेका भय हुआ तब मैंने उनको खजानेमें दाखिल कर दिया और सदेह दूर करनेके लिये अपने रजिष्टरमें झूठमूठ इवारत लिखली—उसने अपने यहां रुपया रखनेका जो कारण बतलाया, उसपर साहब मजिस्ट्रेटने निश्चय नहीं किया और जिन्होंने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीति व्यय (तसर्स्फ वेजा) के अपराधमें उसका विचार किया—तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफा ४९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ के अनुसार शब्द “वस्तु” में जानदार वस्तुएँ नहीं गिनी जासकती—कोई साड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड़ा जावे, इस दफाके अभिप्राय के भीतर नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोदत और चमडेके लोभसे मार डाले तो दफा २९५ के अनुसार कोई अपराध उन्होंने नहीं किया—और साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रह की दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धन नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८५२)

५—अपराधीने सडकपर एक सेनेकी मुहर पाई—दूसरे दिन उसने उस मुहरको किसी सरफ के हाथ पूरे दामोपर बेचवाला और वह उसका रुपया अपने खर्चमें लाया—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि,—उन बातके न मालूम होनेकी अवस्थामे, कि जिनमे उपरोक्त मुहर खो गई, और जो कि यह कदाचित् सम्भव हो कि उस मुहरका अधिकार असली मालिकने बिल्कुल छोड़ दिया हो, अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीतिव्ययके अपराधमें दंड नहीं दिया जा सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २१२)

(४०४) जो कोई मनुष्य कोई माल अघर्मसे अपने अनीति व्यय अथवा अघर्मसे किसीऐसे धन (माल)को व्यय (तसर्स्फ) कर डालना कि जो मरनेके समय किसी मरे हुए मनुष्यके अधिकारमें था, काममें यह जानकर लाए कि वह माल किसी मनुष्यके मरते समय उस मरे हुएके अधिकारमें था और यह कि वह माल उस समयसे किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें नहीं रहा है। जो उस अधिकारका कानूनानुसार अधिकारी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी

भीआद तीनवर्षतक हो सकती है और वह जुमानेकेमी योग्य होगा और यदि अपराधी उस भरे हुए मनुष्यकी ओरसे उसके मरनेके समय गुमास्ता अथवा नौकर हो-तो कैदकी भीआद सात वर्षतक हो सकती है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशकर कुछ माल और रुपयेपर अधिकारी होनेकी अवस्थामें फरजाए और रमाईं कर उसका नौकर, इसके पहिले कि वह रुपया किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें आजाए जो उस अधिकारका अधिकारी है, उपरोक्त रुपयेको अधर्मसे अपने अनीतिव्यय (तसर्कफ वेजा) में लाए तो इस अवस्थामें रमाईंकरने वह अपराध किया, जिनका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेजन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (१) पोलीस दस्त-न्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—हिंदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०४ अस्थायर धन (गैर मनकूला माल) से सम्बन्ध नहीं रखेगी । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफा ३३)

२—कोई मनुष्य उस रुपयेके अनीतिव्यय करडालनेमें दफा ४०४ के अपराधका अपराधी होगा, जिसको भरे हुए मनुष्यने उसकी सिपुर्दगीमें रखला हो चाहे उस रुपयेको वह अपने काममें न खया हो । (वीकली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १)

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के बयानमें ।

(४०६) कोई मनुष्य जिसको किसी प्रकारसे कोई माल अथवा किसी मालका प्रबंध

दण्ड योग्य विश्वास-घात (खयानत मुजरि-माना) } धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, कानूनकी किसी आज्ञा-को जिसमें ऐसी सिपुर्ददारीके बर्तनेकी रीति-उहराई गई हो अथवा किसी-प्रगट या अंप्रगट उचित कौल करारको, जो उस सिपुर्ददारीके मध्ये वह करनुका हो तोडकर उस मालको अधर्मसे व्यय करेगा अथवा अपने काममें लावेगा अथवा अधर्मसे उससे काम निकालेगा अथवा अलग करेगा अथवा जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा करने देगा तो वह दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी कहलावेगा ।

- उदाहरण-।

(क) शिवशंकरने जो किसी मरे हुए मनुष्यके मालका अधिकारी था, उस कानूनका उल्लंघन करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीयतनामैके अनुसार माल असबाबको वाट दे, अधर्मसे उस माल असबाबको अपने काममें व्यय किया, तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात किया ।

(ख) शिवशंकर गोदामका मालिक हो और रमाशंकर, जो देगाटनको जाता हो शिवशंकरको अपना असबाब इस नियमपर सौंपजाय कि जिस समय गोदाम धरके मध्ये भाडेका इतना रुपया दे दियाजाय उसे कुल असबाब लौटा दिया जायगा—और शिवशंकर उस असबाबको अधर्मसे बेच डाले तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) किया ।

(ग) यदि कलकत्ताके रहनेवाला शिवशंकर देहलीके रहनेवाले रमाशंकरका गुमास्ता न हो और उन दोनोंमें प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे यह कौल करार हो कि रमाशंकर जो रुपया शिवशंकरको हुंडी करे उसको शिवशंकर रमाशंकरकी आज्ञाके अनुसार लामके लिये लगावे—रमाशंकर एक लाख रुपया इस आज्ञासे शिवशंकरके पास हुंडी करे कि शिवशंकर उसको कम्पनीके प्रामेसरी नोटके मोल लेनेमें लगावे परंतु शिवशंकर अधर्मसे उस आज्ञाके विरुद्ध अपने काममें व्ययकरे तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानतमुजरिमाना) का अपराधी होगा ।

(घ) परंतु ऊपरके पिछले उदाहरणमें यदि शिवशंकर अधर्मसे नहीं बरन् शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि वेक बंगालके हिस्से मोललेना रमाशंकरके लिये अधिकतर लामदायक होगा—रमाशंकरकी आज्ञाके विरुद्ध करे और वेकके प्रामेसरी नोट मोल लेनेके बदले वेक बंगालके हिस्से रमाशंकरके नाम मोल ले तो इस अवस्थामे यद्यपि रमाशंकर हानि उठाये और उस हानिके मध्ये शिवशंकर पर दीवानीमे नालिश करनेका अधिकारी हो तथापि जो कि शिवशंकरने अधर्मसे वर्त्ताव नहीं किया इसलिये शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी नहीं है ।

(च) यदि शिवशंकर जो सरिश्ते मालका ओहदेदार है सरकारी रुपयेका सिपुर्ददार हो आर उस पर चाहे कानूनकी आज्ञाके अनुसार चाहे किसी कौलकरारके अनुसार जो गवर्नमेंटके साथ प्रगट अथवा अप्रगट रीति पर हुआ हो, उचित हो कि वह कुल रुपया सरकारी जो उसके अधिकारमें है किसी मुख्य खजानेमें दाखिल करे—परंतु शिवशंकर उस रुपयेको अधर्मसे अपने व्ययमें लाए तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमानाका) अपराधी है ।

(छ) रमाशंकरकी ओरसे, शिवशंकरको जो माल व असबाब पहुँचानेका पेशा रखता है, कोई माल घरोहरकी रीतिपर सिपुर्द किया गया कि वह उसे थल अथवा जलके मार्गसे पहुँचा दे और शिवशंकर उस मालको अधर्मसे अपने काममें व्यय कर डाले तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी होगा ।

१—यदि कोई मनुष्य किसी रुपयको जो उसने किसी विशेष काममें व्यय करनेके लिये पाया हो उस काममें व्यय न करे और उसका हिसाब मॉर्गेजानेपर हिसाब देनेसे नहीं करे अथवा झूठ हिसाब दे तो वह दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी होगा । (वील्ली रिपोर्टर लिट्ट १० सफा २८)

२—नाज़िर एक बड़े सरिस्तेका अप्सर है और जिस कामके मध्ये वह रिपोर्ट करे अथवा उसको स्वीकार करे उसकी सच्चाईका जिम्मेदार है और वह अपना जिम्मेदारीसे इस बात पर नहीं बच सकता कि उसके मुहर्रिरने उसको धोखा दिया था । (वीकी रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १०९)

(४०६) जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनो प्रकारोंमेसे दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना का दंड.) किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी हांगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीपर जो सब इन्स्पेक्टर पोलीस था, इसबातका अपराध लगाया गया कि उसने एक घोडा कांजीहौसमेसे मोल लिया था—तजवीज हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट १ सन् १८७१ ई० की दफा १९ व हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १६९ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये था, उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४०६ के अपराधमे दंड होना चाहिये था । (वी० रि० जिल्द १६ सफा ५१)

(४०७) यदि कोई मनुष्य, जिसको ढोईदार या घटवार या गोदामके मालिककी मालपहुँचानेवाले (ढोईदार) और घटवार इत्यादिकी ओरसे दण्डयोग्य विश्वासघात. रीतिसे कोई माल सिपुर्द हो, उस मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघान (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४०८) कोई मनुष्य जो गुमास्ता अथवा नौकर हो या जो गुमास्ता अथवा गुमास्ते अथवा नौकर } नौकरके कामपर तैनात हो और जिराको किसी प्रकार गुमास्ती ओरसे विश्वासघात. } स्ता अथवा नौकरके कामके कारण कोई माल अथवा किसी मालका प्रबन्ध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, उपरोक्त मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी हो, तो उपरोक्त

मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४०६ के अनुसार है ।

१—जब एक सब इन्स्पेक्टरने जिसकी चौकसीमे कुछ सरकारी रुपया था वह रुपया अनुचित रीतिपर एक कानिस्टेबिलकी सिपुर्दगीमे रख दिया और अपनेको हानिसे बचानेके अभिप्रायसे निजकी तौर पर उस कानिस्टेबिलसे जमानत लेली और उपरोक्त कानिस्टेबिल अधर्मसे उस रुके को अपने काममे ले आया, यद्यपि फिर उसने पीछेसे उस रुपयेका लौटा दिया—हाईकोर्टने मुकद्दमेको दफा ४०८ (न कि दफा ४०९ के अनुसार समझा और अपराधीको १० वर्षके काले पानी और ५००) ६० जुर्मानेके दंडके स्थानपर बिनाजुर्माना एकवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया । (वी० रि० जिल्द ८ सफा १)

२—जब कोई नौकर किसी विशेष कामके लिये कुछ रुपया पावे और वह उसी काममे वह रुपया न लगावे और जब उससे उपरोक्त रुपयेका हिसाब मांगाजावे तो वह झूठ मूठ यह कहे कि उसने उस रुपयाको उसी काममे लगाया है तो ऐसी अवस्थामे उपरोक्त मनुष्य दफा ४०८ के अनुसार अपराधका अपराधी होगा (व० ल० रि० जिल्द १ सफा २१)

(४०९) जो कोई मनुष्य किसी भाति सिपुर्ददार किसी मालका अथवा मालके सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या आढतिये की ओरसे विव्वासघात, प्रद्वन्धका सरकारी नौकरके कारण अथवा महाजन या सौदागर या आढतिये या दलाली या कारिन्दगरीके कारण हो कर उस मालके मध्ये दण्ड योग्य विव्वासघात करेगा उसको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड-दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४०७ के अनुसार है ।

१—अपराधीने उस निश्रयको जो सरकार उसके मध्ये रखती थी पूरा कर दिया, और उसका कुछ समय तक रुपयेका रोकना, दफा ४०९ के अनुसार अपराधमे न गिना जायगा जबतक कि अधर्मकी गवाही न पाई जावे । (इ० ल० रि० बम्बई जिल्द १० सफा २५६)

२—एक कानिस्टेबिल एक घरकी चौकसी करता था, जिसमें सरकारी माल रक्खा था उसने उस घरसे वह माल चुरा लिया—तबबीज हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा ३८० के अनुसार दंड देना चाहिये था नकि दफा ४०९ के अनुसार । (वी० रि० जिल्द ३ सफा ३०)

चोरीका माल लेनेके वयानमें ।

(४१०) वह माल कि जिसपर चोरी अथवा दवाकर लेने अथवा जोरीसे, अधिकार चोरीका माल (मात्रम } किया गया हो और वह माल, कि जो दंड योग्य अनीति-
संरूका.) } व्यय (तसर्कफ बेजा मुजरिमाना) मे लाया गया हो अथवा जिसके मध्ये दंडयोग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध किया गयाहो "चोरीका माल" कहा जायगा—चाहे वह चोरी अथवा जोरी या अनीतिव्यय या दंड योग्य विश्वासघात ब्रिटिश इंडियाके भीतर हुआ हो अथवा बाहर,—परन्तु वह माल यदि पीछेसे उस मनुष्यके अधिकारमें आजाए कि जो उसके आधिकारका उचित रीतिपर अधिकारी है तब फिर वह माल "चोरीका माल" न कहा जावेगा ।

१—जो रुपया जाली मनीआर्डरोंके द्वारा प्राप्त किया जावे वह दफा . ४१० मे लिखे हुए चोरीके मालमें न गिना जायगा । (वी० रि० जिल्द २४ सफा ३३)

२—जब कोई हिन्दू किसी रिश्तेदारके मरनेके उरांत कोई सांड अपने हिन्दुधर्म मालके अनुसार मृतककी आत्माके सुखके लिये स्वाधीन करदेता है, तब उसके पश्चात् वह उसका धन नहीं रहता—जो कोई अधर्मसे उसको अपने-अधिकारमे लाए उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४१० व ४११ का अपराध नहीं ठहर सकता । इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ३४८)

(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल यह जानकर अथवा निश्चय करनेका अधर्मसे चोरीके माल- } कारण रखकर कि वह माल चोरीका माल है अधर्मसे ले अथवा
को लेना. } ले रखे उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेवान य प्रे० म० या म० अ० या म० दे० (२) पोलीस दस्त-
न्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजी-
नहीं है ।

१—अधर्मसे चोरीका माल लेना चोरीके अपराधके समान नहीं है, इसलिये दफा ४११ के अपराधमें बेतका दण्ड देना अनुचित है । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६२६)

२—यह बात कानूनके विरुद्ध है कि किसी मनुष्यपर चोरीमें सहायता करनेका अपराध प्रमाणित किया जावे और साथही उसके उसपर चोरीका माल लेनेका अपराध ठहराया जावे । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३७९)

३—किसी अपराधीकी एकही तजवीज-दफा १११ के अपराधके मध्ये (चोगेका माल लेने) व दफा ४१३ (आदतन चोरीकी जायदाद लेने) के मध्ये नहीं हो सकती । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ६३४)

४—जब कोई मनुष्य दफा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जावे तो इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि उस मनुष्यने उस मालको चोरीका माल समझकर अधर्मसे लिया, विना इस बातके प्रमाणित हुए, केवल इसही बातपर कि वह उपरोक्त माल अपराधीके अधिकारमें है, अपराधी पर दफा ४११का अपराध नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा २२४)

५—एक जानी पीनेका गिलास अक्टूबर सन् १८८३ ई० में चुराया गया और सितम्बर सन् १८८४ ई० में अपराधीके यहा निकला—अर्थात् उसके अधिकारमें ग्यारह महीनेतक चोरी हो जानेके उपरान्त रहा—इसलिये यह कयास अपराधीके विरुद्ध इतना कम होजाता है कि केवल इसी बातपर उससे यह भी नहीं पूछा जाना चाहिये कि, वह चोरीका माल उसके अधिकारमें कैसे आया—यह बात कि किन २ अवस्थाओंमें वर्तमानका अधिकार विचारा जाना चाहिये । एक ऐसी बात है जिसका फैसला चोरीके मालके ऊपर होना आवश्यकीय काम है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६०)

६—पोलीसको, विना कानूनी सूचनाके, ऐसे मनुष्यको पकडने (गिरफ्तार) का अधिकार है कि जिसके यहा चोरीका माल पाया जावे—पोलीसको किसी ऐसे घरकी तलाशी करनेका भी अधिकार है कि जिसमें चोरीका माल होनेका संदेह होवे । (बी० रि० जिल्द ८ सफा २८)

७—जब मिसलमें इस बातकी गवाही न हो कि वह माल, कि जिसके लेनेके मध्ये अपराधीपर दफा ४११ का अपराध ठहराया गया है, वास्तवमें चोरीका माल है—तब अपराधीको इस दफाके अपराधमें दंड नहीं दिया जाना चाहिये । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफा १८७)

८—एक मनुष्यको विरुद्ध, कि जिसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४११ का अपराध लगाया गया था, केवल इस बातकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं वह स्थान बतला दिया कि जहा कुछ चोरीका माल किसी दूसरे मनुष्यके खेतमें छुपा रखा था—तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि ऊपर लिखी हुई दफाके अपराधमें दंड देनेके लिये केवल इतनीही गवाही काफी न समझी जावेगी इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा ५७६)

९—दफा ४११ का अपराध प्रमाणित करनेमें यह बात स्पष्ट २ मालूम होना चाहिये कि जो माल अपराधीके यहा था उसका स्वामी (मालिक) असुक्त मनुष्य था । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ९५)

१०—जिस मनुष्यको किसी मालके मध्ये दंड योग्य विद्वासघात (खयानत मुजरिमाना) के अपराधमें हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४०९ के अपराधमें दंड हो चुका हो उसको उसी

मालके मध्ये दफा ४११ के अपराधमें दूसरा दण्ड नहीं दिया जा सकता । रिपोर्टर हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा ३१२)

११—जो मनुष्य डकैतीके अपराधमें दण्ड पा चुका हो वह उसी मालके मध्ये चोरीका माल लेनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । (वीक्ली रिपोर्टर सन् १८६४ ई० सफा २७)

१२—चोरने (अ) का माल चुराकर (ब) के यहां रहन रख दिया जिसने वह माल बिना किसी अधर्मसे रख छोड़ा—चीफकोर्टने वह माल ऐक्ट ८ सन् १८६९ ई० की दफा १३२ के अनुसार (अ) को लौटवा दिया । (पंजाब रिकार्ड न ३७ सन् १८७० ई०)

१३—जाब्ता फौजदारी ऐक्ट २५ सन् १८६१ की दफा ३२ के अनुसार मजिस्ट्रेटको किसी ऐसे दफा ४११ के अपराधीका विचार करनेका अधिकार नहीं है जो दूसरी रियासतका रहनेवाला है । परन्तु जब कि चोरीका माल लेनेका अपराध सरकारी राज्यसे बाहर हुआ हो । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफा ३८)

१४—यदि कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ८५ के अनुसार कैदसे छूट जावे तो इस बातपर वह मनुष्य जो उस चोरीके मालको उस कम अवस्थावाले चोरसे लेवे, दफा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नहीं छूट सकता । (इ० ल० रि० मदरास जिल्द ६ सफा ३७३)

(४१२) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल अधर्मसे ले अथवा ले रखे, जिसके

जो माल डकैतीमें चुराया गया हो, उसे अधर्मसे लेना.	}	मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डकैतीके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा किसी मनुष्यसे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि
--	---	--

वह डाकुओंके समूहमें साझी है अथवा साजगी रहा है, कोई माल अधर्मसे ले जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद दश वर्षतक होसकता है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(नेतके दंडके लिये ऐक्ट न० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

कुछ मनुष्योंके यहां, जो अंगरेजी राज्यके रहनेवाले नहीं प्रमाणित किये गए थे, रियासत हिन्दुस्थानमें डकैतीका माल पाया गया कि जो डकैती अंगरेजी राज्यमें की गई थी, उनका डकैतीमें साझी होना नहीं प्रमाणित किया गया और कोई गवाही इस बातकी नहीं पाई गई कि उन्होंने कोई चोरीका माल ब्रिटिश इंडियामें प्राप्त किया अथवा रक्त्ता उन्हें ५१२ के अपराधमें दंड दिया गया—तजवीज हुई कि अंगरेजी राज्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना प्रमाणित नहीं है । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफा ५२३)

(४१३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माल जिसको वह जानता अथवा निश्चय कर-
 स्वाभाविक (आदतन) चोरीके मालका व्यवहार करना, } नेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है स्वाभाविक
 (आदतन) लिया करता हो, उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकाले-
 का टड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका टड दिया
 जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है, और वह जुमानिके भी योग्य होगा।

टीप—दफा ४१२ के अनुसार है।

(बेतके दडके लिये ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ को देखो)

१—कोई मनुष्य स्वभावसेही चोरीका माल छेनवाला नहीं कहलाया जासकता जब कि उसने
 कुछ चोरियोंका माल कुछ चोरोंसे एकही दिनमें लिया हो दफा ४१३ का अपराध ठहरानेमें यह
 प्रमाणित करना चाहिये कि अलग २ की चोरियोंका माल अलग २ समयोंपर लिया गया। इ० अ०
 रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा १९०)

(४१४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको छुपाने अथवा अलग करने अथवा नष्ट
 चोरीका माल छुपानेमें } करनेमें जानबूझकर सहायता करे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा
 सहायता देना } निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है तो
 उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका टड दिया जावेगा, जिसकी मीआद
 तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुमानिका टड या दोनो दंड दिये जावेगे।

टीप—दफा ४११ के अनुसार है।

१—अपराधी हि० द० की दफा १९३ (झूठी गवाहीके बनाने) के अपराधमें वं दफा ४१४
 (चोरीका माल छुपाने) के अपराधमें अर्थात् दोनो अपराधोंमें अलग अलग दंड पा सकता है।
 (इ० अ० रि० इलाहाबाद जिल्द २-सफा ३७९)

छल (दगा) के विषयमें ।

(४१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको धोका देकर उस धोखा खानेवाले
 छलना, } मनुष्यको छलसे अथवा अधर्मसे ऐसा फुसलावे कि वह कोई माल
 किसी मनुष्यको देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट करे कि
 कोई मनुष्य कोई माल ले रखे अथवा धोखा खानेवाले मनुष्यको किसी ऐसे कामके
 करने अथवा न करनेके लिये जानबूझकर फुसलावे, जिसको वह कमी न करता

अथवा करनेमें न चूकता, जब कि उसको इस प्रकार धोखा न दिया जाता और जो काम अथवा चूक उस मनुष्यके शरीर या चित्त या नेकनामी या मालको हानि पहुँचाए अथवा उसका पहुँचना अति सम्भवित हो, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यमें छल किया ।

स्पष्टीकरण—अधर्मसे किसी बातको छुपाना एक धोखा देना है जो इस दफाके अर्थमें गिना जासकता है ।

उदाहरण ।

(क) देवदत्त झूठ प्रतीति किया हुआ मुल्की नौकर बना और यज्ञदत्तको जानबूझकर धोखा दिया और उस धोखेके कारण अधर्मसे कुछ माल जिसके लौटानेकी इच्छा न थी यज्ञदत्तसे उधार लिया तो देवदत्तने छल किया ।

(ख) शिवशकर किसी वस्तुपर कोई झूठा चिह्न लगाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह वस्तु असुक्त नामवर कारीगरकी बनाई हुई है और इस प्रकार पर धर्मसे रमाशंकरको उपरोक्त वस्तुके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको किसी वस्तुका झूठा नमूना दिखाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह वस्तु नमूनाके अनुसार है और इस प्रकार रमाशंकरको उसके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(घ) यदि शिवशंकर किसी वस्तुके मोलमें किसी कोठीपर जिसमें शिवशंकरका रुपया जमा नहीं है, एक विल पेश करे, और उसको यह निश्चय हो कि उस कोठीमें यह विल न पड़ेगा, और इस प्रकार रमाशंकरको जानबूझकर धोखा दे और इस प्रकारसे उसको, उपरोक्त वस्तुके देनेके अधर्मसे फुसलावे और उसका मोल न देना शिवशंकरकी इच्छामें हो तो शिवशंकरने छल किया ।

(च) यदि शिवशंकर ऐसी वस्तुको हीरोके समान गिरोरखकर, जिनको वह जानता है कि हीरा नहीं है, जानबूझकर रमाशंकरको धोखा दे और इस प्रकार रमाशंकरको रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि जो रुपया तु, तुझको ऋण देगा उसके चुकानेकी मैं इच्छा रखता हूँ और इस प्रकारसे रमाशंकरको अधर्मसे रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, और शिवशंकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो शिवशंकरने छल किया ।

(ज) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मैं तुझको इतनी नीलकी लॉक दूंगा जिसका देना उसकी इच्छामें न हो और उसके द्वारा इस देनेके निश्चय कर रमाशंकरको कुछ रुपया पेशगी देनेके लिये अधर्मसे फुसलावे तो शिवशंकरने छल किया ।

परन्तु यदि रुपया लेते समय नीलकी लांकका देना शिवशकरकी इच्छामें हो और इसके पीछे वह अपना करार रोड डाले और नीलकी लाक न दे तो वह छल नहीं करता है परन्तु करार तोड़नेके मध्ये उसपर केवल दीवानीमें नालिश होसकती है।

(क) शिवशकर रमाशकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मेरे और तेरे बीचमें जो वचन हुआ था उसके मध्ये मैंने अपना इकरार पूरा किया, जिसको उसने पूरा न किया हो और इस प्रकार अधमसे रमाशकरको रुपया देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशकरने छल किया।

(ट) शिवशकर कोई जायदाद रमाशकरके हाथ बेचे और उसके नाम लिखा पढी करदे और फिर यह जानकर कि बेचनेके कारण उस मालमें मेरा कुछ अधिकार नहीं रहा, विना इस बातके प्रगट किये कि रमाशकरके हाथ पहिले यह जायदाद विक्रि चुकी है उमाशकरके हाथ उसको बेच दे अथवा रेहन कर दे और उमाशकरसे बेच अथवा रेहनका रुपया ले ले, तो शिवशकरने छल किया।

१—(अ) ने अपनेको झूठ मूठ (ब) बनाकर एक यूनिवर्सिटी इन्सिद्दहानका (ब) के नामसे टिकट लिया—और प्रभोत्तरके पत्रोंके सिरनामपर (ब) के नामके हस्ताक्षर किये तजवीज हुई कि (अ) ने जाल तथा छलका अपराध किया (इ० ल० रि० मद्रास जिल्द १२ सफा १५१)

२—एक मनुष्यने किसी जिलेकी पोलीसमें, डिस्ट्रिक्ट सुपिन्डेन्डेन्ट पोलीसको ऐसी बातें बतलाकर जिन्हे वह झूठ जानता था, भरती होनेका बल किया—तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध हिदुस्थानके दखसग्रहकी दफा १७७ या १७८ अथवा छलके अपराधका उद्योग दफा ४१५ के अनुसार नहीं किया। (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६७)

३—जब अपराधी दो लडकियोंको मोल लेकर एक दूसरे जिलेको लेभये और यह कर कि वे ऊंची जातकी लडकिया थी उनका व्याह दो- राजपूतोंके साथ कर दिया और उनसे कुछ रुपया ले लिया, तब तजवीज हुई कि उनके ऊपर दफा ३७३ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता था बरन् वे दफा ४१५ व ४१६ के अपराधके अपराधी थे। (वीली रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ५५)

(४१६) जब कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका मिस करके कि वह कोई और दूसरा मनुष्य बनकर } मनुष्य है, अथवा जानबूझकर एक मनुष्यको कोई दूसरा मनुष्य बना छल करना. } करके अथवा अपने आपको या किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा मनुष्य प्रगट करके कि जो वह स्वयं अथवा दूसरा मनुष्य न हो छल करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरा मनुष्य बनाकर छल किया।

स्पष्टीकरण—जिस मनुष्यका मिस कियागया वह चाहे सचमुच हो चाहे मनसे बना लिया गया हो, तो भी यह अपराध हो सकेगा।

उदाहरण।

(अ) शिवशकरने अपनेको अपने नामवाले किसी धनवान कोठीवालेका मिस करके छल किया तो कहा जायगा कि शिवशकरने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया।

(२४८) रमाशंकर यह बनकर छल करे कि मैं शिवशंकर हू और शिवशंकर एक सराहुआ मनुष्य होते रमाशंकरने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया ।

१—अपराधीने एक दूसरे मनुष्यसे कहा कि, अमुक लडकी ब्राह्मणकी बेटी है, यद्यपि वास्तव में वह शूद्रा भी, और वह कहकर उस मनुष्यको बहँकाया कि वह अपराधीको कुछ रुपया देकर उस लडकीका ब्याह अपने भाईके साथ करले तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४१६ के अनुसार छल करनेका अपराध किया था (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ४२)

(४१७) जो कोई मनुष्य छल करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी छल करनेका दंड, } कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपनेको अपसर पोलीस कहकर गांवके लोगोसे कुछ रुपया ले लिया—तजवीज हुई कि अपराधीने छल करनेका और झूठे तौरपर अपसर पोलीस बननेका अपराध किया था (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा २९)

२—जो मनुष्य रेल गाडीके छोटे क्लासका किराया देकर बड़े क्लासकी गाडीमें बैठ जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१७ का अपराधी नहीं हो सकता वरन् वह रेलवे ऐक्टके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बवई जिल्द १ सफा १४०)

३—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यसे, छल की रीतिपर बहँकाकर अथवा अधर्मसे अथवा उस मनुष्यको दुःख पहुँचानेका डर दिखाकर, कुछ रुपया लेवे तो वह छल करनेके अपराधमें दफा ४१७ अथवा दवाकर लेनेके अपराधमें दफा ३८३ व ३८४ के अनुसार दंड योग्य होगा । (वीह्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ३२)

(४१८) जो कोई मनुष्य यह जानबूझकर छल करेगा कि इससे अनीति हानि उस छल करना यह, जान कर कि उससे किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचे जिसकी स्वार्थकी रक्षा करना उस अपराधी पर अवश्य है, } मनुष्यको होनी अति सम्भवित है जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस पर उसी विषयमें जिससे वह छल सम्बन्ध रखता हो कानूनकी आज्ञानुसार अथवा किसी कानूनी कौल कारारके अनुसार अवश्य है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४१७ के अनुसार है ।

(४१९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे दूसरा मनुष्य बनकर } किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद
छलना - } तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों
दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्त-
न्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५)
राजीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई मनुष्य अपनेको दूसरा मनुष्य प्रगट करके गवाही दे, तो उसपर झूठी गवाही
देनेका अपराध दफा १९३ के अनुसार ठहराना चाहिये, न कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१९
के अनुसार । (रि० हाईकोर्ट बंबई जिल्द १ सफा ८९)

२—एक मनुष्यने जिसका नाम ऐस था अपराधीको चार आने इस अभिप्रायसे दिये कि वह
उसके लिये एक स्टाम्पका कागज मोललावे—जब स्टाम्प कलक्टरने अपराधीसे उसका नाम पूछा तो
उसने अपना नाम बतानेके बदले ऐसका नाम बताया—तजवीज हुई कि यह अपराध हिन्दुस्थानकी दण्ड-
संग्रहकी दफा १९७ के अनुसार झूठी खबर देनेका हुआ न कि दफा ४१९ के अनुसार छलनेका ।
(वी० रि० जिल्द ३ मदरास ४२)

३—अपराधीने इत्तिहार दिया कि अग्नेकी शब्दोंका कोप बनाया हुआ रजर्ट एस विल्सन एम,
ए का तैयार है जिसका मूल्य २॥) है तलाशसे जाना गया कि अपराधीके पास कोई ऐसी पुस्तक-
बेचनेके लिये नहीं थी—तजवीज हुई कि अपराधीने जाल व छलका अपराध किया था । इ० ल० रि०
मदरास जिल्द १३ सफा २७)

(४२०) जो कोई मनुष्य छलकरे और उसके द्वारा धोखा खानेवाले मनुष्य
-छल-और अधमर्मसे } को अधर्मसे फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको दे
माल दिला देना. } अथवा किसी किफालतुलमालके कुल या किसी मागको
अथवा किसी वस्तुको जिसमें कोई दस्तखत अथवा मुहर हो अथवा जो किफालतुलमाल बन
सकती हो, बनाए या बदले या नष्ट करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद सातवर्षतक हो सकती है और वह
जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर
सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा
नहीं है ।

१—अपराधीने मुहकमे अकालके ऑफसरसे कुछ चावल सोलह सेर की रुपयाके भावसे मोल
लिये और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसको पन्द्रह सेरके भावसे बेचेगा, परंतु उसने वह चावल बारह

सरके भावसे बेच डाले, इसलिये वह दफा ४२० हि० द० का अपराधी ठहराया गया तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २४ व २४ के अनुसार किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा खाम नही हुआ इसलिये कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१५ के अनुसार नही किया गया (वील्ली रिपोर्टर जिल्द २२ सफा ८२)

छल छिद्र दस्तावेजों और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।

(४२१) जो कोई मनुष्य विना लेने उचित एवज (बदला) के कोई माल साहूकारोंमें बँटजानेसे अथवा अलग करनेके लिये मालको अलग कर देना अथवा छुपाना, अथवा अथवा किसी मनुष्यको सिपुर्द करे या देवे या दिलावे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्वित जानकर कि उसके द्वारा उपरोक्त माल उसके साहूकारों अथवा किसी दूसरे मनुष्यके साहूकारोंमेंसे बीचमे कानूनके अनुसार बँटजानेके लिये रुकजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० र्थी म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नही है ।

(४२२) जो कोई मनुष्य किसी ऋण अथवा तगादेको, जो उसका अपना किसी ऋण अथवा तगादेको अपने साहूकारोंको मिलनेसे अथवा अथवा किसी दूसरे मनुष्यका पाना हो अपने ऋण अथवा उस दूसरे मनुष्यके ऋणके अदा होनेके लिये कानूनके अनुसार लिये जानेमे छल अथवा अधर्मके साथ रोके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है ।

(४२३) जो कोई मनुष्य अधर्म अथवा छलसे किसी ऐसे दस्तावेज या लेख पर दस्ताखत करे अथवा उसको लिखे अथवा लिखाने-ज आदिका लिखना जिस वालोंमेंसे एक बने जिस दस्तावेज या लेखमे यह लिखावट में मोलकी तादाद झूठी हो कि कोई माल अथवा उपरोक्त मालका अधिकार लिखा हो, उसके द्वारा बदल जावे अथवा उसपर कोई खर्च पड़े और जिसमें कोई झूठ बयान उस उपरोक्त बदलने अथवा खर्चके मोलके मध्ये लिखा

हो अथवा वह झूठ बयान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योंसे सम्बन्ध रखता हो जिसके अथवा जिनके बर्ताव या लामके लिये उसका काममें आना आवश्यकताय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है ।

(४२४) जो कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका कोई माल अधर्म मालको अधर्मसे दूर } अथवा छलसे छुपाये या दूरकरे या उसके छुपाने अथवा दूर करनेमें करना अथवा छुपाना. } अधर्म या छलसे सहायता करे, अथवा अपना कुछ उचित तगादा या दावा अधर्मसे छोड़ दे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीमाद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४२१ के अनुसार है ।

हानि पहुँचाने (नुकसानरसानी) के बयानमें ।

(४२५) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना अति हानि पहुँचाना } सम्भवित जानकर कि सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हरजा पहुँचाए, किसी वस्तुके नष्टका अथवा किसी वस्तुके ऐसे बदलने अथवा उसके स्थानके ऐसे बदलनेका कारण हो जिससे उसकी वस्तु अथवा काममें आनेका योग्यता नष्ट हो जाए अथवा कम हो जाये अथवा जिससे उसपर हानि पहुँचती हो तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुँचानेका अपराध किया ।

स्पष्टीकरण—१—हानि पहुँचानेके अपराधमें यह कुछ अवश्य नहीं है कि उस वस्तुके मालिकको, जिसे हानि पहुँचाई गई अथवा जो नष्ट हो चुका, हानि अथवा हरजा पहुँचाना अपराधी का इच्छामें हो, वरन इतनाही बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कामका होना उसका जानकारोंमें हो कि किसी वस्तुको हानि पहुँचानेके द्वारा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हरजा पहुँचाए, चाहे वह वस्तु उसी मनुष्यकी हो अथवा न हो ।

स्पष्टीकरण—२—हानि पहुँचानेका अपराध किसी ऐसे कामके द्वारा हो सकता है जो किसी वस्तुपर प्रभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिलकियत हो जो हानि पहुँचानेका अपराध करता है चाहे उस मनुष्य और दूसरे मनुष्योंके साझे का हो ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको अनीतिहानि पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी किसी दस्तावेजको जानबूझकर जलादे तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसके बर्षखानेमे पहुँचाए और इस प्रकारसे बर्ष पिघलनेका कारण हो तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका कारण हुआ ।

(ग) शिवशंकर, रमाशंकरको हानि-पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी अंगूठी जानबूझकर नदीमे फेकदे, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरका जो ऋण मुख्यपर आता है उसको चुकानेके लिये मेरा असबाब कुर्क होनेवाला है, उस असबाबको नष्ट कर डाले, इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अपना ऋण पानेसे रोके और इसप्रकारसे रमाशंकरको हरजा पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(च) शिवशंकर किसी जहाजका बीमाकरके जानबूझकर उस जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि वह बीमेवालीको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(छ) शिवशंकर किसी जहाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको जिसने उस जहाजपर रुपया ऋण दिया हो हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(ज) शिवशंकर जो रमाशंकरके साझेमे किसी घोड़ेका मालिक हो, उस घोड़ेको गोली मारे इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरके खेतमें चौपाथेके खुसजानेका कारण हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके खेतकी उपजको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ ।

१—गुलजारीलालको एक गढेमेंसे कुछ मिट्टी ले लेनेके अपराधमे दफा ४२५ के अनुसार दण्ड हुआ—तजवीज हाईकोर्टे हुई कि अपराधीके कामसे ऐसी तुच्छ हानि पहुँची थी कि जिससे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसलिये अपराधी छोड़ दिया गया । (वीह्नी नोटिस इलाहाबाद किताब माह नवम्बर सन् १८६२ ई० सफा २२९)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ में लिखेहुए शब्द “वस्तु” से किसी जानदार वस्तुका अभिप्राय नहीं है । कोई साड जो किसी हिन्दूके आश्रममें छोड़ दिया जावे एक वस्तु इस दफाके अभिप्रायसे भीतर नहीं है, और जब कि ऐसे जानवरको सुसलमान चुराकर गोप्त और चमडेके लालचसे मारडालें तो कोई अपराध दफा २९५ के अनुसार नहीं किया-गया और साड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर वनमे नहीं है । (इ० ख० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा २५२)

(४२६) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचावे, उसका दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको हानि पहुँचानेका दण्ड } कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा हासिलकर्ता है जब कि हानि अथवा हरज किसी अपनेही मनुष्यका किया गया हो ।

१—किसी ऐसे दस्तावेजका नष्ट कर डालना जिसमें ऐसे ह्कारारका नियम लिखा है, कि जो सम्यताविषय होनेके कारण नाजायज (न मानने योग्य) है हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४२६ के हानि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा । (३० ला० रि० मद्रास जिल्द ९ सफा ४०१)

२—उस जानवरका मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतपर जाकर उसके खेतोंको हानि पहुँचावे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४२६ के अनुसार में लिखे हुए हानि पहुँचानेके अपराधका अपराधी नहीं ठहर सकता, सिवाय उस अवस्थाके कि जब उसने उस जानवरको जानबूझकर उक्त खेतमें हँका दिया हो । (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा १७३)

३—एक मनुष्य (अ) को किसी मजिस्ट्रेटने हानि पहुँचानेके अपराधमें दण्ड दिया, इस बात पर कि उसने २०) का एक प्रामीसरी नोट फाइ डाला तजवीज हुई कि जो अपराध अपराधनि किया है वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७७ में गिना जायगा ।

(४२७) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचानेका अपराधी हो और उसके द्वारा पचास हानि पहुँचानेके द्वारा } रुपये अथवा अधिककी हानि या हरजा का कारण हो उसको दोनों पचासरुपया तकका हरजा } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसका पहुचना. } मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है । सिवाय उस अवस्थाके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गई हो ।

(४२८) जो कोई मनुष्य दश रुपयके मोलके किसी पशु अथवा पशुओंके मार डालने दश रुपयावाले किमी } या विप देने या उसके किसी अगको बेकाम करने अथवा उसको पशुको मारकर हानि पहुँ- } बेकाम करनेकेद्वारा, हानि पहुँचानेका अपराधी हो उस मनुष्यको चाना. } दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसका मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४२९) जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोड़े या खच्चर या भैस या बैल पशुआदि अथवा पचास रुपयेके मोलका कोई पशु मार डालने आदिसे हानि पहुँचाना, या गाय या बधियाको जिसका मोल चाहें जितना हो अथवा पचास रुपये या अधिक मोलके किसी दूसरे पशुको मार डालने या विष देने या उसके अगको बेकाम अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा हानि पहुँचावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिया जावेगे ।

टीप—दफा ४२८ के अनुसार है । परन्तु इसकी तजवीज सेगनमें भी हो सकती है ।

१—अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुन्नीलालने हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार अपने चचेरे भाईके मरने पर छोड़ रक्खा था, इस कारण गोलीसे मारडाला कि उसने अपराधीके खेत को कुछ हानि पहुँचाई थी मजिस्ट्रेट उसको दफा ४२९ का अपराधी ठहराया—तजवीज हुई कि उपरोक्त सांड पर किसीका अधिकार न था, इसलिये दफा ४२९ का अपराध उसपर नहीं प्रमाणित होसकता (वील्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अप्रैल रन १८८४ ई०; सफा ७८)

(४३०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वास हानि पहुँचावे जिससे खेतीके खेती आदिके लिये पानी की कमी करके हानि पहुँचाना, कामों या मनुष्योके खानेपीनेके कामो या ऐसे पशुओंके कि जो माल है खानेपीनेके कामों अथवा स्वच्छताके कामो अथवा कोई कारखाना चलनेके कामोके लिये पानी का पहुँचना घटे अथवा घटना अति सम्भवित हो—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है ।

१—जब गवाहीसे यह बात पाई गई कि अकेला मुद्दई एक पानीकी नहरका मालिक है, और अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नहीं है, तो अपराधीकी ओरसे पानीका कमकर देना दफा ४३० के अनुसार हानि पहुँचानेके अपराधमे गिना जायगा, चाहे वह उपरोक्त नहरका पानी कम करनेके मध्ये अपना अधिकार बयान करता हो ।

(४३१) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके, जिससे कोई सर्व सम्बन्धी मार्ग या सर्वसम्बन्धी मार्ग या नदी या पुलके हानि पहुँचानेकेद्वारा हानि पहुँचाना, पुल, अथवा नाव चलने योग्य नदी या नहर या नाला दुर्घट हो जाय अथवा चलने या माल पहुँचानेके लिये आने जाने योग्य न रहे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न पडजावे अथवा ऐसा हो जाना अति सम्भवित जानता हो—हानि पहुँचावे—तो उसको दोनो प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४२९ के अनुसार है ।

(४३२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो—जो अहलाकार अथवा पानीका निकास रोककर हानि पहुँचाना } किसी ऐसे सैलाब फैलानेका अथवा किसी नावदानकी ऐसी रोकका कारण हो, अथवा जिसको अपराधी जानता है कि उस कामके कारणसे ऐसे सैलाब फैलने अथवा ऐसी रोकका होना सम्भव है जिससे हानि या हरज हो सकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी मीमाद पाचवर्ष तक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनो दंड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४२९के अनुसार है ।

(४३३) जो कोई मनुष्य किसी लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा किसी प्रकाश लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा समुद्रके चिह्नको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा कुछ एक निकम्मा कर देकर हानि पहुँचाना } शको जो समुद्री चिह्नकी माति काममें आता हो; अथवा किसी समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न, अथवा किसी और पदार्थको जो जहाज चलानेवालोंका मार्ग बतानेके लिये बनाया गया हो मिटाने अथवा हटानेके द्वारा या किसी ऐसे कामकेद्वारा, जो ऐसे लायट हौस या समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न या उस प्रकारके किसी और पदार्थको जिसका वर्णन ऊपर हुआ, जहाजके चलानेवालोंको मार्ग बतानेके लिये कुछ एक बेकाम कर दे, हानि पहुँचानेका अपराधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सातवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) पोलिस दस्तान्दाजी करसकती है (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४३४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे धरतीके ठीहेको जो सरकारी आज्ञानुसार धरतीके ठीहे (चिह्न) को जो सरकारकी आज्ञानुसार बनाया गयाहो } बनाया गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा, अथवा किसी ऐसे कामके द्वारा जिससे वह धरतीका ठीहा कुछ बेकाम हो जाय हानि पहुँचानेका अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलिस दस्तान्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४३५) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि किसी सौ रुपया अथवा अधिकके मालमें या जत्र कि जायदाद खेतीकी उपज हो तो दश रुपया या अधिकके मालमें हरजा पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत मेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।
(सब लोगोको उचित है कि वे दफा ४३५ व ४३६ के अपराधोंकी सूचना दे) ऐक्ट न० सन् १८८२ ई० की दफा ४४ को देखो ।

(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडजाने वाले पदार्थके आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्ट करनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना, द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी घरकी बरवादीका कारण हो पूजाके स्थानकी भांति अथवा मनुष्योंके रहनेके स्थानकी भांति या माल असब्रावके रखनेके स्थानकी भांति काममें आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत मेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा है ।

१—आगके द्वारा हानि पहुँचानेके अपराध (दफा ४३६) में यह बात अवश्य होना चाहिये कि आग ऐसे घरमें लगाई गई हो जो मनुष्योंके रहनेके लिये काममें आता हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफा ३०)

(४३७) जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव (जहाज) अथवा किसी नावके पटी हुई नाव या ५६० मन बौझ ले जानेवाले नावको नष्ट करना अथवा उसको जोखिममें डालनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना, मध्ये जिसमें ५६० मन अथवा अधिक बौझ लद सकता हो हानि पहुँचानेका अपराधी हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसको नष्ट करे अथवा उसका निर्विघ्नतामें विघ्न डाले, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४३६ के अनुसार है ।

(४३८) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी मकसे उड़ जानेवाले पदार्थके द्वारा उस पिछली दफामें कही हुई हानि पहुँचानेका दण्ड जब कि वह हानि आगके द्वारा अथवा किसी मकसे उड़नेवाले पदार्थके द्वारा पहुँचाई जाय

हानिको पहुँचावे अथवा पहुँचानेका उद्योग करे जो इससे पहिलेकी पिछली दफामें कही गई है, तो उस मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दस वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा।

टीप-दफा ४३६ के अनुसार है।

(४३९) जो कोई मनुष्य किसी नावको जानबूझकर कम गहरे पानीकी धरती पर चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारे पर टकराना, टकराए, अथवा किनारेपर टकराए, इस अभिप्रायसे कि कोई माल जो उस नावमें हो चुराए या अधर्मसे उस मालको अनीतित्वय (तसर्लफ वेजा) में लाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह माल चुराया अथवा अनीतित्वयमें लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दस वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा।

टीप-दफा ४३६ के अनुसार है।

(४४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी मृत्यु या दुःख (जरर, या अनीति रोक मृत्यु अथवा दुःख (मुजाडिमतवेजा) की, या मृत्यु या दुःख या अनीति रोकके (जरर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत हानि पहुँचाना, दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार की कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पाच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके मी योग्य होगा।

टीप-(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है।

दण्ड योग्य अनीति प्रवेश (अनधिकार प्रवेश) (मुदाखलत वेजा मुजारिमाना) के वर्णनमें।

(४४१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिलकियतपर जिस पर दूसरेका दण्ड योग्य अनीति अधिकार हो,—कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका प्रवेश (मदाखलतवेजा उस माल मिलकियत पर अधिकार हो उसको डराने अथवा मुजरिमाना) उसका अपमान करने अथवा उसको खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे दखल करेगा अथवा कानूनानुसार उस माल मिलकियतपर दखल करके उस

मनुष्यको डराने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे वहाँ अनीति रीति पर ठहरेगा तो कहा जावेगा कि उसने “दंड योग्य मदाखलत बेजा” की। (देखो दफा ४०)

१—जो मनुष्य सर्व सम्बन्धी मार्गसे तीन मीलकी दूरीपर किरायेपर नाव चलावे, उसके मध्ये दफा ४४१ का अपराध होना नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५२७)

२—लोकल फडके किसी बाजारके भीतर केवल इस अभिप्रायसे जाना कि उसको महसूल न देना पड़े, मदाखलतबेजाके अपराधमे नहीं आता है। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफा ३८२)

३—जब कोई अजनबी मनुष्य बिना बुलाए और बिना किसी अधिकारके आधीरातको किसी प्रतिष्ठित स्त्रीके सोनेवाले कमरेमें घुसे, और जब उसके पकड़नेकी इच्छा की जावे तो वह वहाँसे भागनेके लिये बहुतसा यत्न व श्रमकरे—ऐसी अवस्थामे अदालतको जान लेना चाहिये कि उसका कमरेमें घुसना इस अभिप्रायसे या जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४१ में हुवा है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १६ दफा ६५७)

(४४२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे घर या डेरे या नावमे जो मनुष्योके रहनेकी धरकी मदाखलत } माति काममे आती हो अथवा किसी ऐसे घरमें जो पूजाके लिये
बजा (अधिकार प्रवेग) } अथवा मालकी चौकसीके लिये काममे आता हो घुसने अथवा
ठहरे रहनेके द्वारा दण्ड योग्य मदाखलत बेजा करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने “धरकी मदाखलत बेजा” की।

स्पष्टीकरण—दण्ड योग्य मदाखलतबेजा करनेवाले मनुष्यका कोई अग घरमें पहुँच जाना धरकी मदाखलतबेजाके लिये काफी समझा जायगा। (देखो दफा ४०)

१—जब कोई मनुष्य हवालातमे इस अभिप्रायसे दाखिल हो कि वह एक कैदीके पास कि जिसकी तजवीज होनेको है, खाना ले जाए अथवा ले जानेका यत्न करे तो उसका काम हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४४२ में कहे हुए मदाखलतबेजाके अपराधमे न गिना जायगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३०१)

(४४३) जो कोई मनुष्य पहिलेसे यह यत्न करके धरकी मदाखलतबेजा करे, छुपाकर धरकी मदा- } कि जो मनुष्य उसको उस घर या डेरा या नावसे, कि जिसमें मदा-
खलत बेजा. } खलत बेजा की जाय, निकाल देने अथवा रोकनेका अधिकार
रखता हो उससे वह मदाखलत बेजा छुपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने “छुपाकर धरकी मदाखलत बेजा” की।

(“छुपाकर घरकी मदाखलतवेजा” से अभिप्राय “घरमें मदाखलतवेजा करनेके लिये बात लगाना” है)

(४४४) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके उपरान्त और सूर्योदयसे पहिले छुपाकर घरको छुपाकर रातके समय मदाखलतवेजा करे तो कहाजावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने “छुपाकर घरकी मदाखलतवेजा, रातके समय घरकी मदाखलतवेजा” की ।

(४४५) वह मनुष्य जो “ घरकी मदाखलतवेजा” का अपराधी हो “घर फोड़ने” अथवा फोड़ना (नकबजनी) वाला कहलावेगा, यदि वह घर अथवा घरके किसी भागमें नीचे लिखे हुए छः प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारपर मदाखलत करे, अथवा, यदि कोई अपराध करनेके लिये घरमें या उसके किसी भागमें उपस्थित हो अथवा वहाँ किसी अपराधको करके, वतलाये हुए छः प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारपर उस घरसे अथवा उस घरके किसी भागसे बाहर निकल आये—अर्थात्—

पहिले—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर जाए अथवा बाहर निकले जो स्वयं उसने ही अथवा घरकी मदाखलतवेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलत वेजा करनेके लिये बना लिया हो ।

दूसरे—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए, जो सिवाय उसके अथवा उस अपराधके किसी सहायकके और किसी मनुष्यके जानेजानेके अभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ऐसे मार्ग होकर जहाँ वह नितैनी लगाकर अथवा दीवारपर या शरपर चढ़कर पहुँचा हो ।

तीसरे—यदि वह किसी ऐसे मार्ग होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको उसने स्वयं अथवा घरकी मदाखलतवेजाके किसी सहायकने घरकी मदाखलतवेजा करनेके लिये ऐसे यत्नोंसे खोल लिया हो जिनसे उस मार्गका खोला जाना घरके रहनेवालेके विचारमें न हो ।

चौथे—यदि वह घरकी मदाखलतवेजा करनेके लिये, अथवा घरकी मदाखलत वेजा करनेके पश्चात् घरसे बाहर निकलनेके लिये कोई ताल खोलकर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए ।

पाँचवें—यदि वह अनीतिबल (जबरमुजारीमाना) को काममें लाकर अथवा आक्रमण (हमला) करके अथवा किसी मनुष्यको आक्रमणकी धमकी देकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल जाए ।

छठवें—यदि वह किसी ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको वह जानता हो कि वह ऐसे घुसने अथवा निकलनेकी रोकते लिये बन्द किया गया है, और वह स्वयं उसहीने अथवा घरकी मदाखलतबेजाके किसी सहायकने खोल लिया हो ।

स्पष्टीकरण—कोई शागिर्द पेशेका झर अथवा और घर जिसमें, घरमें रहनेवालेका अधिकार हो और जिसके तथा उस घरके बीचमें कोई जानेके लिये भीतरी मार्ग (पैवस्त अन्दरूनी आमदरफत) हो, इस दफाके अर्थ अनुसार उसी घरका भाग है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके घरकी दीवारमें छिद्र करके और उस छिद्रमें हाथ डालके घरकी मदाखलत बेजा की तो यह घर फोडना हुवा—

(ख) शिवशंकर किसी जहाजके भीतर एक छुंछुवेकी राहसे, जो पटावके बीचमें हो घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(ग) शिवशंकर एक खिडकी की राहसे रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो यह घर फोडना है ।

(घ) शिवशंकर एक बंद द्वार खोलकर उसकी राहसे रमाशंकरके घरके भीतर पहुँचकर घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(ङ) शिवशंकरने रमाशंकरके द्वारके किवाडकी विल्ली एक छिद्रमें तार डालकर उठा दी और घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा की, तो यह घर फोडना हुआ ।

(च) शिवशंकर रमाशंकरके घरके द्वारकी कुंजी जो रमाशंकरके पाससे खोगई हो पाए और उस कुंजीसे द्वारका ताला खोल रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाखलतबेजा करे तो यह घर फोडना है ।

(ज) शिवशंकर अपने द्वारमें खड़ा हो और रमाशंकर उसको मारकर तथा गिराकर बलपूर्वक घरमें घुसे और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरका पौरिया रमाशंकरके द्वारमें खड़ा होता और उमाशंकर शिवशंकरको इस बातकी धमकी देकर कि जो तू मुझको जानेसे रोकैगा पीटाजायगा, घरमें घुसजावे, और घरकी मदाखलतबेजा करे, तो यह घर फोडना है ।

(४४६) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके पश्चात् और सूर्योदयसे पहिले घर फोडे तो कहा रातके समय घर फोडना, } जायगा कि उसने रातके समय घर फोडा ।

१—दीवारपर कमदके द्वारा चढकर घरमें पहुँचना दफा ४४६ के अपराधमें गिनाजयगा (बीकनी रिपोर्टर जिल्द २ सफा २५)

२—दुकानका द्वार तोड़कर भीतर घुसना, रातके समय घरका फोड़ना है न कि केवल रातके समय घरकी मदाखलत बेजा (वी० रि० जिल्द ४ स० १९)

(४४७) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य मदाखलतबेजाका अपराधी हो उसको दोनों दण्ड योग्य मदाखलत } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद बेजाका दण्ड, } तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पाचसौ रुपया तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तान्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

१—(अ) का (ब) के खेतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जो (ब) के खेतके पास था गोली चलाई, हिरन (ब) के खेतकी ओर चला गया (अ) हिरनके पीछे (ब) के खेतमें घुसा—तजवीज हुई कि (अ) का यह काम मदाखलत बेजाकी सीमातक नहीं पहुँचसकता—(३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८३७)

२—सर्व साधारण नदीके किसी भागमें अकेले एकही मनुष्यको मछली मारनेका अधिकार था यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारको तोड़ डालें तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहमें लिखे हुए मदाखलत बेजाके अपराधका अपराधी न होगा । (६० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा ३५४)

३—एक कानिस्टेबिल व दूसरे मनुष्योंने किसी घरसे भीतर घुसकर कुछ मनुष्योंको जुवा खेलते हुए पकड़ा परन्तु कानिस्टेबिलने उन जुवारियोंसे कुछ रुपया लेकर उन्हें छोड़ दिया—ऐसी अवस्थामें अपराधीने मदाखलत बेजा व दबाकर लेनेका अपराध नहीं किया वरन् कानिस्टेबिलके मध्ये घुस-लेनेका अपराध हुआ और दूसरे मनुष्योंके मध्ये अपराधमें सहायता करनेका । (वी० रि० जिल्द ५ सफा ४९)

(४४८) जो कोई मनुष्य घरकी मदाखलत बेजाका अपराधी हो, उसको दोनों प्रकारों- घरकी मदाखलतबेजा- } मेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीमाद का दण्ड. } एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तान्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा है ।

१—(अ) ने (ब) की बिना आज्ञा उसके घरमें घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया तजवीज हुई कि (अ) को व्यभिचार और घरकी मदाखलतबेजाके अपराधमें अलग २ दण्ड दिया जासकता था क्योंकि वे अलग २ अपराध थे । (पंजाब रिफार्ड न० ५ सन् १८७१ ई०)

(४४९) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले वधका कोई ऐसा अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड वध हो घरकी मदाखलत बेजा करनी।

दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और यह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप— (१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४५०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये, जिसके बदले जन्मभरके देश निकालेके दण्ड योग्य कोई अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी।

जन्मभरके देश निकालेका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप— (१) अदालत सेगन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४५१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले कैदका कैदके दण्ड योग्य अपराध करनेके लिये घरकी मदाखलत बेजा करनी।

दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखलत बेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो कैदकी मीआद सात वर्षतक होसकती है ।

टीप— (१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

और जब कि चोरी करनेकी इच्छा हो तब,—

टीप— (१) अदालत सेगन या प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख (जरूर) पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यको दुःख (जरूर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत घरकी मदाखलत बेजा करना।

किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला करने या किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुजाहिमत बेजा) करनेके लिये, अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकका डर दिखानेके लिये तैयारी करके घरकी मदाखलतबेजा करे उस मनुष्यको

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा- जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४५१ के नं० २ के अनुसार है ।

१—जब कोई मनुष्य गिरफ्तारीके एक जाली वारंट द्वारा किसीके घरमें जाकर किसी मनुष्यको उसकी इच्छाविरुद्ध उस वारंटके जोरसे पकड़ लवे तो वह घरकी मदाखलतवेजाका अपराधी दफा ४५२ के अनुसार समझा जायगा । (वी० रि० जिल्द १२ सफा ३३)

(४५३) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतवेजा अथवा घर फोड़नेका अपराधी छुपकर घरकी मदाख- } हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया लत वेजा अथवा घर } जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके फोड़नेका दण्ड. } भी योग्य होगा ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० ठो०- (२) पोलीस दस्तद्वारा करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(वेतके दण्डके लिये ऐक्ट न० ६ सन् १८६४ ई० दफा २ व ३ व ४ को देखो)

१—जब अपराधी एफ दूकानके बाहर पकड़ा गया और उस दूकानका द्वार टूटा हुआ मिला, तो अपराधीपर घर फोड़नेका अपराध ठहराया गया । (वी० रि० जिल्द ४ सफा १४)

(४५४) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका कैदके दण्ड योग्य कि- } दण्ड ठहराया गया है छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करे अथवा सी अपराधको करनेके } घर फोड़े, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका लिये छुपकर घरकी मदा- } दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीमाद तीन वर्षतक हो सकती है खलत वेजा अथवा घर } और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके फोड़ना. } करनेकी इच्छा हो चोरी हो तो कैदकी मीमाद दशवर्षतक हो सकती है ।

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है ।

(४५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर

किसी मनुष्यको दुःख } आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यके अनीति रोक करनेकी या पहुँचानेकी तैयारी करनेके } किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीति रोकका डर उपरांत घरकी मदाखलत } दिखानेकी तैयारी करके छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करे अथवा वेजा अथवा घर फोड़ना } घर फोड़े, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद १० वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४५२ के अनुसार है ।

(४५६) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करे रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोडने का दंड, अथवा रातके समय घर फोडे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना जमानत (५) राजीनामा- नहीं है ।

१—रातके समय घर फोडने और चोरी करनेका अपराध एकही है और उनके मध्ये अलग २ दंड नहीं होसकता । (वी० रि० जिल्द २ सफा ६३)

२—हथियारोंसे सजे हुए पांच मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजाका अपराध करते हुए पाए गए—एक मनुष्य घरमें छेद कर रहा था और बाकी चार मनुष्य पहरेपर खडे थे—जब हल्ला हुआ तब पड़ोसी लोग दौड़े आये और उन चोरोंमेंसे एक मनुष्यने एक गांववालेको काट डाला—तजवीज हुई कि जो अपराध उन्होंने किया था वह रातके समय घर फोडनेका था न कि डकैतीका । (वी० रि० सन् १८६४ ई० सफा ३९)

(४५७) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें कैदका दंड कैदके दंडयोग्य कोई अपराध करनेके लिये रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करना अथवा रातके समय घर फोडना, ठहराया गया है रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करे अथवा रातके समय घर फोडे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद पांच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो कैदकी मीमाद चौदह वर्षतक हो सकती है ।

टीप—दफा ४५६ के अनुसार है ।

१—तसदक हुवेनने जो अपने चचाके साथ एकही घरमें रहा करता था एक सन्दूक तोडकर उसमेंसे माल निकाल लिया—तजवीज हुई कि वह रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतबेजाका अपराधी ठीक २ नहीं ठहर सकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफा ३०१)

२—जब किसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायसे रातके समय घर फोडनेका अपराध दफा ४५७ के अनुसार और चोरीका अपराध दफा ३८० के अनुसार प्रमाणित होवे तो उसको एक दण्ड दोनों अपराधोंके मध्ये अथवा अलग २ दंड प्रत्येक अपराधके मध्ये दिया जासकता है, परन्तु नियम यह है कि कुल दंडकी मीमाद उस दंडसे अधिक न हो जो वडे अपराधके मध्ये दिया जासकता हो । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफा २१४)

(४५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके उपरात रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनी अथवा रातके समय घर फोड़ना

आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यका अनीतिरोक (मुजाहिमत वेजा) करनेकी तैयारी करके अथवा किसी मनुष्य को दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके डर दिखानेकी तैयारी करके रातके समय छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करे अथवा रातके समय घर फोड़े उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है, और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) दस्तन्दाजी पोलिस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

(४५९) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलतवेजा करने अथवा घर फोड़-छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोड़नेकी अवस्थामें मारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाना.

नेकी अवस्थामें किसी मनुष्यको मारी दुःख (जररशदीद) पहुँचाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या मारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे, तो उसको जन्ममरके लिये देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अ० से० (२) दस्तन्दाजी पोलिस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दफा ४५९ व ४६० का अपराध प्रमाणित करनेमें इस बातकी आवश्यकता है कि वह मारी दुःख (जररशदीद) घर फोड़नेके समयमें पहुँचाया गया हो न कि घर फोड़े जाने तथा अपराधीके घरसे चले जानेके उपरांत । (प० रि० न० १७ सन् १८७६ ई०)

(४६०) यदि रातको छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करते समय अथवा रातको सब मनुष्य जो घर फोड़ने आदिमें साक्षीहों किसी मृत्यु अथवा मारी दुःख के बदले जो किसी एकने किया हो दण्डके योग्य होंगे.

घर फोड़ते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी है जानबूझकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा मारी दुःख पहुँचावे अथवा पहुँचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक मनुष्यका, जो उपरोक्त मदाखलतवेजा अथवा घर फोड़नेमें साक्षी हो, जन्ममरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४५९ के अनुसार है ।

१—जो मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनेमें घरके स्वामीको जो उसके पकड़नेका यत्न करे या जानबूझकर मारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे वह दफा ४६० के

ही अनुसार दंड योग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४ के अनुसार । (बीह्ली रिपोर्ट जिल्द २ सफा ५२)

(४६१) जो कोई मनुष्य बददियानती (कुमाव) से अथवा हानि पढ्चानेके बददियानती (कुमाव) से किसी बन्द घरको जिसमे माल भरा हो तोडकर खोलना, } अमिप्रायसे किसी बंद किये हुए घर अथवा सन्दूक आदिको जिसमें माल हो अथवा जिसमें मालका होना यह निश्चय करता हो तोडकर खोले अथवा उसका बद (जोड) खोले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४६२) जो कोई मनुष्य जिसको कोई बन्द किया हुआ घर आदि धरोहरकी उसी अपराधका दंड रीतिपर सिपुर्द हो जिसमे कुछ माल हो अथवा जिसमे मालका होना वह निश्चय करता हो बददियानतीसे अथवा हानि पढ्चानेके अमिप्रायसे विना इसके कि उसके खोलनेकी उसे आज्ञा हो उस घर आदिको तोडकर खोले अथवा उसका बद खोले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसको मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेवान, या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय अठारहवाँ १८.

उन अपराधोंके वर्णनमें जो दस्तावेजोंसे और व्यापार अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हैं ।

(४६३) जो कोई मनुष्य कोई झूठ दस्तावेज अथवा उसका कोई भाग इस जालसाजी, } अमिप्रायसे बनाए कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हरजा या हानि पढ्चाए अथवा किसी दावे या अधिकारको प्रमाणित करे, अथवा किसी मनुष्यसे कोई माल अलग कराए, अथवा किसी प्रगट या अप्रगट करार करानेका

कारण हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे या छल करे, तो उपरोक्त मनुष्य जालसाजीका करनेवाला कहलावेगा।

१—कैदने स्वयं अपनी असावधानी छिपानेके अभिप्रायसे गरिस्तेकी एक कफियतको बदल दिया—तजवीज हुई कि अपराधीका काम, हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए जालसाजीके अपराधमें नहीं गिना जा सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देस जिल्द २ सफा ११)

२—किसी पिछली असावधानीको छिपानेके अभिप्रायसे मिसलमें कोई झूठी इवारत लिख देना जो छलकी सीमातक न पहुँचती हो जालसाजी नहीं है। (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफा ६५७)

३—दस्तावेजकी नकलमें जाल बनाना दफा ४६३ में लिखा हुआ जालसाजीका अपराध है। (वील्ली रिपोर्टर इजलास कामिल सफा ७१)

४—किसी नियत की हुई झूठी दस्तावेजकी नकल तैयार करने और उस झूठी दस्तावेजके लिखे जानेके लिये कागज स्टाम्प भोल लेने और यह दरियापत करनेसे कि उस दस्तावेजमें क्या लिखा जायगा—जालसाजी अथवा जालसाजीके उद्योगों अपराध नहीं ठहर सकता, बल्कि यह बात ऐसी है जिनसे जालसाजीकी सहायताका अपराध प्रमाणित हो सकता है क्योंकि इन कामोंसे अपराधके करनेमें सहूलता होती है। (३० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफा ५)

५—अपराधी एक सरकारी नौकर है जिसके पास कुछ दस्तावेज रहा करनी थी, उसको उपरोक्त दस्तावेजोंके पेश करनेके लिये आज्ञा हुई और अपराधी उनको पेश न करसका, तब उसने अपनेको दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेज बनाकर पेश करदी—तजवीज हुई कि—इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेज ऐसे कागज अथवा लेख नहीं हैं कि जिसकी तैयारीका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २१८ के अनुसार दण्ड नहीं हो सकता था, और न उपरोक्त दस्तावेजें जाली प्रमाणित हुई थीं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफा ४७१ के अनुसार भी दण्ड नहीं हो सकता था। (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा ३५३)

६—एक खेतके मोल लेनेवालेने, कि जिस खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था और जो बैनामेकी दस्तावेजमें भूलसे २१० लिख दिया गया था उस नम्बरको ठीक कर दिया अर्थात् २१०के स्थानपर २७२ बना दिया—तजवीज हुई कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे हुए जालसाजीके अपराधी सीमातक नहीं पहुँचता था क्योंकि वह छलसे अथवा अधर्मसे नहीं बनाया गया था। (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २१७)

झूठी दस्तावेज बनाना } (४६४) उस मनुष्यके मध्ये कहा जायगा कि उसने झूठी दस्तावेज बनाई—

पहिले—जो कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजका कोई भाग अथर्वसे अथवा छलसे बनाए, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर करे, अथवा उसको लिखे, या कोई ऐसा चिह्नकरे जिससे किसी दस्तावेजका लिखा जाना प्रगट हो, और उसका अभिप्राय इस बातके निश्चय करा देनेका हो कि वह दस्तावेज अथवा दस्तावेजका वह भाग उस मनुष्यने बनाया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की अथवा उसने लिखा, या ऐसे मनुष्यकी आज्ञासे बनाया गया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की गई, अथवा वह लिखी गई है जिसको वह जानता है कि उस मनुष्यने न तो उसे बनाया न उसपर दस्तखत या मुहर की न उसने लिखा या न उसकी आज्ञासे वह बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई, न वह लिखी गई अथवा ऐसे समयपर जिसमें वह जानता है कि वह न बनाई गई, न उसपर दस्तखत या मुहर की गई न वह लिखी गई, अथवा—

दूसरे—जो बिना उचित अधिकारके अथर्वसे अथवा छलसे काटकर अथवा किसी और प्रकार किसी दस्तावेजको, उसके किसी मुख्य भागमें बदले, इसके पश्चात् कि उस दस्तावेजको स्वयं उसीने अथवा किसी दूसरे मनुष्यने बनाया हो अथवा लिखा हो, चाहे वह दूसरा मनुष्य उस बदलनेके समय जीता हो अथवा मर गया हो, अथवा—

तीसरे—जो अथर्वसे अथवा छलसे किसी दस्तावेजपर किसी मनुष्यसे दस्तखत या मुहर कराए अथवा उसको लिखवावे या बदलावे यह जानकर कि वह मनुष्य दस्तावेजके मजमून अथवा बदलनेके आशयको सिद्धीपने अथवा नशेमें होनेके कारण नहीं जान सकता अथवा किसी धोखेसे जो उसको दिया गया है नहीं जानता है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरके पास १०००० रुपयेतकका रुक्का रमाशंकरके नामपर उमाशंकरका लिखा हुआ हो और शिवशंकर रमाशंकरको ठग लेनेके अभिप्रायसे दश हजारकी संख्यापर एक शून्य बटाकर एक लाख बनाए, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकर निश्चय करे कि उमाशंकरने वह रुक्का ऐसीही लिखा है तो शिवशंकरने जालसाजी की—

(ख) शिवशंकर बिना आज्ञा रमाशंकरके रमाशंकरकी मुहर एक दस्तावेजपर लगावे जिसका आशय इस प्रकारका जानपडे कि उसके अनुसार कोई मिलकियत रमाशंकरकी ओरसे शिवशंकरके अधिकारमें आवे, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर उस मिलकियतको उमाशंकरके हाथ बेचे और उसके द्वारा विक्रीका रुपया उमाशंकरसे प्राप्त करे—तो शिवशंकरने जालसाजी की ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरका कोई पडा हुआ दस्तखती रुक्का जो किसी साहूकारके नाम से उठा ले, जिसका रुपया रुक्केके अधिकारीको मिलता हो परन्तु उपरोक्त रुक्केमें रुपयेकी तादा-

द न लिखी हो, शिवशकर उस रक़ेमे दश हजार रुपया लिखकर उस रक़ेमें छलसं काममे लावे-तो शिवशकरने जालसाजी की।

(घ) शिवशकर अपने गुमास्ते रमाशकरको अपना दस्तखती एक रक़ा किसी साहूकारके नामका देवे, जिसमें रुपयेकी तादाद न लिखी हो--परन्तु वह रमाशकरको यह आगादे कि अमुक २ मनुष्योंका रुपया देनेके लिये उस रक़ेमे कोई तादाद जो दश हजार रुपयेसे अधिक न हो, लिखकर उसको पूराकरे-और रमाशकर छलसे रक़ेमें बीसहजार रुपया लिखलेवे-तो रमाशकरने जालसाजी की।

(च) शिवशकर कोई हुडी अपने ऊपर रमाशकरके नामसे बिना आज्ञा रमाशकरके लिख, इस अभिप्रायसे कि उसको सही हुडीकी रीतिपर किसी साहूकारसे मित्री कटवाकर पढाले और उसका यही अभिप्राय हो कि अर्वाधि पूरी होजानेपर उस हुडीका रुपया अदा करे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशकर साहूकारको यह धोखा देनेके अभिप्रायसे हुडी लिखता है कि उसको यह निश्चय कराए कि वह रमाशकरकी जमानत रखता है और उसके द्वारा हुडीको मित्रीकाटकर पढाले, इसलिये शिवशकर जालसाजीका अपराधी है।

(छ) रमाशकरके वसीयतनामामें यह लिखा हो कि "मैं आजा देताहू कि मेरा बच्चा हुआ सव धन शिवशकर व उमाशकर व गिरिजाशकरमें बराबर २ बाटाजाय" शिवशकर अघमेंसे उमाशकरका नाम छील डाले, उस अभिप्रायमे कि यह निश्चय कर लिया जाय कि वह सव बच्चा हुआ धन उसके और गिरिजाशकरके लिये है तो शिवशकरने जालसाजी की।

(ज) शिवशकर किसी गवर्नमेंट प्रामेसरी नोटपर नीचेकी इवारत लिखकर कि, "रमाशकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे इसका रुपया दियाजाय" और उस लिखी हुई इवारतपद दस्तखत करके रमाशकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे नोटका रुपया पाने योग्य कर दे, और उमाशकर यह इवारत कि, "रमाशकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे रुपया दिया जाय" अघमेंसे छील डाले और उस इवारतको बिना नामकी इवारत कर दे तो उमाशकरने जालसाजी की।

(झ) शिवशकर कोई मिलकियत रमाशकरके हाथ बेचे और उस पर उसका अधिकार करवा दे और फिर इसके पश्चात् इस अभिप्रायमे कि रमाशकरको उस मिलकियतसे छल करके दूर कर शिवशकर दे, उस मिलकियतका बैनामा उमाशकरके नाम लिख दे जिसके लिखनेकी तागीत्व रमाशकरके बैनामेकी तारीखसे छः महीने पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि शिवशकर उस मिलकियतको रमाशकरके हाथ बेचनेसे पहिले उमाशकरको बेच चुका था तो शिवशकरने जालसाजी की।

(ट) रमाशकर शिवशकरको अपना वसीयतनामा लिखनेके लिये जबानी इवारत वताता जाय और शिवशकर उस अधिकारके नामके बदले जो रमाशकरने वताया है किसी दूसरे अविकारीका नाम लिख दे और रमाशकरसे यह कहकर कि तुम्हारी आज्ञानुसार मैंने वसीयतनामा तैयार किया है, रमाशकरको उस वसीयतनामैपर दस्तखत करनेके लिये बहकाने तो शिवशकरने जालसाजी की।

(ठ) शिवशंकर एक चिड़ी लिखकर, विना आज्ञा रमाशंकरके, उसपर रमाशंकरके दस्तखत करले और उसमें यह लिखा हो कि शिवशंकर नेकचलन है और ठैवी आपदाओंके कारण दुःखित है, इस अभिप्रायसे कि उस चिड़ीके द्वारा उमाशंकर और दूसरे मनुष्योंसे भिक्षा पाये तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने इस अभिप्रायसे एक झूठा दस्तावेज बनाया कि जिससे उमाशंकरका माल अलग किया जावे, इसलिये शिवशंकरने जालसाजी की ।

(ड) शिवशंकर कोई चिड़ी विना आज्ञा रमाशंकरके लिखकर उसमें रमाशंकरके दस्तखत करले, उसमें शिवशंकरकी नेक चाल चलनके मध्ये लिखा हो, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा उमाशंकरके नाँचे कोई नौकरी पावे, तो शिवशंकरने जालसाजी की—नयोंकि उसने उमाशंकरको जाली साठीफिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्रायसे और उसके द्वारा उमाशंकरको नौकरीके मध्ये एक प्रगट अथवा अप्रगट इकरार करनेके लिये फुसलाया ।

स्पष्टीकरण—१—किसी मनुष्यका स्वयं अपनेही नामका दस्तखत करना जालसाजी की सीमातक पहुँच सकता है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी हुंडीपर अपने नामके दस्तखत इस अभिप्रायसे करे कि यह बाँते निश्चय कर लीजावे कि उस हुंडीको उसके नामवाले किसी दूसरे मनुष्यने लिखा है—तो शिवशंकरने जालसाजी की ।

(ख) शिवशंकर शब्द “सकारी” किसी कागजपर लिखे और उसपर रमाशंकरका नाम दस्तखत कर दे इसलिये कि उमाशंकर अंतको उसी कागजपर एक हुंडी अपनी औरसे रमाशंकरके ऊपर लिखे और उसको रमाशंकरकी सकारी हुई हुंडीकी रीतिपर बेचडाले तो शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है और यदि उमाशंकर इस यथार्थ बातको जानकर शिवशंकरकी इच्छाके अनुसार हुंडी उस कागजपर लिखे तो उमाशंकरभी जालसाजीका अपराधी है ।

(ग) शिवशंकर कोई पडी हुई हुंडी जिसका रूपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्यकी आज्ञासे अदाके योग्य हो उठाले और उसकी पीठपर अपने नामसे बेचकी इबारत लिख दे, इस अभिप्रायके कि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जावे कि यह बेचकी इबारत उस मनुष्यने लिखा है जिसकी आज्ञानुसार रूपया भुगतानके योग्य है तो इस अवस्थामें शिवशंकर जालसाजीका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर कोई मिलकियत मोलले, जो रमाशंकरके ऊपर किसी डिगरीके मध्येमें नीलाम हुई हो—रमाशंकर उस मिलकियतकी कुर्की होजानेसे पीछे उमाशंकरके साथ मेल करके उसी मिलकियतका ठेका उमाशंकरको थोड़ीसी जमापर एक बडी मीआदके लिये लिख दे, और लिखनेकी मिति कुर्कीकी मितिसे छः महीना पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर छल द्वारा मिलकियतके दूर कियाजाय, और यह निश्चय कराए कि ठेका कुर्कीसे पहिले दिया गया है उस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकरने वह ठेका अपने नामसे लिखा है, तथापि उसमें पीछेकी तारीख लिखनेके कारण वह जालसाजीका अपराधी है ।

(च) शिवगकर एक व्यापारीने अपना दिवाला निकालनेके पहिले अपने लामके लिये कोई माल असवाब रमागकरके पास रख दिया और अपने व्योर्टोंकी ठगनेके अभिप्रायसे तथा मामलेकी जड जमानेके प्रयोजनसे एक तमस्तुक इस आशयका लिख दिया कि मुझको रमागंकरका इतना रुपया उस मालियतके मध्ये देना उचित है कि, जो मैं पा गया हूँ और उस तमस्तुकमें कोई फिल्ली मित्ती लिखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह उससे पहिले लिखा गया है कि जब शिवगकर दिवाला निकालनेको था—तो शिवगकर पहिले वर्णन की हुई जालसाजीके अपराधका अपराधी है ।

स्पष्टीकरण—२ किसी झूठे दस्तावेजका किसी कल्पित मनुष्यके नामसे बनाना, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेज किसी सच्चे मनुष्यने लिखा है अथवा उसका किसी मरेहुए मनुष्यके नामसे बनाना इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह दस्तावेज उस मनुष्यने अपने जीतेजी लिखा है, जालसाजीकी सीमातक पहुँच सकता है ।

उदाहरण ।

शिवगकर कोई हुडी किसी कल्पित मनुष्यके ऊपर लिखे और ठल पूर्वक उस कल्पित मनुष्य के नामसे उस हुडीको सकारे, इस अभिप्रायसे कि उसको बेच डाले, तो शिवगकर जालसाजीका अपराधी हुआ है ।

१—जब दस्तावेजकी तारीख कि जो और दूसरे प्रकारपर रजिस्ट्रीके लिये न पेदा होसकती थी रजिस्ट्री करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो यह जालसाजीका अपराध नहीं है । (६० ख० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४८२)

२—अपराधीने बंदोबस्तके हाकिमसे इस बातका प्रमाण पानेके लिये कि अपराधी लस करके लकड़का अधिकारी है, एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने जिससे उपरोक्त लकड़का पाया जाना प्रगट होता था पेदा की, यह सनद असली नहीं है । तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दडसंग्रहकी दफा ४६४ व ४७१ के अनुसार दड देना अनुचित है । (६० ख० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफा ५८४)

३—अपराधी दफ्तर सब डिवीजनलमें नकलनवीस था उसने क्लर्कीकी नौकरी पानेके लिये दरखास्त दी जो उस वक्त एक दफ्तरमें खाली थी—नावाहीसे पाया गया कि जो विफारैंगकी चिठी सब डिवीजनल अपसरकी ओरसे लिखी जानपडती थी वह अपराधीने झूठी लिखी थी—इस दरखास्त के साथ एक दूसरी चिठी भी शामिल थी जो साहब कलक्टरकी ओरसे सब डिवीजनल अपसरके नाम जान पडती थी—परन्तु जब हाकिम सब डिवीजनने कलक्टर साहबकी चिठीपर सदेह कर एक निजी चिठी साहब कलक्टरको उसकी असलियत जाननेके लिये डाकखानेमें भेजी तब अपराधीने एक

तीसरी चिट्ठी झूठी लिखकर हाकिम सब डिवीजनकी ओरसे पोष्टमास्टरके नाम. इस अभिप्रायसे भेजी किं निजी चिट्ठी साहब कलकत्तरके नामकी रवानेन की जावे—तजवीज हुई कि यह पहिली दो चिट्ठियोंके मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४६४ का अपराध ठहर सकता है परन्तु तीसरीके मध्ये यह नहीं कहा जासकता कि उसने उसको अघर्म अथवा छलसे उपरोक्त दफाके अर्थ अनुसार झूठी बनाया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३३९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४६३ में लिखे हुए शब्द दावेका सम्बन्ध दावा जायदादके साथ नहीं कहा जासकता—उपरोक्त दफामें लिखे हुए शब्द जायदादमें सर्टीफिकेट तहरीरी शामिल होगा—और दफा ४६३ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है, कि वह जायदाद जिससे यह अभिप्राय हो कि झूठी लिखावट किसी मनुष्यको अलग करा देगी उस समय मौजूद हो जब झूठी लिखावट बनाई गई ।

एक मनुष्यने प्रिंसिपल क्वीन्स कालेज बनारसके सामने एक सर्टीफिकेट झूठा, जिसका दिया जाना प्रिंसिपल केनिग कालेज लखनऊकी ओरसे जान पड़ता था, कानूनी लेकचरको देनेके अभिप्रायसे और फिर उसके पश्चात् कुछ सर्टीफिकेट उम्मेदवार इम्तिहान अदालत जजी कलकत्तामें करार पानेके प्रयोजनसे पेश किया—तजवीज हुई कि उसपर दफा २७१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका अपराध ठहराया जा सकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा २१०)

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा उसको दोनो प्रकारोंसे किसी जालसाजीका दंड. } प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

- टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) सार्जिनामा नहीं है ।

(बेतके दंडके लिये ऐक्ट न ६ सन् १८६४ ई० को दफा ४ को देखो ।)

१—जब कोई मुहर्रिर जो दंड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे और फिर हिसाबकी किताबमें अपराध छिपानेके अभिप्रायसे झूठी हवारत लिख दे तो वह दफा ४६५ के अपराध जालसाजीका अपराधी नहीं होसकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २२१)

(४६६) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावट—
कोर्ट आफ जस्टिसके सारितेके कागज अथवा मैदायशके रजिस्टर आदि—को जाली बनाना. } उसे जान पड़ता हो कि वह किसी कोर्ट आफ जस्टिसके सारितेका कागज अथवा कागज मिसल है अथवा पैदायश (जन्म) या सस्कार या विवाह या मरणका रजिस्टर है जिसको कोई सरकारी नौकर अपनी नौकरीके कारण बनाता है अथवा कोई सर्टी-

फिकट या दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावटसे जान पड़ता हो कि उसे किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके कर्तव्यपालनकी रीतिपर तैयार किया है अथवा किसी मुकद्दमेके दायर करने अथवा उसकी जवाबदही करने अथवा उसमे किसी प्रकारकी पैरवी करने अथवा इकबाल दावा दाखिल करनेके लिये आज्ञापत्र (इजाजतनामा) है अथवा वह मुख्यारनामा है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जब कोई दस्तावेज इस अभिप्रायसे बनाया जावे कि उससे किसी अदालत जस्टिसको खोला दिया जाय—तो कहा जावेगा कि वह दस्तावेज उस अभिप्रायके लिये काममें आए जानेकी इच्छासे बनाया गया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५१३)

(४६७) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज बनाए जिसकी लिखावटसे किफालतुलमाल अ-यह पाया जावे कि वह किफालतुलमाल या वसीअतनामा अथवा यवा वसीअतनामेका जाली बनाना. } यह पाया जावे कि वह किफालतुलमाल या वसीअतनामा अथवा उसके गोद लेनेका आज्ञापत्र (इजाजतनामा) है—अथवा उसके आशयसे यह पाया जावे कि वह किसी मनुष्यको किसी किफालतुलमालके बनाने या बेचने अथवा मूल या व्याज या व्याजके मागोंको सिपुर्दगीमे लाने या सिपुर्दगीमे करनेका आज्ञापत्र है, अथवा कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाए कि जिसकी इबारतसे यह पाया जावे कि वह फारगखती या रसीद है कि जिसमें रुपयाके वसूल होनेका इकारार है, अथवा किसी स्थावरधन या किफालतुलमालके दिये जानेकी फारगखती या रसीद है तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन (२) सिवाय उस अवस्थाके कि जब किफालतुलमाल गवर्नमेन्ट हिदका ग्रामिसरी नोट होवे, पोलिस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने यह इस्तिहार दिया कि एक अगरेजी क्रोष राबर्ट एच, बिस्सन, एम, ए. का बनाया हुआ कीमती २।) का तैयार है—परतु उसके यहा कोई भी ऐसी किताब बेचने योग्य नहीं थी—तजवीज हुई कि अपराधीने दगा व जालका अपराध किया था । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफा २७)

(४६८) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली-दस्तावेज-दगाके लिये जाल-साजी, } दगा देनेके लिये काममें लाई जायगी उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है और वह जुमानिके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जजबीज हुई कि जब अपराधीका यह अभिप्राय था कि झूठा हिसाब बनाकर अपने मालिकको धोखा दे और उस धोखा देनेके द्वारा मालिकको हानि पहुँचना सम्भव हो तो अपराधी-पर दफा ४६८ का अपराध दगा करनेका ठहराया जा सकता है । (बी० रि० जिल्द १८ सफा ४६)

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाजी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली किसी मनुष्यकी नेक दस्तावेज किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाए, अथवा नामीको हानि पहुँचानेके लिये जालसाजी, } वह जानकर कि उसका इस काममें लाया जाना सम्भव है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुमानिके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४६८ के अनुसार है ।

(४७०) जो झूठी दस्तावेज सब या कुछ जालसाजीसे बनाई गई हो वह “ जाली जाली दस्तावेज. } दस्तावेज ” की रीतिपर कहलाई जावेगी ।

१—खेतके साक्षियोंने नम्बरको बदल डाला जिनकी सराहत बैनामें थी ऐसी कार्रवाईके कारण उपरोक्त नम्बर सही नहीं रहे-तजवीज हुई कि दस्तावेजमें नम्बरका बदलना दफा ४६३ में लिखे हुए जालके अपराधमें नहीं है, और न उपरोक्त दस्तावेज तबकील होनेके उपरांत जालीदस्तावेज दफा ४७० के अनुसार ठहर सकती है । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २७१)

(४७१) जो कोई मनुष्य किसी दस्तावेजको, जिसको वह जानता अथवा निश्चय जाली दस्तावेजको } करनेका कारण रखता हो कि वह जाली दस्तावेज है सही सही दस्तावेजकी रीतिपर दस्तावेज की रीतिपर छल्ले अथवा अधर्मसे काममें लाए तो उस छल्ले काममें लाना, } मनुष्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानो उसने दस्तावेजको जाली बनाया ।

१—अपराधी पर यह अपराध लगाया गया कि वह एक मुकद्दमा दीवानीमें एक दस्तावेजको जिसको वह जाली जानता था; सही दस्तावेजकी रीतिपर काममें लाया तजवीज हुई कि अपराधीने दफा ४७१ का अपराध किया था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ११८)

२—अपराधीके ब्याहरने, जो पोलीस कान्स्टेबिल या सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीस जिलाको दरखास्त की कि ऋण चुक जानेतक अपराधी (कान्स्टेबिल) की तनखाहसे दो रुपया मासिक कट जायाकरे—इसलिये सुप्रिन्टेन्डेन्टने रुपया काटे जानेकी आज्ञा दे दी तब अपराधीने एक रसीद पेश की जिससे १८) का अदा होजाना पाया जाता था, पीछेसे जानपडा कि वास्तवमें वह रसीद ८) की थी और अपराधीने उसपर १ का अक बढ़ा दिया था—तजवीज हुई कि जो कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि सुप्रिन्टेन्डेन्ट उसकी तनखाह कानूनविरुद्ध न काटे, इसलिये इस रसीदसे यह बात नहीं पाई जाती कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि ओहरोका रुपया माराजावे, इसलिये उसे दफा ४७१ के अपराधमें दण्ड नहीं होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४०३)

३—पोष्टमास्टरने कुछ रुपया मारा, और उसी समय एक झूठी दस्तावेज बनाई जो दस्तावेजकी रसीद उस मनुष्यकी होना जान पडती है, जिसे रुपया मिलने योग्य था—उसके मध्ये जाली दस्तावेज बनानेके अपराधमें दफा ४७१ के अनुसार विचार किया गया—यह उन्न किया गया कि कोई जाल नहीं किया गया क्योंकि रसीद अपराध छिपानेके लिये बनाई गई थी—तजवीज हुई कि अपराधका विचार ठीक था—(इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ११ सफा ४११)

४—इन्ट्रैसकी परीक्षाके, प्राधीने अच्छे चाल चलनका सार्टीफिकेट हेडमास्टरका दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्रारके यहां भेज दिया—उम्मेदवारपर जाली दस्तावेजको असलीकी रीतिपर काममें लानेके अपराधमें दफा ४७१ और दगाके उद्योगमें दफा ४१५ व ५१९ का अपराध-ठहराया गया तजवीज हुई कि उसकी यथार्थ इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधर्मकी दफा २४ व २५ के अनुसार न था, इसलिये उसने कोई भी अपराध नहीं किया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३८७)

५—अपराधीपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७१ का अपराध इस बातपर लगाया गया कि वह कुछ दस्तावेजको जिन्हें जाली जानता था अधर्म और छलसे काममें लाया था और विचार (तजवीज) के समय जाना गया कि लगानकी चार रसीदे जिन्हें अपराधी काममें लाया था, अपराधीने असली रसीदोंके बदले जो खो गई थी बनाई थी। तजवीज हुई कि दफा २४ व २५ हि० द० में लिखे हुए शब्द अधर्म व छलसे अपराधीने रसीदे नहीं बनाई थीं, इसलिये वह दफा ४७१ का अपराध नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४५९)

(४७२) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या छापनेका और कोई-

दफा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य कोई जालसाजी करनेके अभिप्रायसे झूठी मुहर आदि बनानी अथवा पास रखनी।

औजार इस अभिप्रायसे बनावे कि वह इस संग्रहकी दफा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य किसी जालसाजीके करनेमें काम आवे अथवा इस अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर या चपरास या और कोई औजार अपने यहां रखे यह जानकर कि वह झूठा है, तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड

अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा सात वर्ष तक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४६६ के अनुसार है ।

१—जब झूठी मुहरें और उनके बनानेके औजार अपराधीके यहां निकले और वह मानने योग्य उसका कारण न बतला सके कि वह क्योंकर उसके अधिकारमें आवे थे, तो यह बात मानी गई कि वह उनको छल पूर्वक काममें लानेके अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता था । (वीली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५)

(४७३) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई

जालसाजी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दण्ड ठहराया गया है झूठी मुहर आदि बनाना अथवा पास रखना।

छापनेका औजार बनाए इस अभिप्रायसे, कि वह किसी ऐसी जालसाजी करनेके लिये काममें आए, जिसके बदलेमें इस अव्यायकी दफा ४६७ के अतिरिक्त किसी और दफाके अनुसार दण्ड दिया जा सकता है, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोई और औजार जिसको वह

झूठा जानता है अपने पास रखे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमादा सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालतेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—जब कुछ मुहरें पृथक् २ मांतिकी, जालसाजी करनेके अभिप्रायसे अपराधीके अधिकारमें निकलीं तो तजवीज हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुहरके मध्ये एक अलग और पूरे अपराधका किया जाना प्रमाणित था और अपराधी प्रत्येक मुहरके मध्ये अलग २ दोषी ठहराया जासकता था सिवाय उस अवस्थामे कि वे पृथक् २ मुहरें एक विशेष जालसाजीके अभिप्रायसे रखी गई हो । (वीली रिपोर्टर जिल्द १३ सफा १६)

(४७४) जो कोई मनुष्य कोई दस्तावेज अपने यहां रखे, यह जानकर कि वह कोई दस्तावेज यह जानबूझकर कि यह जालसाजीसे बनी है अपने यहां इस अभिप्रायसे रखनी कि सच्चीकी भांति काममें लाई जाय, जाळी है और इस-अभिप्रायसे कि वह सच्ची दस्तावेजकी भांति छल अथवा अवर्मसे काममें लाई जाय, तो यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है जिसका वर्णन-दफा ४६६ में है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीमांदा सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह दस्तावेज उस प्रकारकी दस्तावेज है जिसका वर्णन दफा ४६७ में है तो जन्ममरके देशनिकाळेका अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमांदा सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) गैर दस्तान्दानी पोलीस (३) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१— हिन्दुस्थानके दंडसम्रहकी दफा ४७४ के अपराधके प्रमाणके लिये इन बातोंके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है, कि दस्तावेज जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाळी है, और अपराधी उनका जाळी होना जानता था और वह उनको अपने अधिकारमें रखता था, और उसका यह अभिप्राय था, कि छल और अवर्मके द्वारा वह सच्ची दस्तावेजकी भांति काममें लाई जावे, और प्रत्येक दस्तावेज उसप्रकारकी है जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसम्रहकी दफा ४६६ व ४६७ में किया गया है । (३० ला० रि० बम्बई जिल्द १६-सफा १६५)

२—अपराधी एक जाळी दस्तावेज अदालतमें ले गया परन्तु उसको काममें न लाया तबवीज हुई कि वह उस दस्तावेजको आवश्यकताके समय काममें लानेकी इच्छा रखता था । (चीफ़ी रिपोर्ट जिल्द ८ सफा ११)

(४७५) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा किसी चिह्न अथवा निशानको जालसाजीसे बना-ना जो दफा ४६७में कही हुई दस्तावेजकी सच्चाईके लिये काममें आवे अथवा किसी वस्तुको पास रखना जिसपर झूठा चिह्न लगाहो निशान, जो इस सम्रहकी दफा ४६७ में कही हुई किसी दस्तावेजकी सच्चाई के लिये काममें आता हो इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि इस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे बनाई जानेको हो प्रमाणिक दिखाई दे, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी वस्तु अपने पास रखे, जिसपर अथवा जिसमें उस चिह्न या निशानकी जालसाजी की गई है, तो उस मनुष्यको जन्ममरके देशनिकाळेकी अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमांदा सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) गैरदस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नहीं होसकती (५) राजीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१—दफा ४७५ का अपराध प्रमाणित करनेमें इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है, कि अपराधीके अधिकारमें जो दस्तावेज है उसपर कोई झूठा चिह्न या निशान हो और यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि अपराधी उस दस्तावेजको अपने अधिकारमें इस अभिप्रायसे रखता था कि वह झूठा चिह्न या निशान उस दस्तावेजकी सच्चाईके लिये काममें आवेगा और इस बातके भी होनेकी आवश्यकता है कि वह दस्तावेज इस संग्रहकी दफा ४६७ में लिखी हुई दस्तावेजके अनुसार होवे । (वीह्नी रिपोटर जिल्द ३५ सफा १९)

(४७६) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न

जालसाजीसे बनाना किसी चिह्न अथवा निशानको जो दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजोंको छोडकर और प्रकारकी दस्तावेजोंकी सच्चाईके लिये काममें आता हो, अथवा पास रखना किसी वस्तुका जिसपर झूठा चिह्न लगाहो,

अथवा निशान जो इस संग्रहकी दफा ४६७ में कही हुई दस्तावेजोंको छोडकर और प्रकारकी किसी दस्तावेजको प्रामाणिक करनेके लिये काममें आता हो, इस अभिप्रायसे झूठा बनावेगा कि उस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाजीसे बनी हो अथवा पीछेसे जाली बनाई जानेको हो, प्रामाणिक दिखाई दे, अथवा जो कोई मनुष्य ऐसे अभिप्रायसे कोई वस्तु अपने पास रखता हो जिसके ऊपर अथवा जिसमें इसीप्रकारका चिह्न अथवा निशान जालसाजीसे

लगाया गया हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४७५ के अनुसार है ।

(४७७) जो कोई मनुष्य छल अथवा अधमसे अथवा इस अभिप्रायसे कि

छल छिद्रसे किसी वशीअतनामको, बिगाडना अथवा नष्ट करना आदि,

वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको नुकसान अथवा हानि पहुँचाए किसी ऐसी दस्तावेजको बिगाडे अथवा उसको नष्ट करे अथवा उसकी लिखावटको काट दे, अथवा उसके

नष्ट करने या बिगाड देने अथवा काट देनेका उद्योग करे जो वशीअतनामा अथवा लडका गोद लेनेका इजाजतनामा (आज्ञापत्र) अथवा कोई किफालतुलमाल हो अथवा होनेके योग्य हो अथवा ऐसी दस्तावेजके मध्ये कुछ हानि पहुँचावे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीक नाम वारंट (४) बिज़ा जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

१—पट्टेका फाड़-ढालना दफा ४७७ के अनुसार किफालतुलमालका नष्ट कर देना है।
(बीज्जी रिपोर्टर बिल्ड ३ सफा ३८)

(४७७) (अ) बढ़ाया गया दफा ४ ऐक्ट ३ सन् १८९९ ई० के अनुसार
झूठा हिसाब बनाना, } जो कोई मनुष्य मुत्सदी या अहलकार या नौकर हो अथवा मुत्सदी
या अहलकार या नौकरकी रीतिसे काम करता हो अथवा
नियत किया गया हो, जानबूझकर छलनेके अभिप्रायसे कोई बही या किताब या कागज या
लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके स्वामीका है अथवा उसके स्वामीके पास है
अथवा जो उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्वामीके अधिकार (हक) में पाया हो
नष्ट करे या बदले या उसमें काटकूट करे अथवा उसको झूठा बनाए, अथवा जानबूझकर और
छलनेके अभिप्रायसे किसी ऐसी बही या किताब या कागज या लेख या किफालतुलमाल या
हिसाबमें कुछ झूठ मूठ लिखे अथवा उसके लिखनेमें सहायता करे या उपरोक्त बही या किताब
या कागज या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाबसे किसी आवश्यकीय बातको निकाल
दे अथवा उसमें किसी आवश्यकीय बातको बदल दे अथवा निकाल देने या बदल देनेमें
सहायता करे तो उसको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा
जिसकी मीमाद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानिका दण्ड या दोनो दंड
दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—जो अपराध इस दफाके अनुसार लगाया जाय उसमें यह काफी
होगा कि यह बयान किया जाए कि विशेषरीतिसे छलनेकी- इच्छा थी और किसी विशेष
मनुष्यका नाम इस अभिप्रायसे न किया जाए कि उसके छलनेकी इच्छा थी अथवा किसी विशेष
रूपयेकी तादादका वर्णन न किया जाए जिसके मध्ये छल करनेका अभिप्राय था अथवा
किसी ऐसे विशेष दिन या तारीखका वर्णन न किया जाए जिसमें वह अपराध हुआ ।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) गैर दस्तन्दाकी पोलिस (३) अपराधीके नाम
वारंट (४) बिला जमानत (५) राजीनामा नहीं है ।

व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें ।

(४७८) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई अस-
व्यापारका चिह्न, } वाव किसी विशेष मनुष्यका बनाया अथवा तैयार किया हुआ है
अथवा किसी विशेष समय या स्थानमें बनाया अथवा तैयार किया
गया है अथवा किसी विशेष प्रकारका है वह व्यापारका चिह्न कहलाया जावेगा ।

(४७९) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई स्थावर मालका चिह्न, धन (मालमनकूला) किसी विशेष मनुष्यका है, वह मालका चिह्न कहलावेगा ।

(४८०) जो कोई मनुष्य किसी असबाबपर या सद्क या गठरी या किसी और व्यापारके झूठे चिह्नको काममें लाना, वस्तुपर जिसमें असबाब हो चिह्न बनाये अथवा कोई सद्क या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब जिसपर चिह्न है अथवा कोई असबाब जो ऐसे सद्क अथवा गठरी अथवा वस्तुमें है जिसपर चिह्न है, अमुक मनुष्यने बनाया अथवा तैयार किया है जिसने उसको न बनाया अथवा न तैयार किया हो अथवा यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि वह असबाब अमुक समय या अमुक स्थानपर बनाया गया या तैयार किया गया है जिसमें वह न बनाया गया अथवा न तैयारही कियागया हो अथवा यह कि वह असबाब विशेष प्रकारका है जिस प्रकारका वह न हो तो कहा जावेगा—कि उपरोक्त मनुष्यने व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाया ।

(४८१) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरधन (माल मनकूला) या असबाब पर या मालके झूठे चिह्नको किसी सद्क या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें स्थावरधन काममें लाना, अथवा असबाब हो चिह्न बनाए अथवा कोई सद्क या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि माल या असबाब जिसपर वह चिह्न है अथवा कोई माल या असबाब जो किसी सद्क या गठरी या दूसरी वस्तुमें है जिसपर वह चिह्न हो अमुक मनुष्यका माल है जिसका वह माल न हो, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य मालके झूठे चिह्नको काममें लाया ।

(४८२) जो कोई मनुष्य कोई व्यापारका झूठा चिह्न अथवा मालका झूठा चिह्न किसी किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके झूठे चिह्नको काममें लानेका दण्ड, मनुष्यको धोखा देने अथवा हानि पहुचानेके अभिप्रायसे काममें लाए, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दोयम (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८१) जो कोई मनुष्य सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या हानि अथवा नुकसान पहुंचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके किसी ऐसे चिह्नकी जालसाजी जिसको और कोई काममें लाता हो, उसको और मनुष्य काममें लाता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफा ४८२ के अनुसार है ।

(४८४) जो कोई मनुष्य सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुक-
 झूठ बनाना, किसी ऐसे मालके चिह्नका जो सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा किसी ऐसे चिह्नका जो वह किसी मालके तैयार किये जाने आदिको प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो, उसको और मनुष्य काममें लाता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक हो सकती है और जुर्मानेकी भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेगन प्रे० म० या म० अ० या म० अ० (२) दस्तान्दानी पोलीस नहीं है (३) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८५) जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या कोई और औजार जो सर्वसबधी अथवा विशेष मनुष्यके, मालका चिह्न अथवा व्यापारका चिह्न बनाने या झूठ करनेके लिये हो बनाए अथवा अपने पास रखे, इस अभिप्रायसे कि उसको उस चिह्नके झूठके लिये काममें लाए अथवा कोई ऐसा मालका चिह्न या व्यापारका चिह्न इस अभिप्रायसे अपने पास रखे कि वह इस बातको प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि अमुक माल अथवा सौदागरीकी नस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुक कारखानेकी बनाई अथवा तैयार की हुई

है जिसको उसने न बनाया अथवा न तैयार किया हो, अथवा यह कि वह, किसी समय या किसी स्थानमें बनाई अथवा तैयार की गई है जिसमें वह न बनाई अथवा न तैयार की गई हो, अथवा यह कि वह किसी विशेष प्रकारकी है कि जिस प्रकारकी वह न हो, अथवा यह कि वह किसी मनुष्यका माल है जिसका माल न हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा । जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४८४ के अनुसार है ।

(४८६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको, जिसपर अथवा जिस सन्दूक या

जानबूझकर किसी ऐसे मालका बेचना जिसपर व्यापार अथवा मालका झूठा चिह्न लगा हो. } बेठन या वस्तुमें वह माल हो उसपर माल या व्यापारका कोई झूठा चिह्न लगा अथवा छपा हो चाहे वह सर्वसंबंधी हो चाहे निजका किसीको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रा-

यसे यह बात जानबूझकर बेचेगा कि यह चिह्न झूठा है अथवा जाहसाजीसे लगाया गया है अथवा छपा गया है जो उस मनुष्यकी अथवा उस समयकी अथवा उस स्थानकी जो कि उस चिह्नसे जान पडता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिह्नसे प्रगट होता है व उस प्रकारकी नहीं है तो उसको दण्ड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका जिसकी मीमाद एक वर्षतक होसकेगी दिया जावेगा अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८७) जो कोई मनुष्य किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें माल रक्खा हो

छल छिद्रसे किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें असबाब हो झूठा चिह्न बनाय. } छलसे कोई झूठा चिह्न बनाए. इस अभिप्रायसे कि किसी सरकारी नौकरको अथवा किसी और मनुष्यको यह निश्चय कराए कि उस गठरी अथवा वस्तुमें अमुक माल है जो उसमें नहीं है

अथवा यह कि उसमें अमुक असबाब नहीं है जो उसमें है अथवा यह निश्चय कराए कि वह असबाब जो उस गठरी अथवा वस्तुमें है किसी भाति या प्रकारका है, जो वार्तवमें उस भाति अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अ० वे० या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गेर दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम (४) जमानत हो सकती है (५) राबीनामा नहीं है।

(४८८) जो कोई मनुष्य ऊपर लिखी हुई पिछली दफाके अभिप्रायसे कोई किसी ऐसे झूठे चिह्नको } ऐसा झूठा चिह्न छलपूर्वक काममें लाए यह जानकर कि वह चिह्न काममें लानेका दण्ड } झूठा है, तो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा कि जो पिछली कहीं हुई दफामें कहा गया है।

(४८९) जो कोई मनुष्य किसी मालके चिह्नको दूरकरे अथवा मिटाए या हानि पहुँचानेके अभि- } बिगाड़े इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि उसके द्वारा } प्रायसे मालके किसी चिह्न } किसी मनुष्यको हानि पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों } को बिगाड़ना. } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगें।

टीप—दफा ४८६ के अनुचार है।

कारेसी नोट और वेकनोटोंके विषयमें।

(४८९) (अ) जो कोई मनुष्य कारेसी नोट अथवा वेकनोटको खोटा बनावेगा अथवा कारेसी या वेकनोटका } जानबूझकर खोटा बनानेके यत्नका कोई काम करेगा तो उसे } खोटा बनाना. } जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दस वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस दफा और दफा ४८९ ब, क ड के अभिप्रायके लिये शब्द “वेकनोट” से प्रत्येक ऐसे प्रामिसरी नोट अथवा रुपया चुकानेके इकरारनामेका अभिप्रायहै जो ससारके किसी भागमें ब्रेक अर्थात् महाजनी कारोवार करनेवाले ने जारी किया हो अथवा जो किसी रियासत या उस समयके बादशाहकी ओरसे अथवा आज्ञासे प्रचलित किया गया हो और जिसके मध्ये यह अभिप्राय होवे कि वह रुपयेके समान अथवा रुपयेके ब्रदले काममें लाया जावे।

टीप—(१) अदालत सेवान (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत नहीं है (५) राबीनामा नहीं है।

(४८९)—(ब) जो कोई मनुष्य किसी जाली अथवा खोटे बनाए हुए कारेसी जाली अथवा खोटे बैंक-नोट या कारेसी नोटको सच्चेको भांति काममें लाना नोट या प्रामेसरी नोटको यह जानकर अथवा निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है, किसी दूसरे मनुष्यके हाथ बैंचे अथवा उससे प्राप्त करे या मोल लेवे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है ।

(४८९)—(क)—जो कोई मनुष्य अपने पास कोई जाली अथवा खोटा कारेसी-जाली अथवा खोटे बैंकनोटों या कारेसीनोटोंको अपने अधिकारमें रखना, नोट या बैंकनोट रखेगा यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है और उसे सच्चेकी भांति काममें लानेकी इच्छा करे अथवा यह इच्छा करे कि वह सच्चेकी भांति काममें लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अयराबीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४८९) (ड) जो कोई मनुष्य कोई कल, औजार या सामान बनाये कारेसी नोट या बैंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना अथवा अधिकारमें रखना, अथवा बनानेके यत्न सम्बन्धी कोई कामको करे या बेचे या मोल ले या अपने अधिकारसे अलग करदे या अपने अधिकारमें रखे इस अभिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह किसी कारेसी नोट या बैंकनोटके जाली बनाने अथवा खोटा करनेके काममें लाया जावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफा ४८९ (अ) के अनुसार है ।

अध्याय उन्नीसवाँ १९.



नौकरीका कौल करार दंड योग्य रीतिसे तोडनेके विषयमे ।

(४९०) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी जल अथवा थलके स्फरमें नौकरीके कौल करारको तोडना, मनुष्यको अथवा मालको एक स्थानसे दूसरे स्थानको लेजाने अथवा पहुँचानेमे अपने शरीरसे काम करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्यका नौकरी करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्य अथवा मालको चौकसी करना अवश्य हो जानबूझकर ऐसा करनेसे चूकेगा, सिवाय बीमारी अथवा ब्रह्मसूत्राका अवस्थाके, तो उसे दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका दंड दिया जावेगा जिसका मीमाद एक महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड जो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर पालकीका एक कहार जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशकरको एक स्थानपर दूसरे स्थानसे ले जाना अवश्य था, राहपरसे भाग गया तो शिवशकरने इस दफामे कहा हुआ अपराध किया ।

(ख) शिवशकर एक कुली जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार रमाशकरका असबाब एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, असबाबको फेरकर चल दे तो शिवशकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(ग) शिवशकर बैलके एक मालिकने जिसपर अनितिपूर्वक किये हुए कौल करारके अनुसार कुछ माल अपने बैलपर लादकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचाना अवश्य था, ऐसा करनेमें कानून विरुद्ध चूक की तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(घ) शिवशकरने रमाशकरको जो एक कुली है अनिति पूर्वक अपना असबाब ले चलनेके लिये दबाया, रमाशकर राहमे असबाब रखकर भाग गया तो यहा जो कि असबाबका पहुँचाना रमाशकरपर कानूनानुसार उचित न था, इसलिये रमाशकर किसी अपराधका अपराधी नहीं हुआ ।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके प्रमाणित होनेके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि कौल करार उस मनुष्यके साथ किया जाय जिसका नौकरी करनी हो वरन यही काफी है कि उस मनुष्यने जिसको वह नौकरी करनी पड़ेगी किसी मनुष्यके साथ वह कौलकरार कानूनके अनुसार किया हो, चाहे वह प्रगट रीतिपर किया हो अथवा अप्रगट रीतिपर ।

उदाहरण ।

शिवशकरने किसी डाक कम्पनीके साथ उसकी गाडी एक महीनेतक हांकनेका कौल करार किया, रमाशकरने सफरमे जानेके लिये उस डाक कम्पनीकी गाडी भाडेकी और उस कम्पनीने रमाशकरको उस महीनेके भीतर वही गाडी दी जिसको शिवशकर हांकता था, शिवशकरने जानबूझकर सफरमें गाडी छोडदी तो यहां- यद्यपि शिवशकरने रमाशकरके साथ कौलकरार नहीं किया था तथापि वह इस दफामें कहे हुए अपराधका अपराधी हुआ ।

टीप—(१) प्रे० म० म० अ० या म० दो० (२) पोलीस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यके साथ वह इकारार किया कि वह मनुष्य अपराधीकी गाडीपर अपना माल एक निश्चत समयतक जहां चाहे वहां लेजाय, और फिर अपराधीने अपनी गाडी न दी तजवीज हुई कि अपराधीके अपराधका दफा ४९० से सम्बन्ध न था । (वीह्वी रिपोर्टर जिल्द ९ सफा १२)

(४९१) जो कोई मनुष्य, जिसपर नीतिपूर्वक कौल करारके अनुसार किसी असमर्थमनुष्यकी ट-हल करने, और जो वस्तु उसके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुचानेके कौल करारको तोडना । ऐसे मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवश्यकीय वस्तुओंका पहुंचाना उचित है जो कम अवस्थाके कारण अथवा सिडी होजानेके कारण अथवा रोग या शरीरकी दुर्बलताके कारण असमर्थ है—अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न करने या जो वस्तु उसे चाहिये उसके प्राप्त करनेके अयोग्य है जानबूझकर ऐसा करनेमें चूक करे, तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—दफा ४९० के अनुसार है ।

(४९२) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक लिखे हुए कौल करारके अनुसार किसी और मनुष्यके लिये दस्तकार या कारीगर या नौकरी करनेके कौल-करारको तोडना, जहां नौकर मालिकके खर्चसे पहुंचाया गया हो, अनुसार किसी और मनुष्यके लिये दस्तकार या कारीगर या मजदूरकी रीतिसे किसी समय तक, जो तीन वर्षसे अधिक न हो, ब्रिटिश इन्डियाके भीतर किसी ऐसे स्थानमे काम करना उचित है, जहा वह उस कौलकरारके अनुसार उस मनुष्यके खर्चसे पहुंचाया गया हो अथवा पहुंचाए जानेको हो, उस मनुष्यकी नौकरी परसे उस कौलकरारकी मीआदके भीतर जानबूझकर भाग जाए अथवा विना किसी उचित कारणसे उस नौकरीके करनेसे नाहीं करे जिसके करनेका उसने कौल करार किया हो और वह नौकरी उचित अथवा योग्य हो, तो उस को दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद

एक महीनेसे अधिक न हो अथवा जुर्मनिका दण्ड जिसकी तादाद उस खर्चकी दुगुनी तादादसे अधिक न हो या दोनों दंड दिये जावेगे सिवाय उस अवस्थामे कि जब यह बात पाई जावे कि नौकर रखनेवालेने उसके साथ बदसल्लकी की हो अथवा अपनी ओरसे कौल करारका दावा पूरा करनेमे भूल की हो ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दौ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—इफा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या मजदूरको नौकरीके कौल करारका तोड़ना अपराध है, परन्तु नौकरोसे सम्बन्ध नहीं है । (पञ्जाब रिकार्ड न० २० सन् १८७६ ई०)

अध्याय बीसवाँ २०.

उन अपराधोके वर्णनमे जो विवाहसे सम्बन्ध रखते हैं ।

(४९३) प्रत्येक ऐसे पुरुषको, जो किसी स्त्रीको जिसका नीतिपूर्वक विवाह उस संभोग, जो किसी पुरुष-मन नीतिपूर्वक विवाहका बोझा देकर कियाहो } पुरुषके साथ न हुआ हो, धोखा देकर यह निश्चय कराए कि उस स्त्रीका नीतिपूर्वक विवाह उसके साथ हुआ है, और उस निश्चयके द्वारा वह अपने साथ उस स्त्रीका संभोग करनेका कारण होवे उसको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मनिके मी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेचन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४९४) जिस किसीकी स्त्री या पति जीवित हो और वह उस अवस्थामें विवाह-स्त्री अथवा पतिके जीते } करे कि जिसमें ऐसा विवाह उस स्त्री या पतिके जीवित रह-स्त्री द्वारा विवाह करना } नेके कारण रद्द हो जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद सात वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्मनिका मी देनदार होगा ।

छूट !

यह दफा ऐसे मनुष्यसे सम्बन्ध न रखेगी जिसका विवाह ऐसी स्त्री या पतिके साथ किसी अदालत मजान (समर्थ न्यायालय) के न्यायसे रद्द कर दिया गया हो,

और न ऐसे मनुष्यसे यह दफा सम्बन्ध रखेगी जो अपने पहिले पति या स्त्रीके जीतेजी विवाह करे यदि वह पति या स्त्री उस पिछले विवाहके समय सात वर्षकी मीमाद तक बराबर उसके पाससे बिछुड़ा रहा हो या रही हो और न उसने उस समयके बीचमें कभी सुना हो कि वह जीवित है—परन्तु नियम यह है कि पिछला विवाह करनेवाला या करनेवाली विवाह होनेसे पहिले उससे जिसके साथ विवाह करे सब वृत्तात सत्य २ जहातक जानता या जानती हो कह दे ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अपराधीके नाम वारण्ट (३) गैर दस्तान्दाजी पोलिस (४) जमानत है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—कैदीने अपनी स्त्रीके जीतेजी एक दूसरी स्त्रीके साथ व्याह करनेके मध्ये इधितहारात (विज्ञापन) जारी किये और मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बलने उसको दूसरे विवाहके उद्योगमें अपराधी ठहराकर दफा ४९४ व ५११ के अनुसार सेशन सिपुर्द किया—और सेशन जज आगरेने उसको तीन वर्षकी कडी कैदका दण्ड दिया—हाईकोर्टने तजवीज की कि विज्ञापनका देना विवाह करनेकी तैयारीमें दाखिल था परन्तु उद्योगकी सीमातक न पहुँचता था । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३१६)

२—यदि किसी कम अवस्थावाली (नाबालिग) मुसलमान स्त्रीका दूसरा विवाह उसके अब्बल पतिके जीतेजी उस स्त्रीका रक्षक किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफा ४९४ व दफा १०९ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ हिस्सा १० नं० ३७९)

३—खानदेशके रहनेवाले एक राजपूतने अपनी स्त्रीको तलाकनामा (दस्तावेज छोड़ छुट्टी) लिख दिया—परन्तु उसमें कोई उचित कारण न लिखा, इसलिये वह दूसरा विवाह करनेवाला राजपूत दफा ४९४ का और विवाह करनेवाला पुरोहित दफा १०९ व ४९४ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी हुआ । (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १२९ नं० १७८)

४—यदि कोई हिन्दू स्त्री मुसलमानीमत स्वीकार करले, तो उसके मुसलमान हो जानेसे उसका विवाह उसके पतिसे रह न होजावेगा इसलिये वह अपने पतिके जीतेजी कोई दूसरा नीतिपूर्वक विवाह नहीं कर सकती अतएव किसी मुसलमानके साथ निकाह करना हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा ४९४ के अपराधमें गिना जायगा (३० ला० रि० बम्बई जिल्द ४ सफा ३३०)

५—एक कम अवस्थावाली (नाबालिग) मुसलमान लडकीका विवाह उसकी माने (क) के साथ कर दिया, लडकीके युवा (बालिग) होनेसे पहिले (क) जेलखाने चलागया, इस समयके बीचमें लडकी युवा हुई तब उसने (ख) के साथ विवाह कर लिया—इतनेमें (क) जेलखानेसे छूट आकर लडकी और (ख) के नाम दूसरा विवाह करनेके अपराधमें नाबालिग की—तजवीज हुई कि गिया व सुबी दोनो मतोंमें लडकीको यह अधिकार है कि वह युवा होनेपर अपने निकाहको कायम रखे अथवा न रखे—इसलिये लडकीने युवा होनेपर अपने पहिले निकाह को स्वीकार नहीं किया अतएव कोई अपराध नहीं है । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७९)

६—ताजीरात हिन्दकी दफा ४९४ के अनुसार अपराधीका दण्ड नहीं ठहर सकता, उस अवस्थामे कि जब गवाहीसे यह प्रमाणित हो जावे कि उस कौमके चलनेके अनुसार सगाई या निकाहका विवाह उचित होता है, जब कि पाति अपनी स्त्रीको छोड देवे । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ६२७)

(४९५) जो कोई मनुष्य पहिले विवाहका वृत्तात उससे छिपा रखकर जिसके साथ यही अपराध पहिले } वह पिछला विवाह करता है उस अपराधका अपराधी हो जिसका विवाहका उससे जिसके } वर्णन इसके ऊपरका पिछली दफामे किया गया है, उसको साथ पिछला विवाह हुआ } दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा छिपाकर करना

जिसकी मीआद दस वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानका भी देनदार होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाजी पोलीस नहीं है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(४९६) जो कोई मनुष्य अधर्मसे अथवा छलके अभिप्रायसे विवाहकी रीति भाति नीतिपूर्वक विवाह कर- } को पूरा करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विवाह नीति- नेके विना छलके साथ } पूर्वक नहीं ठहर सकता, उस मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रका- विवाहकी रीतिको पूरा } रकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होस- करना.

कती है और वह जुर्मानका भी देनदार होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

१—दफा ४९६ के अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीकी इच्छा छल करनेकी थी केवल अपने धर्म ही विवाहकी रीति भौतिकी पूरा करना—अनुचित विवाहमें सहायता करनेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता । (वीक्ली रिपोर्टर इस्पेशल सीजर सफा १३)

(४९७) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्रीसे जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है या व्यभिचार. } जिसको वह जानता अथवा जाननेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, विना प्रसन्नता अथवा सम्मति उस पुरुषके सम्भोग करे और वह सम्भोग बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधकी सीमातक न पहुँचे तो वह मनुष्य व्यभिचारके अपराधका अपराधी होगा और उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद

पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेंगे—ऐसी अवस्थामें स्त्री सहायककी रीतिपर दण्ड दिये जानेके योग्य न होगी ।

टीप—(१) अदालत सेजान या प्र० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दजी पोसीस (३) अग्राधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—मुकद्दमेकी अपील किये जानेके पश्चात् व्यभिचारके मुकद्दमेमें दस्तवरदारीकी इजाजत (मुकद्दमेको उठा लेना) नहीं दी जा सकती । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९)

२—(क) पर (द) और (च) ने जो (द) की स्त्री बयान की गई है (च) से व्यभिचार करनेका अपराध लगाया और व्यभिचारका अपराध, तजवीजके अभिप्रायसे ठहराया गया विवाहकी गवाही उनके बयानोंमें न थी कि उनका विवाह आपसमें हुआ और (क) का यह बयान था कि (च) द की स्त्री नहीं है, (क) पर व्यभिचारका अपराध प्रमाणित हुआ—तजवीज हुई कि मुद्दइयोंकी गवाह व्यभिचारका अपराध प्रमाणित होनेके लिये काफी नहीं है । (३० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफा २३३)

३—एक स्त्रीके पतिने कि जिसके साथ अपराधीका व्यभिचार करना कहा गया था, मुकद्दमेकी पैरवी न की, तो अदालतने अपराधीको छोड़ दिया । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २७)

४—जिस मनुष्यके साथ कोई स्त्री अपने पतिके जीते जी और उसकी इच्छाके विरुद्ध दूसरा विवाह करले तो वह मनुष्य उस स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे दफा ४९७ के अनुसार व्यभिचारका अपराधी गिना जायगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफा ११७)

५—(क) ने (ख) के घरमें बिना आज्ञा (ख) के बुझकर उसकी लांके साथ व्यभिचार किया तजवीज हुई कि (क) को व्यभिचार और घरकी मदाखलत बेजाके अपराधमें अलग २ दंड दिया जा सकता था क्योंकि वे अलग अपराध थे । (पंजाब रिकार्ड नं ५ सन् १८७१ ई०)

(४९८) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है अथवा

बुरी इच्छासे किसी } जिसको वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता है कि वह
व्याही हुई स्त्रीका फुसला } किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, उस पुरुषके पाससे अथवा किसी और
ले जाना या ले उठना } मनुष्यके पाससे जो उपरोक्त पुरुषकी ओरसे उपरोक्त स्त्रीका रक्षक
अथवा रोक रखना, } हो, ले उठे अथवा फुसला लेजाय इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त स्त्री

किसी मनुष्यसे अनुचित सम्भोग कराए अथवा उस अभिप्रायसे किसी ऐसी स्त्रीको छिपाए अथवा रोक रखे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्र० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है।

१—जब एक स्त्री जिसको उसके पतिने छोड़ दिया था अपनी प्रवृत्ततासे अपराधीके साथ चली गई तो अपराधीपर दफा ४९८ का अपराध नहीं उठर सकता, क्योंकि अपराधीने उसको किसी प्रकारसे नहीं बर्हकाया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३५)

२—स्त्री भगा ले जानेके अपराधमें फरिगाही (मुस्तगीत) व स्त्री व स्त्रीकी मौका बयान विवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण है। (इ० ला० रि० मदराम जिल्द १ मका ९)

३—अपराधीपर दफा ४९८ के अनुसार यह अपराध लगाया गया कि वह एक स्त्री (अ) को जो उस समय (म) की स्त्री थी और अपराधी उसको (म) की स्त्री जानता था, उसके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ले भागा—तबवीज हुई कि अपराधीने अपराध किया था, यद्यपि स्वयं उस स्त्रीने अपने ले भागनेके लिये अपराधीसे कहा था ओं अपराधी बहुत दिनों तक उसका कहना माननेसे नहीं करता रहा था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदराम जिल्द २ सफा ३३१)

४—अपराधीको दफा ४९८ के अपराधमें इसलिये दण्ड न दिया गया कि फरियादीने नालिख करनेके पहिले अपनी स्त्रीको तलाक दे दी थी—(पंजाब रिफाई न० २७ सन् १८७९ ई०)

अध्याय इकीसवाँ २१. ❀



अपयश लगानेके विषयमें।

(४९९) जो कोई मनुष्य शब्दोंसे जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढ़े
अपयश लगाना, } जानेके अभिप्रायसे हों अथवा चिह्नोंसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादिते
} किसी मनुष्यके मध्ये कोई जाल (तुहमत) लगावेगा या छापकर
प्रगट करेगा इस अभिप्रायसे कि उस मनुष्यका नेकनामीको हानि पहुँचे अथवा यह
ज्ञानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि, वह जाल उस मनुष्यका नेकनामीको
हानि पहुँचाएगा तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटोंके कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यको
अपयश लगाया।

स्पष्टीकरण—१— किसी मरे हुए मनुष्यको कोई तुहमत लगानेसे भी अपयश लगाना
हो सकेगा जब कि उस अपयशके लगानेसे उस मनुष्यके यशको जब कि वह

कोई दण्ड अध्याय २१ सम्बन्धीका न्याय सत्ताये (मजलूम) मनुष्यकी नालिख होनेपर
होसकता है (देखी ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफा १९८)

अदालतोंको अधिकार है कि दफा ५०२ का अपराध प्रमाणित होनेपर कितना ही अथवा और
वस्तुओंके जिनके कारण अपराध हुआ नष्टकर देनेकी आज्ञा दे—(ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की
दफा ५२१)

जीवित होता हानि पहुँचती और उससे यह अभिप्राय हो कि उस मनुष्यके लडके वालों अथवा नगीचके नातेदारोंके मनको दुःख पहुँचे ।

स्पष्टीकरण—२—किसी कम्पनी या समाजको अथवा मनुष्योंके समूहको, जो कम्पनी या समाजकी रीतिसे इकट्ठा हुए हों, किसी बातकी तुहमत लगाना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—३—दो अर्थवाले अर्थ शब्द कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बातका कहना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—४—किसी तुहमतके मध्ये न कहा जावेगा कि वह किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाता है, सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह तुहमत स्पष्टरीतिपर या छोट फेरकर और लोगोंकी दृष्टिमें उस मनुष्यके सुचाल या बुद्धिमानीके कम होजानेका कारण हो, अथवा उसको जात पात या व्यवहारमें बढ़ा लगे अथवा उसकी साख विगडे अथवा इस बातके निश्चय किये जानेका कारण होवे कि उस मनुष्यका शरीर घृणित अवस्थामें या एक ऐसी अवस्थामें है जो बहुधा कलकित गिने जानेका कारण है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कहा कि—रमाशंकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजाशंकरकी घडी कभी नहीं चुराई—यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घडी चुराई है तो यह अपयशलगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि छूटोमेंसे किसी छूटमें आजाय ।

(ख) शिवशंकरसे पूछा गया कि, गिरिजाशंकरकी घडी किसने चुराई—शिवशंकरने रमाशंकरकी ओर इशारा किया, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि, रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घडी चुराई, तो यह अपयश लगाना कहलावेगा—सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाय ।

(ग) शिवनन्दनने यशोदानन्दनका एक ऐसा चित्र (तस्वीर) खींचा कि वह रामस्वरूपकी घडी लिये भागा जाता है, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि—यशोदानन्दनने रामस्वरूपकी घडी चुराई है तो यह अपयशका लगाना है—सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाय ।

१—छूट—किसी मनुष्यके मध्ये किसी सच्ची बातकी तुहमत लगानी अपयशका लगाना

किसी सच्ची बातकी तुहमत लगाना, जिसका लगाना, अथवा प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये उचित हो,	}	न कहलावेगा जब कि उसका लगाना अथवा प्रगट करना सर्वसाधारणके लाभके लिये उचित हो—यह बात जांचना, कि इससे वास्तवमें सर्व साधारणका लाभ है या नहीं, उस समयकी जांचके आधीन होगी ।
---	---	--

२-छूट-शुद्धस्वभावसे कुछ विचारारा (राय) किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी कार्रवाईके सरकारी नौकरका ब-
र्त्ताव उसकी नौकरीकी रीतिपर, मध्ये अथवा उसके बर्त्ताव व चलनके मध्ये, वहीं तक जहा तक कि वह चलन उस कार्रवाईसे सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न कहलावेगा।

३-छूट-किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढंगके मध्ये, सर्वसम्बन्धी कामके मध्ये किसी मनुष्यकी कार्रवाईका ढंग, जो सर्वसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित हो, और उस मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये, जहातक कि वह चलन अथवा गुण उस कार्रवाईके ढंगसे प्रगट होता हो और न उससे अधिक, अपयश-लगाना नहीं है।

उदाहरण।

शिवशकरका नीचे लिखी बातोंमें समागकरके बर्त्तावके मध्ये कोई राय शुद्धभावसे प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है, अर्थात्, सर्व सम्बन्धी किसी कामके मध्ये गवर्नमेंटको अर्जी देनेमें, अथवा किसी सर्व सम्बन्धी मामलेकी सभा होनेके लिये बुलावेके कागजपर दस्तखत करने अथवा उस प्रकारकी सभाका मुखिया या सक्षी होनेमें अथवा सवसे सहायता मांगनेके लिये किसी सभाके जोडने या उसका स्थायी होनेमें, अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये, जिसका काम मछी प्रकारपर करनेमें सर्वसाधारण मनुष्योंके अभिप्रायका सम्बन्ध हो, किसी उम्मेदवारके चुननेके मध्ये राय देने अथवा उसके लिये औरोंसे राय प्राप्त करनेके मध्येमें,—

४-छूट-कोर्टआफजस्टिसकी किसी कार्रवाई अथवा उसकी कार्रवाईके फलके मध्ये कोर्टआफजस्टिसकी कार्रवाईकी कैफियतका प्रगट करना पक्षी रीतिपर सच्ची कैफियतका प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है।

स्पष्टीकरण—कोई जस्टिस आफ दी पीस या दूसरा अपसर जो खुली कचहरीमें तहकीकात कर रहा है, पहिले इसके कि वह मुकद्दमा किसी कोर्टआफजस्टिसमें पेदा हो, एक ऐसी अदाखत है जो ऊपर लिखी दफाके अभिप्रायमें गिनीजाती है।

५-छूट-दीवानी या फौजदारीके किसी मुकद्दमेकी व्यवस्थाके मध्ये, जो किसी किसी मुकद्दमेकी कैफियत, जिसका निबटेरा कोर्टआफजस्टिसमें हुआ अथवा गवाही और और मनुष्योंकी कार्रवाईका ढंग जो उससे सम्बन्ध रखते हैं, कोर्टआफजस्टिसमें निबटाया हो अथवा किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढंगके मध्ये, उसके किसी ऐसे मुकद्दमेमें पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होनेकी रीतिसे या ऐसे मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये जहातक कि, उसकी कार्रवाईके ढंगसे चलन अथवा गुण प्रगट होते हैं, और न हससे अधिक, किसी रायका शुद्ध-भावसे प्रगट करना, अपयश लगाना नहीं है।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर कहै कि मेरी समझमे रमाशंकरकी गवाही अमुक मुकद्दमेमें ऐसी बुरी है कि वह अवश्य मूर्ख अथवा अधर्मी है—तो शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा यदि वह शुद्धभावसे यह बात कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर प्रगट करता है रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बन्ध रखती है जैसा उसकी कार्रवाईके दगसे गवाही होनेपर प्रगट होता है और न इससे अधिक—

(ख) परंतु यदि शिवशंकर यह कहै कि रमाशंकरने अमुक मुकद्दमेमें, जो बयान किया है उसको मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि रमाशंकरका स्वभाव झूठ बोलनेका है तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये बयान करता है ऐसी राय है जो रमाशंकरकी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

इ—छूट—शुद्धभावसे किसी सम्मतिका प्रगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्ये किसी सर्व सम्बन्धी } जिसको किसी काम करनेवालेसे सर्व साधारणकी रायपर छोडा कामकी व्यवस्था. } हो अथवा काम करनेवालेके चलन व गुणके मध्ये, जहातक कि वे चलन व गुण उस कामसे प्रगट होते हों और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है ।

स्पष्टीकरण—कोई काम सब लोगोंकी रायपर या तो स्पष्ट रीतिसे छोडा जासकता है अथवा काम करनेवालेके ऐसे कामोंसे जिनसे सब लोगोंकी रायपर उस कामका छोडा जाना पाया जाता हो ।

उदाहरण ।

(क) वह मनुष्य जो किसी पुस्तकको छपवाए, उस पुस्तकको सर्व साधारणकी राय पर छोडता है ।

(ख) वह मनुष्य जो सब लोगोंके सामने कुछ बात कहता है, उस बातको सर्व साधारणकी रायपर छोडता है ।

(ग) कोई भाड या गवइया जो सर्वसाधारण जलसेमे अपना गुण प्रगट करे वह अपने खेल अथवा गानको सर्व साधारण की रायपर छोडता है ।

(घ) शिवशंकर किसी पुस्तकके मध्ये जो रमाशंकरने छपवाई है कहै कि रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खताकी है और इसलिये रमाशंकर अवश्य मूर्ख है अथवा रमाशंकरकी पुस्तक अश्लील (फद्ग) है और इसलिये अवश्य रमाशंकर निर्लज (फाहिशुल अह्ल) मनुष्य है तो शिवशंकर इस छूटमे गिना जायगा—यदि वह यह बात शुद्धभावसे कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये प्रगट करता है केवल रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बन्ध रखती है जहातक कि वे रमाशंकरकी पुस्तकसे प्रगट होते हैं न कि उससे अधिक;—

(६) परतु यदि शिवशकर यह कहै कि रमाशकरकी पुस्तक मर्गता और निष्पत्ता की होनेका मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्य और कामी मनुष्य हैं तो शिवशकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा, क्योंकि वह राय जो शिवशकर रमाशकरके चलन व गुणके मध्ये प्रगट करता है ऐसी राय है जो रमाशकरकी पुस्तकसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

७—छूट—जिस मनुष्यको दूसरेपर कानूनकी रीतिसे अथवा किसी कौल करारक द्वारा शिक्षादोष (लानत मलामत) जो शुद्धभावसे कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो } जो उस दूसरेके साथ कानूनानुसार हुआ हं कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओरसे उस दूसरे मनुष्यकी कार्यवाहक मय निर्मा बानमे जिसमें उसका नीतिपूर्वक अधिकार सम्बन्ध रखता हो शुद्धभावसे कुछ दोष लगाया जाय तो वह अपयशका लगाना न कहलावेगा ।

उदाहरण ।

नीचे लिखे हुए मनुष्य इस छूटमें गिने जायंगे, अर्थात् कोई जब जो किसी गवाहको अथवा अपनी अदालतके अहलकारको उसकी कार्यवाही पर शुद्धभावसे शिक्षादोष (लानत मलामत) लगाता हो—अथवा किसी सरिक्तेका हाकिम जो शुद्धभावसे अपने आज्ञाकारियों (मातहत) को शिक्षादोष लगाता हो अथवा कोई मा या बाप जो अपने बालकको और बालकके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगावे अथवा कोई मास्टर (अध्यापक) जिसको किसी विद्यार्थीके मा बापकी ओरसे अधिकार प्राप्त हो, उस विद्यार्थीपर और विद्यार्थियोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाना हो—अथवा कोई स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेमें सुस्त होनेके मध्ये शुद्धभावसे फटकारता हो अथवा कोई महाजन जो अपनी कोठीके खजानची (गेकडिया) को उसके चलनके दगके मध्ये उसके रोकटिये-पनके काममें शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो ।

८—छूट—शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन शिकायत जो अधि-कारी मनुष्यके सामने पेज } मनुष्योमेसे, कि जो उस मनुष्यपर शिकायतके विषयके मध्ये उचित अधिकार रखते हैं अपयशका लगाना नहीं है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशकर किसी मजिस्ट्रेटके सामने शुद्धभावसे रमाशकरकी शिकायत करे अथवा यदि शिवशकर शुद्धभावसे रमाशकरके चलनके मध्ये जो नौकर है उसके स्वामीसे शिकायत करे—अथवा यदि शिवशकर शुद्धभावसे रमाशकरका जो एक बालक है उसके चलनके मध्ये उसका बापसे शिकायत करे—तो शिवशकर इस छूटमें गिना जायगा ।

९—छूट—किसी मनुष्यके चाल चलनके मध्ये तुहमत लगाना अपयश लगाना नहीं

अपने स्वार्थकी रक्षाके
लिये अथवा सर्व साधारण
के भलेके लिये किसी मनु-
ष्यको शुद्धभावसे कुछ
बात लगानी,

है जब कि वह तुहमत शुद्धभावसे तुहमत लगानेवालेकी या किसी
और मनुष्यकी स्वार्थरक्षाके लिये या सर्व साधारणके लाभके लिये
लगाई जावे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक दूकानदार रमाशंकरसे जो उसका कामकाज करता है कहे कि तुम गिरिजाशंकरके हाथ कोई वस्तु न बेचो सिवाय इसके कि तुमको वह रोक दाम दे क्योंकि मैं उसकी कुछ सखी नही मानता हूँ—तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा यदि उसने यह तुहमत अपनी स्वार्थरक्षाके लिये शुद्धभावसे गिरिजाशंकर पर लगाई हो ।

(ख) शिवशंकर एक मजिस्ट्रेटने अपने ऊपरके अपसरके यहा रिपोर्ट करके रमाशंकरके चलनकी बुराई लगाई तो यहां शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा जब कि वह बुराई शुद्धभावसे और सबके भलेके लिये लगाई गई हो ।

१०—छूट—एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके मध्ये शुद्धभावसे सावधान कर देना अपयश

सावधान करना जिसमें
उस मनुष्यका लाभ हो
कि जिसे सूचना दी गई
हो अथवा जिससे सर्व
साधारणके लाभका अभि-
प्राय हो

लगाना न होगा जब कि वह सावधानीकी बात उस मनुष्यके भलेके
लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा और किसी मनुष्यके भलेके
लिये जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा सबके लिये हो ।

१—(म) को उसकी जातवालोंने इस जातपर जातबाहर कर दिया कि वह उसी जातकी एक लोके साथ पकड़ा गया—उसी जातिके कुछ पंचोने अपनी जाति विरादरी वालोके यहां एक चिड़ी भेजी जिसमें यह लिखा था कि (म) और उपरोक्त लो जात बाहर कर दी गई विरादरीवाले उन्हे अपने घरमें न रखें और न उनके साथ खावें यह बयान दत्ता ४९९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अपयश लगाना था, इसलिये तजवीज हुई कि यदि उपरोक्त मनुष्य असावधानीके साथ ऐसे गन्द-काममें जाए कि जो (म) से सम्बन्ध रखते थे तो उन मनुष्योंने अपनी दायित्वसे ऐसा किया और वह (म) को अपयश लगानेके कारण किसी उपरोक्त गन्दके द्वारा नहीं बचसकते । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६६४)

२—हिन्दुस्थानमें किसी एडवोकेट (वकील आदि) के विरुद्ध, किसी ऐसे गन्दके मध्ये जो उसने अपने औद्देके अधिकारसे कहा हो दीवानी या फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलसकता । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १० सफा २८)

३—किसी समाचार पत्रका मेनेजर और एडिटर जो अपने समाचार पत्रमें अपयशसे भरा हुआ एक लेख एक शहरमें छापकर किसी दूसरे शहरमें अपने समाचार पत्रको भेजे, तो वह जबतक कि इसके विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न होवे उस दूसरे शहरमें अपयशसे भरे हुए लेखके प्रगट करनेका जिम्मेदार होगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफा २८६)

४—अपराधी जो इन्स्पेक्टर पोलीस या इस बातकी जांचके लिये भेजा गया कि ब्रजनाथ डाकुर्वो-का मुखिया है या नहीं—उसने रिपोर्ट की कि वह बात झूठी है और गांवके बनिसे ब्रजनाथको फँसाया चाहते हैं उसने यहभी लिखा कि मुझे गुप्त रीतिसे प्रगट हुआ है कि गांवमे ऐसी कोई बनिसेकी ली नहीं है जो एक या दो रात ब्रजनाथके पास न रही हो—हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि जो कि अपसर पोलीसने यह रिपोर्ट उस अवस्थामें की थी जब वह अपना सरकारी काम कर रहा था और उसमें ऐसे वयान थे कि जो असावधानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं लिखे गये, इसलिये इन्स्पेक्टर पोलीसकी रिपोर्ट अपयश लगानेकी सीमातक नहीं पहुँचसकती वरन् यह दफा ४९९ की द्यूट ९ का लाम उठासकता है। (बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ४२)

५—किसी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उन वयानोसे नहीं ठहराया जा सकता जो उसने गवाही देते समय गवाहीके कठहरेंमे किये हो। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १७ सफा ५७३)

६—जब किसी व्याही लीपर कुचालकी तुहमत लगाई जाय तो ऐसा कहा जावेगा कि उसका पति दुःख पाया हुआ मनुष्य है और मजिस्ट्रेट ऐसे पतिकी नॉलिसपर अपराधका विचार कर सकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफा ३७९)

७—हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहमें कहकर (वाक्य द्वारा) और लिखकर (लेख द्वारा) अपयश लगानेमें कोई अन्तर नहीं रखना गया। (वील्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ३६)

८—अपराधीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाली दी, इसलिये मजिस्ट्रेटने अपराधीको अपयश लगानेका दोषी ठहराया, हाईकोर्टसे तजवीज हुई कि प्रायः ऐसी गालिया लोग आपसके झगडेमें दिया करते हैं, इसलिये अपराधीपर दफा ४९९ का अपराध नहीं ठहर सकता। (वील्ली नोटिस इलाहाबाद कितान माह फरवरी सन् १८८३ ईस्वी सफा ३६)

९—किसी मनुष्यका चित्र बनाकर ऐसे स्थानमें रखना कि जहा उसे सब कोई देखसके और उसको उस मनुष्यके नामसे पुकारकर जले मारना अपयश लगानेकी सीमातक पहुँचता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफा ४३५)

१०—अमीरहुसेन वकीलने अदालतमें यह कहा कि, रामगुलाम (विपक्षी, फरीकसानी) का बाप घास छीलते २ मर गया था उसपर रामगुलाम बोला कि अमीरहुसेन वकालत करना क्या जाने कलतक वह और उसका बाप बिसाती रहे हैं और गलियामें टके २ का सौदा बेचते फिरा किये हैं—इस बात पर अमीरहुसेनने रामगुलामके ऊपर और रामगुलामने अमीरहुसेनके ऊपर फौजदारीमे अपयश लगानेके अपराधमे नालिखी की और वहासे दोनोपर जुर्माना हुआ—तजवीज हुई कि, ऐसी सरतमें मजिस्ट्रेटको मुकद्दमा कायम करनेसे इनकार करना चाहिये, नहीं तो सरकारी काममें बड़ी हानि होगी जो कि दोनों ही मनुष्योंने अनुचित काम किया था, इसलिये जुर्मानेका रुपया वापिस होना चाहिये। (वील्ली नोटिस इलाहाबाद कितान माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफा १६७)

११—अपराधी अपने साक्षीकी ओरसे एक मुकद्दमा दीवानीमें निगरा हाल (तजवीजकी जांच किया जाना) या, उपरोक्त मुकद्दमाके विचारके समय उसने जजमातहतको यह सूचना दी कि, फरिया-

दी उसके साझीके गवाहको उभारता है इसलिये उसको आज्ञा हो कि, वह अदालतमें बैठा रहे इसलिये जजमातहतने फरियादी (मुस्तगीस) को आज्ञा दी कि अदालतसे बाहर न जाय इसपर फरियादीने अपराधीपर मजिस्ट्रेट दर्जा अन्वलके सामने अपयश लगानेका अपराध लगाया और मजिस्ट्रेटने भी उसपर अपराध ठहराकर २५) जुर्माना किया और यदि जुर्माना न चुकाया जावे तो एक महीनेकी साधारण कैदका दंड होनेकी आज्ञा दी, इसपर अपराधीने सेगन जज जिला थानाको यह अर्जी दी कि, उसके मुकदमेकी मिसल मँगाई जाय और फिर मुनासिबहाल मालूम होनेपर फैसला किया जाय—इसलिये सेगनजजने वह मिसल मँगाई मिसल देवनेके बाद जजकी राय हुई कि अपराधीने तुहमत झुत्रता या अधर्मसे नहीं लगाई इसलिये इसका काम दफा ४९९ की ब्रूट नवीमें गिना जायगा अतएव उसने कोई भी अपराध नहीं किया—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि, सेगन जजकी राय सही थी । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफा २६९)

(५००) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात् अपयश लगा-
अपयश लगानेका दंड. } वेगा उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

किसी मनुष्यको एक ऐसा नोटिस भेजना, कि जिसमें अपयश भराहुआ लेख लिखा हो, ऐसी तुहमत लगाने व प्रगट करनेके बराबर नहीं है, इस अभिप्रायसे कि जिस मनुष्यके मध्ये वह तुहमत लगाई जावे उसकी इज्जत बट जावेगी—इन मुकदमोंमें अपराधीने डाकके द्वारा फरियादीको एक नोटिस भेजा जिसमें कुछ झूठी तुहमत लिखी थी—टस पर फरियादीने अपराधीपर दफा ५०० के अनुसार फौजदारीमें नालिग की—तजवीज हाईकोर्ट हुई कि अपराधीपर दफा ५०० का अपराध नहीं टहर सकता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफा २०५)

(५०१) जो कोई मनुष्य किसी बातको छापे अथवा खोदकर लिखे, यह जानकर
छापना अथवा खोद- } अथवा निश्चय करनेका उचित कारण रखकर कि वह बात कर दिखाना किसी बात- } किसी मनुष्यका अपमान करनेवाली है, तो उस मनुष्यको का, यह जानकर कि वह } साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो अपमान करनेवाली है, } सकता है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेगें ।

टीप—(१) अदालत सेगन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

(१०२) जो कोई मनुष्य किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तुको जिनमें बेचना किसी छपी हुई } कोई अपयश लगनेवाली बात हो, यह जानबूझकर कि हम अथवा खुदी हुई वस्तुका } में इसी बात लिखी है वेचेगा अथवा वेचनेके लिये जानने जिसमें अपयश लगानेवा- } रक्खेगा तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जायेगा ली बात हो।

जिसकी मीमांसा दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुमानिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दार्जी बाल अपराधीके नाम वारट (४) नमानत है (५) राजीनामा है ।

अध्याय वाईसवाँ २२.



दण्ड योग्य धमकी और अपमान तथा छेड़नेके विषयमें ।

(१०३) जो कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको उसके तन या यश या वनछां } अथवा किसी मनुष्यके तन या यशको, जिसमें वह मनुष्य दण्ड योग्य धमकी } स्वार्थ रखता है, हानि पहुँचानेकी धमकी देवे, हम अभिप्रायमें कि उसको डरमें डाले अथवा उससे कोई ऐसा काम करावे जिसका करना कानूनके अनुसार उस पर उचित नहीं है अथवा उसे कोई ऐसा काम करनेसे चुकावे, जिसके करनेका उसे कानूनके अनुसार अधिकार है, जिनसे कि ऐसे कामका करना या करनेमें चूकना उस धमकी की तकमील (पूरापन) के रक्षाघटक द्वारा हो तो कहा जावेगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्य धमकी दी ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे मनुष्यके कि जिससे धमकाया हुआ मनुष्य स्वार्थ रखता है, यशको हानि पहुँचानेकी धमकी, इस दफामें गिनी जायगी ।

उदाहरण ।

शिवश करने रमाशकरके किसी मुकद्दमा टीवानीकी परीसे रोकनेके अभिप्रायसे उसका पर जलानेका धमकी दी, तो शिवशकर उदयोग्य धमकीके देनेका अपराधी हुवा ।

१—अपराधीने एक नकली अर्जी एक साहब कमिश्नरकी सेवामें भेजी जिसमें यह धमकी लिखी थी कि यदि जगलका हाकिम दूसरे स्थानपर न बदला जायगा तो वह मारडाला जावेगा. तजवीज हुई कि,—जो कि उस मनुष्यको जिसकी सेवामें अर्जी भेजी गई थी कोई सम्बन्ध धमकाये

हुए मनुष्यसे न था—इसलिये उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ का अपराध नहीं ठहर सकता । (६० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३७६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ में कही हुई धमकी ऐसी धमकी होना चाहिये कि उसकी सूचना उस मनुष्यको होजावे जिसको धमकी दी जावे अथवा इस अभिप्रायसे धमकीका देना प्रगट किया जावे कि उसकी सूचना उपरोक्त मनुष्यको होजावे जिससे कि उस मनुष्यके मनमें प्रभाव उत्पन्न होजावे । (६० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७१)

(५०४) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यका अपमान करे और सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना, उसके द्वारा उस मनुष्यको उभारे, इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस उभारनेके कारण वह मनुष्य सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डाले अथवा किसी और अपराधको करे तो, उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

(अ) ने (ब) को यहांतक गालिये दी कि (ब) भयभीत होगया—तजवीज हुई कि जो कि (अ) ने (ब) को इतना उभारा कि उससे सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न पडनेका भय था, इसलिये वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०४ का अपराधी था । (६० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफा ३५४)

(५०५) जो कोई मनुष्य कोई वर्णन या अफवाह या खबर जिसको वह विद्रोह कराने अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलताके विरुद्ध कोई अपराध करनेके अभिप्रायसे झूठी अफवाह आदिका उडाना, झूठा जानता हो फैलाए अथवा प्रगट करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महारानीकी स्थल अथवा जलकी सेनाके किसी अपसर या सिपाही या जहाजके खालसीसे विद्रोह करावे अथवा इस अभिप्रायसे कि सर्व साधारण मनुष्योंको भय अथवा घबराहटमें डाले और उसके द्वारा किसी मनुष्यको कुछ राज्य सम्बन्धी अपराध या सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेका अपराध करनेके लिये वहकावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनो दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१०६) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे उसको दोनों दण्ड योग्य धमकी } प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी देनेका दण्ड. } मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

और यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी अथवा अग्निसे किसी असवाबके नष्ट यदि वह धमकी मृत्यु } करनेकी अथवा किसी ऐसे अपराधके किये जानेकी जिसके बदलेमें अथवा भारी दुःख (ज- } दण्ड वव या देश निकालेका दण्ड या ऐसी कैद ठहराई गई है रखादीद (पहुँचानेके } जिसका मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा किसी छीके लियेहो. } मध्ये कुचालीकी तुहमत लगानेकी धमकाँ हो तो दोनो प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दियाजावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) अदालत सेमन या प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारट जारी होगा (४) जमानत है (५) राजीनामा है तथा नहीं है ।

(१०७) जो कोई मनुष्य किसी बंनानामकी मुखबिरो करके या धमकी देने बिना नामकी मुखब- } वाळे का नाम या रहनेका स्थान गुप्त रखनेका यत्न करके रीके द्वारा दण्ड योग्य } दण्डयोग्य धमकाँ देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्यको धमकी देना. } सिनाय उस दण्डके जो उपरोक्त अपराधके लिये ऊपर लिखी हुई पिछली दफामे नियत है दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बल (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(१०८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यसे कोई ऐसा काम कराए काम जो किसीको बह- } अथवा उसके कराने का उद्योग करे जिसका करना उसपर काकर दैवीकोपका निश्चय } कानूनानुसार उचित न हो अथवा किसी ऐसे कामके करनेमे करानेसे कियाजाय. } चूक कराए अथवा उसके चूक करानेका उद्योग करे जिसके करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी है उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके लिये बहँकाने या बहँकानेका उद्योग करनेके द्वारा, कि यदि वह मनुष्य उस कामको न करेगा जिसका कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है अथवा यदि उसकाममे चूक न करेगा जिसका चूक कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है तो अपराधीके किसी कामके द्वारा वह मनुष्य या कोई और मनुष्य जिससे वह स्वार्थ रखता है ईश्वरका

कोप होगा या कराया जमगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीमाद एक वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशकर रमाशकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि ऐसे बैठनेसे रमाशकरको ईश्वरका कोप होगा, तो शिवशकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया ।

(ख) रमाशकरने शिवशकरको इसबातकी धमकी दी कि यदि शिवशकर असुक काम न करेगा तो रमाशकर अपने बच्चोंमेंसे किसी एकको ऐसी अवस्थाओंमें मार डालेगा कि जिससे यह बात निश्चय की जावे कि उस मारडालनेसे शिवशकर पर ईश्वरका कोप होजावेगा तो रमाशकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारंट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(५०९ जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीको लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे

किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभि- प्रायसे बचन कहना या सैन-देना,	}	कोई बात मुहसे निकाले अथवा सैन दे या कुछ शब्द करे या वस्तु दिखलाए इस अभिप्रायसे कि वह स्त्री उस बात या शब्दको सुने अथवा उस सैन या वस्तुको देखे अथवा उस
--	---	---

स्त्रीके परदेमें खुसजाय, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (३) वारंट होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

(५१०) जो कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामे सर्व साधारणके आने जानेके किसी

सर्व साधारणके सामने किसी मत्तवाले मनुष्यकी कुन्नाल,	}	स्थानमे अथवा किसी ऐसे स्थानमे आ निकले जहा उसका पहुँचना मदाखलतबेजा (अनधिकार प्रवेश) है और वहाँ वह ऐसी रीतिपर वर्त्ताव करे कि उससे किसी मनुष्यको
---	---	--

झेश पहुँचे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद चौबीस वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दस रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) वारंट हांगा (३) गैर दस्तन्दाजी पोलिस (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है ।

अध्याय तेईसवाँ २३.



अपराध करनेके उद्योगके विषयमें।

(५११) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेका उद्योग करे जिसका बदलेमें उस अपराधके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरके देश निकाले या कैदका दण्ड ठहराया गया है, इस संप्रदके अनुसार जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा कैदका दण्ड ठहराया गया है अथवा जो ऐसे अपराधके जाननेके कारण का उद्योग करे और ऐसे उद्योगमें कोई ऐसा कामकरे जां उपरोक्त अपराधके होनेका और शकता हो तो उस अवस्थामें कि इस संप्रदके ऐसे उद्योगका कोई विशेष दण्ड न ठहराया गया हो— उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड या किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया हो और उस जन्मभरके देश निकाले या कैदकी मीमाद उस मीमादकी आधीतक हो सकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये बड़ीसे बड़ी मीमाद ठहराई गई है या उस जुर्मानेके दण्ड जो उपरोक्त अपराधके बदलेमें ठहराया गया है या दोनों दण्ड दिये जावेगे।

उदाहरण।

(क) रमाशकरने एक सड़क तोड़कर कुछ गहना चोरानेका उद्योग किया और इस प्रकार उस सड़कके खोलने पर उसको जानना कि उसमें कुछ गहना नहीं है तो यहा उसने एक ऐसा काम किया जो चोरीके अपराध की ओर शकता है और इसलिये रमाशकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

(ख) रमाशकरने शिवशकरकी जेबमें हाथ डालकर उसकी जेबमेंसे कुछ निकालनेका उद्योग किया—परन्तु शिवशकरकी जेबमें कुछ न होनेके कारण रमाशकर इस उद्योगमें सफल न हुवा, तो रमाशकर इस दफाके अनुसार अपराधी है।

टीप—(१) इस अपराधकी तजवीज वही अदालत करेगी कि जो उद्योग किये हुए अपराधकी तजवीज कर सकती है (२) यदि उद्योग किया हुआ अपराध दस्तन्दाजी पोलीसके योग्य हो तो इस अपराधमें दस्तन्दाजी पोलीस हो सकती है (३) वारण्ट या समन सबके पाहिले जारी होता जैसा कि उस अपराधके लिये कि जिसका उद्योग किया गया, वारण्ट या समन जारी होगा (४) जमानत है, यदि यह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया, जमानतके योग्य हो (५) राजीनामा है यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया राजीनामेके योग्य होवे।

१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५११ शतषातके उद्योगके अपराधमें सम्बन्ध नहीं रखती जिसका दण्ड दफा ३०७ के स्पष्ट रीतिपर लिखा है। (६० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १४ पृष्ठा ३८)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ७५ ऐसी सूरतोमें सम्बन्ध न रखेगी कि जो दफा ५११ में आसकते है—जो अपराध दफा ५११ में दाखिल होवे उनका दंड विना सम्बन्ध दफा ७५ के होना चाहिये । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफा १२३)

३—जो बयान प्रश्नोत्तरकी भांति पुलिसके कर्मचारीके द्वारा दफा १६१ जान्ता फौजदारीके अनुसार तहकीकात पोलीसके समयमें किया जावे इस्तहकाकी है और वह जड किसी अपयश लगानेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँच सकती । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १६ सफा २३५)

४—किसी स्त्री पर यदि अनुचित आक्रमण किया जावे तो वह बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधका उद्योग न होगा, जब तक कि अदालतको निश्चय न होजावे कि अपराधीने अपने दिलमें यह बात जान ली थी कि चाहे कुछ भी होजावे और चाहे कोई कैसी भी रोक करे, परन्तु वह उस स्त्रीके साथ व्यभिचार करेगा (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ५ सफा ४०३)

५—जो मनुष्य चोरीके अपराधमें दण्डित हुआ हो और यदि वह अपराधी चोरीके उद्योगमें फिरसे दंड पावे तो उसे बढा हुआ दण्ड दफा ७५ के अनुसार न मिलेगा । (इ० ला रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ३५७)



पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बम्बई.

